राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का दूसरा दिवस [संख्या: 02

गुरुवार,

11 फरवरी 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: फर्स्ट प्रश्न स्थगित किया गया है। श्री कन्हैया लाल।

टोडारायसिंह में रीको ओद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

1. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह में रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रीमियम राशि का मांग पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रीमियम राशि का मांग पत्र जारी करने के कितने दिनों पश्चात् प्रीमियम राशि जमा करवा दी जाएगी तथा प्रीमियम राशि जमा होने के कितने दिनों पश्चात् आबंटित भूमि का कब्जा ले लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आबंटित भूमि पर कब्जा प्राप्त होने के कितने दिन पश्चात् वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर विकास कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): प्रश्न संख्या-2.

श्री अध्यक्ष: एक सैकण्ड।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सदन शुरू होते ही पहले क्वेश्चन को स्थगित करना पड़े, मैं यह सोचता हूं कि हमारे सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। अगर हमारी तैयारी नहीं है तो लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखें कि इसका प्रोपर उत्तर हमारे पास किसी कारण से आया है या नहीं आया है। ऐसे पहले ही पहले दिन पहला क्वेश्चन भी स्थगित कर दें तो ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी, यह प्रश्न ट्रांसफर करवाया है इसलिए पोस्टपोन किया है। क्वेश्चन जब लिखता है, उस समय तब आदमी सही डिपार्टमेंट नहीं लिखता है इसलिए वह विभाग से ट्रांसफर के कारण से स्थगित किया है, जवाब के कारण से स्थगित नहीं किया है।

श्रीमती शकुन्तला रावत।

पॉलीटैक्निक महाविद्यालयों में अधिगमन प्रकोष्ठ की स्थापना

2. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने पॉलीटैक्निक महाविद्यालयों में उद्योग संस्थान अधिगमन प्रकोष्ठ स्थापित किए जा चुके हैं? उक्त प्रकोष्ठों का मुख्य ध्येय क्या है?

(2) उक्त प्रकोष्ठों के माध्यम से वर्तमान एवं विगत 2 वर्षों में कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक इकाइयों में भेजा गया?

(3) विगत 4 वर्षों में अब तक कितने प्रकोष्ठों ने कितने परिसर साक्षात्कार शिविर आयोजित किये एवं कितने विद्यार्थियों को रोजगार मिला? कितने प्रकोष्ठों ने उक्त अवधि में उक्त शिविर आयोजित नहीं किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत 4 वर्षों में अब तक कितने प्रकोष्ठों ने पाठ्यक्रम को उद्योगों की आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने के सुझाव दिये एवं इस आधार पर कौन-कौनसे पाठ्यक्रम परिवर्तित किये गये अथवा नए पाठ्यक्रम चालू किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) राजस्थान में तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त 44 राजकीय पॉलीटैक्निक महाविद्यालयों में उद्योग संस्थान अन्योन्य अधिगमन प्रकोष्ठ (Industry Institute Interaction Cell) स्थापित किए जा चुके हैं।

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

इनका मुख्य उद्देश्य उद्योग और शैक्षणिक संस्थान के बीच एक सेतु का कार्य करना है। यह प्रकोष्ठ औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के साथ उसको व्यावहारिक व रोजगारपरक बनाने का काम करते हैं। संस्थान और उद्योग के बीच अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करता है।

इन प्रकोष्ठों के माध्यम से उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम, संकाय व बुनियादी ढांचे में सुधार करना, उद्योग विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, शिक्षा सत्र के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाओं व तकनीकी वार्ता आदि का आयोजन किया जाता है। शिक्षा पूर्ण होने के पूर्व ही उद्योगों से समन्वय स्थापित कर शिक्षित विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान करने में कैम्पस साक्षात्कार आयोजित कर यह प्रकोष्ठ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(2) इन प्रकोष्ठों के माध्यम से द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रशिक्षण हेतु औद्योगिक इकाइयों में भेजा जाता है। सत्र 2020-21 में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र जून-जुलाई 2021 में प्रशिक्षण हेतु जाएंगे। विगत 2 वर्षों में कुल 8346 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक इकाइयों में भेजा गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) विगत 4 वर्षों में 1045 परिसर साक्षात्कार शिविर (परिशिष्ट-2) आयोजित कर कुल 4368 विद्यार्थियों को रोजगार (परिशिष्ट-3) उपलब्ध करवाया गया।

राजकीय पॉलीटैक्निक महाविद्यालय, बागीदौरा, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, जालौर, झुंझुनूं, नागौर, नीमराणा, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही में विद्यार्थियों की कम संख्या होने के कारण कम्पनियां वहां आने को इच्छुक नहीं होतीं। पूर्व में यहां आई. आई. आई. सैल स्थापित नहीं थे। बालिकाएं रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना चाहतीं बल्कि स्वयं के या फैकल्टी के स्तर पर स्थानीय रोजगार प्राप्त करती हैं। पूर्व में यहां भी आई. आई. आई. सैल स्थापित नहीं थे।

राजकीय पॉलीटैक्निक महाविद्यालय, उदयपुर में सत्र 2018-19 से प्रारम्भ होने तथा राजकीय पॉलीटैक्निक महाविद्यालय, केलवाड़ा में सत्र 2019-20 से प्रारम्भ होने के कारण अंतिम वर्ष के विद्यार्थी नहीं हैं।

(4) विगत 4 वर्षों में 13 प्रकोष्ठों द्वारा पाठ्यक्रम को उद्योगों की

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने के सुझाव दिये गये। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

उक्त सुझावों के दृष्टिगत नोन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की 6 ब्रांचों के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम परिवर्तित कर सत्र 2020-2021 से लागू कर दिये गये हैं। नोन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की 6 ब्रांचों के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम परिवर्तन करने की प्रक्रिया जारी है। 03 नये ब्रांचों का प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम सत्र 2020-2021 से लागू कर दिया गया है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-5 व 6 पर संलग्न है।

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की 19 ब्रांचों एवं 03 नवीन ब्रांचों के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को परिवर्तित कर सत्र 2021 से लागू कर दिया गया है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगी कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर कम्पनियां वर्ष 2017-18, 2019-20 तक नहीं आ रही हैं, तो आगे ये कम्पनियां आएंगी या नहीं आएंगी? अगर नहीं आएंगी तो फिर युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा? अपन उसके लिए क्या प्रयास करेंगे?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि जहां कम संख्या है या जहां रिमोट एरियाज हैं वहां के लिए हमने जो सेंट्रल ई-गवर्नेंस, हमारा जो सेंटर है उसको अधिकृत कर दिया है। वह सेंट्रल लेवल पर उन बच्चों के लिए प्लेसमेंट के फेयर आयोजित करता है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री महोदय, क्यों नहीं सरकार की तरफ से कम्पनियों को, जो कम्पनियां लिमिटेड कम्पनियां हैं, बड़ी कम्पनियां हैं, उनको बाध्य किया जाए कि वह सरकारी पॉलीटैक्निक कालेज से ही युवाओं को लें, जिससे उनको रोजगार उपलब्ध हो सके? वह जगह-जगह पर अपने कागज लेकर घूमते हैं, क्या आप एक ऐसी व्यवस्था करेंगे?

दूसरा, आवश्यकतानुसार आपने इसमें सब्जैक्ट और ट्रेड भी चेंज किये हैं फिर भी इसका नामांकन नहीं बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं जो आजकल का युवा चाह रहा है, चाहे इंटीरियर डिजाइनिंग हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, डिजिटल मार्केटिंग या फिजिकल एसोसिएशन, वेडिंग इंस्टीट्यूट, इंटीरियर मैनेजमेंट तो

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

ऐसे ट्रेड को अपन उनमें क्यों नहीं दें, जहां पर युवाओं की रुचि है? क्या आप इन ट्रेड्स को इसमें देने की मंशा रखते हैं?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने यह बताया कि कम्पनियों को बाध्य कर सकते हैं। सरकार किसी भी कम्पनी को बाध्य नहीं कर सकती, केवल उनको इनिशिएट कर सकती है, कह सकती है, मोटिवेट कर सकती है, नम्बर, वन।

नम्बर टू, जहां तक नये कोर्सेज का सवाल है, मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में हमने 2019-20 में mechatronics और साइबर फोरेंसिक एंड इन्फोर्मेशन सिक्योरिटी कोर्सेज लागू, जब इन लोगों के सुझाव आये, जो इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट जो हमारे इंटरेक्शन सैल हैं, उन्होंने यह कहा कि साइबर पर, रोबोटिक्स पर आप कोर्सेज शुरू कीजिए, तो वह कोर्सेज शुरू किये गये लेकिन बच्चों का रुझान अभी कम है, लेकिन मैं यह उम्मीद करता हूं कि जैसे-जैसे हमारे स्टूडेंट्स में और अवेयरनैस आएगी तो निश्चित रूप से यह जो नया, क्योंकि बदलते हुए परिवेश में दुनिया और वर्ल्ड लेवल पर जो परिवेश चेंज हो रहा है, नये कोर्सेज आ रहे हैं तो हमारे बच्चे रूरल एरिया के ज्यादा हैं तो अभी उनका फोकस बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर ही ज्यादा रहता है। अब धीरे-धीरे हम अवेयरनैस के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से और आपको खुशी होगी कि इस कोरोना पीरियड के दौरान भी हम करीब 40 हजार ई-लैक्चर्स अपलोड करते हुए और करीबकरीब 55 वेबिनार के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वह इन कोर्सेज में आएं। जैसे ही इन बच्चों के कोर्सेज की संख्या बढ़ेगी तो स्थानीय स्तर पर भी प्लेसमेंट फेयर आयोजित किये जाएंगे और हमारा जो सेंटर फोर ई-गवर्नेंस है, उस स्तर पर भी हम कम्बाइंड सेंट्रल पाइंट के रूप में वहां पर साक्षात्कार के लिए व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री मदन प्रजापत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। तीसरा प्रश्न, साहब। मंत्री महोदय, नारायणपुर में खोलने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अलाउ नहीं है। माननीय सदस्य, प्लीज बैठें। कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कैम्पस के आपने शिविर लगाये हैं, वह 1045 लगाये हैं और जो सलेक्शन हुआ है वह 4368 छात्रों का हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस शिविर के लिए योग्य विद्यार्थी जो आपके पास अध्ययन कर रहे थे, उनकी संख्या कितनी थी? उसमें से सारे विद्यार्थियों ने कैम्पस में जाकर अपना, उस शिविर में, उस कम्पनी के साथ अपने आपको आफर क्यों नहीं किया और किया तो चार साल में अगर सारा मिलाकर हमारा आउटपुट 4368 है तो क्या यह संतोषप्रद कहा जा सकता है कि चार साल की हमारे इतने सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले बच्चों को अगर अपन 4368 बच्चों को ही केवल प्लेसमेंट दे सकते हैं, तो क्या यह संतोषप्रद आंकड़ा है?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता को यह बताना चाहूंगा कि ये कोर्सेज पॉलीटैक्निक कोर्सेज होते हैं और इसमें जो प्लेसमेंट की चीजें हैं और जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें डिप्लोमा किया जाता है, ज्यादातर जो कैम्पस इंटरव्यू होते हैं जो कारपोरेट वर्ल्ड में हम देखें तो डिग्री होल्डर्स को ज्यादा लेते हैं, तो वह जो संख्या है बच्चों की, जो 4368 है अगर उसकी परफोरमेंसवाइज भी देखें, क्योंकि संख्या भी हमारी प्रवेशित छात्रों की, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर इंडिविजुअल भी देखें तो टोटल जो है लगभग प्रवेश क्षमता जो हमारी है, इसमें सरकारी महाविद्यालयों में हमारी लगभग 7561 है और निजी की है 20738, यह हमारी प्रवेश क्षमता है लेकिन इसमें करीब-करीब 50 परसेंट लोगों के एडमिशन ही हो पाते हैं और उसके आधार पर बच्चे ज्यादातर लोकल एम्प्लायमेंट में ज्यादा लेते हैं। कैम्पस प्लेसमेंट में बाहरी कम्पनियां आती हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वह काफी कम होती है क्योंकि डिग्री होल्डर्स को वे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं इसीलिए हम भी अभी यह विचार, मैंने खुद लिखा है कि यहां पर जो इंजीनियर्स की भर्ती की जाती है जे.ईएन. आदि की, पहले यह था कि जो पॉलीटैक्निक डिप्लोमा होल्डर थे उनको प्राथमिकता दी जाती थी, बाद में राज्य सरकार के द्वारा उसको हटा दिया गया, जिसकी वजह से अभी भी बच्चों ने मेरे को भी ज्ञापन दिया है, मैंने खुद भी लिखा है कि इसको वापस पॉलीटैक्निक होल्डर को, जे.ईएन. बनाने में प्राथमिकता दी जाए। अगर वह हो जाएगा तो इन बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को रोजगार मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री मदन प्रजापत।

बालोतरा में जिला अस्पताल की स्थापना

3. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बालोतरा में जिला अस्पताल बनाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है?

(2) क्या सरकार राजकीय नाहटा चिकित्सालय को जिला स्तर का दर्जा प्रदान कर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में स्थित उप-जिला अस्पताल बालोतरा को जिला अस्पताल बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(2) जिला अस्पताल का दर्जा दिये जाने हेतु निर्धारित विभागीय मापदण्ड पूर्ण करने की स्थिति में एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उप-जिला चिकित्सालय बालोतरा को जिला चिकित्सालय बनाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन है कि बाड़मेर में मेडिकल कालेज खुल गया है और बालोतरा जिले का दूसरा बड़ा शहर है और रिफाइनरी और कपड़ा उद्योग को देखते हुए, वैसे मंत्रीजी ने कई नई सौगात बालोतरा को दी हैं, मैं आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका जवाब आ गया। आप अब बैठें। श्री रामनारायण मीना।

पीपल्दा में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

4. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में वर्तमान में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं? उक्त का विधिवत गठन कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय विनायका (पीपल्दा), जिला कोटा में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए गबन प्रकरण में

(श्री रामनारायण मीना)

निर्णय होने पर भी गबन राशि की वसूली में विलम्ब किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है व अब कब तक वसूली कर ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त समिति को पुनर्जीवित किये जाने की कार्ययोजना 24.07.2015 को बना लिये जाने पर भी 5 वर्ष तक पुनर्जीवित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में वर्तमान में बालूपा, कैथूदा, सीनोता, बिसलाई तथा जालिमपुरा ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं। (परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।)

निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। (परिशिष्ट-2)

(2) समिति में गबन के दो प्रकरण पाये गये हैं-

प्रकरण संख्या-1 : ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 1979-80 के अनुसार श्री शम्भूदयाल गुप्ता समिति के व्यवस्थापक द्वारा 40,846/- रुपये का गबन करने का मामला प्रकाश में आने पर प्रकरण दर्ज कर राजस्थान सहकारी संस्था 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत न्यायालय स्पेशल ऑडिटर, सहकारी समितियां, कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 31.12.1980 में गबन का दोषी ठहराया गया।

विनायका समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर समिति में गबन का मामला प्रकाश में आने पर सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा द्वारा धारा 74(2) में प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 31.10.1983 द्वारा श्री शम्भूदयाल गुप्ता को रुपये 1,04,096.30 के गबन हेतु दोषी पाया गया।

उक्त निर्णय के विरुद्ध श्री गुप्ता द्वारा न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर के यहां अपील की गयी, जिसमें दिनांक 24.12.1997 को न्यायालय द्वारा केस को रिमांड किया गया। रिमांड केस की पुनः सुनवाई करते हुए न्यायालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा द्वारा दिनांक 12.10.2018 को निर्णय पारित कर श्री शम्भूदयाल गुप्ता, पूर्व व्यवस्थापक को रुपये 1,05,020.26 के गबन हेतु दोषी ठहराया गया। श्री गुप्ता को दिनांक 02.05.1991 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

(सहकारिता मंत्री)

आरोपी के लम्बे समय से फरार (मफरूर) होने से तथा उसके हिस्से की भूमि न्यायालय मजिस्ट्रेट इटावा के पत्रानुसार राज हक में कुर्क करने तथा राज हक में दर्ज करने के कारण वसूली की कार्यवाही नहीं हो सकी।

प्रकरण संख्या-2: विनायका ग्राम सेवा सहकारी समिति में गबन के अन्य प्रकरण में न्यायालय स्पेशल ऑडिटर, सहकारी समितियां, कोटा द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74(2) के अन्तर्गत दिनांक 07.10.1980 को श्री धन्नालाल सोनी, पूर्व व्यवस्थापक को रुपये 10,770/- के गबन के लिए दोषी ठहराया गया एवं दिनांक 17.08.1985 को गबन राशि वसूली हेतु डिक्री जारी की गयी, जिसमें वेतन से कटौती के आदेश जारी किये गये हैं।

श्री सोनी को दिनांक 08.10.1985 को निलंबित करने के कारण वेतन से कटौती नहीं की जा सकी। श्री सोनी को दिनांक 09.03.1990 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। श्री सोनी की 6 वर्ष पूर्व मृत्यु भी हो चुकी है।

(3) अवसायनाधीन विनायका ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. में ऋण रुपये 5.70 लाख एवं ब्याज रुपये 7.03 लाख, कुल रुपये 12.10 लाख का दायित्व होने एवं समिति में रुपये 10.00 लाख की हानि होने के कारण तथा सम्बद्ध केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. कोटा के वर्ष 2015-16 में रुपये 16.78 करोड़ की संचित हानि थी, जो वर्ष 2019-20 में भी लगभग रुपये 11.64 करोड़ की संचित हानि में होने एवं बैंक के पास सदस्यों को ऋण वितरण हेतु अतिरिक्त फंड की व्यवस्था नहीं होने से उक्त समिति को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका, जिसके लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

विभाग के आदेश दिनांक 04.02.2021 के क्रम में उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा द्वारा आदेश क्रमांक 3664-70 दिनांक 09.02.2021 द्वारा अवसायनाधीन ग्राम सेवा सहकारी समिति, विनायका को पुनर्जीवित किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। (परिशिष्ट-3)

(विवरण एवं आदेश पुस्तकालय में रखे गये)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): आदरणीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, मंत्रीजी 1997 का केस रिमांड हुआ 2018 में और अब जाकर 21 साल के बाद उसका निर्णय जिस डिप्टी रजिस्ट्रार ने किया, वह कौन दोषी है? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? नम्बर दो, यदि कलेक्टर ने कमेटी बना रखी है कि इसको पुनर्जीवित कैसे करें, नई सोसाइटी

(श्री रामनारायण मीना)

कैसे बने। एक-एक सोसाइटी के एरिया में कम से कम हजार परिवार रहते हैं, बल्कि उससे ज्यादा रहते हैं। फिर आपने कलेक्टर को बनाया तो कलेक्टर को दोषी ठहराओगे क्या कि सोसाइटियां पुनर्जीवित क्यों नहीं हुईं और इन पांच सोसाइटियों का क्यों नहीं हुआ? मेरा तीसरा प्रश्न, आपने कहा है कि अब प्रकरण में न्यायालय ने जमीन कुर्क कर ली तो लियन तो आपका था 20 साल से, फिर आप न्यायालय में इसको इस प्रकरण को, सोसाइटी को रिप्रजेंट क्यों नहीं कर पाये, क्योंकि मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, माननीय अध्यक्षजी, ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें, भाषण नहीं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सोसाइटी में आज भी नेहरूजी और गांधीजी की आत्मा बसती है, इसलिए माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यह जो बैंक का घाटा है उससे सोसाइटी को पुनर्जीवित करने में कहां दिक्कत है? क्योंकि आपका घाटा था तो आप सोसाइटियों को कहीं भी ऋण नहीं दे रहे थे इसलिए वहां भी नहीं देते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें। उत्तर भी आप ही दे रहे हैं। उत्तर मंत्रीजी दे देंगे, आप प्रश्न पूछें प्लीज। माननीय मंत्रीजी।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की चिंता है, जब यह प्रश्न लगा और मेरे सामने यह बात आई तो जो क्वेश्चन अभी माननीय सदस्य उठा रहे हैं, वह विचार मेरे मन में भी आया, क्योंकि यह 1980 का मामला होकर उसका निर्णय 2021 में 41 साल बाद हो रहा है। यह बहुत लम्बा पीरियड निकला है, इसलिए संबंधित अधिकारियों को उसी समय निर्देश दे दिये थे कि इसके लिये इतना डिले किसने किया? उनको नोटिस दिया जाए और कार्यवाही की जाए। जहां 16-17 करोड़ का घाटा बैंक को चल रहा था, जिसमें 10-20 लाख से कोई समिति मर नहीं जाती, अगर बैंक उसी समय उसको चालू करता तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती। यह मेरे ध्यान में भी है और इसके लिये अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्षजी, उन अधिकारियों के खिलाफ जिला कलेक्टर ने डिसीजन नहीं किया और जिन्होंने 40 साल तक इसको लटकाये रखा और जिन्होंने कोर्ट में अपना लियन नहीं माना, उनमें से

(श्री रामनारायण मीना)

किस-किसके खिलाफ आपने क्या-क्या कार्यवाही की? आपके पास प्रश्न आया, आपका विचार है, आपके मन की बात कहिये।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): पूरा इतना लम्बा पीरियड है, इसलिए इतने लम्बे समय में कौन-कौन अधिकारी रहे, 40 साल में कितने ट्रांसफर हुए, कितने अधिकारियों के पास चार्ज आया, किसने डिले किया, वह तो जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि किस व्यक्ति के स्तर पर डिले हुई और अगर वह जांच में पाया गया तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली में अल्पसंख्यक कल्याण योजना के आवेदन

5. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किस-किस अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति ने किस-किस योजना में लाभान्वित होने के लिए कब-कब आवेदन किया एवं इनमें से किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि से किस-किस योजना में कब-कब लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वित्तीय वर्षों में विभाग को प्राप्त प्रकरणों में कौन-कौनसा प्रकरण किन-किन कारणों से कितने-कितने समय से किस-किस स्तर पर लंबित है एवं कौन-कौनसा प्रकरण किन-किन कारणों से कब-कब अस्वीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त लंबित प्रकरणों का निस्तारण कितनी अवधि में कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बजट की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी के अनुपात में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण करने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस आधार पर व नहीं, तो किन-किन कारणों से?

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) पाली जिले में वर्ष 2019-20 में केन्द्र प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में अधिसूचित अल्पसंख्यकों के कुल 447 आवेदकों में से 135 आवेदकों को राशि 12.09

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

लाख रुपये छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। इसी वर्ष केन्द्र प्रवर्तित मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्राप्त 58 आवेदकों में से 47 आवेदकों को राशि 9.55 लाख रुपये स्वीकृत की गई।

पाली जिले में वर्ष 2020-21 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों के कुल 358 एवं मैरिट कम मीन्स योजनान्तर्गत 59 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसका समेकित विवरण परिशिष्ट "1", पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (2019-20) परिशिष्ट "2", मैरिट कम मीन्स (2019-20) परिशिष्ट "3" एवं वर्ष 2020-21 हेतु पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति का विवरण परिशिष्ट "4" पर संलग्न है।

पाली जिले में अनुप्रति योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

पाली जिले में वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यावसायिक ऋण हेतु कुल 04 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2020-21 में व्यावसायिक ऋण हेतु कुल 14 आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष 2019-20 में शिक्षा ऋण हेतु कुल 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2020-21 में 1 अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक को 0.80 लाख रुपये का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण हेतु आवेदकों का विवरण परिशिष्ट "5" पर संलग्न है। ऋण आवेदकों में से लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट "6" पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समस्त पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी के माध्यम से संबंधितों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड को व्यावसायिक एवं शिक्षा ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में प्राप्त प्रकरणों में से विभिन्न स्तर पर लंबित एवं अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट '7' पर संलग्न है।

(3) छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में कोई प्रकरण लंबित नहीं है तथा वर्ष 2020-21 हेतु प्राप्त आवेदनों के सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

ऋण योजना अन्तर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण आवेदक द्वारा आक्षेपों की पूर्ति करने पर नियमानुसार वर्ष 2020-21 में कर दिया जाएगा।

(4) वर्तमान में इस सम्बन्ध में सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपकी सत्यापन की कार्यवाही है क्या उसकी कोई अवधि तय है कि इतने दिनों में सत्यापन किया जाएगा? लंबा समय बीत गया उसके बावजूद भी पिछले वर्ष की, इस वर्ष की छात्रवृत्ति बाकी है। ऋण के जो आवेदन हैं उसमें भी आपकी जो सत्यापन की प्रक्रिया है, तो इसमें आप कोई अवधि निर्धारित करोगे क्या कि हम इतनी अवधि में सत्यापन करके उसको छात्रवृत्ति या ऋण की राशि दे देंगे? एक यह आप मुझे बता दो।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे विभाग के स्तर पर जो लंबित प्रकरण पड़े हैं, लगभग स्टेट लेवल पर जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें जो कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और जिला स्तर पर जो कुछ आक्षेप लगे हैं, दस्तावेजों में पूर्ति करनी है, वो जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो कार्य पूरा हो जाएगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं-नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कोई टाइम फ्रेम।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मंत्री महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि आप कोई अवधि निश्चित करोगे, चाहे जिला स्तर पर हो चाहे स्टेट स्तर पर हो, वरना वह कब तक चक्कर लगाएगा? अब आपने आपकी उपलब्धि तो बता दी, सबमें शून्य, शून्य, शून्य। मैं खुद चाहता हूं कि लोन मिलना चाहिए। कहीं न कहीं आपके अधिकारी काम नहीं करना चाहते।

आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हो तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि आप सत्यापन की एक अवधि तय कर लो, अगर कोई आक्षेप की पूर्ति नहीं करता है तो उसको हटा दो, आप उस आवेदन को हटा दो, जो आगे वाला है उसको आप दे दो पर एक अवधि तय करके समय पर उसको छात्रवृत्ति या लोन मिल जाए, आप यह कार्यवाही करोगे कि नहीं करोगे? आप मुझे बस यह बता

दो।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया इंस्टीट्यूट के लेवल पर, उसके बाद में जिला स्तर पर और उसके बाद में भारत सरकार करती है और जो लोन की प्रक्रिया है वो लोन की प्रक्रिया जब हमारा पोर्टल खुलता है, पोर्टल में जैसे ही वो अपनी ऑनलाइन एप्लाई करता है तो एप्लाई के बाद में उनकी जांच, दस्तावेज, जो हमारे राज्य स्तर पर मीटिंग तय होती हैं, लगभग एक-दो महीने के अंदर, फिक्स अवधि नहीं होती है पर इसमें फिक्स अवधि कर लेंगे कि जैसे ही कोई प्रकरण ऑनलाइन आए तो जिला स्तर पर हर जिले की अलग-अलग, उनको जो लोनी होते हैं उनकी हम हर जिले की अलग-अलग मीटिंग बुलाते हैं, तो इसके स्तर पर हम चाहेंगे कि हर जिले में एक अवधि फिक्स करके कि जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होती है तो लगभग एक महीने के अंदर हम उसकी प्रक्रिया पूरी करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप स्पेसिफिक मंथ या डेट कि, साहब, इस मंथ में यह अधिकारी लेवल का डिस्पोज करेगा, यह डिस्पोज करेगा। यह भी उसको मालूम होगा तो विद्यार्थी को टाइम भी मिल जाएगा, आप ऐसा कोई निर्देश विभाग को देना चाहते हैं?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल, आपने जो आदेश दिया है, इसका समय का निर्धारण तुरंत कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गोतमलाल।

आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि

6. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आशा सहयोगिनी मानदेय के आधार पर कार्य कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त के मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जी हां। आशा सहयोगिनी स्वैच्छिक सेवा भावना से समुदाय में कार्य करने वाली स्थानीय महिला होती हैं। मानदेय कार्य समय के उपरांत ये किसी भी प्रकार के

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

निजी कार्य हेतु स्वतंत्र रहती हैं। इन पर राज्य सेवा के कार्मिकों की भांति सेवा नियम लागू नहीं हैं और न ही श्रमिकों के बराबर इनके कार्य के घंटे तय होते हैं।

(2) आशा सहयोगिनी को आईसीडीएस की ओर से प्रतिमाह नियत मानदेय राशि 2700/- रुपये का भुगतान किया जाता है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्य आधारित भुगतान (परफोरमेंस बेस्ड इन्सेंटिव) किया जाता है।

आशा सहयोगिनियों का मानदेय वृद्धि बजट की उपलब्धता पर कर दिया जाएगा।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि यह स्वैच्छिक सेवा भावना से समुदाय में कार्य करने वाली स्थानीय महिला होती हैं, लेकिन इनको जो रोजगार दिया जाता है वो मानदेय भत्ता है 2700 रुपये, रोजगार गारंटी में जो काम करता है उनसे भी बहुत कम है। अन्य राज्यों में जैसे हरियाणा वगैरह में 15 हजार से भी ज्यादा इनका मानदेय है। जब चुनाव आता है उस समय तो आप इनको आश्वासन, वायदा दे देते हैं और फिर सत्ता में आने के बाद में वापस ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री गोतमलाल (धरियावद): तो क्या आप इनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा करते हैं? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इनको सरकारी सेवा में नियमित करने का भी आप विचार रखते हैं?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या आप मानदेय बढ़ाने का विचार रखते हैं, तो एनएचएम के तहत ये कार्य कर रहे हैं, उसमें इनकी मानदेय वृद्धि 2013-14 के बाद में बिलकुल नहीं हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया और आशा सहयोगिनियों ने कोविड के दौरान घर-घर जाकर सर्वे में जो सहयोग दिया और जो अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, उसको देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे देश के प्रधान मंत्री जी को 02.01.2021 को एनएचएम में वृद्धि करने का पत्र भी भेजा और हमें उम्मीद थी कि बजट के दौरान पैसा बढ़ेगा। 2013-14 के के

(श्रीमती ममता भूपेश)

बाद में एनएचएम के दौरान कोई पैसा नहीं बढ़ा है जबकि राजस्थान सरकार में 2009 से लेकर 2019 तक सात बार इनके मानदेय में वृद्धि की गई है और जो 2700 रुपये राजस्थान सरकार वहन कर रही है वो 100 प्रतिशत अंशदान, उसके अंदर केंद्र सरकार का किसी भी प्रकार का अंशदान नहीं है जबकि मानदेय कर्मचारियों की जो स्क्रूटनी होती है उसके तहत यह फिक्स है कि 60:40 का रेशो रहेगा, 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार की और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की। मुझे सदन में कहते हुए अफसोस है इस बात का कि 40 प्रतिशत के एवज में 2700 रुपये, 100 प्रतिशत राज्य सरकार अंशदान दे रही है जबकि भारत सरकार का अंशदान इसमें कुछ भी नहीं है।

मैं उम्मीद करना चाहूंगी और हमारे विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहूंगी कि आशा सहयोगिनियों के मानदेय वृद्धि की चिंता आपको और हमको सबको है। कृपया आप यहां प्रश्न तो पूछें, आपका अधिकार है लेकिन साथ में आप प्रधान मंत्री जी को भी पत्र लिखें कि 60 प्रतिशत की राशि केन्द्र सरकार हमें दे जिससे हम लोग इनके वेतन को बराबर कर सकें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आप तो केवल इतना ही बता दो कि किसी से भी काम लेते हैं तो उसको कम से कम न्यूनतम वेतन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?

दूसरा आपने यह जो बजट वर्ष 2019-20 रखा है उसका जो पैरा नंबर 122 है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 7500 करने, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 5750 एवं आंगनबाड़ी सहायकों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 4250 करता हूं। यह 2019-20 का बजट है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आपने जिस प्रकार का 2019-20 के बजट में जोड़ा, यह तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, यह आपका 2014 में 4330 था, 2016 में 4730 हुआ फिर 01.04.2018 को मानदेय केंद्र सरकार ने, 01.04.2018 तारीख को याद रखना, उसमें कर दिया था 6000, जिसका रेफरेंस आप अपने 2019-20 के बजट में दे रहे हो कि हम इसको 7500 करते हैं, यह तो उन्होंने 01.10.2018 को ही कर दिया है। क्या यह सही है या आपका यह बजट सही है? यह बता दो।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात कर रहे हैं या आशा सहयोगिनियों की, इसको स्पष्ट करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जब कहा न कि हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, आपकी केंद्र सरकार की चिट्ठी के ऊपर बता रहा हूं।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुख्य मंत्री जी का पत्र है जो प्रधानमंत्री जी को दिया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक बार सुनें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपसे इतना ही निवेदन है, मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि केंद्र सरकार को आप आशा-सहयोगिनियों के लिए यह जो चिट्ठी लिख रहे हो न, उस चिट्ठी के रेफरेंस में, यह चिट्ठियां आप इसी तरह से लिखते हो कि आप अपने बजट में 2019 में घोषणा करते हो पैरा नंबर 122 में, यह तो केन्द्र सरकार ने आपको 2018 के अक्टूबर महीने में ही कर दिया था। उसको आप 2019 के बजट में जोड़कर के वाहवाही ले रहे हो।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात कर रहे हैं? हां, आंगनबाड़ी वर्कर्स को। इनको पता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगला प्रश्न। श्री बाबु लाल झाड़ोल।

झाड़ोल में संचालित जनजाति आवासीय छात्रावास

7. श्री बाबु लाल (झाड़ोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में विभाग द्वारा आवासीय छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में छात्रावासों के रख-रखाव व छात्र/छात्राओं के बिस्तर व चद्दर पर विगत दो वर्षों में कहां-कहां कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें, बैठें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में जनजाति विभाग द्वारा एक आवासीय विद्यालय तथा 19 छात्रावास चलाये जा रहे हैं। विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में संचालित आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है तथा छात्रावासों व आवासीय विद्यालय के रख-रखाव व छात्र/छात्राओं के बिस्तर व चद्दर पर दो वर्षों में 16.94 लाख रुपये की राशि का व्यय किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(सूची एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री बाबु लाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने मुझे यह विवरण दिया है इसमें कुछ हॉस्टलों को छोड़ दें, उसके बाद आपने खाली, खाली, रिक्त स्थान बताया है। आपने इन 2 वर्षों में कोई खर्चा नहीं किया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह जो खाली जगह छोड़ी है इन छात्रावासों में, उसमें क्या रख-रखाव की कोई आवश्यकता नहीं थी?

दूसरा, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वहां अगर नहीं थी तो यहां पर जो चद्दर हैं, कंबल हैं, खेस हैं, तकिये के कवर हैं, कंबलों के कवर हैं, ये आपने कब खरीदे थे? वह बताने की कृपा करें।

तीसरा, मुझे आपसे यह पूछना है कि आपने जितने भी खरीदे उनका कोई विवरण तो दिया नहीं, केवल उनकी राशि बताई है। उसको किस-किस पर खर्च किया है? यह बता दें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें रख-रखाव, चद्दर और बिस्तर दोनों का ही विवरण दिया है। रख-रखाव के लिए भी इसमें आंसर दिया हुआ है। रख-रखाव में, हॉस्टल में उनके यहां नल है, बाथरूम है, उसका भी दिया है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि जिन हॉस्टलों में आपने चद्दर और दूसरी चीजों के लिए नहीं किया है, जहां नहीं आया है उसकी डिमांड मंगवाई गई है। उसकी डिमांड वार्डन देते हैं। उसकी डिमांड आते ही वापस उसकी सैंक्शन जारी कर दी जाएगी।

श्री बाबु लाल (झाड़ोल): अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि आपने यह जो खाली जगह बतायी है, यहां पर कितने पुराने गद्दे और चद्दरें हैं? यह बताएं कि वह कब खरीदी थी? तब इनका पता लग जाएगा।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि वहां के हॉस्टल वार्डन जैसे-जैसे आवश्यकतानुसार डिमांड करते हैं, उस हिसाब से हम उनको दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, बहुत ही चिंता और मानवीय प्रश्न है कि जितने भी आपके आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, इसमें आपने हमें जो चार्ट दिया है, इसमें आप लिख रहे हो कि हमने 16 लाख 94 हजार टोटल रख-रखाव के लिए इन बीसों छात्रावासों के लिए दिया है। इनका प्रश्न यह था कि जो विद्यालय, जैसे आपका अम्बासा लड़कियों का भी और लड़कों का भी, इसी तरह से नालवा, फलासिया, डैया, बाघपुरा, ढिमड़ी, झाड़ोल, इनमें आपने गद्दे और तकिये और जो भी हैं, यह कब दिए थे? उसके बाद इनको कब बदला गया? अगर नहीं बदला गया तो केवल इंचार्ज ही दोषी है या सरकारी सिस्टम भी दोषी है?

वहां अगर आप ईमानदारी से देखें तो मन को इतना दु:ख होता है कि इतना खर्चा करके हम इन बच्चों की जिंदगी सुधारना चाहते हैं, लेकिन वहां जो गद्दे और दूसरी चीजें हैं, उन पर शायद कुत्ता बैठना पसंद नहीं करेगा। मैं कड़वा शब्द कह रहा हूं, माफी चाहते हुए। क्या यह व्यवस्था हमको देखनी नहीं है? क्या सारी चीजें उसी पर छोड़ दें?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें। मंत्री जी।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग चीजें जैसे बैड खरीदना है, उसकी 3 साल की अवधि होती है पलंग की 5 साल की होती है। इस तरह से अलग-अलग चीजें अलग-अलग समय पर परचेज की जाती हैं। इसमें मांग करने पर जिसका समय होता है, उसके आधार पर उसकी डिमांड देखकर परचेज कर लेते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): सर।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उस इलाके में मैंने भी देखा है। यह नाम देखो आप। पंचायत मुख्यालय पर आपके कंबल जा रहे हैं लेकिन हैमलेट में जो गांव हैं वहां पर नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि विभाग का अधिकारी उन पंचायत मुख्यालयों के अलावा जो अलग जगहों पर हॉस्टल हैं,

(श्री अध्यक्ष)

वहां जा ही नहीं रहा है और इसलिए वहां की डिमांड नहीं है। आप ऐसी व्यवस्था करें कि रैगुलर उसकी मानिटरिंग हो और जहां आवश्यकता हो, उसके लिए वार्डन पर नहीं छोड़ें। वह जो सुपरवाइजर देखे कि यह बिस्तर खराब हो गया है, उसके हिसाब से आप पहुंचाने का काम करें तो सबको रिलीफ मिलेगी। यह सबकी मंशा है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): सर, आपके आदेश की पालना होगी।

प्रश्न संख्या 8

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हीराराम।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न, श्री सुमित गोदारा।

बीकानेर में स्थापित उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार

9. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की कोई कार्ययोजना बनी हुई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(2) जिला बीकानेर में स्थापित उद्योगों व लूणकरणसर एवं कोलायत विधान सभा क्षेत्रों में नये स्थापित हो रहे सौर ऊर्जा प्लांट उद्योग में स्थानीय युवाओं के स्थान पर बाहरी श्रमिकों को कार्य पर लिया जाता है? यदि हां, तो सरकार ऐसे उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। राज्य में उद्योगपतियों को निवेश हेतु प्रोत्साहित करने एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 प्रभावी है, जिसकी कार्यावधि 31 मार्च, 2026 तक है। इस योजना को राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत रोजगार सृजन अनुदान श्रमिकों के ईपीएफ/ईएसआई के नियोक्ता के अंशदान का

(उद्योग मंत्री)

न्यूनतम 50 प्रतिशत पुनर्भरण (7 वर्षों के लिए) प्रदान किया जाता है। उक्त योजनान्तर्गत स्थानीय कार्मिक/मजदूर (राजस्थान में अधिवासित) को नियोजित किये जाने पर श्रमिकों के ईपीएफ/ईएसआई के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 75 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है।

(2) बीकानेर जिले में स्थापित उद्योगों व लूणकरणसर एवं कोलायत विधान सभा क्षेत्रों में नये स्थापित हो रहे सौर ऊर्जा प्लांट उद्योग में स्थानीय युवाओं को नकारे जाने एवं बाहरी श्रमिकों को कार्य पर लिये जाने से संबंधित कोई शिकायत विभाग के स्तर पर लम्बित नहीं है। स्थानीय औद्योगिक संघों से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां कार्यरत इकाइयों में योग्यता एवं अनुभव के आधार पर स्थानीय एवं बाहरी श्रमिक दोनो कार्यरत हैं।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, आपने जो जवाब दिया है कि ऐसी कोई विभाग के पास शिकायत नहीं है, जबकि पूरे बीकानेर जिले तथा जहां पर सौर ऊर्जा के प्लांट हैं और राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि 2024-25 तक 30 हजार मेगावाट का उत्पादन हो, यह 30 हजार मेगावाट स्थानीय बेरोजगार युवकों को दरकिनार करके, स्थानीय किसान जिनकी जमीन अधिग्रहीत की गई है, जहां पर ग्रिड की लाइन्स गई हैं, जो कि पास में काम होते हुए देख रहे हैं, वहां भारी संख्या में श्रमिक लग रहे हैं, 90 प्रतिशत से अधिक, उस पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

अध्यक्ष महोदय, आप इसमें यह लिख रहे हैं कि योग्यता के आधार पर, वहां पर स्थानीय लोग वह सब काम कर सकते हैं, अनुभव, अगर आप काम ही नहीं दोगे तो अनुभव कहां से आयेगा? मेरा यह निवेदन है कि इस पर कार्यवाही की जाए। इसके लिए कमेटी जरूर बनाई जाए जो कि स्थानीय लोगों को रोजगार दे।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को बताया कि स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार देने के लिए हमारी 2019 की रिप्स पालिसी, निवेश प्रोत्साहन योजना हमने लागू की है। जो नियोक्ता 75 परसेंट स्थानीय लोगों को रोजगार देगा, उसको हम ईपीएफ और ईएसआई का 75 परसेंट पुनर्भरण करेंगे। यह पालिसी अभी 2019 में सरकार ने जारी की है। लोगों को रोजगार देने के लिए ही हमने यह

(श्री परसादी लाल)

पालिसी बनाई है। इसमें जो भी एस.सी., एस.टी. ओ.बी.सी. की महिला, दिव्यांग, स्थानीय लोगों को अगर रोजगार देंगे तो उसको भी हम 75 परसेंट का पुनर्भरण देंगे। इस 2019 की पालिसी के बाद निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की नियोक्ताओं ने कार्यवाही शुरू की है। अभी कहीं से भी कोई ऐसी शिकायत विभाग के स्तर पर लंबित नहीं है जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देकर बाहर के लोगों को रोजगार दिया।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने प्रशिक्षण शिविर भी लगाए हैं। 4 लाख 20 हजार लोगों को हमने ट्रेंड भी किया है, जिससे कि इनको कंपनियों में, कारखानों में लगाया जा सके, जिनमें से 1 लाख 90 हजार के करीब हमारे 2 साल के कार्यकाल में उन प्रशिक्षित युवाओं को राज्य में रोजगार मिला है। यह पालिसी आने के बाद, पहले की मैं नहीं कहता, लेकिन 2019 के बाद निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों को जो भी बाहर के उद्योगपति हैं, स्थानीय हैं, इस पालिसी से ईपीएफ और ईएसआई का 75 परसेंट पुनर्भरण करेंगे। यह उन्हीं लोगों को करेंगे तो 75 परसेंट राजस्थान के लोगों को, स्थानीय निवासियों को रोजगार देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मान लो कोई एंटरप्रिन्योर स्थानीय आदमी को रोजगार ही नहीं दे, पुनर्भरण नहीं ले तो वह ऐसा कर सकता है? इस नीति में पुनर्भरण उन्हीं को मिलेगा जो स्थानीय लोगों को रोजगार देगा। एक एंटरप्रिन्योर स्थानीय आदमी को रोजगार ही नहीं देगा, उसको पुनर्भरण लेना ही नहीं है तो वह बाहर के आदमी को ले सकेगा?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): कानून तो नहीं बना सकते पर स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए निश्चित रूप से हमारे यहां अभी जो दो साल में लगे हैं, उनमें काफी स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है और निश्चित रूप से नियोक्ता भी यह चाहता है कि यह पैसा हमको मिले, वह अंशदान देगा उसका 75 प्रतिशत तक हम देंगे जो स्थानीय लोगों को, 75 प्रतिशत लोगों को रोजगार देगा, उसी के लिए 75 परसेंट पुनर्भरण सरकार अपने खजाने से करेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके पास कोई कम्पलेंट भेजी है तो बताओ, आप कहना तो बहुत चाहते हो लेकिन समय बहुत कम है।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह हमारे देखने में रहा है कि वहां पर जितने भी सौर ऊर्जा के प्लांट आ रहे हैं वो अधिकतर स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से सांठगांठ कर स्थानीय लोगों को दरकिनार कर रहे हैं। क्या सरकार इस पर कार्यवाही करना चाहेगी? वहां पर कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है।

श्री अध्यक्ष: आप रिकार्ड पर शिकायत करो न। शिकायत तो की ही नहीं आपने।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): वहां पर शिकायत पर कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: आप लिखकर भेजो, कार्यवाही होगी।

अगला प्रश्न। श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर में पैट्रोलियम यूनिवर्सिटी की स्थापना

10. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में वृहद मात्रा में मिल रहे लिग्नाइट एवं खनिज तेल के कारण बाड़मेर प्रदेश का व्यावसायिक हब बनने जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिले में युवाओं को तकनीकी शिक्षा में बढ़ावा देने हेतु बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित इंजीनियरिंग कालेज को पैट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर इंजीनियरिंग कालेज को पैट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनाने से सीमावर्ती जिले के युवाओं को शिक्षा प्राप्त करने से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे? यदि हां, तो सरकार उक्त जिला मुख्यालय पर कब तक पैट्रोलियम यूनिवर्सिटी खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) बाड़मेर जिले में मिल रहे लिग्नाइट एवं खनिज तेल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जिले में युवाओं को तकनीकी शिक्षा में बढ़ावा देने हेतु बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित इंजीनियरिंग कालेज में विभिन्न शाखाओं के साथ पैट्रोलियम इंजीनियरिंग एवं कैमिकल इंजीनियरिंग शाखा का संचालन

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

किया जा रहा है। इससे बाड़मेर सहित निकटवर्ती जिलों के युवा भी लाभान्वित हैं।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्तमान में जिला बाड़मेर में संचालित इंजीनियरिंग कालेज में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग सहित अन्य शाखाओं का संचालन होने से तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से प्रश्न यह है कि जब बाड़मेर में तेल के अथाह भण्डार हैं, लिग्नाइट के हैं, गैस है और सबसे ज्यादा रायल्टी बाड़मेर में मिल रही है, उसके खनन का कार्य अच्छा चल रहा है, उसमें तकनीकी कर्मचारी सारे बाहर के हैं क्योंकि यहां प्रशिक्षित नहीं है। इसलिए मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि जब इतना सारा राजस्व मिल रहा है और रिफाइनरी यहां लग रही है तो पैट्रोलियम यूनिवर्सिटी बाड़मेर में खोली जाए ताकि यहां के नौजवान युवा प्रशिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सके। क्या मंत्री महोदय पैट्रोलियम यूनिवर्सिटी बाड़मेर में खोलने का विचार रखते हैं?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बाड़मेर में जो एसएफएस हमारा इंजीनियरिंग कालेज चल रहा है उसमें पैट्रोलियम इंजीनियरिंग विंग जो शुरू किया गया था, कैमिकल इंजीनियरिंग जो शुरू किया गया था वहां 60 की प्रवेश क्षमता थी, केवल 11 बच्चों ने एडमिशन लिया, इसी तरह से कैमिकल इंजीनिरिंग में भी 30 के अगेंस्ट 11 बच्चों ने एडमिशन लिया। कुल 4 वर्षों में देखें तो 900 के मुकाबले केवल 205 बच्चों ने एडमिशन लिया। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो इंजीनियरिंग कालेज है उसी में हमारे अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 के अगेंस्ट करीब 3 बच्चे हैं, इलेक्ट्रोनिक्स में 30 के अगेंस्ट 0 है, मैकेनिकल में 30 के अगेंस्ट 7 हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 60 के अगेंस्ट 10 हैं, फिर भी भविष्य में संसाधन उपलब्ध होने पर पालिसी के तहत इस पर विचार करने का प्रयास करेंगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री समाराम गरासिया।

पिण्डवाड़ा-आबू क्षेत्र के आयुर्वेद चिकित्सालयों में स्थायी चिकित्सकों का पदस्थापन

11. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा पिंडवाड़ा-आबू क्षेत्र के आयुर्वेद चिकित्सालयों में अस्थायी चिकित्सक लगाए जाते हैं व बाद में उनको हटा दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में स्थायी रूप से चिकित्सक लगाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): जी नहीं।

जिन चिकित्सालयों/औषधालयों में चिकित्साधिकारी एवं नर्स/कम्पाउण्डर दोनों का पद रिक्त होता है उस चिकित्सालय/औषधालय में आयुर्वेद चिकित्सा सेवाएं देने हेतु यथासम्भव निकटतम चिकित्सालय/औषधालय में कार्यरत चिकित्सक/कम्पाउण्डर को दो दिवस हेतु सेवाएं देने के लिए निर्देशित किया जाता है।

पिंडवाडा विधान सभा क्षेत्र मे चिकित्सक संवर्ग के 30 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 14 चिकित्सक कार्यरत हैं तथा 16 पद रिक्त हैं।

विभागीय चिकित्सालयों/औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए 450 पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगा, जब सत्र चालू होता है तो आप इधर से उधर वहां डेपुटेशन करते हैं, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए आप क्या कह रहे हो? मंत्रीजी सागवाड़ा, पिंडवाड़ा, हजारी पेशवा, नेतोड़ा बाटेड़ा, बारजा, ये सब के सब खाली पड़े हैं, दो दिन के लिए आप करते हैं जब सत्र चालू होता है, बाकी जगह रिक्त हैं और हमारे आदिवासी एरिया में बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए रिक्त पदों पर पूर्ण पद स्थापित कब करेंगे? यह वहां के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके विधान सभा क्षेत्र में कुल 28 चिकित्सा संस्थान हैं हमारे। उनमें से 9 ऐसे हैं जहां पर हम कार्य व्यवस्था हेतु लगाते हैं। अभी जैसा मैंने कहा 450 चिकित्सकों की भर्ती का काम आलमोस्ट चल रहा है और 550 कम्पाउण्डर्स की भर्ती की प्रक्रिया भी विचाराधीन है तो 1000 पद जब हमारे पास आ

(श्री रघु शर्मा)

जाएंगे तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो 9 जगह हैं जहां पर हम कार्य व्यवस्थार्थ लगा रहे हैं, वह भी हम भर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। शंकर सिंह रावत।

अजमेर जिले में गोदामों का निर्माण

12. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा किसानों के अनाज के भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो जिला अजमेर में किस-किस ग्राम पंचायत में कितनी-कितनी राशि से उक्त गोदामों का निर्माण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गोदामों में किसानों की फसलों को रखा गया है? यदि हां, तो उक्त जिले में उक्त गोदामों से कहां-कहां से कितना-कितना किराया प्राप्त हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के माध्यम से प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों तथा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में खाद बीज के भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण कराया गया है। अजमेर जिले में कुल 305 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से 180 ग्राम पंचायतों की ग्राम सेवा सहकारी समितियों तथा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में बजट घोषणा एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राशि रुपये 1467.63 लाख रुपये की लागत से खाद-बीज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण कराये गये हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के माध्यम से प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों तथा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में खाद बीज के भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण कराया गया है। उक्त गोदामों में किसानों द्वारा तैयार फसलों को नहीं रखा गया है, न ही किराया लिया जाता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि प्रत्येक भवन पर कितनी राशि व्यय की गई है? जो व्यय किया गया है वह सम्बन्धित एजेंसी

(श्री शंकर सिंह रावत)

के द्वारा टेंडर के द्वारा किया गया है, टेंडर में अलग-अलग राशि आई है और सबकी एक ही राशि कैसे दर्शाई गई है? इसका जवाब दें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समिति को उसका बजट अलाट कर दिया जाता है और उसका निर्माण वही टेंडर करके बीएसआर रेट के अनुसार करवाते हैं, उसमें बिलो भी जाता है और एबव भी जाता है। स्थानीय ग्राम सेवा सहकारी समिति अपना निर्माण करवाती है तो लागत उस परसेंटेज के अनुसार आती है और 100 मैट्रिक टन के गोडाउन की अलग राशि है, 50 टन का है तो अलग राशि है। जिस भी कैपेसिटी का गोडाउन होता है उसके अनुसार राशि अलाट की जाती है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि कितने भवन अधूरे पड़े हैं? दूसरा जो राशि व्यय की गई है वह टेंडर सबके बराबर कैसे हैं? क्या यह सब साथ ही हुआ है या अलग-अलग हुए हैं? अलग-अलग हुए हैं तो राशि, अलग-अलग दरें आनी चाहिए।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): बजट में जब-जब स्वीकृति जाती है तो एलोकेशन अलग-अलग होता है। जिस समय जिसकी कैपेसिटी हम अलाट कर देते हैं उसके टेंडर तो वहां स्थानीय ग्राम सेवा सहकारी समिति करती है, तो जब उनके पास बजट पहुंच जाता है तो कभी विलम्ब भी हो जाता है, कभी टाइम पर भी करते हैं तो स्थानीय ग्राम सेवा सहकारी समिति की वजह से डिले होता है, बाकी हमारे लेवल पर टेंडर नहीं किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद

13. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में विभाग के अधीन कितनी आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता, सहायिका कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पदों में से कई पद ऐसे हैं जो अब भी रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी

(श्री रामलाल शर्मा)

कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में महिला बाल विकास विभाग के अधीन 297 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 286 आंगनबाड़ी सहायिका एवं 300 आशा सहयोगिनियां कार्यरत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त पदों में से 15 कार्यकर्ता, 20 सहायिका एवं 6 आशा सहयोगिनियों के पद रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ में ही समाहित है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का चयन किया जा चुका है, जिनका कार्यादेश जारी होने वाला है।

(3) चौमूं विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाडी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत में विचाराधीन है, जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो आपने बताया है 15 कार्यकर्ता, 20 सहायिका और 6 आशा सहयोगिनियों के पद रिक्त हैं, ये पद कब से रिक्त हैं और अब तक इनको क्यों नहीं भरा गया, इसके क्या कारण हैं? क्या ग्राम पंचायतों में विचाराधीन होने के कारण अगर ग्राम पंचायतें अनुमोदन नहीं करेंगी तो क्या आपका विभाग भी इन पदों को भरने की मानसिकता रखता है?

श्री अध्यक्ष: प्रताप सिंह जी, आपकी आवाज यहां तक आ रही है।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): अध्यक्ष महोदय, चयन प्रक्रिया जो है, वह सम्पूर्ण भारत में एक जैसी है। उसमें ग्राम सभा को ही महत्व दिया गया है और पिछले एक वर्ष में कोविड के दौरान ग्राम सभाएं होने में काफी दिक्कतें आयीं, इसलिए इन पदों पर भर्ती करने में हमें ग्राम सभा के माध्यम से जो चयन प्रक्रिया पूरी करनी थी, उसमें विलम्ब हुआ।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि ये पद कब से रिक्त हैं, इसका जवाब नहीं आया। पांच साल से रिक्त हैं या आठ साल से रिक्त हैं या दो साल से रिक्त हैं?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): अध्यक्ष महोदय, गोविन्दगढ़ प्रथम में सहायिका का एक पद 2019 से रिक्त है। दूसरा पद 2010 से रिक्त है। गोविन्दगढ़ प्रथम में 2019, अणतपुरा में 2019 से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक पद बाढ़ावाली ढाणी कार्यकर्ता का है, जो कि 2012 से, चौमूं पांच्यावाली ढाणी में 2012 से, गोविन्दगढ़ प्रथम में 2019 से, चौमूं कुमावतों-प्रधानों की ढाणी में 2014 से और गोविन्दगढ़ प्रथम बगड़िया की ढाणी में 2012 से। 2014 और 2012 के जो हैं, वे दोनों कोर्ट स्टे के माध्यम से रुके हुए हैं। जो 2019 की प्रक्रिया है, गोविन्दगढ़ प्रथम किशनपुर 'सी' की, यह अभी 2019 में ही रिक्त हुआ था। इसका चयन शीघ्र होने वाला है। इसकी पूरी प्रक्रिया हो गयी है।

2012 के दो स्थान हैं- बाढ़ावाली ढाणी और पांच्यावाली ढाणी, जिनमें काफी विलम्ब हुआ है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि इसकी पूरी जांच की जाएगी और जिस भी सम्बन्धित अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किसी भी स्तर पर इसमें चूक हुई है तो उसके खिलाफ विभाग कार्यवाही करेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री संयम लोढ़ा।

गंगानगर में संचालित ईंट-भट्टे

14. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) (श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर) के स्थान पर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला श्रीगंगानगर में कितने ईंट-भट्टे संचालित हैं?

(2) उक्त जिले में जनवरी, 2016 से जनवरी, 2021 तक ईंट-भट्टों पर प्रदूषण, बाल मजदूरी एवं ईंधन सम्बन्धित कितनी बार जांच की गयी तथा उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में वर्तमान में कितने ईंट-भट्टे कृषि भूमि पर संचालित हो रहे हैं? क्या सरकार उक्त ईंट-भट्टों को व्यावसायिक भूमि में रूपांतरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कृषि भूमि पर संचालित हो रहे सिंचाई पानी की बारी का क्या किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जिला श्रीगंगानगर में कुल 403 ईंट-भट्टे संचालित हैं।

(2) उप श्रम आयुक्त श्रीगंगानगर द्वारा जनवरी, 2016 से जनवरी, 2021 तक 14 ईंट-भट्टों की जांच की गयी। सैन्ट्रल इंस्पेक्शन सिस्टम के तहत

(उद्योग मंत्री)

श्रम निरीक्षक एवं फैक्ट्री एवं बायलर निरीक्षक द्वारा 14 ईंट-भट्टों पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें कोई बाल श्रमिक नहीं पाया गया। आरएसपीसीबी, बीकानेर द्वारा जिले में जनवरी, 2016 से जनवरी, 2021 तक 256 ईंट-भट्टों का निरीक्षण किया गया, जिनमें सभी ईंट-भट्टों मे निर्धारित मानकों के अनुरूप चिमनी की ऊंचाई व गुरुत्वीय अवक्षेपण कक्ष स्थापित पाये गये। यद्यपि सभी ईंट-भट्टों पर उचित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था पायी गयी तथापि जो ईंट-भट्टे प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की संचालन सम्मति के बिना कार्यरत हैं, उन्हें नोटिस जारी किये गये।

(3) श्रीगंगानगर में कुल 403 ईंट-भट्टे संचालित हैं, जिनमें से 374 ईंट -भट्टों का भूमि रूपांतरण करवा लिया गया है तथा 29 ईंट-भट्टों का भूमि रूपांतरण संबंधित विभाग में प्रक्रियाधीन है।

(4) कृषि भूमि पर संचालित हो रहे भट्टों की सूचना प्राप्त होने पर जल संसाधन विभाग द्वारा ऐसा भूभाग जिस पर ईंट-भट्टा स्थापित है, उसकी सिंचाई पानी की बारी को विवर्जित किया जाता है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की सम्मति के बिना भी भट्टे चल रहे हैं और आपने नोटिस जारी किये हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपने नोटिस कब-कब जारी किये और ऐसे भट्टों के खिलाफ आपने फाइनली क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष: माननीय सिंघवी साहब, यह सदन चर्चाओं के लिए है। व्यक्तिगत वार्ता करनी है तो पीछे हमारा चैम्बर है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सॉरी सर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने यह भी स्वीकार किया कि बिना रूपांतरण के भट्टे चल रहे हैं तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? तीसरा, जो भट्टे आबादी क्षेत्र में आ गये हैं, उन्हें शिफ्ट करने के बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा बताया, कुछ ईंट-भट्टे बिना कन्वर्जन के भी वहां संचालित हैं, उनकी संख्या 29 बतायी है। उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करने के लिए हमने सम्बन्धित अधिकारियों को कह दिया है कि या तो वे कन्वर्जन कराएं या उन्हें बंद करें। बाकी जो निरीक्षण है, वह समय-समय पर किया जाता है। जनवरी, 2016 से 2021 तक इन्होंने जो निरीक्षण किया, उसमें कोई भी ऐसी शिकायत विभाग

(श्री परसादी लाल)
के पास नहीं आयी कि कोई भी ईंट-भट्टे आबादी के पास संचालित हों। यदि आपकी जानकारी में ऐसे कोई ईंट-भट्टे हों जो कि आबादी के पास हैं, तो हमें सूचना दें। आबादी का मतलब विलेज की जो आबादी है, उसके एक किलोमीटर के दायरे में ईंट-भट्टे हों। यदि कोई शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अशोक लाहोटी।

जयपुर में जनता क्लीनिक की स्थापना

15. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश के बजट 2019 में जनता क्लीनिक खोलने की घोषणा की गयी थी? यदि हां तो दिसम्बर, 2020 तक प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने जनता क्लीनिक प्रारम्भ किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर में कहां-कहां जनता क्लीनिक खोले गये हैं तथा कितने जनता क्लीनिक खोलने की घोषणा की गयी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जनता क्लीनिक के लिए वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में बजट आबंटित किया गया है? यदि हां तो उक्त आबंटित बजट में से कितना वास्तविक व्यय हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जनता क्लीनिक में चिकित्सा नर्सिंगकर्मी एवं अन्य कर्मचारियों के कितने पद होंगे? अब तक कितने चिकित्सा एवं अन्य कर्मचारी पदस्थापित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) जी हां, दिसम्बर, 2020 तक जयपुर जिले में 12 जनता क्लीनिक प्रारम्भ किये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। कोविड वैश्विक महामारी के कारण अन्य जिलों में जनता क्लीनिक नहीं खोले जा सके।

(2) जयपुर शहर में खोले गये जनता क्लीनिकों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में जयपुर शहर में निश्चित संख्या में जनता क्लीनिक खोलने की घोषणा नहीं की गयी थी।

(3) जनता क्लीनिक पर वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) जनता क्लीनिक के नॉर्म्स के अनुसार कुल नौ पद निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं:-

क्रम संख्या	**नाम**	**संख्या**
1.	चिकित्सा अधिकारी	1
2.	नर्स श्रेणी द्वितीय	2
3.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
4.	फार्मासिस्ट	1
5.	सपोर्टिंग स्टाफ	3
6.	सफाईकर्मी	1

पदस्थापित कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(सूची एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: बताएं नहीं, प्रश्न पूछें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं पूछना चाहूंगा कि यह बजट 2019-20 की घोषणा थी और उसके बाद जो आपने पहला जवाब दिया है, इसमें पहला जनता क्लीनिक जो खुला है, वह 18 दिसम्बर को खुला है और अभी तक केवल 12 क्लीनिक खुले हैं, वह भी जयपुर शहर में। यह पूरे राजस्थान की घोषणा थी। दूसरा, आपने कहा कि कोविड के कारण नहीं खुल पाये, जबकि कोविड शुरू होने के बाद में एक के बाद बाकी सारे फरवरी और मार्च, 2020 में खोले हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह केवल जयपुर शहर की ही घोषणा थी, जहां भी इन्होंने 12 ही क्लीनिक खोले हैं और इन्होंने एक पत्र केंद्र सरकार को जो लिखा है, वह एक हजार क्लीनिक खोलने का लिखा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये, यह प्रश्न नहीं है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): केवल दो ही प्रश्न कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्रश्न कहां कर रहे हैं?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या यह जयपुर शहर की ही घोषणा थी

(श्री अशोक लाहोटी)

या बाकी राजस्थान की भी थी? बाकी राजस्थान में क्यों नहीं खुले? दूसरा, जो एक हजार क्लीनिक खोलने का पत्र आपने लिखा है, उसमें से बाकी 988 खोलने में और कितने साल लगेंगे? तीसरा प्रश्न भी साथ ही पूछ लेता हूं। इनमें जो पद आपने बताये हैं, क्या इन पदों पर आपने कोई भर्ती की है? क्या इनके लिए कोई बजट का प्रावधान किया है? मंत्री महोदय ये तीनों चीजें बता दें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि जो 2019-20 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, उसका आप पहले अच्छे से अध्ययन कर लें। ''नागरिकों को अपने निवास के नजदीक तत्काल एवं नि:शुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में, मौहल्ले, गली में जनता क्लीनिक खोले जाएंगे। इन क्लीनिकों में 'नि:शुल्क दवा योजना' की दवा उपलब्ध करवायी जाएगी तथा ये किसी दानदाता, समाजसेवी द्वारा उपलब्ध करवाये गये भवनों में खुलेंगे। इस दिशा में विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी।'' इसकी गाइडलाइन हमने जारी कर दी।

माननीय सदस्य को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 10 जुलाई को 2019-20 का बजट पेश हुआ था और अगस्त से लेकर दिसम्बर तक, जो आपने सवाल किया दिसम्बर तक का, इन पांच महीनों में हमने 12 जनता क्लीनिक खोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान से कुल 172 जनता क्लीनिक्स की डिमाण्ड आयी है और जयपुर शहर की जो आप बात कर रहे हैं, यहां 50 की डिमाण्ड आयी है। आपके खुद के विधान सभा क्षेत्र में 3 जनता क्लीनिक खोले हैं। सूची है मेरे पास, आपको मैं सूची दे दूंगा। वह आप मुझ से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रताप नगर, वार्ड नम्बर 38 आपके यहां ही है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): दो ही हैं- प्रताप नगर और एक सूर्य नगर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या मैं प्रश्न काल समाप्त करूं? मंत्री जी बोल रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अभी आपने कहा कि मार्च में आपने उनका किया तो स्ट्रक्चर बनने में टाइम लगता है। 20 मार्च को तीन जनता क्लीनिक्स का उद्घाटन इसलिए

(श्री रघु शर्मा)

किया गया ताकि वे फंक्शनल हो जाएं और जनता के काम आ जाएं। इसका मतलब यह नहीं कि मार्च में हमने बनाये हों। बनाने में समय लगता है। सवाल यह है कि जब यह घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की, तभी हमने कह दिया था कि इसमें चिकित्सा वर्ग के जो कर्मचारी हैं, चिकित्सक हैं, उन्हें विभाग उपलब्ध करायेगा, नर्सिंग स्टाफ एनएचएम उपलब्ध कराएगा और जो सीएसआर का फण्ड है दानदाताओं का, उसके माध्यम से सेवा प्रदाताओं के द्वारा जो बाकी पद के लोग हैं तथा बिजली-पानी का खर्चा, उनसे उठाया जाएगा। यह क्रम रुका नहीं है।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मुख्य मंत्री जी की बजट घोषणा है, उसके अनुरूप आने वाले समय में जैसे ही कोविड का प्रभाव खतम होगा, हम पूरे राजस्थान में जनता क्लीनिक्स खोलने का विचार रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में गंभीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा में सिंचाई हेतु नहरों का पानी टेल तक नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से रामगंजमण्डी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी पर हुए जानलेवा हमले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से अन्य राज्यों की महिलाओं द्वारा राजस्थान राज्य में विवाह करने पर उन्हें नोन टीएसपी क्षेत्र की मूल निवासी नहीं मानने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में सिंगल फेज विद्युत निर्बाध रूप से नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में खनन माफियाओं द्वारा प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों पर हो रहे हमलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से कोटा में जिला संघ चालक पर हुई फायरिंग से बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही जिले के पालड़ी (एम) थानान्तर्गत दलित युवक की 04 फरवरी, 2021 को हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ते अपराध की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। श्री संयम लोढ़ा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोटा की घटना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मुझे जानकारी है। आप बैठें, जानकारी है मुझे। आप बैठें। आप सीनियर आदमी हैं। अभिभाषण में चर्चा, नोट अलाउ, आप बैठें। यह रिकार्ड नहीं होगा। माननीय सदस्य, रिकार्ड नहीं होगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, मैं इस तरह की परम्परा नहीं करूंगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। नहीं बैठना है आपको? नहीं बैठना है आपको? नहीं बैठना है तो नहीं बैठिये। 295, बैठिये आप। बैठिये आप। (व्यवधान) नहीं बोलना है आपको? नहीं बोल रहे हैं? कोई तकलीफ नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सतीश पूनियां (आमेर): 000

श्री अध्यक्ष: कोई तकलीफ नहीं है। संयम, बैठें। 295 पर बोलें। (व्यवधान) श्री धर्मनारायण जोशी। श्री नारायण सिंह देवल। श्री मदन प्रजापत। (व्यवधान) अध्यक्ष के निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है, बैठिये आप। अध्यक्ष के निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है। यह गलत परम्परा डाल रहे हैं आप। गलत परम्परा डाल रहे हैं। अध्यक्ष के निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जाता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सतीश पूनियां (आमेर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, आई एम सॉरी, आप मेरी बात सुन लें। आप बैठें, प्लीज। आप बैठें, मान्यवर। (व्यवधान) चेयर लेग्स पर है, प्लीज बैठें, कटारिया जी, बैठें। एक मिनट बैठें आप। (व्यवधान) आप अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं मानते तो चला जाता हूं मैं। अध्यक्ष के निर्णय पर चैलेंज नहीं होता है, यह गलत परम्परा डालना चाहते हैं, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। 295, श्री मदन प्रजापत। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: चैम्बर में आकर बात करो, यहां परम्परा नहीं होगी। 295 पर बोलें, स्टार्ट करें। मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बालोतरा को जिले का दर्जा

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल 28387 किमी है, जो कई देशों एवं राज्य में धौलपुर, दौसा, जयपुर एवं जोधपुर से बड़ा है। सीमावर्ती, विकट भौगोलिक परिस्थितियों का मरुस्थलीय,

(श्री मदन प्रजापत)

अभावग्रस्त एवं सूखाग्रस्त जिला है। यह जिला शिक्षा एवं आर्थिक दोनों दृष्टि से पिछड़ा है। जिला जोधपुर, पाली, जालोर के सीमावर्ती गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय बाड़मेर पर सरकारी और गैर सरकारी कार्यों हेतु आने-जाने के लिए 195-250 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही मरुस्थलीय एवं विकट परिस्थिति एवं विकास के अभाव में संसाधनों का भी भयंकर अभाव है। ऐसी स्थिति में सरकारी एवं अन्य जिला स्तरीय कार्यों के निस्तारण में आमजन विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों एवं महिला वर्ग को भयंकर परेशानी आती है। एक गरीब और अशिक्षित के लिए तो बाड़मेर आना-जाना भयंकर परेशानी का सबब बन जाता है। इससे शारीरिक कष्ट, समय व अर्थ की बर्बादी के साथ मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। लम्बे समय से पचपदरा, गिड़ा, पाटोदी, सिणधरी, गुढ़ामालानी, सिवाना एवं समदड़ी तहसील को मिलाकर नया जिला बनाये जाने की मांग की जा रही है। बालोतरा जिला बनने के सभी मानदण्ड पूरे हो रहे हैं। यहां भविष्य में जिला बनाने के उद्देश्य एवं उम्मीद में नगर परिषद् द्वारा 100 बीघा जमीन चिह्नित एवं आरक्षित है और जैरला के पास 400 बीघा के करीब सरकारी भूमि है। यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला परिवहन कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण एवं श्रम विभाग के साथ ही कई अन्य विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय वर्तमान में भी संचालित हो रहे हैं।

महोदय, मेरे द्वारा इसी सदन में तेरहवीं विधान सभा में सदस्य के नाते और इस विधान सभा में भी 21 जनवरी, 2019, 17 जुलाई, 2019, 25 जुलाई, 2019 एवं 10.02.2020 को भी बालोतरा को जिला बनाने हेतु स्थानीय जनता की पुरजोर मांग को सरकार के समक्ष रखा गया है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से करबद्ध आग्रह है कि इसी बजट वर्ष 2021-22 में बालोतरा को जिला घोषित कर लम्बे समय से प्रतीक्षारत बालोतरा की जनता को न्याय प्रदान कर अनुगृहीत कराएं। धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री कान्ति प्रसाद, श्री हमीर सिंह भायल, श्री पानाचन्द मेघवाल। माननीय सदस्य, बैठें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठें।

बारां शहर में खोदी गई सड़कों की मरम्मत

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

295 के अन्तर्गत बारां शहर में जलदाय विभाग, आरयूआईडीपी और गैस कम्पनी द्वारा खोदी गई सड़कों से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में बारां शहर में अमृत योजना के अन्तर्गत पानी की पाइप लाइन डालने, गैस की पाइपलाइन बिछाने और आरयूआईडीपी द्वारा सीवरेज पाइप लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इन तीनों विभागों द्वारा चलाये जा रहे पाइप लाइन के कार्य से पूरे शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं। विभाग के अधिकारी सड़कों पर गड्ढे करके लाइन बिछाकर उसे छोड़ देते हैं। कई बार विभाग के अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाने पर भी अभी तक बारां शहर में जगह-जगह सड़कें खुदी हुई हैं। इन खुदी हुई सड़कों के कारण आये दिन सड़क हादसे हो रहे हैं तथा यातायात जाम की स्थिति बन जाती है। शहर की लंका कॉलोनी, नाकोड़ा, बालाजी नगर, शिव कॉलोनी, जिन्दबाबा रोड, कृष्णा कॉलोनी आदि कॉलोनियों में जगह-जगह रोड को खोद दिया गया। अमृत योजना, आरयूआईडीपी के काम अधिकारियों की उदासीनता से देरी से शुरू हुए और अब अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही से शहर की जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में तीनों विभागों को निर्देश जारी कर जहां-जहां पाइप लाइन का कार्य पूरा हो गया है, उन सड़कों की मरम्मत करवाई जाए तथा अधिकारियों को निश्चित अवधि में कार्य पूरा करने के लिए पाबन्द किया जाए और सड़कों की मरम्मत में विलम्ब करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी, श्री प्रताप सिंह, श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर एवं हरसौरा को पुलिस अधीक्षक, अलवर के अधीन करना

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बानसूर व हरसौरा को जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाड़ी के स्थान पर जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर के अधीन किया जाए क्योंकि इससे मेरे क्षेत्र की जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बानसूर से अलवर की

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

दूरी 45 किलोमीटर है जबकि जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिवाड़ी, बानसूर से तकरीबन 95 किलोमीटर दूर पड़ता है और इस रोड पर यातायात की भी सुगम व्यवस्था न होने के कारण क्षेत्र की जनता के धन व समय की व्यर्थ बर्बादी होने से जनता में रोष व्याप्त है। बानसूर विधान सभा क्षेत्र की आखिरी ग्राम पंचायत कराना का गांव चैनपुरा है जो गोरधनपुरा निम्स के पास पड़ता है। कराना से ज्ञानपुरा, बानसूर, ततारपुर, चौराहा, खैरथल से किशनगढ़ और वहां से भिवाड़ी जाने का साधन नहीं है और एक-एक काम के लिए भिवाड़ी जाने से बानसूर की जनता को परेशानी होती है।

अत: मेरा मुख्य मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि महलेड़ी ब्लॉक नारायणपुरा थाना अलवर के अधीन है, तो कृपया जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिवाड़ी से विधान सभा क्षेत्र बानसूर के थाना बानसूर तथा हरसौरा को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय अलवर के अधीन करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुमित गोदारा, बलवीर लूथरा, संतोष बावरी, ओम प्रकाश हुड़ला।

मण्डावर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र महवा की तहसील मण्डावर में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र महवा में सर्व समाज के निवासी रहते हैं। मण्डावर तहसील के अंतर्गत 21 ग्राम पंचायतें आती हैं। इन ग्राम पंचायतों में गुणात्मक शिक्षण संस्थाओं का अभाव एवं आवासीय शिक्षण संस्थाओं का अभाव होने के कारण छात्र-छात्राओं में ड्रोप आउट अधिक पाया जाता है। इस वस्तुस्थिति को मद्दे नजर रखते हुए तहसील मण्डावर में गुणात्मक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की सुनिश्चितता के लिए एक राजकीय महाविद्यालय की आवश्यकता है। अत: इस संबंध में क्षेत्रवासियों की मांग को ध्यान रखते हुए राजकीय महाविद्यालय खोला जाना उचित होगा।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा की तहसील मण्डावर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुनना है या नहीं सुनना है? नहीं सुनना है? ..(व्यवधान).. अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटन पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 29 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-217 दिनांक 26.08.2020 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.1(15)वित्त/कर/2014-218 दिनांक 26.08.2020 जिसके द्वारा उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (करापवंचन), राजस्थान, जयपुर स्पेशल वृत्त को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के तहत कलेक्टर (मुद्रांक) की शक्तियां प्रदान की गई है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.1(15)वित्त/कर/2014-219 दिनांक 26.08.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(15)वित्त/कर/2014-98 दिनांक 04.08.2014 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.2(97)वित्त/कर/2010-220 दिनांक 26.08.2020 जिसके द्वारा खातेदार भू-धारक द्वारा उसकी खातेदारी भूमि पर सूक्ष्म या लघु या एग्रो प्रोसेसिंग उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण लेने के लिए निष्पादित पंजीकृत बंधक पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.2(97)वित्त/कर/2010-221 दिनांक 26.08.2020 जिसके द्वारा खातेदार भू-धारक द्वारा उसकी खातेदारी भूमि पर सूक्ष्म या लघु या एग्रो प्रोसेसिंग उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण लेने के लिए निष्पादित पंजीकृत बंधक पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(6) अधिसूचना संख्याः एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-222 दिनांक 26.08.2020 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2020 को लागू करने की तिथि निर्धारित की गई है;

(7) अधिसूचना संख्याः एफ.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-225 दिनांक 02.09.2020 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 5 के तहत जिलों व उपजिलों के गठन तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया;

(8) अधिसूचना संख्याः एफ.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-226 दिनांक 02.09.2020 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के तहत उपजिलों में पंजीयन अधिकारियों की नियुक्ति की गई;

(9) अधिसूचना संख्याः एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-229 दिनांक 04.09.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याःएफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-05 दिनांक 23.04.2019 में संशोधन किया गया है;

(10) अधिसूचना संख्याः एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-230 दिनांक 04.09.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याःएफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-177 दिनांक 18.05.2020 में संशोधन किया गया है;

(11) अधिसूचना संख्याः एफ.12(97)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-238 दिनांक 23.09.2020 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2020 विरचित किये गये हैं;

(12) अधिसूचना संख्याः एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-239 दिनांक 28.09.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याःएफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-177 दिनांक 18.05.2020 में संशोधन किया गया है;

(13) अधिसूचना संख्याः एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-240 दिनांक 28.09.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याःएफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-153 दिनांक 29.12.2017 में संशोधन किया गया है;

(14) अधिसूचना संख्याः एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-241 दिनांक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

28.09.2020 जिसके द्वारा दिनांक 22.09.2020 से 31.12.2020 तक विवरणी (फॉर्म-जीएसटीआर-10) प्रस्तुत करने की शर्त पर विलंब शुल्क को माफ/कम किया गया है;

(15) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-242 दिनांक 30.09.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56) वित्त/कर/2017-पार्ट-I-50 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

(16) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-243 दिनांक 06.10.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर /2017-पार्ट-V-153 दिनांक 30.03.2020 में संशोधन किया गया है;

(17) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-244 दिनांक 06.10.2020 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

(18) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-245 दिनांक 06.10.2020 जिसके द्वारा 01.10.2020 से 31.10.2020 की अवधि में ई-इन्वाइस जारी करने के लिए करदाताओं के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई;

(19) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-246 दिनांक 08.10.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर /2017-पार्ट-V-152 दिनांक 30.03.2020 में संशोधन किया गया है;

(20) अधिसूचना संख्या: एफ.2(18)वित्त/कर/2020-247 दिनांक 14.10.2020 जिसके द्वारा पी.एम. स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं के पक्ष में रुपये 10,000 तक के लोन एग्रीमेंट पर मुद्रांक शुल्क की छूट प्रदान की गई है;

(21) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-248 दिनांक 19.10.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;

(22) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-249 दिनांक 20.10.2020 जिसके द्वारा पंजीकृत व्यक्ति/करदाता जिनका कुल

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कारोबार गत वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक हों, के लिए भरे जाने वाले त्रैमासिक फार्म GSTR-1 प्रस्तुत करने की तिथि निर्धारित की गई है;

(23) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-250 दिनांक 20.10.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(46)वित्त/कर/2017- पार्ट-III-75 दिनांक 10.10.2019 में संशोधन किया गया है;

(24) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-251 दिनांक 20.10.2020 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

(25) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.08.2020 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है;

(26) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.08.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 19.11.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(27) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(28) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है एवं

(29) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 01.01.2021 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री भजन लाल जाटव।

गृह विभाग

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की 01 अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: प.33(5)गृह-9/2005 पार्ट-2 दिनांक 17.08.2020 जिसके द्वारा राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) नियम, 2006 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल मीणा। धारीवाल साहब, प्लीज।

उद्योग विभाग

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उद्योग विभाग की 05 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: प.सं.15(9)डीएमआईसी/विविध/SIR Act/2019 दिनांक 12.10.2020 जिसके द्वारा जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (JPMIA) विशेष विनिधान रीजन घोषित किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: प.सं.15(9)डीएमआईसी/विविध/SIR Act/2019 दिनांक 12.10.2020 जिसके द्वारा रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करते हुए जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: प.23(13)उद्योग/1/2020 दिनांक 28.12.2020 जिसके द्वारा रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करते हुए खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना विनिधान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: प.23(13)उद्योग/1/2020 दिनांक 28.12.2020 जिसके द्वारा खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना (KBNIR) को विशेष विनिधान क्षेत्र घोषित किया गया है एवं

(5) अधिसूचना संख्या: प.23(13)उद्योग/1/2020 दिनांक 28.12.2020 जिसके द्वारा भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से एक विशेष विनिधान रीजन घोषित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री हरीश चौधरी।

राजस्व विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की 06 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या:प.10(3)राज-6/2001/95 दिनांक 03.11.2020, जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या:प.6(25)राज-06/2014पार्ट/96 दिनांक 03.11.2020, जिसके द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक प.5(109)राजस्व-ब/60 दिनांक 20.07.1963 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या:प.6(2)राज-6/2020/98 दिनांक 05.11.2020, जिसके द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक प.2(168)राज/ख/ग्रुप-3/71 दिनांक 15.02.1973 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या:प.4(1)राज-6/06पार्ट/105 दिनांक 24.11.2020, जिसके द्वारा राजस्थान रेवेन्यू (लेण्ड रिकॉर्डस, सेटलमेंट एण्ड कॉलोनाईजेशन) सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स, 2019 में संशोधन किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या:प.4(1)राज-6/06पार्ट/106 दिनांक 24.11.2020, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 में संशोधन किया गया है एवं

(6) अधिसूचना संख्या:प.6(28)राज-6/14पार्ट/05 दिनांक 18.01.2021, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया।

श्री अध्यक्ष: आप नहीं चाहते हैं? क्या अजीब है बिलकुल। माननीय सदस्य, सुनिए आप। इस गंभीरता को समझते हुए दुख है, जो वर्ड यूज कर रहा हूं, मुझे दु:ख है। मैंने गुलाब चन्द जी कटारिया को सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध की घटनाओं के संबंध में बोलने के लिए अलाउ किया है। यह टापिक था, जिसमें आपकी भावनाओं को आप अभिव्यक्त कर सकते थे। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप डिक्टेट करना चाहते हैं। आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष के निर्णय पर यहां पर चर्चा नहीं की जाती है।

(श्री अध्यक्ष)

उसको आप एनकरेज करना चाहते हैं। मैं इस तरह की व्यवस्था को पसंद नहीं करता। आप नाराज हों या खुश हों। मैंने यहां पर कटारिया जी को अलाउ किया, उस पर आपको मौका था बोलने का, किसी ने रोका था क्या? आप किसी पर आरोप लगाकर सदन को चलाना चाहे, सदन नहीं चलेगा। आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, पर नहीं, राजेन्द्र जी आप सीनियर आदमी हैं। क्या, किसको बोल रहे हैं आप, नहीं सुनना चाहते, धन्यवाद।

आगे, स्टार्ट करें। वार्षिक प्रतिवेदन। श्री प्रताप सिंह खाचरियावास। मैंने सोच समझकर अलाउ किया है। कटारिया जी बोलेंगे तो उसमें बात भी आएगी। मैं कुछ डायरेक्शन दूंगा। आप तो खुद ही इम्पोज करना चाहते हैं। आप छोड़िए इस बात को, मुझे दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि आपमें कम्पीटीशन है इस बात का बताने के लिए कि लॉयल कौन है। यह कम्पीटीशन है। आप सदन की... और क्या होता है? कटारिया जी जैसे प्रतिपक्ष के नेता को मैंने सोच-समझकर इस अपराध के बारे में बोलने के लिए अलाउ किया जिसमें मुझे मालूम था यह बात.. अब क्यों बोले, नहीं-नहीं, ऐसे बात नहीं हो सकती। आप मुझे डिक्टेट करोगे? मैं डिक्टेट नहीं होऊंगा, सदन चले या नहीं चले, पर राजेन्द्र जी राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष, आप इस परम्परा को नहीं तोड़ें, अलाउ नहीं है। ऐसे थोड़े ही होगा। आप अपनी जगह पर बैठें। मैं अपनी कार्यवाही करने के बाद क्या निर्णय करना है, मैं करूंगा लेकिन आप मुझे इम्पोज करना चाहें, मैं कभी इम्पोज नहीं होऊंगा। आप बोलना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता, मुझे अपनी कार्यवाही करने दें, फिर आप अपना बिहेवियर रीड करिये, फिर जो काम है, वो मैं काम करूंगा।

माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2018-19

(1) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों पर भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक की पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट एवं

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(2) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान एक्स -सर्विसमैन कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20.

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल, उद्योग मंत्री।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(1) राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(2) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20.

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द्र सिंह डोटासरा (अनुपस्थित)। श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, आयोजना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

आयुक्तालय विशेष योग्यजन, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के नियम 32 के अन्तर्गत आयुक्तालय विशेष योग्यजन, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2019-20.

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन, उपस्थापन, डा. महेश जोशी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 20)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2021 को माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने गुरुवार, दिनांक 11 फरवरी 2021 से सोमवार, दिनांक 15 फरवरी 2021 तक निम्नांकित कार्य सदन में लिये जाने का निर्णय लिया:-

गुरुवार, दिनांक 11 फरवरी 2021 शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2021 शनिवार, दिनांक 13 फरवरी 2021	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद।
रविवार, दिनांक 14 फरवरी, 2021	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 15 फरवरी 2021	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद एवं सरकार की ओर से उत्तर

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं। आप अपने स्थान पर जाएं। अध्यक्ष की व्यवस्था को चैलेंज करना चाहें तो नहीं होगा। आप अपने स्थान पर जाएं। जो निर्णय करना है, चैम्बर में आकर आपके लीडर मिलें मुझसे, मुझसे बैठकर निर्णय करेंगे। बाकी विधायी कार्य अब मैं प्रारम्भ करूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

आप अपनी जगह पर नहीं जाएंगे, माननीय कटारिया जी मैं नहीं सुनूंगा। आप अपनी जगह पर नहीं बैठेंगे, मैं नहीं सुनूंगा।

विधायी कार्य, वापस लिये जाने वाले विधेयक। रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020. शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य : वापस लिया गया विधेयक

रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं। अंतिम बार मैं अपील कर रहा हूं। अंतिम बार मैं अपील कर रहा हूं। नहीं सुनना है? मैं अंतिम बार अपील कर रहा हूं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, अंतिम बार मैं अपील कर रहा हूं, आप अपने स्थान पर जाएं। सभी सदस्य अपने स्थान पर जाएं। मैं व्यवस्था दूंगा। नहीं जाना चाहें तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं अंतिम बार व्यवस्था कर रहा हूं, नहीं समझ में आए तो ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, मैं जानता हूं।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं, उपलब्ध समय में सरकार

(श्री अध्यक्ष)

द्वारा उत्तर दिए जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं-

1.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	8 घंटे 29 मिनट
2.	भारतीय जनता पार्टी	5 घंटे 48 मिनट
3.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	15 मिनट
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	10 मिनट
5.	भारतीय ट्राइबल पार्टी	10 मिनट
6.	राष्ट्रीय लोक दल पार्टी	5 मिनट
7.	निर्दलीय	1 घंटा 3 मिनट
	कुल समय	**16 घंटे**

माननीय सदस्य, किसी पर आरोप लगाने की एक प्रक्रिया है। आप ऐसे रैंडम नहीं बोल सकते। कोई भी चीज अंकित नहीं होगी। सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.22 बजे, 12.52 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(12.52 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही 13.30 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 12.53 बजे, 13.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(13.30 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता एवं सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आपकी जो भावना है, उस भावना से सदन के नेता को अवगत करायेंगे और जिस इश्यू पर आप चर्चा करना चाहते हैं, उसमें उनसे चर्चा करने के बाद हम समय निर्धारित करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर जाएं, जिससे आगे की कार्यवाही प्रारंभ करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक क्षमा चाहता हूं कि हमारा कोई यह उद्देश्य नहीं था कि सदन नहीं चले, लेकिन जिस प्रकार की घटना है और उस घटना का जवाब देने का अधिकार जिनको दे रखा था, उससे उस घटना के प्रति न्याय नहीं होगा। इसलिए हमारा विषय यह था कि इस संवेदनशील विषय पर और जिस प्रकार का इसमें इन्वाल्वमेंट है, उसमें अगर मुख्य मंत्री स्वयं इसके बारे में रिप्लाई करें तो हम सब लोग उनकी बात को सुनकर हमें जो भी पूछना होगा, हम पूछेंगे। हम चाहते हैं कि सदन चले लेकिन आप हमें निश्चित समय तय करके जरूर बता दें। जब भी मुख्य मंत्री जी को सुविधाजनक हो, कल हो, परसों हो, अगर किसी कारण से वे दो दिन बिजी हैं तो 15 तारीख को, लेकिन रिप्लाई के समय उसको जोड़कर बात करेंगे तो वह हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस विषय पर, क्योंकि अलग प्रकार का विषय है और अभियुक्त का जिस प्रकार का इन्वाल्वमेंट है, वह मुख्य मंत्री के मुंह से सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो भी उचित लगेगा, हम अपनी ओर से बात कहेंगे, वे भी अपनी ओर से बात कहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप हमें आज शाम तक इसके बारे में समय तय करके जरूर बता दें। हम चाहते हैं कि सदन चले। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि सभी अपनी-अपनी सीट पर आ जाएं।

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदोरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जाए। "इस सत्र में एकत्रित हम सब, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति आभारी हैं।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव में सम्मिलित होने का मौका दिया है, मैं आपके प्रति और सदन के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में राजस्थान को बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ा है। इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार के मुखिया,

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

पूरा मंत्रिमंडल और सदन के तमाम सदस्य, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सब ने कोरोना जैसी महामारी से निपटने में एक-दूसरे की मदद की है, सहयोग लिया एवं दिया भी है। इसकी वजह से ही राजस्थान में आज अन्य राज्यों के मुकाबले कोरोना जैसी बीमारी के समय में ठीक तरह से प्रबंध हुए हैं और इन प्रबंधों में राजस्थान को जन हानि तो हुई है, उसके बावजूद भी हम सब अच्छे हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि सबके सहयोग के साथ, जैसा कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन से जो अपेक्षा रखी है कि सदन एक रहे, ठीक रहे, सब स्वस्थ रहें और राजस्थान को आगे ले जाने के लिए सभी संकल्पबद्ध रहें, इस तरह की जो अभिव्यक्ति की है, मैं तमाम साथियों से विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें।

कोरोना के दौरान सरकार ने विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद इस कठिन दौर में विकास के पहिये को निरन्तर गतिमान रखा है। आपदा को अवसर में बदलते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ ही सभी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि कोरोना प्रबन्धन में राजस्थान देश ही नहीं, अपितु पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी बताना उचित समझता हूं कि कोरोना से कोई जनहानि न हो, इस लक्ष्य के साथ कोरोना संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों की जांच सहित संबंधित सभी जांचें एवं उपचार की सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध करवायी गयी। 'कोई भूखा न सोए' के संकल्प के साथ जरूरतमंदों को भोजन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद में मैं यह बात भी रखना चाहूंगा कि कोरोना के बावजूद समाज के हर व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर विकास परक दृष्टिकोण का दायरा बढ़ाते हुए राज्य की जनकल्याणकारी सरकार ने कृषक-ऋण माफी की हो, इन्दिरा रसोई की योजना लाये हों, औद्योगिक विकास, वन स्टाप शाप, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाये हों, महिला सशक्तीकरण, जल संरक्षण योजना, पेयजल, बिजली, सड़क, शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं एवं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं का विस्तार कर आमजन में नई ऊर्जा का संचार करता है।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

(13.36 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, प्रारंभ में प्रदेश में कोरोना की जांच की सुविधा नहीं होने के कारण, व्यक्तियों के सैम्पल पुणे जाया करते थे, जिससे इसकी जांच बहुत लेट हो जाती थी। मुझे आज बताते हुए बहुत हर्ष है कि प्रदेश में कोरोना की जांच में वर्तमान में 70 हजार टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हमारे पास उपलब्ध है। माननीय सभापति महोदय, कोरोना की रोकथाम एवं उपचार के लिये प्रदेश में 140 कोविड अस्पताल, डेडिकेटेड कोविड हैल्थ सेन्टर, 43 हजार से अधिक आइसोलेशन बैड्स, 1 हजार 899 वेंटीलेटर्स, 3 हजार 170 आईसीयू बैड्स के साथ ही पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स, दवाओं और अन्य उपकरणों की सुविधा आज राजस्थान में उपलब्ध है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में कोरोना रोगियों का सम्पूर्ण इलाज नि:शुल्क किया जा रहा है। गंभीर कोरोना रोगियों की जान बचाने के लिये लगभग 40 हजार रुपये कीमत तक का इंजेक्शन फ्री में दिया जा रहा है एवं 4 हजार रुपये कीमत के इंजेक्शन नि:शुल्क, जांच में सी.टी. स्कैन सहित अन्य समस्त जांचों की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा राज्य प्लाज्मा थैरेपी में अग्रणी रहा है और कोरोना उपचार के लिये जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा इत्यादि में प्लाज्मा थैरेपी दी जा रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं कि चाहे वह सरकारी हो और चाहे वह गैर सरकारी हो, किसी भी कर्मचारी की कोरोना के दौरान अगर मौत होती हो, उस स्थिति में 50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कर रखी है। कोरोना जनचेतना के लिए प्रदेश में 21 जून, 2020 से विशेष जागरूकता अभियान के रूप में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया। राज्य में देश में पहली बार मास्क को अनिवार्य करने का कानून बनाकर राजस्थान की जनता को राहत पहुंचायी है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना कोरोना काल में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। इस योजना के प्रारंभ से लगाकर 86 करोड़ से अधिक बार रोगियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस तरह

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

विभिन्न प्रकार की 713 दवाएं, 181 सर्जिकल्स एवं 77 सूचर्स नि:शुल्क उपलब्ध करवाये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना भी आम अवाम के उपचार में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। इस योजना में 90 प्रकार की जांचें नि:शुल्क की जा रही हैं। योजना के प्रारंभ से लगाकर अब तक 33 करोड़ 86 लाख नि:शुल्क जांचें हो चुकी हैं।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीन चरण 30 जनवरी, 2021 से प्रारंभ किया गया है। सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवारों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को शामिल करते हुए 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है। नि:शुल्क बीमा कवर जो मात्र 3 लाख तक का था, उसे बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है। योजनान्तर्गत कुल प्रीमियम 1 हजार 749 करोड़ में से 78 प्रतिशत से अधिक अर्थात् 1 हजार 372 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में डाक्टर्स की कमी को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारी लोकप्रिय सरकार ने चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए 2000 अतिरिक्त पद सृजित कर नई नियुक्तियां प्रदान की गईं। 2020 में कुल 2 हजार 727 चिकित्सकों एवं 11 हजार से अधिक नर्सिंगकर्मियों की भर्ती की गई। इस अभियान में सक्रियता एवं जन-सहभागिता में राजस्थान मॉडल राज्य बना है एवं प्रथम चरण में 61 प्रतिशत वैक्सीन पूर्ण करने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी राजस्थान की प्रशंसा की है।

मुझे यहां पर बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि राजस्थान में जब टीके लग रहे थे तो मैंने सर्वप्रथम आगे होकर टीका लगवाया और दूसरी बार भी मैंने टीका लगवाया। लोगों में एक भ्रांति थी कि इस टीके के लगने से क्या होगा? लेकिन टीका लगने से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, घूम-फिर रहा हूं और मैं इस मौके पर पूरे सदन से अपील करता हूं कि हिन्दुस्तान के वैज्ञानिक, हिन्दुस्तान के साइंटिस्ट को इस मौके पर हम सबको इस सदन से धन्यवाद करना चाहिए और प्रधान मंत्रीजी को भी कर दो, वह देश से अलग

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

नहीं हैं। देश में वैक्सीन आने के बाद दुनिया की आंखें खुली हैं और हिन्दुस्तान अब दुनिया से पीछे नहीं है। यह हमने बता दिया है।

आम नागरिकों का बीमारियों से बचाव सुनिश्चित करने के लिए 'निरोगी राजस्थान' अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के दौरान स्वास्थ्य जागरूकता तथा आमजन व चिकित्सा संस्थानों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक राजस्व ग्राम में स्वास्थ्य मित्र के रूप में एक महिला एवं एक पुरुष, करीबन 80 हजार स्वास्थ्य मित्रों का चयन राजस्थान में हो चुका है। राज्य सरकार स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। कोरोना की रोकथाम और उपचार के लिए आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का भी उपयोग किया गया है। राजकीय क्षेत्र में पहली बार जोधपुर एवं केकड़ी में लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत से होम्योपैथिक महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 24 लाख 23 हजार कृषकों को 3 हजार 973 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम का भुगतान किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 खरीफ व रबी की फसल के लिए यूरिया एवं डीएपी खाद की आपूर्ति निरंतर प्रारंभ करते हुए आज भी निरंतर इसकी पूर्ति की जा रही है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में अब तक 28 हजार 26 हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्र व 13 हजार 755 हैक्टेयर क्षेत्र में बूंद-बूंद सिंचाई की योजना प्रारम्भ कर दी गई है। प्रदेश के किसानों के कल्याण हेतु गठित कृषक कल्याण कोष में अब तक 2 हजार करोड़ रुपये का बैंक ऋण लेकर 1 हजार 830 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना एवं पशु चिकित्सालय भवनों आदि का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में कृषि उपजों के प्रसंस्करण व व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीति के तहत अब तक 179 परियोजनाओं को मंजूरी देकर 69 करोड़ रुपये का भुगतान स्वीकृत किया जा चुका है। इसमें 266 करोड़ रुपये का निवेश होना है। किसानों की 5 हैक्टेयर तक की भूमि को कुर्की से मुक्त रखने संबंधी कानून पारित किया गया है। राज्य में इस वर्ष टिड्डी नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हुआ है। किसानों

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

और आमजन की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सिंचाई, पेयजल एवं अन्य कार्यों के लिए ट्यूबवेल खुदाई के लिए आवश्यक एनओसी के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिर्फ किसान के ट्यूबवेल तक नहीं है बल्कि पंचायती राज के अंतर्गत पंचायतें अपनी निजी आय से और टीएफसी से, एसएफसी से हैंडपम्प खोदते थे और हैंडपम्प की एनओसी की प्रक्रिया बहुत लंबी थी और प्रक्रिया लंबी होने की वजह से पंचायतें ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही थीं, लेकिन सरकार ने एनओसी समाप्त की है, इससे सरलीकरण का अवसर मिला है। कृषक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में दिसम्बर, 2020 तक 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक के अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण, 244 करोड़ के मध्यकालीन ऋण और 108 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता एक आंदोलन है और इस आंदोलन को गति देने हेतु 'समग्र सहकारिता विकास परियोजना' के द्वितीय चरण के अन्तर्गत राज्य के चयनित तीन जिलों सीकर, जालोर, बांसवाड़ा में परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में इन तमाम परियोजनाओं में 10 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि व्यय होने की संभावना है। एसडीआरएफ से कोरोना महामारी के बचाव व रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों और जिलों को 768 करोड़ 90 लाख रुपये राशि हस्तांतरित कर दी गई है। वर्ष 2020 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु 4 हजार 445 कार्यों के लिए 82 करोड़ 12 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है। प्राकृतिक आपदाओं ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा तथा टिड्डी आक्रमण आदि से होने वाले फसल खराबे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए वर्ष 2020-21 में 562 करोड़ 98 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन की विभिन्न योजनाओं में लगभग 83 लाख 85 हजार पेंशनर्स को प्रतिमाह पेंशन की राशि का भुगतान किया जा रहा है। योजना में 2020-21 में अब तक 7 हजार 31 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए पेंशनर्स के अतिरिक्त अन्य वर्गों- बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय, भवन व

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

संनिर्माण श्रमिकों, निराश्रित, असहाय एवं स्ट्रीट वैण्डर सहित लगभग 33 लाख जरूरतमंद परिवारों को 3 हजार 500 रुपये के हिसाब से 1 हजार 155 करोड़ की राशि हस्तांतरण कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस पीडित परिवारों को पुनर्वास हेतु जारी सिलिकोसिस नीति के अंतर्गत पीड़ित परिवारों के बच्चों को पालनहार योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखता हुआ निवेदन करना चाहता हूं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजाति, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिसम्बर, 2020 तक 303 करोड़ 65 लाख रुपये व्यय कर 1 लाख 92 हजार 641 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजन कल्याण के लिए संचालित 6 मुख्य योजनाओं के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में 15 करोड़ 55 लाख रुपये व्यय कर 10 हजार 202 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया है।

अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किये जाने के साथ ही बेरोजगार युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य में पंजीकृत 3 हजार 260 मदरसों में 1 लाख 92 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं।

जनजाति क्षेत्र में 1 लाख 26 हजार सहरिया, खैरवा एवं 3 हजार 253 कथोड़ी व्यक्तियों को प्रतिमाह प्रति यूनिट 500 ग्राम दाल, 500 मिलीलीटर तेल व 250 मिलीलीटर देशी घी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र माडा तथा सहरिया में 2 हजार 539 मां बाड़ी केन्द्रों का संचालन कर 76 हजार 170 बालक-बालिकाओं को लाभ दिया जा रहा है। कुसुम योजना के अंतर्गत 4 हजार 500 जनजाति कृषकों को लाभान्वित करने के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। सौर ऊर्जा आधारित 54 सामुदायिक जल सिंचाई योजनाओं हेतु 23 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

राज्य में हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से वर्ष 2020-21 एवं 2021 की निर्धारित राशि में से प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

प्रधानमंत्री मातृ-वन्दना योजना में लाभार्थी को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर कुल 5 हजार रुपये की राशि दी जाती है। वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत लगभग दो लाख गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं एवं तीन वर्ष तक के बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए 19 नवम्बर, 2020 से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 5 जनजातीय ज़िलों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां में शुरू की गई है। इस योजनान्तर्गत जन्म पर गर्भवती एवं धात्री महिला को कुल 6 हजार रुपये की राशि सीधे उनके खातों में हस्तान्तरित की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा गांवों में सुनियोजित एवं चरणबद्ध विकास के लिए शुरू की गई ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4 हजार 372 करोड़ रुपये का व्यय आधारभूत संरचना के अंतर्गत 9 हजार 300 कार्य पूर्ण कराये गये। इसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजना में 7 हजार 196 करोड़ रुपये व्यय कर 69 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है तथा 33 करोड़ 90 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। राज्य में एक गांव चार काम के तहत चारागाह विकास, मॉडल तालाब, श्मशान व कब्रिस्तान तथा खेल मैदान के कुल 42 हजार 468 कार्य स्वीकृत कर 11 हजार 615 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत वर्तमान में राज्य में 304 बाल विकास परियोजनाएं एवं 61 हजार 613 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इनमें लगभग 40 लाख लाभार्थियों को पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के 13 लाख बच्चे लाभ ले रहे हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवार की महिलाओं को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजीविका योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख 84 हजार स्वयं सहायता समूहों को रोजगार देने हेतु 1 हजार 805 करोड़ रुपये का व्यय प्रदान कर 21 लाख 50 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, एक से बढ़कर एक योजना, इस वित्तीय वर्ष में संकट के बावजूद भी, राजस्थान सरकार के मुखिया हमारे अशोक जी गहलोत साहब और पूरा मंत्रिमण्डल लेकर आया है, जिससे राजस्थान के अंदर

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

खुशहाली है। राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण में जल संग्रहण एवं संरक्षण के 18 हजार कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 14वें एवं 15वें वित्त आयोग में 1 हजार 422 करोड़ रुपये व्यय कर 36 हजार 600 कार्य तथा पांचवें राज्य वित्त आयोग के तहत 425 करोड़ रुपये व्यय कर 13 हजार 558 कार्य चलाये जा रहे हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के कार्य सम्पादित करवाने हेतु 1 हजार 298 करोड़ रुपये की कार्य योजना अनुमोदित की जा चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त, 2020 से जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक बैठाकर 8 रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की 213 नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। अब तक 1 करोड़ 55 लाख से अधिक भोजन की थालियां उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपये का अनुदान वहन कर रही है।

राज्य में शहरी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में 28 सितम्बर व 5 अक्टूबर, 2020 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा व भरतपुर संभागों में जलापूर्ति, सीवरेज, उद्यान, हैरिटेज संरक्षण व पार्किंग हेतु 2 हजार 261 करोड़ रुपये की 61 परियोजनाओं का शुभारम्भ कर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, पूरे देश और प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत बेहतरीन तरीके से कार्य किये जा रहे हैं। इसके तहत प्रदेश में 4 शहरों यथा जयपुर, कोटा, अजमेर एवं उदयपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न कार्यों पर अब तक 1 हजार 171 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम सबके लिए जयपुर मैट्रो अपने आप में एक इतिहास बना है। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि जयपुर मैट्रो रेल परियोजना फेज-बी चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक, जयपुर की विरासत को संरक्षित रखते हुए कार्य को पूर्ण कर 23 सितम्बर, 2020 से भूमिगत मैट्रो ट्रेन का संचालन किया जा रहा है।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

मुख्यमंत्री जन आवास योजना में 1 हजार 448 आवासों का, आनन्द विहार, सूर्य नगर वाटिका, खेड़ा जगन्नाथपुरा एवं राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं में 4 हजार से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है।

कोटा शहर में चल रहे डेयरी व्यवसाय एवं पशुपालकों को सुव्यवस्थित रूप से बसाने के लिए 300 करोड़ रुपये की लागत से देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

राजस्थान में पर्यटन का बहुत महत्व है। इस महत्व को देखते हुए पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रावधानों के अनुसार राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 लागू कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 22 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से मंदिर समूह-किराडू (बाड़मेर), हर्ष देवल शिव मंदिर-बिलाड़ा (जोधपुर), सूर्य मंदिर-बूढ़ादीत (कोटा), सेठानी का जोहड़ा, इत्यादि मंदिरों को सुसज्जित किया जा रहा है।

प्रदेश में नवनिर्मित पांच पैनोरमाओं गुरुगोविन्द सिंह पैनोरमा (बूढा जोहड़, रायसिंहनगर-श्री गंगानगर) भगवान श्रीपरशुराम पैनोरमा (मातृकुण्डिया-चित्तौड़गढ़), भगवान श्री देवनारायण पैनोरमा (मालासेरी, आसीन्द-भीलवाड़ा), महाराणा कुम्भा पैनोरमा (माल्यावास,देवगढ़-राजसमन्द), वीर गोरा-बादल पैनोरमा (चित्तौडगढ़) का लोकार्पण, मैं इस मौक़े पर पूरे सदन से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो सरकार ने किया है, चाहे वह सरकार आपकी हो या हमारी हो लेकिन आने वाले समय में, मैं इस पैनोरमा को मानगढ़ पर स्थापित करने के लिए सदन को निवेदन करता हूं। निश्चित रूप से मैं सदन के दोनों तरफ से अपील करूंगा कि 17 नवम्बर, 1913 में मानगढ़ की धरती पर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ते हुए डेढ़ हजार आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया था। मैं चाहूंगा कि हम राजनीति से ऊपर उठकर यह राष्ट्र की एक सम्पत्ति है जिसे हम सब मिलकर अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, इसमें सबका सहयोग अपेक्षित रखूंगा।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की कड़ी में 9 अगस्त से 15 अगस्त, 2020 तक प्रदेश के समस्त ज़िलों में अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किये जाने के साथ ही 2 अक्टूबर, 2020 को शांति सद्‌भाव एवं अहिंसा पर एक वैश्विक ई-सम्मेलन किया जा रहा है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त, 2020 को बीकानेर में 4 करोड़

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

13 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित अभिलेख म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद में बोलने के लिए बहुत है, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से महामहिम ने राजस्थान की 138 की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में इस सदन को अभिभाषण के रूप में व्यक्त किया है, महामहिम के इस अभिभाषण को हम सभी स्वीकार करते हैं। सब मिलकर यह उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय राजस्थान के लिए, हम सबके लिए सुखमय हो, हम सब समृद्धशाली बनें, निरोगी राजस्थान बनें। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार फिर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का धन्यवाद करता हूं और मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद जयहिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज आप विराजिए, सहयोग करें। प्लीज सहयोग कीजिए, विराजिए। श्री मेवाराम जैन। ...(व्यवधान)

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): राज्यपाल का अभिभाषण धारा 176 (ए) के अनुसार यह सदन आहूत करना ही गलत है।

श्री सभापति: मेवाराम जी को बोलने दें। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, मेवाराम जी का नाम पुकार लिया, उनको बोलने दें। प्लीज सहयोग करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सदन को स्थगित ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। श्री मेवाराम जैन। प्लीज आप विराजिए। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए।

(14.00 बजे)

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का अनुसमर्थन

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के लिये बागीदोरा से आने वाले

(श्री मेवाराम जैन)

माननीय सदस्य श्री मालविया साहब ने जो प्रस्ताव रखा, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जिस प्रकार महामहिम साहब ने जो अभिभाषण में एक से लगाकर 138 बिन्दुओं पर, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं, चाहे कोरोना महामारी के इंतजाम की बात हो, चिकित्सा व्यवस्था की बात हो, कृषि हो, सामाजिक सुरक्षा, पंचायती राज, शहरी विकास, कानून, बिजली, शिक्षा, राजस्व, उद्योग हो, इन सारे बिन्दुओं पर जिस तरह से माननीय राज्यपाल महोदय ने प्रकाश डाला और राजस्थान की 7 करोड़ से ज्यादा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले गरिमामय सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है, यह अभिभाषण प्रदेश की लोक कल्याणकारी सरकार की जन हितैषी नीतियों की सोच एवं सोच का दर्पण है।

सभापति महोदय, इस पवित्र सदन की स्थापना से लेकर आज तक कई माननीय सदस्यों ने अपने अनुभव एवं सोच से इस प्रदेश की तरक्की में अपनी बेहतर भागीदारी निभाई है।

सभापति महोदय, प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी की यह सोच है कि हम सब जनता के ट्रस्टी हैं और आम जनता ने हमारे पर जो विश्वास व्यक्त किया है, उसके अनुसार आम आदमी के जीवन को हम कैसे बेहतर बना सकें, इस हेतु हम, हमारी सरकार, हम सभी, पक्ष और चाहे विपक्ष हो, मिलकर हम राजस्थान का विकास कैसे कर सकें। आम आदमी, जो अंतिम छोर पर बैठा है उससे लेकर किसान, व्यापारी, उद्योगपति, सभी के विकास में किस तरह से भागीदार बनें, इन बिन्दुओं पर राज्यपाल महोदय ने प्रकाश डाला है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम ईमानदारी के साथ राजस्थान के विकास में भागीदार बनें।

सभापति महोदय, अभिभाषण पर मेरा निवेदन रहेगा कि दो-सवा दो साल हुए हैं हमारी सरकार रही है, चल रही है, टाइम हुआ है, सवा दो साल में हमने ऐसी मुसीबतें झेलीं, हम ऐसे कठिन दौर से निकले। एक तो कोरोना महामारी, मेरे कयास में, इसमें आप और हम, सब लोग बैठे हैं, ऐसी परिस्थितियां आज से पहले किसी ने देखी नहीं होंगी। किस तरह से यह बीमारी हमारे भारत में आई, विश्व में फैली, और किस तरह से हमें, पूरे देश

(श्री मेवाराम जैन)

को ठप कर दिया। कोई व्यापार नहीं, उद्योग नहीं, इंडस्ट्री नहीं, कहीं जाना नहीं, बसें बंद, ट्रेनें बंद। कहीं भाई बाहर व्यापार करने के लिये गये तो वे वहीं रहे। एक-दूसरे को देखने के लिये तरस गये। इस बीमारी ने इतना महामारी का रूप लिया कि शुरुआत के समय हमारे यहां टैस्ट के लिये सिर्फ एक पुणे में लैबोरेटरी थी। जिस तरह से इसका मुकाबला किया और जिस तरह से यह फैली, किसी घर में एक परिवार के अगर पोजिटिव पाया गया तो उसके नजदीक कोई परिवार वाला उसके पास नहीं गया। शुरुआत में इस तरह का भय पैदा हुआ।

मैं तो उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति मुम्बई से बाड़मेर घर आया। पत्नी को जैसे ही पता लगा कि घर आ रहा है, वह पत्नी पीहर चली गई। उसको यह डर था कि कहीं घर आया और टच हुआ तो पूरे घर में कोरोना फैल जायेगा। इस तरह का भय, इस तरह का माहौल था।

आपने देखा होगा, किस तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसका मुकाबला किया। किस तरह से, चाहे सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, इसमें सभी को साथ में लेकर, एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लगाकर सभी संस्थाएं, सभी भामाशाह, दानदाता, साधु, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, कहने का मतलब इन सभी से राय ली कि इस महामारी से हम कैसे निपटें? यह उनकी दूरदर्शी सोच थी। उन्होंने जिस तरह से इस महामारी का मुकाबला किया, उसे राजस्थान में ही नहीं, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में माननीय मुख्य मंत्रीजी की व्यवस्था को सराहा गया।

माननीय सभापति महोदय, इस महामारी ने अर्थव्यवस्था की हालत बुरी तरह बिगाड़ दी। माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच थी कि कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोये और कोई भूख से न मरे। स्थिति ऐसी हो गई कि सारे व्यापार बंद, मजदूर कमाने के लिये घर से बाहर निकल नहीं सकता। उनके लिये जिस तरह की व्यवस्था की गई, उनके घर खाने की व्यवस्था, भोजन के पैकेटों की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था और जिस तरह की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हम सबने मिलकर, इसमें कोई पीछे नहीं रहा, पक्ष और चाहे विपक्ष हो, सब ने जिस तरह से व्यवस्था की, शानदार व्यवस्था और उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से हम बचे हुए हैं।

(श्री मेवाराम जैन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये किस तरह से, जब एक भी टैस्ट यहां नहीं हो रहा था, आज 70 हजार टैस्ट की कैपेसिटी राजस्थान में जगह-जगह, यह जो टैस्ट हो रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे लिये रही। कोई भूखा नहीं सोये और दवाई के लिये, कोरोना का एक पेशेंट अगर भर्ती हो गया तो उसके पास पैसे कहां थे, खाने को तो रोटी नहीं थी। उसके लिये सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 5-5 हजार का एक इंजेक्शन, जो कम से कम एक व्यक्ति के 20 से 25, 30-30 इंजेक्शन लगते थे, 40 हजार का इंजेक्शन, एक व्यक्ति का वेंटिलेटर पर इलाज, सी.टी. स्कैन मुफ्त में, सारी दवाइयां फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री। यह टोटल जिस तरह से व्यवस्था की है, बहुत ही सराहनीय व्यवस्था इस कोरोना महामारी में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की। इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने रात और दिन, हमेशा चिंता रही कि मेरा कोई भी एक व्यक्ति इस बीमारी से खतम न हो, इसके लिये इन्होंने हर-एक से, वी.सी. के माध्यम से, दानदाताओं के माध्यम से, सबसे करके इस महामारी से निपटने का बहुत ही बढ़िया प्रयास किया।

कोरोना वारियर्स का 50 लाख तक का बीमा, कोई भी, जो इसमें इलाज के लिये डाक्टर्स, ए.एन.एम., जी.एन.एम. थे, चाहे जितने भी इसमें काम करने वाले थे, उनके लिये बीमे का प्रावधान किया गया। कोई भी इस बीमारी से खतम हो तो उनको 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिले। यह एक सराहनीय कार्य है। मास्क के लिये विधान सभा में एक प्रस्ताव लाये कि मास्क अनिवार्य है। बहुत ही अच्छा कार्य हुआ, जिसकी वजह से इस बीमारी की रोकथाम में बहुत बड़ी मदद मिली।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह दो साल का कार्यकाल, एक साल तो कोरोना की महामारी में ही गया और एक साल में जो राजस्थान की आर्थिक हालत रही, आर्थिक संकट से हम किस तरह जूझे और केन्द्र ने किस तरह से इसमें सहयोग किया, यह भी आपके सामने की बात है। राजस्थान के अंदर टैक्स कलेक्शन इतना कम हुआ, राजस्व सिर्फ 30 परसेंट तक ही पहुंचा, उसके बाद भी जो कल्याणकारी योजनाएं थीं, वह बंद नहीं होने दी।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उन योजनाओं को चालू रखा। पिछले बजट में भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरह से उस बजट के अंदर जो

(श्री मेवाराम जैन)

कल्याणकारी योजनाएं, चाहे शिक्षा, चिकित्सा, पानी या चाहे कानून-व्यवस्था की बात हो या चाहे अन्य जितने भी उद्योग या इंडस्ट्रीज की बात करें, इन सबमें धन का अभाव, पैसे का अभाव होने के बावजूद भी अच्छी व्यवस्था की, उनको हमने बंद नहीं होने दी और आज भी वह चालू है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चिकित्सा के अंदर प्रदेश के अंदर 140 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, 43 हजार से अधिक आइसोलेशन बैड्स, 1899 वेंटिलेटर्स, 3170 आई.सी.यू. बैड्स स्थापित किये गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी की महत्वाकांक्षी नि:शुल्क दवा योजना कोरोना काल में बेहतर साबित हुई। इस योजना में प्रारम्भ से अब तक 46 लाख से अधिक रोगियों को लाभान्वित किया जा चुका है एवं 713 दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार नि:शुल्क जांच योजना रोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है और 90 प्रकार की जांचें, 33 करोड़ 86 लाख नि:शुल्क जांचें हो चुकी हैं। सीटी स्कैन तक फ्री। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को शामिल किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की इस कल्याणकारी सरकार ने पिछले दो वर्षों में 2727 चिकित्सक, 11 हजार से अधिक नर्सिंगकर्मी को नियुक्ति दी है। प्रदेश में दूरदराज की ढाणियों-गांवों में जहां पर डाक्टर्स नहीं जा रहे थे, ए.एन.एम. नहीं जा रही थी, भर्ती करके उन सब जगह पर ए.एन.एम. और डाक्टर्स की व्यवस्था की, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सीमावर्ती जिला बाड़मेर जो अभावग्रस्त रहा है, जहां पर पीने के पानी से लेकर चिकित्सा शिक्षा की कमी रही है, ऐसे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले वर्ष बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर मेडिकल कालेज का लोकार्पण किया और वह लोकार्पण समारोह में आये और उसमें यह भी घोषणा की कि बाड़मेर जिला अस्पताल को 300 से 500 बेड का अस्पताल किया जाएगा। 500 बेड का किया और 158 पोस्ट्स साथ में दी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर के अंदर चाहे गाइनिक हो, कोई एक्सीडेंट हो, चाहे जितनी भी गंभीर बीमारी के सारे केस रैफर हो रहे थे और आज कोई भी केस रैफर नहीं हो रहा है, बाड़मेर में

(श्री मेवाराम जैन)

इतनी सारी शानदार व्यवस्था की है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज किसानों की हालत क्या है? किसान बोर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। यह जो तीन काले कानून लाये गये हैं, जिसके लिए ऐसा पहली बार, न तो किसी किसानों ने कहा, न किसी व्यापारियों ने कहा, न किसी सदन में चर्चा हुई और अपने आप पूंजीपतियों के चंद लोगों के कहने से ही यह कानून थोपे गये। उसके आज क्या हालात हैं? 70 दिन हो गये, 150 से ज्यादा इसमें डैथ हो गयी और किसान आज कितने दिन से रोड जाम करके बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए, इसमें किसानों की बात सुननी चाहिए, इसमें कोई ईगो की बात नहीं होनी चाहिए और मिल बैठकर इसका निपटारा करना चाहिए, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं।

प्रदेश सरकार ने, किसान को धान का उचित मूल्य मिले, एम.एस.पी. पर अनाज की खरीद हेतु इस सदन में तीन कृषि कानून पास भी किये परंतु वह अभी तक भी आगे नहीं भेजे गये, यही पर रुक गये। हम सबने तो प्रयास किया कि यह कानून किसानों के हित में हैं और इनको लागू किया जाए ताकि किसान को जैसे पंजाब में भी इस तरह का कानून पास किया, वैसे ही राजस्थान में हमने किया, परंतु अभी तक यहां ही रुका पड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के प्रति सहृदयता रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों का जो सहकारिता का लोन था, वह माफ किया। इतनी बड़ी राशि पहली बार किसानों की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माफ की, इससे ज्यादा बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। इसके साथ-साथ "कृषक कल्याण कोष" की स्थापना की। इसके माध्यम से बीमा ऋण लेकर 1830 करोड़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पशु चिकित्सालय भवनों आदि के लिए स्वीकृति भी दी।

सरकार ने आम किसानों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई एवं पेयजल, ट्यूबवैल खुदाई के लिए जो एन.ओ.सी. की शर्त थी, उसको भी समाप्त किया।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह पहल की

(श्री मेवाराम जैन)

कि किसानों की पांच हैक्टेयर की कृषि भूमि को कुर्की से मुक्त करने का कानून पास किया है, उससे कितने ही किसानों को लाभ होगा, उनकी जमीन कुर्क नहीं होगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए खुशी होती है कि प्रदेश की सरकार में आने से पहले कांग्रेस पार्टी का जो जन घोषणा पत्र था, उसका 50 परसेंट, उन घोषणाओं को सरकार ने पूरा किया। इतनी विपरीत परिस्थितियां, आज क्या हालात आर्थिक स्थिति के रहे, जी.एस.टी. हुई, नोटबंदी हुई और किस तरह से आर्थिक स्थिति खराब हुई। राजस्थान की जो योजनाएं थीं, उन योजनाओं में पैसे की कटौती हुई, केन्द्र की तरफ से जो दिये जाने थे, उनमें कटौती की गयी, उसके बावजूद भी 50 परसेंट घोषणाओं को पूरा किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में संसाधनों की कमी होने के बावजूद उन्नति और प्रगति हुई। संसाधनों का होना जरूरी है इसलिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा संयंत्रों को प्रोत्साहन देकर राज्य में पांच हजार मेगावाट ऊर्जा और 4338 मेगावाट पवन ऊर्जा और 120 मेगावाट बायो गैस ऊर्जा सहित कुल 9460 मेगावाट अक्षय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये गये। इसकी वजह से जो स्थिति, पहले बिजली की हालत कमजोर थी, किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल रही थी, उसमें सुधार हुआ है। आज किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, गांवों के अंदर 24 घंटे बिजली मिल रही है। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की एक बहुत ही बड़ी किसानों के प्रति, जिस तरह से बिजली की व्यवस्था की है, यह बहुत ही सराहनीय है।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना के संकट के चलते चाहे विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान को भी बिना ब्याज, बिना विलम्ब शुल्क जमा कराने की सुविधा दी, इसके लिये भी 300 करोड़ का भार वहन करना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, आज रिफाइनरी की बात करें, तो रिफाइनरी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और इस राज्य को रिफाइनरी पूरी होने से रायल्टी मिलेगी, लोगों को मजदूरी मिलेगी और उद्योग इंडस्ट्रीज में फायदा होगा। इस रिफाइनरी के अंदर कितनी तरह से उद्योग लगेंगे। माननीय

(श्री मेवाराम जैन)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्रूड आयल बाड़मेर में निकला और रिफाइनरी हमारे जिले में ही लग रही है। मेरा निवेदन रहेगा कि बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं, उद्योग लगाने के लिये बाड़मेर मुख्यालय पर कुछ हिस्सा बाड़मेर में कराया जाए, क्योंकि सारा तेल बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में ही है। खनिज यहीं है और सबसे ज्यादा रायल्टी जो मिल रही है, वह बाड़मेर से मिल रही है, इसलिए मेरा निवेदन आपसे रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, चाहे पंचायती राज के पुनर्गठन का मामला हो, चुनावों का मामला हो, नगर परिषद् के पुनर्गठन का मामला हो, इसमें चुनाव अच्छी तरह से हुए। इसमें जिस तरह से पुनर्गठन किया, उससे लोगों को लाभ मिला।

माननीय सभापति महोदय, चाहे नरेगा की बात करें, तो नरेगा हम सबके लिये एक वरदान साबित हुई है। चाहे सूखा पड़ा हो, चाहे अकाल हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें लोगों को राहत मिल रही है, मजदूरी मिल रही है, इससे गांवों के अंदर ग्रेवल सड़कें, पीने के लिये पानी के टांके, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ इस नरेगा के माध्यम से मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर अकेले में एक लाख टांके पानी के, नरेगा योजना के तहत बने हैं। आज भी लोग याद कर रहे हैं कि नरेगा आई तब हमारे यहां पानी की व्यवस्था हुई, रोजगार की व्यवस्था हुई। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारी नेता सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में दो वर्षों में अभूतपूर्व निर्णय लिये। जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी मीडियम के महात्मा गांधी विद्यालय संचालित किये। उनका विस्तार करते हुए 2020-21 में 168 नये विद्यालय खोले जा चुके हैं, उच्च माध्यमिक स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया और नये विद्यालय खोले गये। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिये सरकार गंभीर है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिये 31 हजार शिक्षकों की रीट की भर्ती भी निकाल दी है, इस 25 अप्रैल को उसकी परीक्षा है। मेरा इसमें यह निवेदन रहेगा, माननीय सभापति महोदय, 25 अप्रैल की जगह परीक्षा की डेट दो-चार दिन आगे पीछे करें क्योंकि 25

(श्री मेवाराम जैन)

तारीख को महावीर जयंती है। उस परीक्षा की तारीख को दो-चार दिन आगे बढ़ाई जाए तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी और रीट परीक्षा करायी जाए ताकि नौजवानों को इसमें नौकरी मिल सके।

इसके साथ-साथ उच्च शिक्षा में मजबूती के लिये 2020-21 में प्रदेश में तीन नवीन राजकीय महाविद्‌यालय प्रारम्भ किये। साथ में 12 राजकीय महाविद्‌यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्‌यालय में क्रमोन्नत कर उच्च शिक्षा को मजबूती देने का काम भी किया गया।

माननीय सभापति महोदय, जहां पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश में समानीकरण के नाम पर स्कूलें बंद की थीं, उन स्कूलों को खोलने का भी हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो फैसला किया था, उसके तहत वह स्कूलें खोली गईं। इसके लिये भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना में 1,112 बालिकाओं को लाभान्वित करके 8 करोड़ से ज्यादा बालिकाओं के खाते में राशि हस्तान्तरित हो चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, रोजगार के मामले में माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में ठोस कार्य किया है। सरकार ने विगत दो वर्षों में 81 हजार 893 युवाओं को सरकारी नौकरी दी। 50 हजार 565 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच है कि प्रदेश के युवा, जो बेरोजगार हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। पिछले वर्ष में कोरोना और लॉकडाउन की हालत के कारण उत्पन्न हुए कठिन हालातों में भी मार्च, 2020 से दिसम्बर, 2020 के बीच 188 ऑनलाइन शिविरों के माध्यम से 7,104 बेरोजगारों को भी रोजगार देने का कार्य किया।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिये मुख्य मंत्री युवा संबल योजना को 01 फरवरी, 2019 को प्रारम्भ कर 2 लाख 50 हजार बेरोजगारों को 800 करोड़ रुपये बेरोजगार भत्ते की राशि देकर भी सराहनीय कार्य किया, इसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे इंदिरा रसोई की बात करें, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात करें, सबमें सराहनीय कार्य हुआ है।

(श्री मेवाराम जैन)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खेल और खिलाड़ी, जिनके लिये पहली बार, जिन्होंने इन खेलों के अंदर भाग लिया और जिन्होंने पदक प्राप्त किया, उनको राजस्थान सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने उनको नौकरी दी। यह राजस्थान का पहला उदाहरण है कि इतने लोगों को उन्होंने नौकरी दी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ, जो फ्लैगशिप योजना थी, फ्री गेहूं की बात करें, दवाइयों की बात करें, पेंशन की बात करें, जितनी भी योजनाएं थीं, उन योजनाओं का सुचारु रूप से आमजन तक लाभ मिले, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उसकी मोनिटरिंग कर आम जनता को कैसे लाभ मिले, इसके लिये पूरा प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से इस अभिभाषण के अंदर 138 बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है, जो हमारी सरकार की सोच है और आमजन तक हम किस तरह से लाभ दे सकें, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस अभिभाषण में जो बिन्दु दिये हैं, जिन पर सरकार कार्य कर रही है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी भयंकर समस्या, चाहे कोरोना महामारी हो, आर्थिक संकट हो, सरकार गिरने की बात करो, आपने देखा होगा किस तरह से एक साल निकल गया। इन परिस्थितियों को झेलते हुए भी मुख्य मंत्रीजी ने विकास की योजनाओं को बंद नहीं होने दिया और इन योजनाओं को चालू रखा।

अभी जो आने वाला बजट है, इसके अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर आने वाले बजट के अंदर, चाहे पानी की योजनाओं की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हर पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की बात हो और चाहे बिजली के अंदर हो, चाहे सड़कों की बात हो, इन सब योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। सड़कों के अंदर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम जिस तरह से काम करना चाह रहे थे, वह काम नहीं हुआ। इसका कारण था कि पिछली सरकार ने इतने काम सैंक्शन कर दिये कि उसकी देनदारियां अभी तक चुका नहीं पा रहे हैं। इन्होंने बजट में उन पैसों का प्रावधान नहीं रखा और सैंक्शन जारी कर दी, टेंडर जारी कर दिये, वर्क आर्डर दे दिये। वह आज भुगत रहे हैं और उनका पेमेंट हमारी इस सरकार को देना

(श्री मेवाराम जैन)

पड़ रहा है। अब मुख्य मंत्री जी कह भी रहे हैं और आपने इस अभिभाषण में देखा ही होगा कि यह वर्ष सड़कों के लिए और पानी बिजली के लिए समर्पित होगा और इसमें जो भी सड़कें हैं, अब के जितनी सड़के स्वीकृत होंगी यह आपके सामने रहेंगी।

माननीय सभापति महोदय, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं पक्ष और विपक्ष सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर राजस्थान को विकास की ओर आगे ले जाएं, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को हम लाभ दे सकें, उसकी मदद कर सकें, चाहे उद्योग में, इंडस्ट्रीज में और किसानों में हो और हर तरह से हो। आज उद्योग में कोई यहां उद्योग लगाए, उनके लिए किसी तरह की फार्मेलिटी की जरूरत नहीं, उनको किसी तरह की एनओसी की जरूरत नहीं, यहां आएं और उद्योग लगाएं। इतना बेहतर हमारे मुख्य मंत्री जी ने और मंत्री जी ने जो अच्छा काम किया है, किस तरह से लाभ मिल रहा है यह आपके सामने है।

अंत में यही कहता हुआ माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं और यही कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर राजस्थान का विकास करें। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और आभार देना चाहूंगा कि इस विधान सभा के इतिहास के अन्दर पहली बार बजट सत्र का आगाज हमारे संविधान की प्रस्तावना और हमारे संविधान के कर्तव्यों की शपथ के साथ हुआ।

सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में जो अभिभाषण पढ़ा, वह भी उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए पढ़ा। राज्यपाल महोदय का यह अभिभाषण इस मौजूदा सरकार का, सभापति महोदय, सरकार 60 महीने के लिए बनी है, 26 महीने का काल खंड समाप्ति की ओर है, 0.5 फ़ीसदी के अल्पमत से यह सरकार बनी और अंतर्द्वंद्व और अपनों से भयाक्रांत सरकार, इस सरकार के मंत्रिमंडल का अनुमोदित यह तीसरा अभिभाषण है।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, कौल एंड शकधर और कई अध्यक्षीय व्यवस्थाओं ने इसको एक नीति दस्तावेज, नीति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पत्र माना है अभिभाषण के अन्दर मौजूदा सरकार के वर्तमान साल के कार्य का लेखा-जोखा और आगामी सरकार की रूपरेखा रेखांकित की जाती है।

सभापति महोदय, मैंने इस 40 पृष्ठीय अभिभाषण को पढ़ा। मैंने अभी बागीदौरा और बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य की प्रस्ताव के समर्थन में दी गई बेतुकी दलील भी सुनी। मुझे लग रहा था कि जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय ने पढ़ा उसकी इन्होंने पुनरावृत्ति की। सभापति महोदय, मैं इस नीतिगत दस्तावेज को पढ़कर कह सकता हूं कि इसमें कहीं विकास की रूपरेखा रेखांकित नहीं है, कहीं राजस्थान की अवाम को सुशासन देने के लिए कोई इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती। अगर मैं कहूं कि यह 40 पृष्ठीय अभिभाषण न केवल नीरस है बल्कि दिशाहीन और विकासहीन भी है।

सभापति महोदय, लोकतंत्र की मूल आत्मा हमारा संविधान है और जिस संवैधानिक कर्तव्य की हमने कल शपथ ली आर्टिकल 174 (1) में महामहिम ने सदन को आहूत किया, 176(1) के अन्दर उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए इस सदन में अभिभाषण पढ़ा और आर्टिकल 208(1) के तहत, जो विधान सभा के संचालन के नियम और प्रक्रिया बनी है, उसके तहत आज हम बहस कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं इस अभिभाषण के पृष्ठ 25 के पैरे को पढ़ रहा था, 'किसानों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने विधान सभा का विशेष सत्र आहूत करके तीन नये कृषि बिल पारित किये हैं। जिसका जिक्र अभी मुझसे पहले बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी किया और उन्हीं तीन बिलों पर महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर के बारे में कई बार कई तरह की टीका-टिप्पणी सदन के नेता ने भी की और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि बहुमत के आधार पर तीन बिल पारित हुए। पर सभापति महोदय, हमारे संघ का हमारे संविधान का मूल ढांचा संघीय ढांचा है और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अलग-अलग अधिकार दिया गया है। 24 सितम्बर, 2020 को जो तीन कृषि कल्याण बिल आए, जिन कृषि कल्याण बिल के अन्दर कई राजनीतिक दल अपना कल्याण ढूंढ रहे हैं, किसान के कंधे पर बंदूक रखकर, किसान कल्याण का ढोंग रच कर अपने चुनाव की वैतरणी पार करने की योजना बना रहे हैं, निश्चित तौर पर उन्हीं तीन बिलों को रिपील करने के लिए, वो तीन बिल इस राजस्थान में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लागू नहीं हों, ब्रूटल मैजोरिटी के आधार पर इस सदन के अन्दर उनको पास किया और उसी बिल के बारे में जिसमें आपत्ति दर्ज की, महामहिम राज्यपाल महोदय के विचाराधीन में है, उन्हीं के मुख से कहलवा दिया कि हमने ये बिल पास करवाए।

सभापति महोदय, संवैधानिक प्रावधान साफ हैं। आर्टिकल 246 के अन्दर सातवीं अनुसूची बनी है उसमें सेन्ट्रल लिस्ट है, 97 ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो अपना कानून बनाए। स्टेट लिस्ट है उसमें 66 ऐसे विषय हैं जिसमें राज्य सरकार को अधिकार है और कन्करेंट लिस्ट में 47 ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये जिन बिलों को कहते हैं असंवैधानिक हैं, जिन बिलों को लेकर व्यापक तौर पर राजनीति की जा रही है, सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33 (ख) और 33 (ग) और सेन्ट्रल लिस्ट की एंट्री 42 और 97 में प्रदत्त अधिकारों के आधार पर संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ये बिल बने।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान संविधान के आर्टिकल 252(2) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। संविधान का आर्टिकल 252(2) यह कहता है कन्करेंट लिस्ट के किसी विषय पर अगर विधान मण्डल कोई विधि बनाता है और अगर संसद कोई विधि बनाती है तो विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधि शून्य होगी और संसद द्वारा बनाई गई विधि ही मान्य होगी। मैं समझता हूं कि इस पैरे में जो उल्लेख किया गया है, अगर विधिवेत्ताओं से इसके बारे में राय ले लेते तो शायद इसका उल्लेख नहीं करते।

सभापति महोदय, इसी 10 फरवरी को लोक सभा के अन्दर और 8 फरवरी को राज्य सभा में प्रधान मंत्री जी ने एक बात कही। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा कि ये तीनों बिल जो केंद्र सरकार ने पारित किये, ये वैकल्पिक बिल हैं। इन बिलों से एपीएमसी एक्ट के तहत देश में बनी मंडियों की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी और एम.एस.पी. की व्यवस्था भी यथावत जारी रहेगी।

सभापति महोदय, अभी केंद्र सरकार का जो 2021-22 का बजट रखा गया, उसमें आपने देखा होगा कि हिन्दुस्तान में पहली बार गेहूं की खरीद के लिए 1 लाख 75 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया, सभापति महोदय, भूतो न भविष्यति। धान के लिए 1 लाख 75 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दाल की खरीद के लिए एम.एस.पी. के लिए 10 हजार 530 करोड़ का प्रावधान किया गया और कपास के लिए एक हजार करोड़ का। यह राशि पिछली बार जो एमएसपी में पूरे हिन्दुस्तान में खरीद हुई थी, उस प्रावधान से 18 परसेंट ज्यादा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की मंशा साफ है, एम.एस.पी. की व्यवस्था न केवल उसी तरह जारी रहेगी बल्कि उसको और सुदृढ़ किया जाएगा।

आज भी सदन के कई माननीय सदस्य तैयारी में जुटे हैं। कल राजस्थान की धरती पर राहुल जी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर राहुल जी नेता हैं, आएं और, सभापति महोदय, उस धरती पर आ रहे हैं, इसी कांग्रेस की हुकूमत में पीलीबंगा में, जहां जा रहे हैं वहां ठीकरी गांव हैं, ठीकरी गांव के सोहन लाल कड़ेल ने आत्महत्या की थी, वीडियो जारी हुआ। उसने आत्महत्या करने का कारण बताया कि सरकार ने सम्पूर्ण कर्जा माफी का जो वादा किया था वह कर्जा माफी नहीं हुई, मैं आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार राज्य के मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री हैं। मैं समझता हूं कि आप जरा राय दे दें कि कम से कम उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, उनको संवेदना देने के लिए राहुल जी अगर वहां जाएं तो बिल्कुल ठीक है।

सभापति महोदय, वैश्विक महामारी कोरोना जिस पर ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): वहां पर 200 लोग मर गए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज शांत रहें। माननीय सदस्य, बीच में इंटरवीन नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदया, जरा शांति रखो। सुनो तो सही।

श्री सभापति: आप अपनी जगह पर जाकर बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, वैश्विक महामारी का जिक्र इस सदन में बड़े लंबे-चौड़े व्याख्यान के साथ हुआ। प्रस्ताव का समर्थन दोनों माननीय सदस्यों ने किया। वैश्विक महामारी कोरोना निश्चित रूप से आई। इसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिलाकर के रख दिया। इस देश की अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं रही। उस किसान को तो धन्यवाद देना ही चाहिए कि इस विषम परिस्थिति के अंदर जहां हमारी जीडीपी माइनस 2 अंकों की ओर बढ़ गई, वहीं इस हिन्दुस्तान के किसान ने धरती का सीना चीरकर इतना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अन्न पैदा किया कि हमारी कृषि विकास दर में बढ़ोतरी 3.4 प्रतिशत की हुई। इसके पीछे कारण भी है कि केन्द्र सरकार ने जो विभिन्न समयों के अंदर किसान कल्याण की योजनाएं कीं, 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करने की परिकल्पना को साकार करने के लिए जो आगे बढ़े हैं, यह उसी का परिणाम है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि इस बार का अगर आप यूनियन बजट देखें, 'भूतो न भविष्यति' साढ़े 16 लाख करोड़ हिन्दुस्तान के किसानों को अनुदानित दरों पर, ब्याज पर उनको ऋण मिले, इस प्रकार की व्यवस्था 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधान मंत्री जी ने की है। यही नहीं, साढ़े 7 करोड़ रुपये डायरेक्ट बैनेफिट ट्रांसफर टू किसान, चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे खाद और फर्टिलाइजर में सब्सिडी की बात हो, यह पहले कभी नहीं हुआ। जिस बात को लेकर सत्ता में बैठे माननीय मंत्रीगण और मुख्य मंत्री भाषण देते हैं कि मंडी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी, उसी एपीएमसी एक्ट के तहत गठित मंडियों को आधुनिक और आधारभूत संरचनाओं से जोड़ने के लिए पहली बार हिन्दुस्तान में एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम से एक नया फंड बनाया गया है।

सभापति महोदय, मेरी बड़ी दृढ़ मान्यता है कि राजनीतिक चश्मे से किसी कानून की व्याख्या गलत की जा सकती है, लेकिन झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन यह विडम्बना है कि इस हिन्दुस्तान की राजनीति में एक नई संस्कृति प्रारम्भ हो गई। देश के प्रधान मंत्री जी ने जिस चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर मैंडेट लिया, जब उन बातों को कानूनी जामा पहनाना चाहा, तब राजनीतिक चश्मे के आधार पर, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उनका विरोध प्रारम्भ हो गया।

सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि 12 दिसम्बर, 2019 को इस देश में नागरिकता संशोधन विधेयक आया, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि जो पड़ौसी देश से लुट-पिटकर आ गये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, धार्मिक आधार पर जो लुटकर आया है, आप तो साक्षी रहे हैं कि 1971 के अंदर इस राजस्थान की सरजमीं पर 20 लाख के लगभग लोग आए जो अपना सब कुछ छोड़कर के आ गये थे, आज वह पाक विस्थापित हैं। उनको जब नागरिकता देने की बात आई तो कहा गया कि यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तो अल्पसंख्यकों की नागरिकता लेने का कानून आ गया और शाहीन बाग़ जैसी घटनाएं इस मुल्क के अंदर हुई।

सभापति महोदय, यही नहीं जम्मू और कश्मीर जिसको हम मुकुट कहते हैं, वह हमारे पुराने नेताओं की संवैधानिक भूल के कारण से हमारे नक्शे से थोड़ा-सा अलग दिखता था। अब 5 अगस्त, 2019 को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्ताव पारित करके धारा 370 खतम हुई, 35 ए खतम हुई, उन्हीं श्यामा प्रसाद जी को श्रद्धांजलि लगी जिन्होंने इसके लिए अपना बलिदान दिया। हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने कहा कि वक्त आ गया जम्मू-कश्मीर में रक्तरंजित क्रांति हो जाएगी। आज क्या हुआ, सबके सामने है।

सभापति महोदय, मैं कोई बात को कहकर उत्तेजना पैदा नहीं करना चाहता। आप मुझे जानते हैं, बरसों से जानते हैं। 496 साल का लंबा संघर्ष रहा। राम भक्तों के मन में पीड़ा रही। लाखों लोगों की कुर्बानियां राम मंदिर के निर्माण में रहीं। 5 अगस्त को देश के प्रधान मंत्री जी ने राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट में जो एफिडेविट दिया गया, वह कपिल सिब्बल जी ने दिया। उसमें कहा कि राम सेतु की बात कपोल कल्पित है। राम का अस्तित्व नहीं था। नासा के वैज्ञानिकों ने शोध किया, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने शोध किया और उसके बाद यह माना कि राम सेतु मानव निर्मित है।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): जय श्री राम।

अनेक माननीय सदस्य: जय श्री राम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि अभी 72वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया। मैं इस 72वें गणतंत्र दिवस पर सदन के नेता मुख्य मंत्री जी का भाषण सुन रहा था। यह दिन देश के लिए जिन्होंने शहादत दी थी उनको नमन करने का था। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा? देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। देश में संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो गई हैं, न्यायपालिका को नहीं छोड़ा। मैं समझता हूं कि अच्छा रहता, आपको याद होगा कि एक समय ऐसा था जब इस हिन्दुस्तान के अंदर लोकशाही पर राजशाही के बादल मंडराये थे। देश में आपातकाल लगा था। उन 18 महीनों के लिए सारे संवैधानिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। आज वही लोग इस 26 जनवरी को जो मंजर हमने देखा, लाल किले की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्राचीर से देश के स्वाभिमान के प्रतीक झंडे का जिन लोगों ने अपमान किया, उन लोगों का समर्थन हम लोग करें ...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि राष्ट्र ध्वज का अपमान ...(व्यवधान)

श्री सभापति: शांत रहें ...(व्यवधान) किसी का अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। ...(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) विराजिए। विराजिए। एक मिनट, माननीय सदस्य, अगर सदन नहीं चलाना है तो मैं कल तक के लिए स्थगित कर देता हूं ...(व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। एक वरिष्ठ माननीय सदस्य बोल रहे हैं और आप बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा बीच में। कृपया शांत रहें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांत रहें। कृपया आप अपने स्थान पर जाइए। बैठे-बैठे बोलने की गलत आदतें डाल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इस सदन के अंदर कुछ मेरे जैसे शरीफ लोग भी हैं। जब उधर से जोर से बोलते हैं, यह कलियुग है, कुंभी पाक कलियुग है। संयम लोढ़ा जोर से बोले और मैं हिलने लग गया। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि कोई न कोई तो कारण है कि कभी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में एक ही पार्टी का शासन था, जो आज साढ़े 3 राज्यों में जाकर सिमट गई।

सभापति महोदय, मैं इस अभिभाषण के पैरा 65, 66, 67 और 68 की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से कहलवा दिया कि प्रदेश में माकूल कानून-व्यवस्था है। महिला अत्याचारों पर बड़ा नियंत्रण किया है। अत्याचारियों, अपराधियों के विरुद्ध त्वरित न्याय हो, उनको सज़ा मिले, इसका प्रावधान भी किया है। यह सही है कि लोकतांत्रिक पद्धति से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चुनी हुई सरकार से आम नागरिक की एक ही अपेक्षा रहती है कि उसका अमन-चैन से, सुकून से रहने का अधिकार सुरक्षित रहे।

सभापति महोदय, इसी कानून की बेहतरी का दावा पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए यह जो जन घोषणा-पत्र है, इसके पृष्ठ 35 में इन्होंने कहा है कि पारदर्शी, जवाबदेही, संवेदनशील सरकार आएगी और पूर्ववर्ती सरकार की जर्जर कानून-व्यवस्था को देखते हुए अपराधों की रोकथाम करने के लिए हम विशेष अभियान चलाएंगे। मंत्री महोदय, हाल ही में, दिसम्बर में राजस्थान पुलिस का अपराध प्रतिवेदन एक ओथेंटिक डाकूमेंट और दिसम्बर, 2009 में नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें आंकड़े चीख-चीखकर कहते हैं कि राजस्थान में आम आदमी दहशत की जिंदगी जीने को मजबूर है। यह मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। पुलिस का जो ध्येय वाक्य था, 'आमजन में विश्वास और अपराधी में भय', आज सुबह आपने देखा कि जिस प्रकार का मंजर इस सदन में था, अब 'अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय' हो गया।

सभापति महोदय, आज प्रतिदिन समाचार-पत्रों की सुर्खियों में वह लोमहर्षक घटनाएं दर्ज होती हैं, वह दिल दहला देती हैं। सभापति महोदय, आप जैसे व्यक्ति के जिले में, नीमकाथाना में दुल्हन की डोली लूटी जाए। बांसवाड़ा में नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप हो जाए, सिरोही में जहां से संयमजी आते हैं, मासूस बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए, गंगानगर में सुनसान जगह पर बच्ची स्कूटी पर जा रही है, उसको रोककर बलात्कार हो जाए, बारां में एक साथ दो बहनों के साथ बलात्कार हो जाए। माननीय सभापति महोदय, सीकर में आपके यहां आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची, मुझे बताया गया, उस पूरे दिन, एक संवेदनशील प्रतिनिधि के मन में आपको कितनी तकलीफ हुई। इसी 18 जनवरी को बाड़मेर में रास्ता रोकना पड़ा। बलात्कार के बाद हत्या और हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं। अजमेर हो, जयपुर हो, अलवर हो, भरतपुर हो, हनुमानगढ़ हो, किस-किसकी बात करूं, इस 26 जनवरी को परबतसर में जिस प्रकार की वीभत्स घटना हुई, उसका जिक्र सदन में करते हुए मैं शर्म महसूस करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस जर्जर कानून व्यवस्था में न मंदिर में पुजारी सुरक्षित है न मूर्ति सुरक्षित है। करौली के बूकना गांव में धू-धू करके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक पुजारी को जला दिया गया। गंगानगर के चुनावड़ में गुरुग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप को जबरन हथियार के बल पर लोग उठाकर ले गये।

माननीय सभापति महोदय, आपने पढ़ा होगा, इसी दस दिन के अंदर इस जयपुर में जैन मंदिरों में, मालवीय नगर, फागी, किशनपोल के अंदर चोरियां, उसके बाद आपने घोषणा पत्र में क्या लिखा था, आपने कहा था कि हम पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। यह आपका घोषणा पत्र है, मैंने नहीं कहा था। आज राजस्थान की पुलिस, आम आदमी कहता है कि पब्लिक फ्रेंडली नहीं, यह अपराधी फ्रेंडली पुलिस हो गई।

माननीय सभापति महोदय, आप गांव से पधारे हैं। गांव की चौपाल हमारे सामाजिक जीवन का अंग है, आज गांव की चौपाल सुरक्षित नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरे गृह जिले के अंदर मैंने आज सुबह भी उसकी बात करनी चाही, हमीरवास थाने के अंदर जो ढाणी मौजी है उसकी घटना देखता हूं तो पुरानी फिल्में याद आती हैं साउथ की। गांव में चौपाल में लोग बैठे हैं, आधा दर्जन बदमाश आते हैं एक जीप और दो मोटरसाइकिलों पर, धांय, धांय, धांय, फायरिंग करते हैं, दो निरपराध लोग, एक सेवानिवृत्त अध्यापक निहाल सिंह और दूसरा अध्यापक ईश्वर सिंह सहित, प्रदीप स्वामी, उसको मार देते हैं, दो लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। कितने दुर्दांत हैं ये अपराधी। भागते हैं, एक अपराधी पीछे रह जाता है, एक की मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती है, भागते अपराधी आगे बढ़े, अपराधी पीछे मुड़ता है और जो पीछे रह गया अपराधी उसको गोली मार देता है। इस प्रकार के खतरनाक लोग हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज जेलों के अंदर शेखावाटी में गैंग चल रही हैं। आज अपराधी जेलों में बैठे गैंगों का संचालन कर रहे हैं। आज यह जो मैं घटना बता रहा हूं, तीन वर्ष पहले अजय जैतपुरा की भरी अदालत में हत्या हुई थी। एकमात्र चश्मदीद गवाह था, प्रदीप स्वामी। अभी 15 दिन बाद गवाही देने वाला था, सम्मन किया हुआ था, गवाही दे नहीं पाये इसलिए उसको गोली से उड़ा दिया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): गनमैन दे रखे थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां, गनमैन दे रखे थे। माननीय सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य है कि इसको जब जान का खतरा था तो पहले गनमैन दिये, इस पर भी एक हत्या का मामला था प्रदीप स्वामी पर, हमीरवास के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अंदर एक हत्या में, इस पर पुलिस तलाश करती है, 5 हजार का इनामी, इस पर 3 दिसम्बर, 2020 को इनाम घोषित करती है, उसके बाद 8 जनवरी को इसकी सुरक्षा वापस लेती है। पुलिस इनाम घोषित करने से पहले कहती है कि हमें मिल नहीं रहा है, उसकी पत्नी सुरभि बीडीसी में पंचायत समिति का चुनाव लड़ती है, निर्दलीय जीतती है और यह स्टार प्रचारक बनकर प्रचार करते हैं। यह पुलिस की व्यवस्था देखिए, 5 हजार के इनामी को पुलिस नहीं ढूंढ पाई और गैंगस्टर आते हैं पंजाब और हरियाणा से, धांय, धांय करके गोलियां चलाकर, मारकर चले जाते हैं। इस प्रकार की कानून व्यवस्था मैं समझता हूं कि हमारे सबके लिए चिंता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, आपने घोषणापत्र में 35 नम्बर पृष्ठ पर एक और घोषणा की है, पुलिस के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, हम उनके कल्याण हेतु पुलिस कल्याण बोर्ड बनाएंगे। पुलिस कल्याण बोर्ड तो कहां का कहां चला गया पर इस बार पुलिस ने पिटाई का रिकार्ड जरूर बना लिया। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस सदन के अंदर। हर सप्ताह इस राजस्थान में दो जगह पर पुलिस की पिटाई हो रही है। धौलपुर में हैड कांस्टेबल की पिटाई भी कर दी और गोली भी मार दी। अभी करधनी इलाके के अंदर, जयपुर के अंदर, पुलिस डीजे बंद करवाने चली गई, लोगों ने मार-मारकर पुलिस को भगा दिया। बौंली के अंदर पुलिस माफिया ने एसडीएम बद्रीनारायण की उपस्थिति में उसको भी ठोका और पुलिस को भी ठोका। टोडारायसिंह के अंदर ट्राली जब्त कर ली उन्होंने, पुलिस को पीटकर बदमाश बजरी से भरी ट्राली ले गये। मैं समझता हूं कि यही सम्मान और पुलिस का इकबाल जितना इस वक्त टूटा है, उतना कभी नहीं टूटा।

माननीय सभापति महोदय, आज जेलें पनाहगाह हो रही हैं, ऐशगाह हो रही हैं इन अपराधियों के लिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ही राजस्थान के गृह मंत्री हैं, इसकी जानकारी किसी को हो या नहीं हो, पर इस राजस्थान के चप्पे-चप्पे पर लारेंस विश्नोई कौन है, राजू ठेहट की कौनसी गैंग चल रही है, सम्पत नेहरा की कौनसी गैंग चल रही है, आनन्दपाल के गुर्गे कौन-कौन हैं, पाण्डिया की गैंग क्या कर रही है, सोशल मीडिया पर गैंगस्टर वहां से पोस्ट जारी कर रहे हैं। मोबाइल से सोशल मीडिया पर धमकी देते हैं, रंगदारी के लिए उसका इस्तेमाल करें। यह कानून व्यवस्था जिसका जिक्र आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया, वह साफ है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, इसी 31 दिसम्बर को पुलिस के मुखिया डीजीपी ने एक प्रेस कांफ्रेंस की और कहा कि बड़ी माकूल कानून व्यवस्था है। इसी जन घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि जर्जर कानून व्यवस्था थी। मैं दो-चार आंकड़े देकर आगे बढ़ूंगा। हत्या, 2018 के अंदर 1508 प्रकरण दर्ज हुए और 2020 में इनकी संख्या 1719 थी, 13.99 परसेंट की वृद्धि हुई। हत्या के प्रयास में 1659 मामले दर्ज हुए 2018 में, 2020 में 2062 हुए, 24 परसेंट की बढ़ोतरी। बलात्कार में मामले दर्ज हुए 2018 में 4335 और 2020 में 5310, यानी 22.49 परसेंट की बढ़ोतरी।

माननीय सभापति महोदय, बलात्कार और महिला उत्पीड़न में देश के अंदर हमारा राजस्थान जो शांतिप्रिय प्रदेश था, दूसरी पायदान पर खड़ा है। 12 महीने में राजस्थान के अंदर, मैं नहीं कह रहा, पुलिस का खुद का प्रशासनिक प्रतिवेदन कह रहा है, पुलिस की रिपोर्ट कह रही है, आथेंटिक डाकूमेंट कह रहा है, 5310 हमारी अबलाओं की इज्जत लूटी गई। यानी सुबह से शाम होती है, राजस्थान के किसी न किसी कोने पर 16 अबलाओं की इज्जत लूटी जाती है, 7 हत्याएं होती हैं, माथे से सिंदूर मिटता है। इस प्रकार की जर्जर कानून व्यवस्था है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, महिला अत्याचार के अंदर 2020 में 34,00,368 मामले दर्ज हुए, यानी 95 महिलाएं इस राजस्थान में किसी न किसी प्रकार के दुष्कर्म से पीड़ित और प्रताड़ित होती हैं और पुलिस में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवाती है। अनुसूचित जाति की बात करूं तो सबसे ज्यादा जिस समाज ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार जब इन्होंने वादा किया उसको छोड़कर इनकी तरफ देखा तो एससी के लोग थे। 2018 में 4607 मुकदमे दर्ज हुए और 2020 आते-आते 7017 यानी 52 परसेंट अपराधों की बढ़ोतरी इन 2018 और 2020 की तुलना में, यह है इनका चेहरा।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति के अंदर 2018 में 1095 मामले दर्ज हुए, 2020 में 1878, यानी 71 परसेंट की बढ़ोतरी। माननीय सभापति महोदय, अपराध हो जाएं, अपराध न पहले रुका न अब, अपराधी अपराध करेंगे पर अपराधी पर कार्यवाही क्या हो, अपराधी का न्यायालय में चालान कितना हो, यह मैं पुलिस प्रतिवेदन से, जो इन्हीं का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रतिवेदन है उसी से बताना चाहता हूं। आपके 2020 में 31 दिसम्बर तक 1719 हत्याओं के मामले दर्ज हुए, आपने चालान किया 887, यानी 832 हत्यारे या तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं या जेरे अनुसंधान करके अभयदान दिया गया है। बलात्कार का मैंने जिक्र किया, 5310 में 2582 यानी 2700-2800 बलात्कारी आज पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।

माननीय सभापति महोदय, इन सबके पीछे कारण भी है। आज नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट और पुलिस का अपराध प्रतिवेदन यह कहता है कि दो चीजें प्रमाणित हो गई हैं। इस राजस्थान में पुलिस प्रशासन की लचर कानून व्यवस्था है। पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया है। इन्होंने जितने दागी लोग थे, उन दागी लोगों को फील्ड में पोस्टिंग देने का कीर्तिमान स्थापित किया है।

माननीय सभापति महोदय, अभी उद्योग मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मनीष अग्रवाल, +++ वहां एसपी लगा, लगना चाहिए, +++ संभाग में लक्ष्मण को डीआईजी लगाया। मनीष अग्रवाल आज एसपी आईपीएस जेल के सींखचों के पीछे है और लक्ष्मण अग्रवाल का दलाल प्रमोद शर्मा है, इसको भी पकड़ रखा है।

(15.00 बजे)

दोनों से पूछ क्या हो रही है कि कौन-कौन से एसएचओ से कितनी-कितनी मंथली लिया करते थे। यह घर-घर की कहानी है। आज थाना और कचहरी नीलाम हो रहे हैं। हर थाने से मंथली जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, मनीष अग्रवाल 2018 में बाड़मेर में एसपी बने, तीन महीने में हमारे गृह मंत्री जी ने इसलिए हटाया क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत 16 सीसीए की कार्यवाही पेंडिंग थी। सभापति महोदय, उदयपुर रेंज जहां से प्रतिपक्ष के नेता आते हैं, वहां सारे सम्भाग का जो नेतृत्व कर रहे हैं, वे वही हैं जो कोटा में एसपी थे। कोटा में वे रंगे हाथ रिश्वत में पकड़े गये। सुप्रीम कोर्ट से जमानतशुदा हैं। उदयपुर का डीआईजी जमानतशुदा है, जिस पर अपराध का मुकदमा चल रहा है।

अभी हाल ही में इन्होंने एक और कृपा की। एक सीआई था जोधाराम गुर्जर। उसे बर्खास्त किया गया, क्योंकि उसकी फोटो छपी थी। प्रतिपक्ष के नेता जी, उसका वीडियो वायरल हुआ था गैंगस्टर के साथ गोवा में, वह पंद्रह लाख रुपये की रिश्वत देते गिरफ्तार हुआ। आज उसे भी वापस बहाल कर दिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा, परंतु मैं सदन में उन सर्कुलर्स की बात जरूर करूंगा जो पुलिस ने खुद ने जारी किये। यह पहला सर्कुलर है, ''कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, क्र सं. 1505./पुलिस/ ए.नी./ग्रुप-2/2010/27139/01.09.2010 इसमें लिखा है कि पूर्व में दिये गये परिपत्रों के अनुसार निदेश किया जाता है कि पुलिस विभाग में पदस्थापित पुलिस अधिकारी, जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हों अथवा कार्य के प्रति उदासीनता, अकर्मण्यता, गम्भीर दुराचरण, आपराधिक सांठगांठ की संलिप्तता हो और नियम 16 सीसीए के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो, उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं देनी है।" एक नहीं, इसी तरह का एक परिपत्र 07 फरवरी, 2005 को जारी हुआ, ''जिन पर निशान हैं, जो दागी हैं, जिन लोगों पर 16 सीसीए की कार्यवाही चल रही है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग न दें।'' यह 2010 में जारी हुआ, 2005 में जारी हुआ, 2003 में जारी हुआ और यह 2001 में जारी हुआ। मैं इन सारे परिपत्रों का उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं यह पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से, पता नहीं बताएंगे कि नहीं बताएंगे, इन परिपत्रों की अवहेलना में आपने इन दागी लोगों को सम्भाग और जिला कैसे सम्भला दिया, इसके बारे में निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए। सभापति महोदय, अब इन सबके पीछे जो भ्रष्टाचार की बू आती है, मैं समझता हूं आपने आज ही समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, मनीष अग्रवाल की जमानत पर एसीपी कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की, ''आम आदमी में धारणा है कि इस राज्य में रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं इनकी जमानत खारिज करता हूं।'

सभापति महोदय, जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 16(32) में इन्होंने जीरो करप्शन की बात कही। मैं आपके सामने ''ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल'' की ताजा रिपोर्ट रखता हूं। आप कहें तो मैं टेबल कर दूंगा। यह ''ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल'' सरकारी संस्थानों में किन-किन राज्यों में कितना-कितना भ्रष्टाचार है, इसकी Corruption Perception Index In Rajasthan, फिर कह रहा हूं, Corruption Perception Index In Rajasthan, मंत्री महोदय, उसकी रिपोर्ट में सर्वेक्षण के बाद लिखा है, ''78 परसेंट लोग राजस्थान के यह मानते हैं, बिना रिश्वत के इस राजस्थान के शासन में कोई काम नहीं होता।'' सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रहा, एक आथेंटिक डाकूमेंट कह रहा है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, आगे ये क्या कहते हैं, ''54 परसेंट लोगों ने सर्वेक्षण में यह कहा कि हमने अपना काम रिश्वत देकर कराया।'' आपने घोषणा पत्र में कहा था न कि हम जवाबदेही कानून लाएंगे। फिर क्यों परहेज कर रहे हैं उससे? सभापति महोदय, लोकायुक्त एक संस्था है, जिसमें मंत्री हों, चाहे संतरी हों, उच्च पदस्थ लोगों की शिकायत हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, आप तो बड़े जीरो करप्शन की बात कर रहे थे, कारण बताएं, आज 23 महीने से लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त के पद क्यों खाली हैं? इन 23 महीनों में 4700 परिवाद आये हैं। परिवाद कोई मेरे लिए नहीं, परिवाद उन लोगों ने दिये हैं, जो उच्च पदस्थ लोगों पर भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं। ''वाह रे सरकार, तेरे दो साल बड़े बेमिसाल।'' मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय, इस अभिभाषण के पैरा 93, 94 और 95 में बेरोजगारों को रोजगार देने और नौकरी देने की बड़ी बात कही गयी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन में जो 0.5 फीसदी के कम मतों से सत्ता मिली, उसमें बेरोजगारों का बड़ा योगदान था। उसमें जब यह कहा गया कि तुझे 3500 रुपये मिल जाएंगे, 10+2 पास होना चाहिए, तेरा एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम होना चाहिए।

सभापति महोदय, ''Centre For Monitoring Indian Economy'' की रिपोर्ट भी मैं लेकर आया हूं। मैं बिना आधार के कोई बात नहीं कहना चाहता। सभापति महोदय, उस समय 22 लाख लोग ऐसे थे जो 3500 रुपये भत्ते के हकदार थे, आप कितनों को दे रहे हैं? अभी सितम्बर की रिपोर्ट मेरे पास है, उसके बाद की रिपोर्ट मैं निकाल नहीं पाया। उसमें ''Centre For Monitoring Indian Economy'' ने कहा, ''देश में सर्वाधिक बेरोजगारी है 28.2'', ''यूपी के बाद दूसरे नम्बर पर राजस्थान है''। राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार का सपना देने वाली सरकार का यह असली चेहरा है।

सभापति महोदय, जब माफिया को पनपने का मौका मिलता है तो हर क्षेत्र में माफिया हैं। आजकल इस राजस्थान में ब्याज माफिया और सूदखोर माफिया खूब हैं। ये माफिया शहर में बजरी माफिया से भी बड़े खतरनाक हैं। सभापति महोदय, इनका जाल बड़ी मजबूती से फैल रहा है। आज अगर पैसों की आवश्यकता होती है तो पहले उससे खाली चैक ले लेते हैं, स्टाम्प पर दस्तखत करवा लेते हैं, फिर भारी ब्याज दर पर उसे रकम उधार देते हैं। रकम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं चुकायी तो चैक भरकर Negotiable Instruments Act, 1881 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। खाली स्टाम्प पर उसकी सम्पत्ति लिख ली जाती है।

सभापति महोदय, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि इनसे त्रस्त होकर सामूहिक आत्महत्या का एक दौर प्रारम्भ हो गया। कितनी पीड़ा होती है, इसी 07 जनवरी को एक सब्जीवाला गिर्राज मीणा, ब्याज माफिया ने उसे पैसे देने के लिए कहा, घबराकर उसने पहले तो अपनी पत्नी को मारा, दो बच्चों की हत्या की और फिर फांसी पर लटक गया। आपके इलाके खण्डेला में सुखदेव शर्मा का किस्सा श्रीमान को पता होगा। जोबनेर में उनका लड़का थानेदार है। सुखदेव शर्मा ने सूदखोरों से पैसा ले लिया। सूदखोरों ने धमकी दी, सुसाइड नोट लिखकर गया। आज तक कोई कार्यवाही नहीं। आत्महत्या कर ली सूदखोरों के लिए। राजधानी में यशवंत सोनी अपनी पत्नी, लड़का अजीत, भारत सहित खुद सामूहिक फांसी पर लटक गये, सुसाइड नोट लिखकर गये।

मंत्री महोदय, मैंने यह बात इसलिए कही, क्योंकि यह कोई आज की बात नहीं है। राजस्थान में Rajasthan Money Lenders Act, 1963, राजस्थान साहूकारी अधिनियम, 1963 है। लागू है, पर सरकार नहीं लागू कर रही इसे। उसके सैक्शन (7) में लिखा है कि आपको अगर किसी को ब्याज देना-लेना है और अगर आपको साहूकारी का काम करना है तो सैक्शन (7) में लाइसेंस लो, हर साल उसका नवीनीकरण कराओ। सैक्शन (22) में जो शर्तें हैं, उनका उल्लंघन किया तो सज़ा का प्रावधान है। सैक्शन (27) में लिखा है कि मूल से ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते आप। सैक्शन (29) में लिखा है कि ब्याज की दरें सरकार हर साल निर्धारित करेगी, इसका प्रावधान है। मैं सरकार से मांग करता हूं, इन सूदखोरों-ब्याजखोरों पर अंकुश लगाने के लिए यह जो मैंने कहा आपको "राजस्थान साहूकारी अधिनियम, 1963" इसमें रूल (48), मंत्री महोदय, रूल (48) में नियम बनाएं, राजस्थान को बचाएं। मैं समझता हूं, यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा काम होगा।

सभापति महोदय, आज मैं अख़बार में पढ़ रहा था। इन्होंने कहा, जो क्रेडिट सोसाइटियां हैं, उनकी फोरेंसिक आडिट करवाएगी सरकार। मतलब पैसा उन्होंने किस रूट से लिया। यह आदर्श क्रेडिट सोसाइटी लाखों लोगों के पैसे खा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गयी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जब 31 जुलाई को "The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019" भारत सरकार ने, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह क्रेडिट सोसाइटी वाला आपका आदमी है या नहीं, यह तो बताएं पहले। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कोई बात नहीं, आपका तो नहीं है न?

सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतनी-सी बात कह रहा हूं कि भारत सरकार ने कानून बनाया था The Banning of Unregulated Deposit Act, 2019, उसमें 44 धाराएं हैं। उस एक्ट को गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार की सरकार ने बना लिया। हमारी सरकार को क्या करना था? सैक्शन (38) में नियम बना लेते। मतलब कहना कुछ और करना कुछ।

सभापति महोदय, एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां किसान कर्जे की बड़ी बात हो रही है। इस अभिभाषण में भी किसान की बहबूदी, किसान के कर्जे की बात की। कोई ऐसा दिन नहीं गया जब किसान कर्जे को लेकर मुख्य मंत्री जी और बाकी मंत्रीगण ने भाषण नहीं दिया होगा। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि अभी कल ही राहुल बाबा आ रहे हैं फिर किसान कर्जे की बात चलेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपने कहा कि किसान का कर्जा माफ करेंगे तब 31 मार्च, 2018 तक राजस्थान में किसान का कुल कर्जा 99 हजार 996 करोड़ रुपये था और आपने सिर्फ 6 हजार करोड़ रुपया माफ किया, चलो ऊंट के मुंह में जीरा। मैं निवेदन करूं कि आपने सहकारी बैंक का कर्जा माफ किया पर नेशनलाइज बैंक, शिड्यूल्ड बैंक और आरआरबी, जिन्होंने ऋण ले लिया 7 प्रतिशत पर, और एक सद्भावी किसान जिसने पैसा ले लिया, समय पर पैसा चुका दिया, यह सदन है जो आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कर रहा है और इसकी एक सैंक्टिटी है, इसकी एक पवित्रता है। इसी सदन में पिछली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद का प्रत्युत्तर देते हुए सदन के नेता ने जो कहा, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। तारीख 23 जनवरी, 2019 है। सदन के नेता बोलते हैं- 'भूमि विकास बैंक और सी.सी. बैंक में जो अवधिपार कृषक हैं, लघु और सीमांत हैं, उनके भी समस्त ऋण माफ किये जाएंगे, यह मैं घोषणा करना चाहता हूं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके कारण 80 हजार हैक्टेयर, चार लाख बीघा कृषि भूमि गिरवी रखी हुई है वह मुक्त होगी।' आगे सुनें। 'नेशनलाइज बैंक, शिड्यूल्ड बैंक और आरआरबी में जो एनपीए की मैंने घोषणा कर रखी थी कि पहले जो डिफाल्टर हैं, उनके बारे में हमने घोषणा की थी कि उनके दो लाख रुपये तक के कर्जे माफ होंगे। इसको लेकर हमने बैंकों से बातचीत शुरू कर दी है। जिस प्रकार से उद्यमियों के, व्यापारियों के वन टाइम सैटलमेंट करते हैं-ओटीएस, उस रूप में ओटीएस के माध्यम से हम सैटलमेंट करेंगे, जिससे जो भी किसान है उसका दो लाख तक का कर्जा माफ हो सके। प्रधान मंत्री जी को हमने पत्र लिखा है कि आप स्वयं आगे आकर कर्जा माफ करें। हम इसका इंतजार नहीं करेंगे।' क्या कह रहे हैं मुख्य मंत्री जी? 'हम इसका इंतजार नहीं करेंगे परन्तु मैं वादा करता हूं कि हमारी सरकार ऐसे किसानों का पूरा कर्जा माफ करेगी।' पाली से आने वाले माननीय सदस्य, यह सदन के नेता कह रहे हैं 23 जनवरी, 2019 को। आगे क्या कहते हैं- 'सद्भावी किसानों के लिए स्पेशल पैकेज बने, इसके लिए मैं आपसे सब्मिशन करना चाहूंगा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखण्ड, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब इत्यादि में जो गुड बोरोअर हैं, जो टाइम पर चुकाते हैं, उनके लिए स्कीम बनी है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इन तमाम राज्यों की स्टडी करके, इन सबसे अच्छी योजना, स्पेशल योजना बनाएंगे जिस योजना के आधार पर हम ऐसे किसानों को भी राहत दे सकें।' यह मैंने नहीं कहा, यह आथेंटिक डाक्यूमेंट कह रहा है जो रिकार्ड पर है।

अब हो क्या रहा है? नेशनलाइज बैंक, शिड्यूल्ड बैंक, आरआरबी से जिस किसान ने कर्जा लिया उसको जीरो इंटरेस्ट पर नहीं, उसको साढ़े सात परसेंट से ग्यारह परसेंट तक ब्याज देना पड़ता है। सभापति महोदय, उस किसान ने पैसा चुकाया नहीं और आज वह किसान ब्लैकलिस्ट हो गया, कोलैटरल मोर्गेज पर रखी उसकी जमीनें नीलाम हो रही हैं और मुख्य मंत्री जी पत्र लिखो, पत्र लिखो, यह खेल खेल रहे हैं। साफ क्यों नहीं कह देते कि हम इन किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाएंगे। ये 22 लाख किसान हैं, एक-दो किसान नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा अन्याय क्या होगा और ये स्पेशल स्कीम बनाने की बात कह रहे हैं गुड बोरोअर के लिए। आपने कह दिया कि हम स्टडी कर रहे हैं तो वह अध्ययन कब पूरा होगा? इस अध्ययन में, मैं समझता हूं कि मेरे मित्र आज हैं नहीं, अध्ययन करने का रिकार्ड भी हमने खूब बनाया, एक ही क्लास में कई-कई वर्ष अध्ययन किया है और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शायद उसी तर्ज पर यह सरकार पता नहीं कितने वर्ष अध्ययन करेगी। मैं समझता हूं कि कम से कम महात्मा गांधी के लिए तो चिंता मत करो पर राहुल जी, इन गांधी जी के लिए करो जो कल आ रहे हैं। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

सभापति महोदय, अब एक ध्येय वाक्य जो सरकार का है उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, सरकार हमेशा कहती है कि पांच साल तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगी। सभापति महोदय, मैं इसी फरवरी, 2020 से नवम्बर, 2020 तक का बताऊंगा कि जो विद्युत कम्पनियां हैं उन्होंने इस समय में तीन बार दरें बढ़ायी हैं। कभी टैरिफ के नाम पर, कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर, कभी फिक्स चार्ज के नाम पर, कभी एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर। ये अडानी जी का बड़ा नाम लेते हैं तो अडानी का जजिया कर मैंने लगाया है? यह 2700 करोड़ रुपये, कुल 5400 करोड़ रुपये, 5 पैसे राजस्थान का एक करोड़ 52 लाख उपभोक्ता दे रहा है। अब क्यों नहीं बोलते? आप तो कई बार आरोप लगाते हो न अडानी जी का नाम लेकर। यह जजिया कर का पैसा भी आज राजस्थान का उपभोक्ता दे रहा है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, इन्होंने वादा क्या किया? मैं इसी अभिभाषण में देख रहा था, इन्होंने कहा कि विद्युत क्षमता अर्जित कर हम विद्युत दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गये, बड़ी अच्छी बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप विद्युत दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गये पर, सभापति महोदय, मेरा आंकड़ा लिखना, पिछले दो वर्षों में औसतन 18 हजार 246 मिलियन यूनिट बिजली आपने प्राइवेट कम्पनियों से खरीदी, निजी बिजली उत्पादनकर्ता से खरीदी। रेट क्या? 2 रुपये 71 पैसे से लेकर 4 रुपये 70 पैसे। कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, यह चांदी कूटने का काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। आज महाराष्ट्र के बाद में सर्वाधिक महंगी घरेलू बिजली है तो वह राजस्थान में है। आपने फरवरी, 2020 में नियामक आयोग में पिटिशन लगाकर 14 परसेंट दरों को बढ़ाया, आपने औसतन 95 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिये और फिक्स चार्ज में एक रुपया 15 पैसे बढ़ा दिये। सभापति महोदय, वैरिएबल कोस्ट के नाम पर फ्यूल चार्ज और फ्यूल चार्ज को आपने 28 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 98 पैसे प्रति यूनिट कर दिया। मैं समझता हूं कि जब कोरोना की वैश्विक महामारी से त्रस्त व्यापारी फिक्स चार्ज को खतम करने की मांग कर रहे थे, आपने किया क्या? एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर दो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महीनों के बराबर एडिशनल सिक्योरिटी दें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप ही सुन सकते हो, बाकी तो सुनें नहीं कोई। 42 लाख 25 हजार उपभोक्ताओं को नोटिस दे दिया और कम से कम साढ़े सात सौ और बीस हजार तक की राशि के दे दिये। मैं आपको निवेदन करूं, आज आप कितना पैसा ले रहे हो? आज प्रदेश में उपभोक्ता पर टैरिफ के अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 40 पैसे प्रति यूनिट, फ्यूल चार्ज पर 58 पैसे प्रति यूनिट...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बहुत बोल लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मेरा समय है। अडानी चार्ज के नाम पर 5 पैसे प्रति यूनिट, अरबन सैस के नाम पर 15 पैसे प्रति यूनिट और जल संरक्षण उप कर के नाम पर 10 पैसे प्रति यूनिट। आज अगर उपभोक्ता प्रति यूनिट बिजली के 9 रुपये से 13 रुपये देता है, यह आपका असली चेहरा है।

अभी आपने बहुत बड़ी बात कही और इसके अन्दर भी लिखा है पेट्रोल और डीजल का 134 नम्बर पैरा में।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। बहुत बोल लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह तो खतम कर दूं। सभापति महोदय, मेरा टाइम तो थोड़ा-सा और था। सभापति महोदय, पेट्रोल और डीजल, 134 नम्बर पैरा में इन्होंने महामहिम राज्यपाल के मुंह से कहलवाया कि हमने 2 परसेंट टैक्स कम कर दिया और अपनी बड़ी पीठ थपथपाई। साथ में यह कह दिया कि केन्द्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में डिविजिबल पूल से जो मिलने वाली राशि थी उसको कम करके, बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी उसको कम करके राज्यों का जो हिस्सा था उसको कम कर दिया। मैं पहली बार देख रहा हूं। कोई राज्य यह मांग करे, केन्द्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी में तो कमी कर दी, उसके अन्दर डिविजिबल पूल में इसको बढ़ाओ ताकि पैसा हमारे पास आये। मैं समझता हूं कि जन घोषणा पत्र में जिस अदा से आपने घोषणा की थी, जीएसटी काउंसिल में जाकर हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आएं। शान्ती जी आधा दर्जन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में गये, एक बार भी इन्होंने अशान्ति की हो तो बताओ, एक बार एक शब्द भी बोले हो तो बताओ। सभापति महोदय, 9 सितम्बर, 2018 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने 4

परसेंट डीजल में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें अब, बहुत बोल लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति जी, इसको तो बोलने दो। 4 परसेंट डीजल पर और 4 परसेंट पेट्रोल पर पैसा कम किया, डीजल पर 18 परसेंट वैट था और पेट्रोल पर 26 परसेंट वैट था। आप शासन में आये, आते ही आपने 5 जुलाई को 4 परसेंट वैट डीजल पर बढ़ाया और 4 परसेंट पेट्रोल पर बढ़ाया। डीजल का बढ़ाकर आपने 22 परसेंट कर दिया और पेट्रोल का बढ़ाकर 30 परसेंट कर दिया। यही नहीं, रोड टैक्स जो एक रुपया 75 पैसे लगता है उसको भी आपने वैट के दायरे में लेकर 54 पैसे डीजल पर और 45 पैसे पेट्रोल पर बढ़ा दिये। 21 मार्च को फिर आपने डीजल पर 4 परसेंट बढ़ाया और पेट्रोल पर 4 परसेंट बढ़ाया जो 26 परसेंट और 34 परसेंट हो गया। 15 अप्रैल को फिर आपने डीजल पर एक परसेंट और पेट्रोल पर दो परसेंट बढ़ाया जिससे 27 और 36 किया। 7 मई को फिर आपने डीजल पर एक परसेंट कर 28 परसेंट किया और पेट्रोल पर दो परसेंट किया। यानी दो वर्षों में जो सरकार पेट्रोल पर 12 परसेंट वैट बढ़ाये, डीजल पर 10 परसेंट वैट बढ़ाये और अब दो परसेंट में, 'नाखून कटाकर शहादत में नाम लिख लो मेरा', इससे बड़ी बुरी बात और क्या हो सकती है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मुझे बहुत कुछ बातें कहनी थीं। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। कहते हैं, पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। ये सरकार आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुकी है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि अभी जो आयोजना सचिव थे, सिद्धार्थ महाजन, इनका बयान था। राज्य का टोटल टैक्स रेवेन्यू, नोन टैक्स और टैक्स दोनों मिलाकर, उससे 108 परसेंट ज्यादा तो इनको पेंशन, सैलेरी और जो इन्होंने कर्जा ले रखा है, उसकी ब्याज अदायगी में..। अभी FRBM Act में 6 महीने की जो वित्तीय रिपोर्ट आई है, सभापति महोदय, उसमें 30 सितम्बर तक राजस्थान में 3 लाख 79 हजार का कर्जा हो गया, 40 हजार करोड़ का कर्जा लिया। राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट, जो 2020-21 की बीई में 12 हजार 345 इन्होंने सोचा था, पूरे साल में होगा, इन 6 महीनों में 27 लाख 958 यानी 226 परसेंट बढ़ गया। सभापति महोदय, फिस्कल डेफिसिट 17 हजार 460 से बढ़कर 33 हजार 109 करोड़ हो गया। यानी एक पैसा भी इस सरकार के पास विकास के लिए नहीं है।

इसीलिए मेरा सरकार पर आरोप है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने जो वार्षिक योजना बनाई थी, आप 24 को नया बजट ला रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं आपकी 1 लाख 16 हजार करोड़ की वार्षिक योजना में, आपने कितनी वार्षिक योजना पूरी की?

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री पुखराज गर्ग।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसलिए, सभापति महोदय, जिस सरकार में कानून व्यवस्था माकूल नहीं हो, जिस सरकार में विकास नहीं हो। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार अपने नेता का महिमामंडन करने के लिए बिरदावली गायी गयी। ये निराशाजनक बजट, राज्यपाल महोदय का निराशाजनक अभिभाषण, इस राजस्थान को गर्त में ले जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा किसान के कंधे पर बंदूक रखकर, कांग्रेस का लाभ लेने वाले मंसूबे भूल जाना, राजस्थान का किसान जाग चुका है। आज राजस्थान में आम अवाम आपकी असलियत समझ चुका है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में वोट की चोट से आपको सीधा करेगा। मैं इस अभिभाषण का पुरजोर विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पुखराज गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार के विजन का आईना होता है और 138 बिंदुओं में महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार की बातों को सदन में रखा। कृषि, चिकित्सा, कोरोना, अल्पसंख्यक, जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग सहित कई बातों व मुद्दों को लेकर अभिभाषण में सरकार का पक्ष रखा गया है।

महोदय, कोविड के संकट में केवल मानव जाति ही प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। राज्य में सरकार ने कोरोना नियंत्रण को लेकर बहुत अच्छे प्रयास किये हैं। मगर संक्रमित रोगियों की संख्या के अनुपात में आइसोलेशन बैड और आईसीयू बैड की व्यवस्था सरकार प्रोपर तरीके से नहीं कर पायी। आज हैल्थ सेन्टर को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है और सरकार ने एक विजन दिया था

(श्री पुखराज)

पिछले बजट में निरोगी राजस्थान का। निरोगी राजस्थान अभियान की बहुत बढ़-चढ़कर बड़ाई की गई, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आज भी हमारे अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सीबीसी जांच की मशीनें तक उपलब्ध नहीं हैं। हमारे सब-सेन्टर पर एएनएम नहीं हैं। हमारे स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सिंग स्टाफ और डाक्टरों की कमी है। ऐसे में अभिभाषण के माध्यम से इस बात को सरकार को रखने की जरूरत थी। मगर सरकार ने ऐसा कोई रोड-मैप नहीं बताया जिसमें ये तय हो कि कितने समय में राजस्थान की सरकार द्वारा चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को भर लिया जाएगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पाइंट 11 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिसके अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कोरोना वारियर्स, जिसमें सब सरकारी कर्मचारी एवं सभी संविदा कर्मचारी शामिल हैं, की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। सरकार ने इसके बारे में बहुत सारे जो विभाग हैं, उनके कर्मचारी-अधिकारी, ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर काल-कवलित हुए, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन किसी भी विभाग के अंदर, किसी भी कर्मचारी को अभी तक 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अभिभाषण के माध्यम से किसान कल्याण कोष की जो घोषणा की गई है, मैं यह बताना चाहता हूं, प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकार बड़े-बड़े वादे करती है और सर्वे भी करवाती है। मगर, सर्वे के आधार पर आज तक न तो पूरे किसानों को मुआवजा मिला और न ही सही रूप से हो पाता है। ऐसे में किसानों को अनुदान का भुगतान नहीं मिल पाने के कारण किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कोविड के संकट में जहां सारे सैक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुए, वहीं कृषि क्षेत्र ने राज्य और देश की इकोनोमी को सम्बल दिया। मगर दुर्भाग्य है कि लॉकडाउन के हटते ही राज्य सरकार ने जोधपुर सहित राजस्थान के अंदर किसानों के बिल माफ करने की जगह उल्टा किसानों को जो सब्सिडी दी

(श्री पुखराज)

जा रही थी, उसको बन्द कर दिया और किसानों को परेशान करने के लिए राजस्थान के अंदर ताबड़तोड़ वीसीआर भरने के आदेश जारी कर दिये व किसानों का वीसीआर के नाम पर शोषण किया जा रहा है।

(15.27 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति पदासीन)

मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे तुगलकी फरमान जारी नहीं करें जिससे अन्नदाताओं को समस्याओं का सामना करना पड़े। राजस्थान के किसान कड़ाके की ठंड में, रात को बिजली मिलने के कारण मजबूरी में उन्हें रात में सिंचाई करनी पड़ती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले बजट के अंदर सरकार ने 600 ट्रांसफार्मर, 33 केवी जीएसएस अतिरिक्त लगाने की घोषणा की थी। मगर इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है, ऊपर से सरकार ने किसानों की सब्सिडी भी बंद कर दी। साथ ही सिंगल फेज बिजली, जो घरेलू उपभोक्ताओं को मिलती है, उसको भी सरकार ने पिछले बजट के अंदर 24 घंटे सप्लाई देने की घोषणा की थी, लेकिन वह 10 से 12 घंटे बड़ी मुश्किल से बार-बार ट्रिपिंग से जूझते हुए मिल रही है। सरकार का मकसद ऐसा लग रहा है कि लोगों को बिजली उपलब्ध करवाने से ज्यादा वीसीआर भरकर किसानों को तंग करना, ऐसी सरकार की मंशा जाहिर हो रही है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होने के बावजूद राज्य सरकार प्रभावी रूप से योजना को शुरू नहीं कर पा रही है। कई जगहों पर टेंडर तक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में घर-घर जल पहुंचाने के उद्देश्य से बनायी गयी इस योजना को राज्य सरकार किसी तरह सफल रूप से लागू करने में नाकाम रही। इस विषय में अभिभाषण में भी कुछ भी नहीं कहा गया है।

महोदय, सब लोग कहते हैं कि जहां की सड़क अच्छी होती हैं, वहां अन्य कार्य और विकास के कार्य भी जल्दी होते हैं। मगर दुर्भाग्य की बात है कि पिछले दो वर्षों में राजस्थान में सड़क के नाम पर, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं, सड़क के नाम पर एक रुपया भी सरकार ने वहां नहीं लगाया है। सड़क जो अधूरी है, लिंक रोड है, उसके अन्दर भी किसी तरह की प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है, न किसी तरह का कोई बजट दिया गया है। क्षेत्र में सड़क तंत्र को और मजबूत करने की दिशा में कोई भी प्रभावी कार्य

(श्री पुखराज)

नहीं किया गया है। इसका नतीजा यह रहा है कि आज सड़कों की हालत बहुत खराब है। हमारा राजस्थान देश में 25% से अधिक क्रूड आयल का उत्पादन करता है, इसके बावजूद प्रदेश की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया है और अन्य राज्यों की तुलना में बात करें तो हमारे राज्य में स्टेट गवर्नमेंट का पैट्रोल डीजल पर टैक्स बहुत ज्यादा है, जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

राजस्थान में अपनी जायज मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों ने आंदोलन किया था, सरकार ने उन पर मुकदमा दर्ज करके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह कभी बेरोजगारों पर लाठीचार्ज कर उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। सभापति महोदय, मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पुलिस को ढाल बनाकर खुद का बचाव करना लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को शोभा नहीं देता है। जो भी युवा बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है और साथ ही सरकार जो भी वैकेंसीज की विज्ञप्ति जारी करती है, उनकी न समय पर परीक्षाएं हो रही हैं और अगर परीक्षाएं हो गई हैं तो डेढ़-दो साल तक उसका रिजल्ट आउट नहीं हो रहा है और दो साल बाद रिजल्ट आउट भी हो गया तो उसमें कोर्ट का स्टे आ जाता है, तो मैं समझता हूं कि यह जो सिस्टम बना रखा है इस सिस्टम में कहीं न कहीं राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सिस्टम की कमी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सिस्टम में सुधार करें ताकि बेरोजगारों के साथ में न्याय हो।

अभी काफी दिनों से चर्चा चल रही है, श्रीमान राहुल गांधी जी राजस्थान का दौरा करने आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में राहुल गांधीजी का एक वादा चल रहा है जिस वादे को उन्होंने चुनाव पूर्व राजस्थान के किसानों से किया था कि किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी 10 दिन के अंदर कर दी जाएगी, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि उस वादे को याद करते हुए राजस्थान के किसानों को सम्पूर्ण कर्ज माफी दी जाए जिससे जो किसान लगातार आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं, उनको बचाया जा सके। कम समय में कम से कम किसानों की कर्ज माफी का जो वादा कांग्रेस की सरकार ने किया था वह कब तक पूरा करेगी? यह मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी द्वारा राजस्थान सरकार की कार्यशैली, प्रदेश में जो नवाचार, विकास की नई धारा किस प्रकार से चल रही है वह संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत की गई, जो सराहनीय है। राजस्थान सरकार के सामने एक सबसे बड़ी महामारी के रूप में जो कोरोना फैला, पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में, गांवों में, शहरों में एक तरह से एक मौत का डर मंडरा रहा था और ऐसी विकट परिस्थितियों में एक भी दिन विकास का पहिया राजस्थान में रुका नहीं। चिकित्सा सुविधा, कोरोना प्रबंधन में राजस्थान देश और दुनिया में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ। कोई भूखा नहीं सोएगा का जो संकल्प था राजस्थान सरकार का और जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, मजदूर के लिए हो, जो राहगीर चल रहे हैं उनके लिए हो, तो यह सुशासन राजस्थान की सरकार का है। सुशासन उसे कहते हैं जो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जनता के आधार पर शासन चलता है, उसे सुशासन कहते हैं। बाकी कोरोना में हाल यह था कि देश के प्रधान मंत्री जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि कितने लाखों मजदूर कौन-कौन से दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं और वह किस तरीके से वहां पर रहेंगे। कंपनियां बंद हो गई। घोषणा तो लाखों-करोड़ों की की देश के प्रधान मंत्री जी ने, लेकिन टीवी पर आकर एक बहुत बड़ी घोषणा की कि सभी के घर में पैसा पहुंचेगा, मजदूर कोई भूखा नहीं रहेगा लेकिन एक रुपया भी आज तक उस लाखों-करोड़ों की घोषणा से भारत के किसी कोने में नहीं पहुंचा। सिर्फ घोषणा थी, मन की बात थी। एक बार मन की बात प्रधान मंत्री महोदय सड़क पर चल रहे मजदूरों से भी कर लेते लेकिन नहीं, वह कष्ट सहन कर रहे थे। सारे डाटा होते हैं। क्यों नहीं उस घोषणा के पैसे में से उन कंपनी के मजदूरों को पैसा डाल देते लेकिन नहीं, पता नहीं कहां गया। ऐसा नहीं हुआ। अगर प्रधान मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करते तो पलायन की नौबत नहीं आती लेकिन राजस्थान सरकार की व्यवस्था से सुव्यवस्थित प्रबंधन से जो मजदूर जहां था, राजस्थान के किसी भी कोने में था या सड़क पर था या गांव के पास था, उसकी पूरी व्यवस्था की। चाहे ग्रामसेवक हो, पटवारी हो, बीडीओ हो, एसएचओ हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, एडीएम हो, सभी को साझेदारी से जिम्मेदारी दी गई और खुद मुख्य मंत्री महोदय भी वीसी के

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जरिए रेगुलर पूरे कोरोना समय में सभी से जुड़े रहे, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ भी बात की। उन्होंने जाना कि कौनसी व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, चाहे मजदूर के लिए यातायात की व्यवस्था हो, सबसे पहले पूरे भारत देश में यह व्यवस्था राजस्थान में हुई कि उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाना और भोजन के साथ में किस तरीके से उनकी व्यवस्था की गई, यह सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में हुई।

इंदिरा रसोई योजना हो, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास, जल संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा कोई भी योजना आई हो, सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया, आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। यहां तक गांव और ढाणी में सरकार की तरफ से आयुर्वेदिक गोलियां और काढ़े भी वितरित किये गये। पीपीई किट्स हो और आइसोलेट बैड के लिए सभी जगह शहरों में कस्बों में व्यवस्थाएं की गई। इंजेक्शन, प्लाज्मा थैरेपी यह सारी व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार ने सराहनीय की और सबसे बड़ी सराहनीय व्यवस्था थी, यह राजस्थान सरकार की सोच थी कि कोरोना वारियर्स की मृत्यु पर 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देना, कर्मचारियों के लिये ह्दय में जगह थी इसीलिए ऐसी व्यवस्था हुई। मास्क अनिवार्य करना हो, जन चेतना अभियान चलाये, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान में हजारों डाक्टर्स, नर्सेज भर्ती किये। जहां कमी थी वहां सभी जगह डाक्टर लगाये और निरोगी राजस्थान का अभियान चलाया। राजस्थान में सराहनीय काम हुआ। जहां पर एक बोरिंग करने के लिये 6-6 महीने लगते थे, डार्क जोन की वजह से परमिशन नहीं मिलती थी, एनओसी नहीं मिलती थी, वह सारी बंदिशें हटाईं। यह राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के लिये सराहनीय काम है।

जब टिड्डी दल आया तो बेहतरीन व्यवस्था राजस्थान में हुई। चाहे ओलावृष्टि हुई हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो। सिलिकोसिस के लिये परिवारों को पालनहार योजना से जोड़ना हो। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सभी जातियों के बच्चों को छात्रवृति से लाभान्वित करना हो, बेरोजगारों के लिये स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण शिविर लगाये गये, मां-बाड़ी केन्द्रों का संचालन किया गया, कुसुम योजना, मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर लाभान्वित किया

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना में करोड़ों लोगों को रोजगार दिया गया। चाहे चरागाह विकास योजना हो, मॉडल तालाब, खेल मैदान हो, श्मशान में, कब्रिस्तान में नरेगा का पैसा खर्च किया गया और राज्य में समूह के जरिये लोन देने का काम किया। राजस्थान की कितनी ही योजनाएं हैं, हर गांव, हर ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय बनाये जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, जो पैनोरमा बनाये गये हैं, चाहे महाराणा कुम्भा जी का हो, गोरा बादल का हो, देवनारायण योजना का हो और उससे भी बड़ी बात कोरोना काल में जो लोक कलाकार घर बैठ गये थे, उन्हें आर्थिक सहायता दी गई। इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना के तहत हजारों बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया। पोलीटैक्निक कॉलेज खोले गये, ई मित्र खोले गये। जनता जमाबंदी और खातों के लिये जो परेशान होती थी, उसको ऑनलाइन किया गया। गोवंश संरक्षण के लिये कांजी हाउस बनाये गये। पशु केन्द्र खोले गये, आईटीआई कॉलेज खोले गये और जिनकी मजदूरी बंद हो गई, कंपनियां बंद हो गई, उनको सूखे राशन किट दिये गये और कोरोना काल में दिवंगतों की अस्थि विसर्जन हेतु मोक्ष कलश योजना प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को रोजगार दिया गया। कोरोना काल में भी इस तरह की व्यवस्था यहां पर हुई और विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विधेयक पारित किये लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

कानून बनाये, देश के प्रधान मंत्री महोदय ने निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिये कानून बना दिये। सभापति महोदय, अगर कानून ही बनाने थे तो ऐसा बनाते, क्योंकि यह हर जगह भाषणों में कहा गया था कि किसान की आय दोगुनी हो जायेगी, मेरे भारत देश का किसान सम्पन्न होगा, पूरे देश के किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करते, एक कानून यह बना देते। संपूर्ण भारत देश के किसानों के कृषि के बिजली के बिल भारत सरकार की तरफ से माफ कर देते। कोरोना महामारी को देखते हुए ही कर देते, किसानों के हितों को देखते हुए ही कर देते। प्रत्येक किसान के बेटे को एक सरकारी नौकरी देने की योजना बना देते। भारत सरकार नहरों से सारे राज्यों को जोड़ने की योजना बना देते तो किसान क्यों नहीं नाचता-गाता, स्वागत करता। किया क्या, कैसा कानून बनाया गया, क्या-क्या किया? सबसे पहले देश में नोटबंदी हो, जीएसटी हो, रोजगार, महंगाई, काला धन, एक के बदले दस सर, चीन आगे बढ़ रहा है। यह देश का शीर्ष नेतृत्व देश को किस कगार पर ले जाने का काम कर

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

रहा है? महंगाई कहां पहुंच गई? रसोई का एक गैस सिलेंडर जो 400-450 रुपये में आता था वह आज दोगुनी कीमत पर पहुंच गया और यह तो सिर्फ 7-8 साल का राज है, उसमें है इतना, उसमें डबल रेट है। 7-8 साल में ही दोगुनी रेट, 400 से 800-900 रुपये सिलेंडर पहुंच गया। डीजल-पेट्रोल 100 पर पहुंच गया और यह तो छोटे से शासन का है। भारत सरकार यह देश की जनता के साथ क्या करना चाहती है? एक के बदले एक, कौनसी बहादुरी का सीना, यह ला देंगे, वह कर देंगे, लेकिन कहां है?

कांग्रेस के शासन काल में भारत देश में आज तक 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इतने किलोमीटर तक भारत की सीमा में घुस जाये, कभी नहीं हुआ। यह देश को कहां ले जा रहे हैं? कुछ निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिये किसानों के साथ ऐसा अन्याय कि अपनी ही मातृ भूमि, यह धोरों वाली धरा को किसी निजी कंपनी को देने जा रहे हैं। वह अपनी फसल मर्जी से नहीं उगा सकेगा, यह कैसा कानून है? किसके लिये बना रहे हैं यह कानून? कोई मूल्य निर्धारित नहीं, मूल्य भी निर्धारित कंपनियां करेंगी। जिस खेत की मिट्टी को भारत देश में गणेश जी मानकर हर शुभ काम में रखा जाता है, उस मिट्टी को निजी व्यक्तियों को दे रहे हैं। कंपनियों को गोदामों में कि आप, जो हम कहेंगे वही फसल उगाओगे, हम कहेंगे वही रेट आपको मिलेगी। यह क्या करने जा रहे हैं? कम से कम अपनी मातृ भूमि, जिसका शहीद प्राण त्यागते समय मातृ भूमि की मिट्टी से तिलक करता है, उस मिट्टी को, उस धरा को देने जा रहे हैं। ऐसा तो मत करो कि किसान का स्वामित्व हक छीन ले।

वर्तमान में देश की स्थिति कैसी हो रही है, देश की रीढ़ की हड्डी अन्नदाता जो इस देश का पालन पोषण करता है, पेट पालता है, पेट भरता है, उस देश के लिये, उस किसान के लिये, वह किसान सड़कों पर बैठा है, उसकी आय दोगुनी करने के बजाय उसकी मातृ भूमि तो मत छीनो, उसका खेत तो मत छीनो, वह उसकी शान है। भारत देश के किसान की शान-बान उसकी मिट्टी है, उसका खेत है, उसका खलिहान है, उसका धोरा है, उसे तो मत छीनो। सभापति महोदय, सैकड़ों किसानों की मौत हो गई। देश के प्रधान मंत्री महोदय कम से कम उनकी मौत से ही सबक ले लें। अपनों के आगे, अपने परिवार के आगे, अपने भारत देश की जनता के आगे, अपने भारत देश के किसानों के आगे झुकने में कैसी शर्म? ऐसा नहीं होना चाहिये।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

बीजेपी काल में दो बार गुर्जर आंदोलन हुआ, दोनों बार क्या मिला, गोलियां मिलीं और लाशें मिलीं लेकिन कोई बात नहीं मानी। वह तो धन्य है राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने गोली और लाशें तो बहुत दूर की चीज है, एक लाठी भी नहीं चलने दी और बात मान ली। यह राजस्थान के मुख्य मंत्री के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अभी पीडीएफ खाते खोले गये, कानून बनाया लेकिन सरपंचों को रास नहीं आया तो अपने परिवार के आगे, अपने परिवार की आज्ञा का पालन करते हुए राजस्थान के मुख्य मंत्री ने बात मान ली। ऐसे प्रधान मंत्री जो नहीं झुक रहे हैं। बीजेपी काल में इस तरह के कानून बनाकर इस देश को कौनसे कोने में ले जा रहे हैं, कौनसी गर्त में ले जा रहे हैं? देश के प्रधान मंत्री महोदय मन की बात करते हैं, एक बार बैठे हुए किसान से मन की बात कर लो। एक बार बैठी हुई महिला से बात कर लो कि आप क्या चाहते हो, वह करे तो धन्यवाद।

यह तो धन्य है कि देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने स्वामित्व का अधिकार दिया। कम-से-कम पीछे देखें, हरित क्रांति हो, पंचायती राज हो, वोट देने का अधिकार हो, कोई भी एक-एक काम उठाकर गिन लें और आपकी सात-आठ साल में कोई एक योजना तो ऐसी गिना दो, जिससे कि आम जन को फायदा मिला हो, लेकिन नहीं। राजस्थान की सरकार ने सुव्यवस्था, प्रबंधन और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में एक बेमिसाल सरकार, जिसका उदाहरण पूरे देश और दुनिया में दिया जा रहा है, वह राजस्थान की सरकार है, वह भारत देश में राजस्थान की सरकार है। बात करते हैं कि राहुल जी आ रहे हैं, राहुल बाबा आ रहे हैं ...(व्यवधान) आप बहुत हो न।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप क्या बहिष्कार करेंगे, कांग्रेस वाले?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ऐसा है, आप सुनने के लिए हैं। नाम लेते हैं, राहुल जी आ रहे हैं। कहां जा रहे हैं? क्या कहेंगे? क्या करेंगे? क्या आपको पूछकर जाएंगे? कहां जा रहे हैं? कहां आ रहे हैं? आ रहे हैं, आप क्यों दुःखी हो रहे हैं? राजस्थान में सुव्यवस्था है, इसलिए आ रहे हैं। वे अपने मन से जो मन की भावना होती है, उसको प्रकट करते हैं। राजनीति करने के लिए आंसू नहीं बहाते, भाषण देने के लिए आंसू नहीं बहाते। खोखली घोषणाएं नहीं करते। आप अगर कोई राम का भी नाम ले रहा है तो कह रहे हैं कि आप राम का नाम क्यों ले रहे हो? राम का नाम क्यों ले रहे हो? राम तो वहां बैठे है। ऐसी जगह है क्या?

"संसार में ऐसी कोई जगह नहीं, जहां हवा नहीं हो,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

ऐसा कोई हृदय नहीं इस संसार में, जहां राम नहीं हो,

कोई खुदा कहे, कोई यीशु कहे, कोई गुरूदेव कहे,

ऐसा कोई जहां नहीं जहां राम नहीं हो।"

आप क्यों उसको ले रहे हो? यह बपौती नहीं है। यह एक आदमी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान) ऐसा है, कपिल सिब्बल साहब को क्या बताएं, आपको ही समझ में नहीं आ रहा, जो यहां बैठे हैं, तो दूसरों को क्या समझाएंगे।

आप अपने आपको बुद्धिमान कहते हो। पिछले शासनकाल में कौनसे कांड नहीं हुए? नये-नये कांड होते थे। अलवर में सात दिन में आठ-आठ गोलीकांड होते थे। यह आपको समझने की जरूरत है। देश के शीर्ष नेतृत्व को समझने की जरूरत है। देश के प्रधान मंत्री महोदय को समझने की जरूरत है कि कम से कम वे देश के एक आम नागरिक, किसान के हित की बात करें और राजनीति के लिए आंसू नहीं, कम से कम वे एक बार तो बात कर लें। क्यों नहीं करते? एक बार किसान से बात करें, टीवी के जरिए करें, रेडियो के जरिए करें, बुलाकर करें, लेकिन नहीं, इतना माद्दा नहीं है, 56 इंच में इतना माद्दा नहीं है कि किसान को बुलाकर बात कर लें। देशभक्ति कहां झलकती है, सिर्फ और सिर्फ भाषण में देशभक्ति झलकती है। भाषण में आंसू झलकते हैं, लेकिन देश की जनता के लिए कोई आंसू नहीं, कोई देशभक्ति नहीं। किसके लिए? ऐसा एक काम गिना दो। अलवर में एक मीटिंग हुई थी, जहां भारत सरकार के भी एक मंत्री थे पिछले काल में। मीडिया वालों ने पूछा कि आप भारत सरकार और राजस्थान सरकार की कोई तीन योजना बता दीजिए। पूरे फ्रंट पर छपा, कोई भी जनता के लाभ की एक भी योजना वे नहीं बता पाये, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? 12 जून के पेपर में छपा है। आपके काल की तो ये सारी घटनाएं जो हैं, महंगाई, बेरोजगारी है, नोटबंदी है, किसानों पर अत्याचार है, ये सारी घटनाएं आपके सात साल का कार्यकाल है। राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है वह बहुत सराहनीय है। राजस्थान सरकार की गति का पहिया जो चल पड़ा है, ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद, राम-राम साहब।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत कोरोना से हुई। देश में जब कोरोना पर

(श्री ज्ञानचंद पारख)

कोई चर्चा होगी तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री की गौरव गाथा हर भारतीय के मुंह से निकलेगी, क्योंकि देश के प्रधान मंत्री ने जो कोरोना काल में काम किया तो मात्र देशवासी ही नहीं, दुनिया का हर देश उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहा है। चाहे दवा का मामला हो, मात्र देशवासियों को ही नहीं, कई देशों को जरूरत पड़ी तो भारत ने पहल करके वहां भी मानवता के नाते दवाओं की व्यवस्था करवायी। चाहे वैक्सीन हो, तो हम अब तक 13 देशों को वैक्सीन की सप्लाई कर चुके हैं ताकि वहां भी इंसानियत और मानवता का एक संदेश हिन्दुस्तान के जरिए पहुंच जाए। कोरोना के बाद भारत विश्व में पहले नंबर का देश बन गया है, जिसका हर देश सम्मान कर रहा है। राज्य सरकार ने भी काम किया है, मैं नहीं कहता कि काम नहीं किया। चाहे दवा का मामला हो, चाहे अस्पतालों में व्यवस्था का मामला हो, काम संतोषजनक रहा है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो-जो और घोषणाएं की हैं, उस पर आप नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि हमने जनता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है।

यह कोरोना काल आपके लिए वरदान भी साबित हुआ है। आपकी जो असफलताएं थीं, आपकी जो नाकामियां थीं, वे इस कोरोना के पर्दे के पीछे छिप गयीं। आपके जो वादे थे, उससे आप बाद में मुकर गये। उसका कितना बड़ा खामियाजा जनता को उठाना पड़ा, इसका हिसाब जनता आपसे समय पर पूछ लेगी। आपने शुरुआत में वादा किया था कि हम तीन महीने के बिजली के बिल माफ करेंगे। क्या आपने माफ किया? तीन महीने बिजली का बिल वसूल नहीं किया, पर बाद में बढ़ी हुई दरों के साथ आपने जो बिजली के बिल भेजे, वे कोरोना के संकट से भी बड़ा संकट साबित हुए, उन उपभोक्ताओं के लिए जो कि बहुत बड़ी उम्मीद लेकर बैठे थे। आपने दरें बढ़ा दीं। आप यहीं तक नहीं रुके। मेरे क्षेत्र में तो 2012 के पुरानी आडिट के पैसे किसानों के, दस-दस, बारह-बारह हजार का अतिरिक्त भार कोरोना काल में आपने जनता के ऊपर डाला।

बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी बाहर थे। बाकी सारी सरकारें अपने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए व्यवस्था कर रही थीं, चाहे ट्रेन के जरिए लाये, चाहे बस के जरिए लाये, पर राजस्थान का प्रवासी बाहर लाचार महसूस कर रहा था। कोई सुनने वाला नहीं और बाद में जब सरकार पर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा तो सरकार ने घोषणा की कि जो भी प्रवासी राजस्थान में आना चाहते हैं,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

आनलाइन नंबर दे दिये कि वहां अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो, राजस्थान सरकार उनको राजस्थान में लाने की अपने खर्चे पर व्यवस्था करेगी। माननीय सभापति महोदय, ज्यों ही आनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हुआ 7 दिन के भीतर-भीतर 12 लाख प्रवासियों ने राजस्थान में आने के लिए आनलाइन आवेदन किया। सरकार ने हैल्पलाइन नंबर भी जारी किये थे, पर बाद में हालत क्या? उस नंबर पर आप फोन लगा दो, या तो वह नंबर बंद आता था या घंटी जाती थी तो कोई उठाकर जवाब देने वाला नहीं था। माननीय सभापति महोदय, उस दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी ने वीसी के जरिए हर विधायक से, हर एम.पी. से संवाद भी किया। आपकी अपनी घोषणा जहां लाखों को लाने की बात थी।

(16.00 बजे)

आप हजारों प्रवासियों को भी अपने खर्चे से राजस्थान की धरती पर नहीं ला सके, इससे बड़ी नाकामयाबी इस राज्य सरकार की कुछ नहीं हो सकती। आपने वादा भी किया था कि इंडस्ट्री पर आप तीन महीने का सरचार्ज माफ कर देंगे। तीन महीने आपने इंडस्ट्री के बिल पर सरचार्ज नहीं लगाया, यह बात सही है परंतु चौथे महीने आपने जो बिल भेजा तो आपने तीन महीने का बकाया बताकर इंडस्ट्री से पूरा का पूरा सरचार्ज वसूल किया। आपने यहां भी वादाखिलाफी की।

माननीय सभापति महोदय, सरकार की इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है कि अभी राजस्थान में हम सही तरीके से मंत्रिमंडल का पुनर्गठन भी नहीं कर पाये। मन में भय, खतरा कि जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन कर दिया और कोई मंत्री पद से वंचित रह गया तो शायद यह सरकार नहीं बचेगी और उस खतरे के चलते राजस्थान के आधे कामकाज अभी-भी बंद पड़े हुए हैं।

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री का यदि कोई राजनीतिक मुकाबला कर सकता है तो वह माननीय राहुल गांधी जी हैं। मैं उनकी भक्ति को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। माननीय राहुल गांधी जी आ भी रहे हैं और जैसे अभी इस सदन में चर्चा हुई है कि जिस घोषणा के बूते आपको यह सत्ता सुख मिल रहा है कि हम दस दिन के भीतर-भीतर प्रदेश के किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, तो माननीय राहुल गांधी जी के स्वागत में कम से कम यह घोषणा तो पूरी कर दो ताकि किसान-किसान के नाम पर आप लगातार जो रोना रो रहे हैं प्रदेश के किसान का तो इससे बहुत बड़ा भला हो जाएगा और राहुल गांधी जी का राजस्थान में पुन आना

(श्री ज्ञानचंद पारख)

सार्थक भी हो जाएगा।

माननीय सभापति जी, मैं तो चाहूंगा कि सरकार माननीय राहुल गांधी जी के दौरे पूरे राजस्थान में करवाए। जितने अधिक करवा सकती है, उतने करवाए। मुझे बहुत खुशी होगी। उसके बाद कुछ करने को बचेगा ही नहीं।

कोरोना के कारण रोजगार का संकट पैदा हुआ। सरकार बात कर रही है हमने किसी को भूख से नहीं मरने दिया। सरकार ने अपने खर्चे से भोजन के कितने किट बांटे, उसका आंकड़ा एक बार सदन के सामने पेश कर देंगे तो आपकी सारी की सारी पोल खुल जाएगी कि सरकार ने अपने मद से एक भी किट, या तो विधायक कोष से या समाजसेवी संस्थाओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस कोरोना काल के संकट में हमारे प्रदेशवासियों को भूखा नहीं मरने दिया। धन्यवाद दूंगा प्रधान मंत्री जी को सब राज्य सरकारों को खुली छूट दे दी थी कि ...(व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी ने सारी राज्य सरकारों को खुली छूट दी थी कि जिन परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलता है लेकिन कोरोना की वजह से वह असहाय हैं, तकलीफ में हैं ऐसे परिवारों की सूची बनाकर केन्द्र सरकार के पास भिजवा दें। केन्द्र सरकार नवम्बर तक प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): इस सच को नहीं झुठला सकती कि राजस्थान सरकार ने 23 रुपये किलो पेमेंट किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। ज्ञान जी, आप बोलिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सारी राज्य सरकारों को खुली छूट दी थी, खुली छूट कि जो भी ऐसे परिवार हैं जिनको आवश्यकता है, उनकी सूची भिजवा दें, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं और प्रति परिवार एक किलो दाल नवम्बर माह तक भारत सरकार की ओर से फ्री में दी जाएगी, परंतु राज्य सरकार की कैसी नाकामी? फोकट में यश लेना था। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। कृपया शांत रहें। ज्ञान जी, आप चालू रखिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): राज्य सरकार सही तरीके से वह सूचियां भी भारत सरकार को नहीं भिजवा सकी जिसके कारण प्रदेश के ऐसे लाखों परिवार, जो वाकई में जरूरतमंद थे, जिनको सरकारी मदद की आवश्यकता थी, आपकी नाकामी की वजह से इस योजना से वह वंचित रह गये। ये शादी-

(श्री ज्ञानचंद पारख)

ब्याह में काम करने वाले व्यक्ति हैं, धार्मिक आयोजनों में काम करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे कई परिवार जो अभी तक काम पर नहीं है, परंतु आपकी सरकार ने कभी सुध नहीं ली।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना में जन-जीवन बचाना हमारी पहली आवश्यकता थी, परंतु सरकार का खुद का जीवन कोरोना काल में संकट में आ गया था तो जनता को भूल गये और ढाई महीने लगभग होटलों में कैद रहकर खुद को बचाने में लगे थे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात प्रदेश के लिए कोई नहीं हो सकती। अगर यह सरकार जनता के प्रति चिंतित होती तो अपने एमएलए कैद में नहीं रखती, परंतु अपने एमएलए के ऊपर भरोसा नहीं। पता था कि एमएलएज को फ्री किया नहीं और यह सरकार चली जाएगी। ऐसे में सरकार से कोई उम्मीद करना कि सरकार कोरोना काल में कोई परिणाम देगी और उसके बाद में कह देना कि हमने परिणाम दिए तो इन बातों को जनता मानने वाली नहीं है। कैसे-कैसे स्टेटमेंट आये थे उस समय, पता है आपको? सोशल डिस्टेंसिंग तो कोरोना की वजह से थी लेकिन आपस की जो डिस्टेंसिंग थी, उसका नजारा राजस्थान की जनता ने देखा है। सदन का नेता, सदन के उप नेता के बारे में जो टिप्पणियां करता है, उससे पूरा राजस्थान शर्मसार हुआ था।

माननीय सभापति महोदय, यह कोरोना का संकट है, ये राजस्थानियों की इतनी ताकत थी, हिम्मत थी, साहस था और आपस में भाईचारे की भावना थी, उसका परिणाम है कि हम बहुत अच्छे तरीके से कोरोना से निपट सके, वरना सरकार के माध्यम से अगर ये काम होता तो जनता निपट जाती और ये सरकार भी निपट जाती। इसमें कोई कसर बाकी नहीं रहती।

कोरोना के चलते आप लोगों ने जितने भी सरकारी अस्पताल थे, सबको कोरोना सेंटर में बदल दिया। आवश्यकता थी बदला, कोई दिक्कत नहीं। पहले कोरोना मरीज का उपचार होना चाहिए, हम भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद में जो आवश्यक आपरेशन है, उसकी आपने सरकारी अस्पतालों में बिलकुल मनाही कर दी कि अभी दूसरा काम नहीं होगा। उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। परंतु फर्क पड़ा किससे? हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे की जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसमें आपने 1 जनवरी, 2020 के बाद में रोक लगा दी और बीमा कंपनियों ने जब अस्पतालों को पैसा नहीं दिया, तो इधर तो सरकारी अस्पताल में कोरोना की वजह से आपने आपरेशन

(श्री ज्ञानचंद पारख)

बंद कर दिए और किसी की मजबूरी हो गई कि आपरेशन कराना है और वह भामाशाह कार्ड लेकर जब सरकारी अस्पताल के बजाय निजी अस्पताल में पहुंचा तो वहां यह कहकर बैरंग लौटा दिया कि राजस्थान सरकार पैसा नहीं दे रही है, आपका इलाज फोकट में या फ्री में नहीं होगा। मजबूरी में उसने या तो लंबी राशि खर्च करके आपरेशन कराया या लंबे समय तक बीमारी से भुगता या अपना जीवन त्याग दिया। इससे बड़ी त्रासदी राजस्थान की जनता के साथ कोई नहीं हो सकती।

माननीय सभापति महोदय, यह बार-बार नि:शुल्क दवा योजना, 12 साल पुराना मैटर हो गया ये तो। इसके बाद में तो बड़ी-बड़ी योजनाएं आ गईं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना ने आपकी इस नि:शुल्क दवा योजना को बहुत पीछे खदेड़ दिया। उसके बाद में तो भारत सरकार की आयुष्मान भारत बीमा योजना आ गई। कब लागू की आपने? जब कोरोना काल में इसकी आवश्यकता थी, आपने लागू नहीं की। 20 जनवरी, लगभग पौने दो साल बाद, भारत सरकार की घोषणा के लगभग पौने दो साल बाद आपने राजस्थान में इस योजना को लागू किया और अभी तक आपने अस्पतालों की सूची साझा नहीं की जिसके माध्यम से वह व्यक्ति कार्ड लेकर वहां अपना इलाज या आपरेशन फ्री में करवा सकता है। सरकार की ओर से इससे बड़ी त्रासदी जनता के साथ कोई ओर नहीं हो सकती।

कोरोना के लिए आप बार-बार अपनी पीठ थपथपाते हो कि हमने बहुत अच्छा निपटा दिया, बहुत अच्छा निपटा दिया। मैं आपको आज हालत बता दूं, राजस्थान से कोरोना चला गया, इसमें कोई शक नहीं है पर सरकारी अस्पतालों में आज भी कोरोना से पहले जो व्यवस्थाएं चल रही थीं, उनको प्रारम्भ करने की बात है। उसकी शुरुआत अभी भी नहीं की जा रही है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो रोक आपने सरकारी अस्पतालों में लगा रखी थी, उन सारी रोक को हटाकर, पहले की भांति सारी व्यवस्थाएं चालू कर दें।

आई सर्जरी, आपको पता है समाजसेवी संस्थाएं राज्य में पूरे साल भर में विभिन्न स्थानों पर आई कैम्प लगाकर कैटरेक्ट के लाखों आपरेशन फ्री करती है। कैटरेक्ट का आपरेशन अगर समय पर नहीं करवाए तो उसकी आंखें जाने की संभावना अत्यधिक बनी रहती है। एक साल से आपने यह सारी परमिशन बंद कर रखी है। किसी भी आई कैम्प की परमिशन सरकार के माध्यम से नहीं मिल रही है। सरकारी अस्पताल में तो वैसे भी आपरेशन नहीं

(श्री ज्ञानचंद पारख)

होते और जो आंखों के निजी अस्पताल हैं वह बार-बार आपसे आग्रह कर रहे हैं, आपसे बार-बार छूट मांग रहे हैं कि अब तो कोरोना काल खतम हो गया, आप अब तो कैटरेक्ट के आपरेशन की परमिशन दे दीजिए, पर पता नहीं सरकार किस नींद में है, अभी भी आदेश में देरी क्यों कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के पैरा 20 में, 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 3 हजार 973 करोड़ की राशि का क्लेम देने की बात लिखी। यह किसने दिया? यह देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की, प्रधान मंत्री नई फसल बीमा योजना के कारण राजस्थान के किसानों को मिला है, इसमें आपका योगदान नहीं है। मैं आपको आपका योगदान बता दूं, आपने दो साल तक, दो साल की प्रीमियम की राशि भी बीमा कम्पनी को जमा नहीं करायी है, जो आपके हिस्से की है। अगर दो साल के प्रीमियम की राशि जमा हो जाए तो बहुत लंबी राशि जो क्लेम के लिए पैंडिंग पड़ी है, राजस्थान के किसान को मिल सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा माननीय प्रधान मंत्री जी की देन है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि अभिभाषण में आपने चार जगह कृषि के मामले में प्रधानमंत्री योजना का जिक्र किया है।

माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के पैरा 46 पर आपने नरेगा में 7 हजार 196 करोड़ व्यय कर 69 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का जिक्र किया है। यह पैसा कहां से आया, सरकार के खजाने से गया है? यह सारा का सारा भारत सरकार का है। कोरोना काल में कैसी छूट दी? अगर कोई राजस्थानी पड़ौसी वहां काम धंधा छोड़कर अपने गांव आ गया है, तत्काल जाब कार्ड बनवाकर उसका नाम एंट्री करो और एंट्री करके उसको रोजगार दो, उसके लिए जितना अतिरिक्त पैसा होगा वह भारत सरकार देगी, तब जाकर इतना बड़ा काम इस राजस्थान की धरती पर होगा। इस सदन को माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने नरेगा काल में इतना बड़ा रोजगार जुटाया।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने अपने खजाने से क्या खर्च किया? राज्य सरकार दो साल में कोई पक्का काम नरेगा में बता दे कि हमने पक्के काम किये है, सैंक्शन निकाली है, आपने तो सरपंचों के वित्तीय अधिकारों को भी छीन लिया था। यह तो बाद में दबाव पड़ा, मजबूरी आई

(श्री ज्ञानचंद पारख)

तब ...(व्यवधान) अब डाला है वापस। लोकतंत्र की हत्या, एक तरफ तो आपके जो पूर्व प्रधान मंत्री हैं वह पंचायती राज को ताकतवर बनाना चाहते थे, पर आपकी सरकार ने चुने हुए सरपंचों को वित्तीय अधिकार से वंचित करके लोकतंत्र पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है।

सभापति महोदय, दो साल से सामग्री मद का पैसा पुराना पैंडिंग है, काम हो गया, उसका भी कोई अता-पता नहीं है और पक्के काम की स्वीकृतियां नाम मात्र की। हमारी सरकार के काल में कैटल फीड, जो पशुपालक हैं, उनको कैटल फीड मिल जाए, उसकी स्वीकृतियां जारी होती थीं। किसान को अपना खेत अपना काम में खेती, बाड़ाबंदी का काम मिलता था, आपने दो साल में नरेगा में यह प्रावधान भी खतम कर दिया। न कोई कैटल फीड है और न ही कोई अपना खेत अपना काम है। नरेगा की पीठ आप खुद थपथपा रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन जो हमारे प्रदेश के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, कैसी उदासीनता, कितनी लापरवाही? आश्चर्य होता है कि राजस्थान पेयजल के लिए हमेशा त्रस्त रहा है, वहां तो कम से कम सरकार को चिंता करके, भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजे जाने थे। इससे ज्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है कि केन्द्र के जलशक्ति मंत्री हैं, वह भी राजस्थान के हैं। सरकार जो भी प्रस्ताव भेजे, पैसा देने को तैयार बैठे हैं। आप अपनी नाकामी देखें, जो स्टेट हमसे पिछड़े हुए थे उन्होंने इस योजना का लाभ लेकर अपनी आधी से ज्यादा आबादी को घर-घर पेयजल उपलब्ध करा दिया। हम अभी ग्रामीण बैल्ट में, गांव की जनता को इस योजना का लाभ नहीं दे सके।

हमारे यहां पेयजल पहली आवश्यकता है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा, मेरे क्षेत्र में पेयजल का संकट रहता है जबकि पानी है। मैं माननीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद दूंगा, पिछले कार्यकाल में 100 करोड़ की योजनाएं मंजूर करके उन्होंने बहुत बड़ी राहत दी थी। अगर जल जीवन मिशन में रोहट बैल्ट को जोड़ दिया जाए तो निर्धारित मापदण्ड से भी कम राशि खर्च करके हर घर तक आसानी से पानी पहुंचाया जा सकता है, पर सरकार को कोई ध्यान नहीं है, सरकार को ध्यान नहीं तो अफसरों को कोई चिंता नहीं है। कोई योजना बनाने वाला नहीं। कई बार कह दिया, योजना बनकर चली जाए तो

(श्री ज्ञानचंद पारख)

बहुत कम राशि में 17 हजार परिवारों को घर बैठे पानी मिल जाएगा, परन्तु अधिकारियों की काम करने की नीयत नहीं होने की वजह से, माननीय सभापति महोदय, यह योजना राजस्थान में बहुत पिछड़ गई है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा, जब भारत सरकार पैसा देने को तैयार है, अधिकारियों पर कुछ नकेल कसो, जहां कम राशि में घर तक पानी पहुंच सकता है, उसके प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार के पास तत्काल भिजवाओ ताकि आने वाले दो, तीन, चार वर्षों में हम इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं इण्डस्ट्री की बात करूंगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय कई बार घोषणा कर देते हैं, वाहवाही लूट लेते हैं, अपने जिंदाबाद के नारे भी लगवा देते हैं, पर घोषणा करने के बाद भी, मुख्य मंत्री के आदेश के बाद भी, कोई आदेश जारी नहीं होते। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 3 जनवरी, 2020 को जोधपुर के उद्योग मेले में टैक्सटाइल उद्योग को बहुत बड़ी राहत देने के लिए, ईटीपी लगाने पर दो करोड़ की राशि देने की घोषणा की थी, जिसको माननीय उद्योग मंत्री जी ने पिछली बार...

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): इसके आदेश दे दिये गये हैं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय उद्योग मंत्री जी, वह आदेश, घोषणा 3 जनवरी, 2020 को हुई थी, ठीक है न? आप उनके बाजू में बैठे थे, बिलकुल पास वाली कुर्सी पर बैठे थे।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): सितम्बर में आदेश दे दिए, प्रोसेस में टाइम लगा था, आपकी जो बात है उसको हमने पहले पूरी कर दी।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा थी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, टाइम पूरा हो रहा है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दो मिनट की बात है। पहले यह प्रावधान था कि लागत का 50 परसेंट और अधिकतम 25 लाख रुपये का, उस अधिकतम 25 लाख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने बढ़ा कर दो करोड़ किया, ठीक है, पर साथ में जो चालाकियां कीं आपके अधिकारियों ने, या पता नहीं आपकी खुद की नीयत ठीक नहीं थी, उसमें आपने लागत का 50 परसेंट की जगह लागत का 20 परसेंट कर दिया, तो उसको अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। लागत का 50 परसेंट, अगर यह आदेश आपने जारी कर दिया हो तो उसकी कापी आप मुझे दे देना।

(श्री परसादी लाल)

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): जोधपुर की घोषणा, ई.टी.पी. 10 करोड़ का लगेगा, तो उसमें कितना बना 20 परसेंट से? ई.टी.पी. 10 करोड़ का बनता है, कम का भी बनेगा, पर 10 करोड़ तक बनेगा तो 2 करोड़ देंगे।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, पहले प्रावधान यह था, लागत का 50 परसेंट, लागत का 50 परसेंट और अधिकतम 25 लाख। उस अधिकतम 25 लाख को बढ़ाकर, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बढ़ाकर दो करोड़ किया था। लागत का 50 परसेंट की बात उस समय नहीं उठी थी, और घोषणा को पूरा करना है, इसलिये आपने लागत का 20 परसेंट कर दिया। मेरा आग्रह रहेगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा है और पाली का, बालोतरा का, जोधपुर का, आपके राजस्थान का उद्योग बहुत बड़े संकट में है। मेहरबानी करो, लागत का 50 परसेंट, जैसा पहले था, वह रहने दो और अधिकतम दो करोड़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दिक्कत नहीं है। 10 करोड़ का लगेगा तो वह आपसे 5 करोड़ अनुदान नहीं लेगा।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): पहले तो 25 लाख ही दे रहे थे। लागत का कितना परसेंट हुआ?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): और आपने वापस 20 परसेंट ...(व्यवधान)

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): 8 करोड़ में से 25 लाख, लागत का कितना परसेंट हुआ था?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): पर आपने वापस लागत का 20 परसेंट कर दिया न।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): 2 करोड़ कर दिया न, आज 10 करोड़ का लगता है ई.टी.पी.।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं, दोनों में से जो कम होगा आप वह देंगे। दोनों में से जो कम होगा, आप वह देंगे।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): उद्योगपतियों ने मांग की थी न, मुख्य मंत्रीजी ने वही किया, जो जोधपुर में मांग की थी।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): उद्योगपतियों की मांग थी, जो 25 लाख की सीमा है उसको बढ़ाकर दो करोड़ करने की, वह आपने दो करोड़ की, लेकिन आपने लागत का वापस 50 की जगह 20 कर दिया तो उद्योगपति को

ज्यादा पैसा हासिल नहीं होना है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): एक मिनट, लास्ट में।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय उद्योग मंत्रीजी आ गये थे, बस इसी मुद्दे पर बात करूंगा। फिर बाकी मुद्दे छोड़ रहा हूं। सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि यह जो टैक्सटाइल उद्योग है न, इसकी बहुत बड़ी सम्भावना राजस्थान में है, बहुत बड़ी सम्भावना। आवश्यकता मात्र सरकारी मदद की है, क्योंकि एन.जी.टी. का जिस प्रकार का डंडा चल रहा है न, उसमें यदि सरकार बचाव नहीं करेगी तो आपकी यह इंडस्ट्री धीरे-धीरे राजस्थान से खतम होकर गुजरात चली जायेगी।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। श्री आलोक बेनीवाल।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): इसलिये मेहरबानी करके आप इंडस्ट्री को यह 2 करोड़ का, जो अधिकतम का था और जो 50 परसेंट है उन दोनों को आप करवा दो, इंडस्ट्री आपको हमेशा याद रखेगी। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवालजी।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद। कोरोना काल के शुरू होने से लेकर आज तक सरकार के मुखिया यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत के द्वारा इस कोरोना काल में जिस तरह का प्रबन्धन किया गया, हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, वे एक बार भी उसका जिक्र नहीं करना चाहते। डर लगता है कि पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा, राजस्थान के कोरोना काल की है, कहीं हमारी जुबान से भी नहीं हो जाये।

मैं ही सम्माननीय हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता, बहुत ही सीनियर विधायक महोदय के विचार सुन रहा था। एक यशस्वी मुख्य मंत्री, जिसने चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, धर्म गुरू हो, सामाजिक संस्थाएं हों, एक नीचे जो छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर टाप से टाप अधिकारी तक से, जिसने 21-21 घंटे तक संवाद किया हो, उस मुख्य मंत्री की दो शब्दों में तारीफ करना भी इनके लिये मुनासिब

(श्री आलोक बेनीवाल)

नहीं है।

कोरोना काल, बहुत ही जिम्मेदारी से उसमें काम करने की आवश्यकता थी। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय रघु शर्माजी के नेतृत्व में इस राजस्थान प्रदेश में जिस तरह से कोरोना काल की व्यवस्था की गई, चाहे वह कोविड के सेंटर्स बनाने हों, चाहे हास्पिटल्स के अंदर बैड की व्यवस्था करनी हो, चाहे वहां पर दवाई की व्यवस्था हो, पी.पी.ई. किट की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, डाक्टर्स की व्यवस्था हो, जिस भी चीज की व्यवस्था की आवश्यकता हुई, लगातार उसके अन्दर बढ़ोतरी करने का काम इस राज्य सरकार ने किया। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं।

इस प्रदेश में जब कोरोना काल शुरू हुआ उस समय एक भी जांच करने की सुविधा यहां नहीं थी, पुणे भेजा करते थे। आज लगभग 70 हजार पर-डे की जांच करने की ताकत इस राजस्थान की सरकार ने यहां पर उपलब्ध कराई है। यह कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इसका जिक्र आप नहीं करना चाहेंगे। कोरोना काल में जैसे-जैसे जरूरत पड़ी, लगभग 2700 से ऊपर डाक्टर्स की भर्ती, 11 हजार से ज्यादा हमारे नर्सिंग स्टाफ की भर्ती, यह किसके लिये थी, यह यहां की 7 करोड़ अवाम की, जनता की सुरक्षा के लिये, इस व्यवस्था को करने के लिये, इस काम को जल्दी से जल्दी करने का काम इस राज्य सरकार ने किया।

कोरोना काल में जो हमारे कोरोना वारियर्स थे, यह संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील मुख्य मंत्री हैं, उन कोरोना वारियर्स के लिये 50 लाख रुपये की घोषणा भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की। भीलवाड़ा मॉडल का आपको पता ही होगा। उसका तो आपने जिक्र ही नहीं किया। भीलवाड़ा की तरफ से आने वाले ने भी नहीं किया। वे भी इसका जिक्र नहीं करना चाहते हैं कि वह काम बहुत अच्छा हुआ। हमारे वहां पर आपने जान-माल की सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रबन्ध किया। (व्यवधान) वह आप बाद में बोलना। पहले कम से कम जो कोरोना काल में आम जन को बचाने का काम किया है, जो इस कोरोना के अन्दर जो कैजुअल्टी हजारों से लेकर लाखों तक हो सकती थी, उसको कंट्रोल करने का काम किया है, कम से कम दो शब्द उस पर भी तो बोल लेना।

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवाई और नि:शुल्क जांच योजना की बात कर रहे थे कि यह 12 साल पुरानी हो गई, लेकिन माननीय सदस्य, उसमें कितने करोड़ लोगों को लाभ मिला, वह उनकी माननीय मुख्य मंत्रीजी की दूरदर्शिता थी, आप जरा उसका भी आंकड़ा निकालकर देख लेंगे तो आपको जरा ठीक लगेगा।

आप आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य योजना, अभी 30 जनवरी को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिसकी घोषणा की है, आप उसमें 3 लाख 30 हजार रुपये दिया करते थे, उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 5 लाख कर दिये हैं। जो आपकी भामाशाह योजना थी, उसमें जो कमी-बेशी थी, उसके अन्दर भी काफी सारे राइडर लगा करके, जिससे कि सही आदमी को सही इलाज मिले और सही जगह पैसा पहुंचे, इस व्यवस्था को करने के साथ, इस योजना का शुभारम्भ किया गया है।

आपने जो योजना लागू की, उसमें बहुत सारी शिकायतें लगातार विभाग और मंत्रीजी के पास आई थीं। तब जाकर इस योजना में अमेंडमेंट किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय मंत्रीजी का कि आपने इस योजना में, और आपको बताना चाहता हूं कि इसमें राज्य सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है, वह ज्यादा है बनिस्पत केन्द्र सरकार के।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): 80 परसेंट है।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): अब नहीं बोला जा रहा है। ये अपने वाले को ज्यादा बोलते हैं, हमारे वाले को कम बोलेंगे, यह ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूं। किसान की बात करते हैं। अभी मैं माननीय सदस्य की बात सुन रहा था, किसानों के लिए यह जो तीन बिल केन्द्र सरकार के द्वारा लाये गये, विपक्ष के सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपसे इसमें से 'क' भी पूछा था क्या या 'ख' भी पूछा था? आपको क्या पता था कि यह आ रहा है? नहीं, हमारे को तो कैसे पता होता, लाना तो आपको था, हमारे को थोड़े ही लाना था। लाना तो आपको था, हमारे को थोड़े ही लाना था। हमारे को लाना होता तो हम खुला बताते, जनता के बीच में रखते, हमारे जो सांसद हैं, उनके बीच में रखते, उनसे चर्चा करवाते और उसके बाद में जो किसान के हित में होता, वह बिल लाकर हम संसद में पेश करते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 50 साल से क्या कर रहे थे?

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): नहीं, क्या कर रहे थे? यह देश क्या पचास साल में ऐसे ही खड़ा हो गया? यह भाखड़ा नांगल बांध कौन बना गया था? यह पंडित जवाहर लाल नेहरू के टाइम में, श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, श्री मनमोहन सिंहजी, श्री मनमोहन सिंहजी वह प्रधान मंत्री थे, जब पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल स्लो-डाउन था लेकिन हिन्दुस्तान को उन्होंने बचाकर, निकालकर लेकर गये।

आप उस समय की बातें भूल गये जब आप लोक सभा में एफ.डी.आई. का विरोध किया करते थे। आज उस एफ.डी.आई. का समर्थन करने के लिए आप तैयार बैठे हैं। 74 परसेंट तो आपने एल.आई.सी. में कर दिया और अभी आपने जो बजट पेश किया, उसमें आप उठाकर देख लें कि कितनी सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी जो कम्पनियां हैं वह बिकने जा रही हैं। उसमें भारत पेट्रोलियम भी है। अब यह देश कहां पर जाकर टिकेगा? भगवान जाने। आज किसान आंदोलन करके सड़कों पर बैठा है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आपका इंतजार हो रहा है।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मेरा इंतजार तो चल रहा है और मैं तो जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं और जो जनता की बात है वह ही इस सदन में रखता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं आप यहां पर जिम्मेदार लोग बैठे हैं, क्या वह भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या उनकी समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए? क्या उनके लिए आंसू आपके दिमाग में नहीं है, जहां 200 के करीब आदमी वहां पर खतम हो गये? एक इतना-सा भी किसी के दिल में किसान के लिए वहां दर्द है? आप वहां पर महिलाओं की स्थिति देखिए, बच्चों की स्थिति देखिए और बुजुर्गों की स्थिति देखिए। आप पार्टी पोलिटिक्स पर मत जाइए लेकिन वह जो किसान वहां रोड पर बैठा है इस ठंड के अंदर, वह परेशानी में है। मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप अपने प्रधान मंत्रीजी से बात करके इस समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र करें और किसान की जो मांग है, उसको मानकर किसान को राहत पहुंचाने का काम करें।

आज अभी बात करने लग गये क्राइम की। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो पुलिस में व्यवस्था की है न, यह क्राइम ब्यूरो का रिकार्ड हमारे माननीय विपक्ष के उप नेता बता रहे थे, आप वह जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट आती है,

(श्री आलोक बेनीवाल)

उसको पूरा डिटेल से पढ़ना, उसमें एक लाइन और आती है कि हर स्टेट की अपनी अलग-अलग प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के कारण कहीं पर ऊपर है और कहीं पर नीचे है। जो व्यवस्था आज मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर की है, यह उसके कारण ही है कि आम नागरिक को एक राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य किया, यह उसके कारण ही है कि आज यह क्राइम रिपोर्ट ज्यादा बढ़ी हुई दिख रही है।

बात कर रहे हैं विकास की। इस दो साल के समय में चाहे विद्यालय का काम हो, चाहे महाविद्यालय का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे पेयजल का काम हो, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, इस किताब में जो आज प्रगति की रिपोर्ट लिखी है, इसको एक बार भी इन्होंने पढ़कर इसके अंदर पेश नहीं किया है। इन्होंने आज जितनी भी बात की है, वह इर्रेलेवेंट बातें की हैं और कुछ तथ्यों के साथ में जो चीजें, जो इस अभिभाषण का जो प्रारूप है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता है। सिर्फ इस सरकार की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर, अन्य चीजों के ऊपर बातें करके इसको डाइवर्ट करने का काम लगातार कर रहे हैं लेकिन जो विकास है, जो जनता है वह सब देखती है, जानती है।

मैं यह कह सकता हूं कि आज यह अंदाज लगाइये कि सबसे ज्यादा महाविद्यालय की घोषणा अगर की पिछले बजट में तो यही माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत हैं जिन्होंने इस राजस्थान के अंदर महाविद्यालयों की घोषणा की, स्कूलें क्रमोन्नत कीं और आज शिक्षा में एक नवाचार किया कि आपके हर विधान सभा क्षेत्र में कहीं पर दो भी है और कहीं पर एक भी है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली है, वह आने वाले समय में इस शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

विपक्ष के हमारे बहुत ही सीनियर लोग बैठे हैं। सरकार पर कटाक्ष करने का उनका अधिकार है लेकिन मैं उनको भी यह कहना चाहता हूं कि एक समय वह भी इसी पद पर थे और एक बार यह कह दिया कि हर जगह पर पुलिस उपलब्ध नहीं हो सकती है। यह कहा था या नहीं कहा था? तो यह तो परिस्थिति, सरकार की जो भूमिका है और सरकार के जो हमारे मुखिया हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, सरकार की स्थिरता पर भी बात करने लग गये। बात हो रही है अभिभाषण पर और बात चली गयी कहीं ओर। आम आदमी के जो मुद्दे

(श्री आलोक बेनीवाल)

हैं वह तो भटक गये, उनके ऊपर तो कोई चर्चा है नहीं कि आज यहां किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, नौजवान की बात करें। आज इस सरकार ने कितनी नौकरियां निकालकर रोजगार देने का काम किया है। आपने तो दो करोड़ रोजगार की घोषणा की थी, वह कहां है, बताओ न वह तो? किसान के लिए कर्जा माफी की घोषणा है, वह कहां पर है? हमने तो घोषणा की थी पर आपने भी घोषणा की थी, दो हजार करोड़ रुपये आप दे गये और बाकी हमारे जिम्मे छोड़ गये तो यह जो सारी चीजें हैं, यह सारी चीजें जनता सब समझती है और मैं तो यह धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि इस एक साल का जो कोरोना काल था, उसके बावजूद भी पूरे राजस्थान में इस सात करोड़ जनता को कहीं पर भी परेशान नहीं होने दिया और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम किया और हर समय सभी जन-प्रतिनिधियों ने अपना-अपना रोल निभाया।

अभी आप पारदर्शिता और सहयोग की बात कर रहे थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं तो पूरे कोरोना काल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायतवार खूब घूमा हूं लेकिन आपके सांसद महोदय मात्र एक बार ही आकर गये थे। आपके सांसद महोदय मेरे यहां पर एक बार ही आकर गये थे। जनता सबकी है, जो चुना हुआ प्रतिनिधि है चाहे वह सरपंच है, पंच है, चाहे प्रधान है, चाहे वह एम.एल.ए. है या चाहे एम.पी. है, सब जनता उसकी है तो जिम्मेदारी सबकी बनती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमसे कहा कि आपको जो सहयोग करना है वह करें और इस कोरोना काल में जिन कोरोना वॉरियर्स ने, जिन भामाशाहों ने, पूरे सामाजिक संगठनों ने मिलकर जो काम किया, वह सराहनीय है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं और विकास के इस काम को, यह लगातार आगे बढ़ता रहेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है इसलिए आज मैं इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। महामहिम राज्यपाल को अपनी संवैधानिक मर्यादाओं के तहत सरकार द्वारा दिये भाषण को पढ़ना पड़ा और यह कहा गया कि राज्यपाल महोदय ने ऐसा कहा। इस अभिभाषण में न तो कोई दिशा है और न ही कोई विजन है। सरकार सभी मोर्चों पर

(श्री वासुदेव देवनानी)

नाकारा, निकम्मी और असफल सिद्ध हुई है। यदि आप शुरू से आखिरी तक इसको पढ़ेंगे तो केन्द्र से प्राप्त राशि से कराये गये कार्यों का स्वयं के नाम से गुणगान की गाथा कहलाएगी। मैंने इसको पूरा पढ़ा। कहीं भी इसमें ऐसा नहीं लगा कि केन्द्र ने सारा पैसा दिया, स्वयं ने क्या किया, इसका कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि सरकार में कुछ भी पारदर्शिता है तो एक श्वेत-पत्र प्रकाशित करे कि केन्द्र की सरकार से जो पैसा आया, उससे क्या-क्या काम हुए और राज्य सरकार ने अपनी ओर से इसमें कितना पैसा खर्च किया, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि वह श्वेत-पत्र जारी कर सके। केवल इतना सारा करने के बाद पीठ थपथपाई है।

कोरोना की यहां पर चर्चा चली। केन्द्र ने इसको भरपूर सहायता दी। पी.पी.ई. किट की बात हुई, वेंटिलेटर्स की बात हुई, मास्क की बात हुई और सब बातें, यहां तक कि एक-एक चीज को यदि गिनेंगे तो सारी चीजें केन्द्र से आयी हुई हैं, लेकिन पूरे भाषण में केन्द्र का एक भी बार नहीं, प्रधान मंत्री को एक बार भी धन्यवाद नहीं। केवल स्वयं के गुणगान गाना, यह इनको शोभा नहीं देता। कोरोना की महामारी की यदि मैं चर्चा करूंगा तथा उस समय की व्यवस्थाओं की भी बात करेंगे तो स्थानीय स्तर पर सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई थीं। सरकारी अस्पताल अव्यवस्था के शिकार थे और प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी थी। एक-एक दिन के 90 हजार रुपये जनता से वसूले जा रहे थे और लॉकडाउन में तो दूध और सब्जी के लिये भी सब लोग महरूम थे। ऐसे समय में केन्द्र ने, चाहे वह चिकित्सा की राशि हो, चाहे डी.एम.एफ.टी. की हो, चाहे आपदा की हो, साढ़े चार हजार करोड़ से अधिक राजस्थान को सहायता दी है, 2,742 रुपये डी.एम.एफ.टी. से, 1,800 करोड़ रुपये चिकित्सा में, 740 करोड़ रुपये आपदा में और इसके अलावा गेहूं, चना लाखों मीट्रिक टन केन्द्र के द्वारा आपको दिया गया। जरा दो शब्द तो उनके बारे में इस भाषण में उल्लेखित तो कर देते। इतना तो कम से कम एहसान फरामोश नहीं होते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और ट्रैजरी बैंच में एक भी मंत्री नहीं है। कोई एक तो कैबिनेट मिनिस्टर हो। मतलब कैबिनेट का एक भी मंत्री नहीं होना, सरकार की इस अभिभाषण के प्रति कोई गंभीरता नहीं है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह बोल रहे हैं तो हम किसको सुनाएं। आप आफिसर गैलेरी में देखिए, आफिसर गैलेरी में एक भी अधिकारी नोट नहीं कर रहा है कि माननीय सदस्य क्या बोल रहे हैं। क्या हम दीवार को सुनाने आये हैं यहां? (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, सदन की गरिमा कहां जाकर रूकेगी। (व्यवधान) एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कितना दुर्भाग्य है।

एक माननीय सदस्य: इधर भी देखो थोड़ा। थोड़े नंबर बढ़ा लो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, वासुदेव देवनानी साहब।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...(व्यवधान) कौनसे महल में छिपी हुई है?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, इस कोरोना काल के दौरान जितना भ्रष्टाचार चिकित्सा विभाग में हुआ, उसने सारे रिकार्ड तोड़ दिये। मैं चुनौती देता हूं कि आप सारे सीएम.एच.ओ. के जितनी भी खरीददारी हुई, उसके टेंडर, उसके बिल, उसकी यदि आडिट हो जाए और एक निष्पक्ष जांच हो जाए तो यह सब कठघरे में खड़े हुए मिलेंगे। कोई माल खरीदा नहीं, उसके बिल आ गये। मास्क के तो दो बिल मेरे पास हैं। एक ही दिन में एक मास्क 13 रुपये प्रति मास्क खरीदा गया है, दूसरा वही 10 रुपये में खरीदा गया है। खुलेआम इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है और कहा कि हमने अच्छी व्यवस्थाएं कीं। आक्सीजन सिलेण्डर की इतनी कमी थी, जिसके कारण से मरीज परेशान। यहां तक कि चिकित्सा मंत्री घोषणा करते हैं कि आक्सीजन प्लांट चल रहा है। जब हम लोग अस्पताल जाते हैं, आक्सीजन प्लांट तो दूर रहा, वहां कहीं आक्सीजन नाम की चीज नहीं है। नसीराबाद अस्पताल में गये तो वहां पर सारे वेंटिलेटर बाक्स में पड़े हैं। जनता को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। सम्पूर्ण चिकित्सा तंत्र रोगी तंत्र के रूप में बना हुआ है और चिकित्सा मंत्री महोदय, स्वयं तो संक्रमित होकर बिना मास्क के आप निरीक्षण करने पहुंच रहे हो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये।

(श्री वासुदेव देवनानी)

आप लोगों को संक्रमित करने जा रहे हो या क्या करने जा रहे हो? लेकिन किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। नवजातों की 70 हजार प्रतिवर्ष मौतें हो रही हैं राजस्थान में, 17 लाख प्रसव हो रहे हैं। उनसे पूछो कि शिशु रोग विशेषज्ञ कहां हैं? पूरे राजस्थान में केवल दो हजार शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और उसके आधार पर काम कर रहे हैं। फिर इन्होंने खूब कहा कि हम जनता क्लीनिक खोलेंगे। पूरे दो साल के अंदर राजस्थान के अंदर केवल 12 जनता क्लीनिक, वह भी जयपुर शहर में खोले, वह भी मार्च में खोले। यानी केवल सस्ती लोकप्रियता, केवल अख़बार में छपने के लिये, बाकी कहीं कुछ नहीं।

दूसरी इन्होंने वाहवाही लूटी कि हमने नरेगा में 45 लाख लोगों को रोजगार दिया, वह पैसा आपको किसने दिया? पूरे प्रतिदिन 90 करोड़ रुपये केन्द्र से पैसा राजस्थान को मिलता रहा है, उससे नरेगा चला और सस्ती वाहवाही लूटने के लिये चले। क्या आपको शर्म नहीं आती? केन्द्र को जरा धन्यवाद तो देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बार और कहना चाहूंगा। यह कह रहे हैं कि राज्य में सुशासन देंगे। मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन के अंदर कहा था कि मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं सबकी आंखों के आंसू पोछ लूं। वह आंसू तो दूर रहे, अपने कार्यकर्ताओं के तो आंसू पोंछ लो, वह तो रो रहे हैं कि हमको कभी राजनीतिक नियुक्तियां तो दे दो। बाकी तो दूर की बातें रहीं। जनता के आंसू पोंछना तो शायद दूर की कौड़ी है। राज्य की जनता, मंत्रिमण्डल विस्तार के लिये मेरे कई साथी बैठे हैं, लेकिन उनको यही डर है कि जैसे ही मंत्रिमण्डल विस्तार करेंगे, हमारी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। खैर, वह इनका आंतरिक विषय है, लेकिन आंसू पोंछने के लिये राज्य में सुशासन देने की आवश्यकता होती है।

आज राजस्थान में 'अपराध बेलगाम', 'अपराधी बेखौफ', 'पुलिस भयाक्रांत' और 'महिलाएं असुरक्षित' इसको आज सारा राजस्थान देख रहा है। अभी सुबह चर्चा चली कि कोटा के रामगंज मंडी में सरेआम खुले बाजार में संघ के संघचालक पर गोलियां चलती हैं। राजसमन्द में क्या हो रहा है, धौलपुर में क्या हो रहा है? दौसा में बजरी माफिया किस प्रकार से बोर्डर होमगार्ड को ट्रैक्टर से कुचलकर मारते हैं? टोडारायसिंह के थाने में घुसकर हाथापाई करते हैं, कोटड़ा में चार को रौंदा जाता है, भरतपुर में तीन जगह फायरिंग होती है। हर जिले में पुलिस को मारा जा रहा है, पुलिस नाम है

(श्री वासुदेव देवनानी)

नहीं। यह अशोक गहलोत का राज है कि अपराधियों का राज है, यह समझ में ही नहीं आता। यानी इस प्रकार की स्थिति खड़ी की है। आज सभी स्थानों पर घर से निकलो, ताला लगाकर निकलो तो पीछे से माल चोरी हो गया। स्कूटर पर निकलो तो उससे बंदूक दिखाकर लूट हो रही है। कहीं जाओ फायरिंग हो रही है, यानी इस प्रकार के दृश्य, आज तक के राजस्थान के इतिहास में नहीं हुआ, फिर भी कह रहे हैं कि हम जनता के आंसू पोछेंगे। क्या आंसू पोछोगे, जनता तो रो रही है। कहीं शादी में जाना भी मुश्किल हो गया है और कहीं गहने पहनकर निकलो तो परेशानी, यह राजस्थान की स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, इस समय राजस्थान में कलेक्टर से लेकर एस.पी. तक घूस ही घूस है। कहीं कुछ इस प्रकार का दृश्य है नहीं और आज कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन एस डी एम, तहसीलदार, पटवारी, लिपिक कहीं न कहीं नहीं फंसता हो। यहां तक कि आपको ध्यान होगा, कलेक्टर के बारे में पता है, बारां के कलेक्टर के बारे में छपा है कि वह हिस्ट्रीशीटर हैं। हमारे जैसा कोई साधारण व्यक्ति भी नौकरी मांगने जाता है तो हिस्ट्रीशीटर होता तो उसे इंटरव्यू में नहीं बुलाते। आपने तो उसको वहां पर कलेक्टर बना दिया और एस.पी. तक घूस और इसके अलावा, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपके कांग्रेस के विधायक भरत सिंहजी खुद की पार्टी के मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। परिवहन मंत्री पर आरोप, चिकित्सा मंत्री पर आरोप। यह है हमारा शासन। ऐसा शासन, जिसकी नींव ही असत्य पर हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है।

जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब आपने युवाओं को दो स्वप्न दिखाये। युवाओं वोट दे दो, आपने वोट लिया लेकिन उसके बाद सत्ता में आने के बाद में उनको अंगूठा दिखाया। युवाओं के साथ आपने धोखा किया। आपने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। राजस्थान के अंदर आज कितने बेरोजगार हैं? आज जो भी नई नियुक्ति निकलती है उसमें 13-14 लाख लोग एप्लाई करते हैं। इसका मतलब इतने लाख लोग तो बेरोजगार हैं। टोटल मेरे पास जो आंकड़ा है, वह 29 लाख से अधिक बेरोजगार हैं और आप बेरोजगारी भत्ता कितनों को दे रहे हो, डेढ़ लाख-दो लाख। वोट तो आपने लिये 29 लाख के और भत्ता दे रहे हो केवल डेढ़-दो लाख को। यह केवल उनकी आंखों के अंदर आप धूल झोंक रहे हो। इस प्रकार की जो स्थिति पैदा की युवकों के साथ और उसमें आपने कहा कि हम भर्तियां करेंगे। भर्तियों की घोषणाएं तो आपने खूब

(श्री वासुदेव देवनानी)

कीं। पहले बजट सैशन में आपने कहा कि हम 75 हजार को नियुक्तियां देंगे, दूसरे बजट में कहा 53 हजार देंगे, 1 लाख 28 हजार की घोषणा हुई, क्या हुआ 2 वर्ष में? आपने 2 वर्ष में केवल 18 हजार नियुक्ति देने की शुरुआत की है। उसके बाद आपने अभी 31 हजार की रीट की परीक्षा निकाली है, इनकी नियुक्ति कब होगी, पता नहीं। आपने अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल से गलत बुलवाया है। उसमें आपने कहा है कि हमने 81 हजार नियुक्तियों का दावा किया है, वो 81 हजार भारतीय जनता पार्टी की वसुन्धरा जी के सरकार के समय निकाली हुई नियुक्तियां हैं, जिनको आपने केवल नियुक्ति पत्र दिया है। आपने यदि एक भी विज्ञप्ति जारी करके उसको नियुक्ति दे दी हो तो आप सदन की मेज पर रख दो, हम आपको मान जाएंगे। एक को भी आपने नियुक्ति नहीं दी।

इस प्रकार आप कोई परीक्षा नहीं करवा पा रहे हो, प्रशासनिक फेल्योर है। पटवारी की परीक्षा स्थगित, जे.ईएन. की परीक्षा रद्द, कांस्टेबल की परीक्षा स्थगित। कर क्या रहे हो? एक परीक्षा तक नहीं करवा पा रहे हो और इसमें कितने आवेदन आते हैं, उनके आप कितने लाखों आवेदन का पैसा लेते हो लेकिन उन सब के साथ केवल हालत बुरी है, पैसा लूट के ले रहे हो। आपने भा.ज.पा. सरकार के द्वारा जो 35 हजार पद थे उनको निरस्त भी किया है। यानी आपने इस प्रकार की हालत पैदा की, युवाओं के साथ धोखा किया।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा। आपने संविदाकर्मियों को भी कहा हम आपको नियमित कर देंगे। आपने बी.डी. कल्ला जी की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई, कमेटी से कमेटी हो गई, सितम्बर में कहा जाता है कि दीवाली पर इनको तोहफा देंगे और आज कितने महीने हो गए, एक भी कहीं किसी को कन्फर्म करना तो दूर रहा, कुछ नहीं है।

आंगनबाड़ी की बात कर लो। आपने किसानों की बात कही कि वहां ठंड में बैठे हैं, आंगनबाड़ी की मेरी बहनें, 54 हजार जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं वो पिछले 20 दिन से ठंड में बैठी थीं, उनसे कोई पूछने तक नहीं गया, उनसे किसी ने बात तक नहीं की। उनको प्रतिमाह 2700 रुपये दे रहे हो, 2700 रुपये आशा सहयोगिनियों को दे रहे हो। आशा सहयोगिनी को 2700 रुपये। आप इस प्रकार से मिनिमम वेजेज भी नहीं दे पा रहे हो। उसका कहीं कुछ नहीं।

आपने 2 साल के अन्दर केवल जनता को लूटा है और, सभापति

(श्री वासुदेव देवनानी)

महोदय, उस लूट के दो उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बिजली के बिल हरियाणा में 6 रुपये 29 पैसे प्रति यूनिट, गुजरात में 6 रुपये 28 पैसे प्रति यूनिट, एम.पी. में 7 रुपये 5 पैसे प्रति यूनिट, पंजाब में 7 रुपये 72 पैसे प्रति यूनिट और राजस्थान में 13 रुपये 32 पैसे प्रति यूनिट, यह स्थिति है। मतलब क्या लूट मचा रखी है? क्यों आप नहीं कर सकते हो? फिर इसमें जब आपके ऊपर 80 हजार करोड़ रुपये का कर्जा था, केंद्र सरकार ने आपको उदय योजना के तहत 60 हजार करोड़ का कर्जा दिया। उसके बाद आज कितना कर्जा है, वापस वही 80 हजार करोड़ हो गया। यानी क्या सरकार चला रहे हो? यानी बिजली के उत्पादन तक में आपका कोई नियंत्रण नहीं। इस प्रकार की स्थिति आपने पैदा कर दी है।

दूसरी जो आपने लूट मचा रखी है वो है पेट्रोल-डीजल के भाव। रात दिन केवल मोदी जी को कोसेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करोगे। आपको पता भी है कि आपके क्या है? आपकी जो रेट है, उसकी लागत है 30 रुपये 50 पैसे, केंद्र का टैक्स है केवल 16 रुपये 50 पैसे, राज्य का टैक्स है 38 रुपये 50 पैसे। यानी केन्द्र का तो 16 रुपये 50 पैसे और राज्य का 38 रुपये 50 पैसे और साढ़े छह रुपये केवल पेट्रोल डीलर का है। इस प्रकार मिला करके आपने जनता से लूट मचा रखी है। इसमें प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं, सारे जिलों के लोग पास के राज्यों में जा करके अपना पेट्रोल-डीजल खरीद रहे हैं। उसमें राजस्थान का वैट है 38 परसेंट, पंजाब का है 25 परसेंट, हरियाणा का 25 परसेंट, गुजरात का 20 परसेंट, दिल्ली का 30 परसेंट, यू.पी. का 26.5 परसेंट और आपने 2 वर्ष के अंदर 12 परसेंट वैट बढ़ाया और केवल दो परसेंट घटाकर के राज्यपाल महोदय से कहलवा रहे हो जैसे आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया। इस प्रकार की स्थिति पैदा की है, माननीय सभापति महोदय, यह वास्तव में हमारे लिए बहुत ही सोचनीय है।

जनता परेशान है इसलिए मैंने कहा कि जनता आंसू बहा रही है और यह आंसू पोंछना तो दूर रहा लेकिन इस प्रकार की यह स्थिति क्यों पैदा हुई? मैं इसकी गहराई में गया कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? स्थिति यह है कि मुख्य मंत्री की रात-दिन केवल एक ही चिंता है कि अपनी सत्ता को कैसे बचाये रखा जाए और अपने विरोधियों को अन्दर, पार्टी के अन्दर उनको कैसे निपटाया जाए, शासन जाए, जनता जाए खड्ढे में। इस प्रकार की स्थिति बनी है।

केवल दूसरे में इनको जो वाहवाही मिल रही है, जिसके आधार पर

(श्री वासुदेव देवनानी)

कहा है। रात-दिन केवल आर.एस.एस. को गालियां देना, मोदी जी को गालियां देना, इसमें इन्होंने रिकार्ड कायम किया है। जैसे 108 दानों की माला जपते हैं, इस तरह ये मोदी जी के विरोध की 108 बार रोज माला जपते हैं और जाकर के संघ को गालियां देते हैं। कुछ तो शर्म करो, जरा जनता की चिंता भी करो। गत बार हमारे शासन के बाद आप 21 आए थे, अगर आपकी यही हालत रही तो आपके 11 रह जाएंगे।

आर्थिक प्रबंधन में भी आप शून्य हो। आज जितनी केंद्र की योजनाएं हैं उसमें आपके पास राज्यांश का पैसा नहीं है। शिक्षा के अन्दर चाहे जल मिशन के अन्दर आपका राज्यांश जमा नहीं हो रहा है, जिसके कारण योजनाएं नहीं चल रही हैं। सारी जनता इसको देख रही है।

माननीय सभापति महोदय, रीट की परीक्षा की बात चली, जो मैंने कहा कि 31 हजार का आपने निकाला तो है, कब करवा रहे हो, 25 अप्रैल को जिस दिन महावीर जयंती है। आप किस प्रकार की बात कर रहे हो? यानी जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसमें आप से दो बातें कह करके समाप्त करूंगा। मेरा समय मैं देख रहा हूं, आपने जितना समय दिया मैं उसमें ही पूरा करूंगा। अभी एक-डेढ़ मिनट बाकी है, उसको पूरा करूंगा।

अभी भी मेरा कहना है कि रीट की परीक्षा 25 अप्रैल की तिथि चेंज करो, उसमें जिद मत करो। महावीर जयंती है जैन समाज की और बाकी सारे समाजों का एक महत्वपूर्ण दिन है, दो, चार, पांच, सात दिन आगे-पीछे बढ़ाने में

(श्री वासुदेव देवनानी)

कोई इज्जत नहीं जाती, लेकिन एक हठधर्मी यह शिक्षा मंत्री की नहीं होनी चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इन दिनों जो चला, कोरोना के दौरान बात चली, सुप्रीम कोर्ट का परसों जजमेंट भी आया कि सारे अभिभावकों को हंड्रेड परसेंट फीस देनी है। कोरोना के दौरान लाखों परिवार परेशान हैं इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार अपनी ओर से विधान सभा के अन्दर बिल ला करके अभिभावकों को राहत दे ताकि यहां पर लोगों को एक राहत मिले। यह राहत सरकार दे सकती है लेकिन सरकार की मंशा साफ हो तो इस प्रकार का एक प्रयोग किया जा सकता है।

तीसरी बात जो विकास की बात कही, शायद यह सरकार तो भूल गई...

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): केंद्र सरकार को याद दिला दो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): केंद्र सरकार नहीं शिक्षा तो राज्य सरकार के हाथ में है, शिक्षा समवर्ती सूची में है। आप अभिभावकों को पैसे दे सकते हो। केन्द्र, केन्द्र, केन्द्र से क्या चाहते हो? केन्द्र तो दूध भी आपको दे दे, मुंह में भी लाकर के पिला दे, इस तरह चाहते हो। केन्द्र ने जितना सहयोग किया है, मैं आपको कह रहा हूं कि मोदी जी के दिये गये पैसे का, राज्य सरकार के पैसों का श्वेत पत्र यदि राजस्थान में जारी हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): मोदी जी का पैसा नहीं है, कोई मोदी जी का पैसा नहीं है। जो पैसा किसी राज्य को मिलता है वो उसकी जनता का पैसा होता है। कोई अमेरिका से, रूस से केंद्र में पैसा नहीं आता, हमारा पैसा है, हमारे खून-पसीने की कमाई है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपने भी एक पैसा खर्च नहीं किया। जनता का पैसा है, अशोक गहलोत ने एक पैसा खर्च नहीं किया है।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): हमको मिलना चाहिए हमारे हक का पैसा।

श्री सभापति: विराजें, सब विराजें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): साथ में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि टोटल विकास के काम ठप हैं। इस समय दो साल पहले के

(श्री वासुदेव देवनानी)

ठेकेदारों के 13 हजार करोड़ रुपये बाकी हैं इसलिए ठेकेदारों ने काम करना बंद कर दिया। खड्ढ़ों से सड़कें भरी पड़ी हैं। कुछ तो करो, दो साल का पैसा तो दो, इतने कंगाल तो नहीं हुए। पैसे को लूटना बंद करो, जरा जनता की संभाल लो, जनता के विकास कराओ तब जाकर के आप करोगे नहीं तो यह सरकार...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अभी एक सज्जन कह रहे थे, उनका एक मिनट का जवाब दूंगा। कह रहे थे कि सारे विश्व में राजस्थान की सराहना हो रही है। भाई, विश्व के कौन से देश में सराहना हो रही है? कोई एक देश का नाम तो बता दो। केवल खुद ही पीठ पर कि विश्व में अशोक गहलोत की सरकार की सराहना हो रही है, कहीं सराहना नहीं हो रही।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मोदी जी ने तो एक बार उनकी पीठ इसलिए थपथपायी कि कोई अच्छा काम करो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया आप समाप्त करें। (व्यवधान)

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): राजस्थान सरकार से सबक लेना चाहिए अन्य राज्यों को। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पी.एम. की सराहना हो रही है। पी.एम. की मर्यादा सीखो, पी.एम. की सराहना करना सीखो, जिससे पैसे लेते हो जरा उनके एहसानमंद रहो।

श्री सभापति: समय समाप्त। श्री खुशवीरसिंह।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इस प्रकार की बात करना कि मोदी जी अपनी जेब में से दे रहे हैं क्या, तो अशोक गहलोत अपनी जेब में से दे रहे हैं क्या? यह तो जनता का पैसा है इसलिए मैं आपसे मांग करूंगा कि आप सब मिलकर के...

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें। अगला नाम पुकारा गया है, अब समाप्त करें, आप बिराजें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जो धन्यवाद प्रस्ताव है इसका मैं विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि यदि आप नहीं सुधरे तो पिछली बार 21 आए थे, अबकी बार आप 11 की संख्या में समेट दिये जाओगे। इतनी आपको चेतावनी देता हूं। सभापति महोदय, आपने मौका दिया

धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य रामलाल जी, कृपया शांति रखें। (व्यवधान)

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की पुस्तिका पढ़ने से सरकार की मंशा पूर्ण रूप से परिलक्षित हो जाती है।

(17.00 बजे)

यह इस तरह की पुस्तिका है, निर्मल पानी की तरह है, जैसा चाहे पानी में रंग मिलाएं, वह मिल जाता है। मैं यहीं से बोल रहा हूं। आपको एक तरफ बोलना है। इधर वालों को भी एक तरफ बोलना है। हमें दोनों का ध्यान रखकर के सत्य को बोलना है। आप तो कुछ भी एक तरफ बोलोगे। मुझे तो दोनों का ध्यान रखकर के बीच में बोलना है, इसलिए मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा।

सभापति महोदय, हमने सुना था कि विश्व में 1917 के आसपास महामारी आई थी। उसके बाद में हाल ही में हमने महामारी का दृश्य अपनी आंखों से देखा। ऐसा लगा कि दुनिया थम सी गई है। गांव, शहर वीरान हो गए। सड़कें वीरान हो गई। लोगों में एक दहशत थी। लेकिन उसमें भी मैंने महसूस किया है कि एक अच्छी बात निकलकर आयी कि पर्यावरण की दृष्टि से हम देखते हैं कि इतना शुद्ध वातावरण हुआ है। हर खराब चीज में से भी अच्छी चीज निकालने की सोच होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आम जन को तकलीफ हुई, मजदूरों को तकलीफ हुई, वह बेहाल हुए, लेकिन यह न तो प्रधान मंत्री के और न मुख्य मंत्री के बस की बात थी। यह प्रकृति का प्रकोप था। इस प्रकोप को हमने उत्तराखंड में कल-परसों भी महसूस किया है। वहां जिस तरह से बाढ़ आयी है और सब कुछ बह गया। हम विकास के नाम पर इस धरती का विनाश करने पर तुले हुए हैं। गांव वालों ने बहुत विरोध किया कि इससे इस तरह की आपदाएं आएंगी और पर्यावरण को नुकसान होगा। हिमालय में इस तरह से करना अपराध है। यह प्रकृति का अपराध है।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोरोना काल के अंदर शानदार प्रबंधन किया। किस तरह से उन जरूरतमंद परिवारों के पास सरकारी मदद पहुंचे, चाहे भामाशाहों की मदद हो, सभी विधायकों ने, सभी कर्मचारियों ने इस दु:ख की घड़ी में जनता का साथ दिया।

(श्री खुशवीरसिंह)

मैं इसके लिए उन सभी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, प्रबंधन में मुख्य मंत्री जी का कोई सानी नहीं है। एक से बढ़कर एक प्रबंधन मुख्य मंत्री जी के रहे हैं। चाहे 2002-03 में अकाल का प्रबंधन रहा हो, चाहे मजदूरों को पहुंचाने के लिए अभी इस कोरोना काल में मुख्य मंत्री जी ने जो प्रबंधन किया, वह बहुत ही शानदार रहा है। आप जानते हैं कि मुख्य मंत्री जी के और भी क्या-क्या प्रबंधन रहे हैं। आपकी सोच वहां पर समाप्त हो गई। आपके सपने चूर हो गए। यह शानदार प्रबंधन मुख्य मंत्री जी का रहा है। सुन लो मेरी बात, उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि आज किस तरह इस दु:ख की घड़ी में उन वैज्ञानिकों ने, उनको मैं बधाई देना चाहूंगा जो उन्होंने कोरोना का वैक्सीन ईजाद किया है। प्रधान मंत्री जी ने भी इसमें रुचि ली, इसके लिए उनको बधाई देना चाहूंगा। मैंने कहा न कि मैं दोनों तरफ की बात करूंगा। मैं सत्य बताऊंगा। मैं एक तरफ नहीं बोलूंगा। मैं वह भी बता दूंगा वक्त आने पर। आप चिंता मत करो।

सभापति महोदय, यह तो आपको मानना पड़ेगा कि मुख्य मंत्री जी ने नि:शुल्क दवा योजना देश के अंदर पहली और मेरे ख्याल से दुनिया में, इसको दुनिया के लोग देखकर के गये, किस तरह से राजस्थान में मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने नि:शुल्क दवा और जांच योजना चालू की। देश के अंदर पहला राज्य राजस्थान था। उस गरीब के लिए चिंता की जो कि वह कल्पना ही नहीं कर सकता था, वह इलाज आज मुख्य मंत्री महोदय की वजह से नि:शुल्क कराया जा सकता है। आयुष्मान भारत के साथ मुख्य मंत्री जी ने महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना जोड़कर, 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपये का लाभ देने का भी काम किया है। इसमें महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा है।

(17.05 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, स्वदेशी चिकित्सा को बढ़ावा देना, इसमें आप और हम सबको सोचना होगा। हमारा देश जो सदियों से दुनिया का हर दृष्टि से गुरु रहा है। आयुर्वेद औषधि की ओर सारी दुनिया का इस कोरोना काल में रुझान बढ़ा है। मैं चाहूंगा कि किस तरह से हम आयुर्वेद को और बढ़ावा दे सकते हैं। यह जो औषधीय पौधे हैं, उन पौधों का वन विभाग के साथ मिलकर

(श्री खुशवीरसिंह)

के पीपीपी मोड पर विकास किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारी औषधीय वनस्पति भी बच जाए और पर्यावरण भी शुद्ध होगा। इसके लिए मैंने एक पूरी योजना बनायी है। मैं इसे माननीय मुख्य मंत्री महोदय को प्रेषित करुंगा कि किस तरह हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं फसल बीमा योजना के बारे में कहना चाहूंगा। आप और हम सभी जानते हैं कि फसल बीमा में आज किसानों को बहुत भारी घाटा हो रहा है। इसमें आप और हमें सोचना होगा। इसमें तहसील को एक यूनिट माना गया है। जब सर्दी में पाला गिरता है तो यह जरूरी नहीं है कि वह तहसील के हिसाब से ही गिरेगा। अतिवृष्टि तहसील के हिसाब से होगी या अनावृष्टि तहसील के हिसाब से होगी। विज्ञान विकसित हो चुका है। अब सैटेलाइट हमारे पास में हैं। एक-एक खसरे को यूनिट माना जाए। इससे उसका आंकलन भी हम वैज्ञानिक दृष्टि से कर सकते हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि प्रत्येक खसरे को यूनिट मानकर फसल बीमा का लाभ किसानों को मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं सिंचाई प्रबंधन की बात करूंगा। आज नहरों से सिंचाई होती है। दूसरी तरफ अधिकांश क्षेत्रों में जहां नहरें नहीं हैं, वहां पम्प सैट द्वारा सिंचाई होती है। इसका प्रति बीघा हम हिसाब लगाएं तो एक पिलाई में 200 रुपये एक बीघा पर पम्प सैट से खर्च आता है जबकि नहर में मात्र 2 रुपये ही खर्च आता है। मैं चाहूंगा कि उन किसान भाइयों को जो पम्प सैट से खेती कर रहे हैं, उनको सरकार द्वारा लाभ दिया जाए। उनको 5 हार्स पावर तक की बिजली निःशुल्क कर दी जाए।

सभापति महोदय, आप और हम सभी जानते हैं कि जो कृषि भूमि पर ऋण लेते हैं और किसान उसको अनावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण नहीं चुका पाता, उन किसानों के घर के सामने बैंक वाले पहुंचते और ढोल बजाते, उनकी तौहीन करते, उनको बेइज्जत करते और उनकी जमीन को कुर्क करते थे। आज बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा अरबों रुपयों की सब्सिडी लेने के बाद भी उनके किसी के घर के आगे ढोल नहीं बजा है। मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की 3-4 घटनाएं ऐसी हो गई थीं, वहां लोग एकत्रित हुए। मैं भी वहां पहुंचा। मैंने कहा कि कुर्क नहीं होने देंगे चाहे मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, लेकिन किसान के घर के आगे

(श्री खुशवीरसिंह)

ढोल नहीं बजने दूंगा। मेरे क्षेत्रवासियों ने साथ दिया। हमने आकर के माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध किया और उस समय संयोग ऐसा था कि सदन प्रारम्भ होने वाला था और मुख्य मंत्री जी ने पहला कदम यह उठाया। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, कृषि वैल्यू एडिशन पर हमें जोर देना होगा। हम मात्र गेहूं बेचते हैं या जो फ्रूट बेचते हैं उससे किसान को फायदा नहीं होता है। उसके बायप्रोडक्ट बनाकर किसान किस तरह से बेचे उसमें जो कदम उठाया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसमें और आगे बढ़ने की गुंजाइश अभी और है। वैल्यू एडिशन के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए ताकि किसान की आर्थिक स्थिति दूसरी बातों से तो होगी या नहीं होगी लेकिन इस बात से निश्चित रूप से मजबूत होगी।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने ट्यूबवैल पर जो बंधन थे, उनको हटा दिया है ताकि किसान अपना ट्यूबवैल खोद सके और दूसरों की तरह पानी पिला सके। इसमें छूट दी। उसमें पहले कई परेशानियां होती थीं और ब्याज मुक्त ऋण भी पिछली बार भी, पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने ब्याज मुक्त ऋण दिया और इस बार भी ब्याज मुक्त ऋण दिया किसानों को इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि हाल ही में मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक यात्रा निकाली, जनप्रतिनिधियों के साथ में वन विभाग और चरागाह भूमि पर। वन विभाग के अधिकारीगण को भी साथ लिया। किसानों को बार-बार परेशानी आ रही थी कि हमारी फसल को वन्य जीव, रोजड़े और जंगली सुअर नुकसान पहुंचाते हैं, इधर हमारा पशुधन घूम रहा है, उसका कोई मालिक नहीं है और वह भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में एक यात्रा निकाली और उसमें हमने तय किया कि चरागाह भूमि से हम, सबसे पहले अगर हमारे पशुधन को बचाना है, हमारी गाय को बचाना है, जो गोमाता, गोमाता करके वोट तो लेते हैं, लेकिन सच्चे मायने में अगर गाय की सेवा करनी है, साथियों, तो चरागाह भूमि को बचाना होगा और उसमें हमारा सबसे पहला काम अंग्रेजी बबूल का उन्मूलन करना होगा, जड़मूल से नष्ट करना होगा। परमिशन दी जाती है ग्राम पंचायतों को, झाड़ी कटिंग के नाम से,

(श्री खुशवीरसिंह)

वह दशानन है, एक काटोगे तो उसके दस सिर निकल जाएंगे, उसको जड़मूल से जब तक नहीं निकालेंगे, अंग्रेजी बबूल को, तब तक हमारी पौष्टिक घास जो विलुप्त हो चुकी है, चाहे वह धामण है, चाहे सेवण है, वो घास समाप्त हो चुकी है, वो घास आपको मैं बता दूं, वह एरोबिक घास है, वो हवा से पानी खींच कर गर्मियों में और जून में 50 डिग्री टेम्प्रेचर में उसकी प्रूनिंग हो जाती है और सात-आठ दिन के बाद में उस घास को वापस गोमाता चर सकती है। हम उसको भूल रहे हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं है इसलिए अंग्रेजी बबूल लगा रहे हैं।

इसके साथ ही, हमने वनों में यह भी देखा है कि लेंटाना की झाड़ी जो माउंट आबू से चालू होकर हमारे वहां तक पहुंच चुकी है, लेंटाना इतना खतरनाक है कि एक भी उसके वनस्पति नहीं हो सकती, घास नहीं हो सकता। अंग्रेजी बबूल को तो हम फिर भी जेसीबी द्वारा जड़मूल से निकाल सकते हैं लेकिन वह तो बेल की तरह फैल रही है और जब जंगल में आग लगती है, पहले कहते थे कि जंगल में आग लगती है तो जंगल अच्छा फूटता था लेकिन जहां यह लेंटाना है, पहले ग्राउंड फायर होता था अब क्राउन फायर होने लगा है, पेड़ पूरा ऊपर तक जल जाता है, पेड़ वापस होता नहीं है, खतम हो जाता है और इसको मवेशी खा जाते हैं तो बेरहमी से मरते हैं। मैंने वीडियो देखा है, मेरा दिल पसीज गया उस वीडियो को देखकर, किस तरह से मवेशी का डिहाइड्रेशन हो जाता है, वह तड़प-तड़प कर पांच-छह दिन में मरता है। मैं चाहूंगा कि हम सबको मिलकर जंगल से इस लेंटाना को निकालना है, नहीं तो हमारी स्थानीय वनस्पति, जो भी औषधीय वनस्पति है, वो विलुप्त हो जाएगी, इसके लिए अभियान के रूप में, जन आंदोलन के रूप में इसको लेना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि डीएमएफटी का जो फंड आ रहा है, हम बड़े खुश होकर ले रहे हैं कि हमारे कक्षा-कक्ष बना दो, सड़कें बना दो, यह कर दो, वह कर दो। साथियों, डीएमएफटी का फण्ड किस लिए है, जो इस धरती का नाश होने जा रहा है माइनिंग की वजह से, उस नाश की पूर्ति हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए यह फंड है। यह हमारी मनमर्जी के लिए फंड नहीं है कि हम जो चाहे, जिस तरह से इसे खर्च कर दें, यह गलत है, यह अपराध है, नियमों के विरुद्ध भी है। मैं चाहूंगा कि अधिकांश फंड जो नियमानुसार है, वह हमारे पर्यावरण के लिए खर्च होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे अरावली की तलहटी में हमारी जो

(श्री खुशवीरसिंह)

सैंक्चुअरी है, उसके अंदर हमने एक प्रोग्राम बनाया है और मैंने एक प्रस्ताव भी रखा है कि हमें पांच सौ हैक्टेयर के हर पांच दस किलोमीटर पर एन्क्लोजर बनाने होंगे और वे एन्क्लोजर पेंथर प्रूफ हों ताकि पेंथर उसके अंदर नहीं घुस सके और जितने भी हमारे किसानों को जो नींद हराम करने वाले रोजड़े हैं, जंगली सूअर हैं, उनको उनमें डाल दिया जाए और उसको ग्रास लैंड के रूप में विकसित कर दिया जाए। मात्र पांच सौ हैक्टेयर की चारदीवारी की लम्बाई नाप लें तो 14-15 किलोमीटर होते हैं और 14-15 किलोमीटर मात्र तीन करोड़ रुपये में होती है और चरागाह विकास हो जाएगा तो कम से कम किसान चैन की नींद ले पाएगा और इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने एक प्रस्ताव रखा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध भी किया है और करूंगा, मुझे विश्वास है कि अगर हम इस तरह के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा काम कर पाएंगे पर्यावरण के लिए, इस धरती मां के लिए।

माननीय सभापति महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यह जीरो इन्वेस्टमेंट उद्योग है, इसमें हमें एक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको हम अधिक टैक्स लगा लगाकर दबाये जा रहे हैं, कोरोना काल में पर्यटन उद्योग पूर्ण रूप से ठप हो गया है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है, उसके लिए सरकार को कई तरह की छूट देनी होगी ताकि हमारा पर्यटन उद्योग वापस बढ़ सके।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मेरी सर्जरी होने वाली है, दिल्ली जाऊंगा, मेरे असाध्य रोग है। संडे से मेरा दिल्ली में आपरेशन होगा, कब आ पाऊंगा, बजट भाषण में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस वक्त उपस्थित हो पाऊंगा या नहीं इसलिए पांच मिनट का समय चाहता हूं कि मैं मेरी बात कह दूं।

श्री सभापति: हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, सुझाव है मेरा कि आरटीडीसी में यह तय हुआ था कि इसका जो निगम बना है, उसका अध्यक्ष होगा वह मनोनीत व्यक्ति का सरकार द्वारा, पोलिटिकली

(श्री खुशवीरसिंह)

अपोइंटमेंट होगा लेकिन वो पद अगर नहीं है तो मेरा सुझाव है कि वहां कम से कम आईएएस अधिकारी को नहीं बैठाया जाए, सेक्रेटरी के रूप में काम करे, आरटीडीसी के चेयरमैन के रूप में काम नहीं करे। उससे क्या हो रहा है कि आज हमारी घाटे में यूनिट चल रही है, कई यूनिटें घाटे में चल रही हैं, ऐसी-ऐसी जगह पर यूनिटें हैं तो अगर प्राइवेट पार्टी के पास हो तो वह करोड़ों रुपयों के मुनाफे में आ जाए। पीपीपी मोड पर या एक ऐसी योजना बनाकर जो घाटे में यूनिट चल रही हैं, उनको पांच साल की लीज पर जो कर्मचारी है उनको वहीं समायोजित करें, ऐसी कोई योजना हम बनाकर उन यूनिटों को अगर हम दें तो वे निश्चित रूप से लाभ में आ जाएंगी और उनको देखकर दूसरी हमारी यूनिटें और भी लाभ में आ जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटा-सा सुझाव देना चाहूंगा कि पाली में पणिहारी आरटीडीसी की यूनिट है। वहां इतनी जमीन पड़ी है, मात्र एक गार्डन विकसित करना है, एक लॉन विकसित करना है, वहां मैरिज गार्डन होते ही हजारों शादियां होने लग जाएंगी और करोड़ों रुपयों का मुनाफा हो जाएगा, लेकिन उसकी चारदीवारी टूटी हुई पड़ी है, तो मैं चाहूंगा कि एक मॉडल के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक जिले को या एक यूनिट को लेकर हमें ऐसा काम करके दिखाना होगा ताकि ऐसी यूनिट प्रोफिट में आ जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के विकास की बात भी करना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बार पैनोरमा की बात की है। हमारा बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। गुरू गोविन्द सिंहजी का, भगवान परशुराम का, देवनारायण भगवान का, महाराणा कुम्भा का, ये हमारे मंदिरों का विकास पर्यटन की दृष्टि से किया है। मंदिरों के बारे में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि गांवों के अंदर अधिकांश मंदिर इस तरह से बना लिए जाते हैं सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से निर्माण हो जाते हैं और फिर उस मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं होती है। मैंने दस्तावेज निकाले हैं सन् 1938 के, वे मेरे पास रखे हुए हैं। एक मंदिर निर्माण की बात आयी और रियासतकाल की बात है, एक जागीरदार द्वारा मंदिर निर्माण की परमिशन मांगी गई रियासत से। रियासत ने वापस पत्र जारी किया कि आप मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, ट्रैजरी बैंच कहां है? धन्यवाद प्रस्ताव उनका है, उन्हें पास कराना है। आप देखें, कुल 11 लोग उपस्थित हैं। मुझे ऐसा लगता है, यह सदन की गरिमा को गिराने वाला कदम है। सदन को बहुत हल्के में लेने का स्वभाव बन गया है। यह नहीं होना चाहिए, वरना तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं एक ही सवा लाख के बराबर हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, ''मैं एक हूं न सवा लाख के बराबर।'' आप सवा लाख नहीं हैं, महाराज, आप एक ही हैं। सभापति महोदय, बुलाएं सभी को।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, काफी समय हो गया। औरों को भी बोलना है।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सर, पांच मिनट और लूंगा। मैं जो घटना बता रहा हूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सत्य है और मैं दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। सभापति महोदय, उस जागीरदार को लिखकर देना पडा कि मैं इतनी बीघा जमीन पुजारियों के लिए आरक्षित करता हूं, इतनी बीघा जमीन भगवान के भोग और प्रसाद के लिए आरक्षित करता हूं, इतनी बीघा जमीन, कुआं मंदिर के लिए आरक्षित करता हूं, मंदिर में फूल और माला पहनाने की व्यवस्था करता हूं, उसके बाद में परमिशन दी जाती थी। आज क्या हो रहा है? हमें इसके बारे में सोचना होगा।

सभापति महोदय, मैं अंत में मेरे क्षेत्र की बात कहूंगा, आप बार-बार मुझे टोक रहे हैं। पिछले वर्ष मेरे क्षेत्र में एक दलित महिला की हत्या हो गयी थी, उस हत्या की गुत्थी आज दिन तक नहीं खुल पायी। जब वहां के लोग उस दलित महिला के लिए गये तो वहां के डीवाईएसपी ने तानाशाह के रूप में उनके साथ बदतमीजी की। यह शर्म आने की बात है। एक साल हो गया, उस मर्डर की गुत्थी नहीं सुलझ पायी। शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

(श्री खुशवीरसिंह)

आज मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक चोरी की वारदात हुई, चोर पकड़े गये, वहां के एसएचओ ने चोरों से माल बरामद कर लिया 28 तोला सोना। मैंने लिखित में शिकायत भी दी है। उनसे रुपये भी ले लिये, सोना भी ले लिया और रिपोर्ट में बता दिया कि खुर्द-बुर्द कर दिया, खा-पीकर मौज-मस्ती में उड़ा दिया और उसकी जांच एक साल तक नहीं हुई। आज वह एसएचओ जेल में बैठा है। उसने तेल की पाइपलाइन का खुद ने जाकर निरीक्षण किया, लोगों को बुलाया और बुलाकर कहा कि पाइपलाइन में होल करो। तब उस खेत के मालिक ने मना कर दिया कि मैं ऐसा आपराधिक काम नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसे दबाया, उसके विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया और बुलाकर कहा, ''जेल में डाल दूंगा तुझे।'' उसे दबाकर उसके खेत में पाइपलाइन में एक वाल लगाया गया और उसके माध्यम से लाखों लीटर तेल की चोरी की गयी। वह पकड़ा गया और आज जेल में है। खुशवीरसिंह ने जो बात की थी, जो शिकायत की थी, सत्य के आधार पर उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को यदि हम प्रश्रय देंगे तो यह बड़े दुःख की बात होगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा जो एसओजी गठित हुई, उसने उसे जेल में डाल दिया है।

आप कहते हैं अपराध बढ़ गये हैं। अपराध नहीं बढ़े हैं। रिपोर्टें बढ़ी हैं, एफआईआर दर्ज होती हैं। पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती थीं। मुख्य मंत्री जी ने यह आदेश पारित कर दिया कि कोई भी परिवादी जाए तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। आप लिखित में दें मुख्य मंत्री जी को। समाप्त करें अब। प्लीज सहयोग करें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, मेरे क्षेत्र में सड़कों के विकास की बात, पेयजल की जेजेएम के तहत मेरे क्षेत्र में जो योजना लागू करनी है, उसकी बात पूर्ण रूप से मैं लिखित में माननीय मुख्य मंत्री महोदय को दूंगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो संविदाकर्मी हैं, चाहे पंचायती राज के हैं या शिक्षामित्र हैं, आज दिन तक उनके लिए आधी-अधूरी भर्ती होकर दोहरा मापदण्ड हो गया है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि उन्हें भी लाभ दिया जाए और उनका भी नियमितीकरण कर लिया

जाए। यह मेरा आपसे अनुरोध है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे माननीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, मैं अपने से पूर्व लगभग दस माननीय सदस्यों को सुन चुकी हूं। जो सत्तापक्ष के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने बहुत बढ़चढ़कर अपनी बातों को कहा है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ये फील्ड में काम करते हैं या मुख्य मंत्री जी के चारों ओर चक्कर ही लगाते रहते हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, क्योंकि जो फील्ड में काम करता है उसे तो पता है कि सिस्टम की खामियां कितनी अधिक हैं।

माननीय महामहिम चूंकि संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उन्हें सरकार जो देगी, वही बोलना है, इसलिए उनकी मजबूरी है, लेकिन आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है, आप तो कम से कम सही-सही बोलें। राजस्थान का भला तब होगा जब हम सिस्टम की कमियों को चिह्नित करके उन्हें ठीक करेंगे।

बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि कोरोना काल में सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि पूछें ही मत। सरकार की तारीफों के पुल बांधते उनका मुंह नहीं दुख रहा था। उन्होंने एक बात कही कि हमारा एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह प्रण लिया। प्रण लिया और दिखाने के लिए बात मंच पर कही। अखबारों के माध्यम से पूरे राजस्थान-भर में प्रसारित भी करायी, लेकिन उसके क्या उपाय किये, यह जरा बता दीजिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने कोष का, अपने राज्य का, अपने बजट का एक भी पैसा यदि लगाया हो तो आप सदन के पटल पर रख दें कि इतना पैसा उन्होंने खाद्यान्न में दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं दु:ख के साथ एक बात कहती हूं, मैंने पिछली बार भी यह बात कही थी। खाद्य सुरक्षा के तहत जो लोग कवर होते हैं, उनके अतिरिक्त कोरोना काल में जिन्हें भी कवर करना था, उनकी पूरी एक सूची दी गयी थी कि इस सूची के लोगों को, जो कि खाद्य सुरक्षा के तहत कवर नहीं होते हैं, उन्हें शामिल करते हुए खाद्यान्न दिया जाए। चूंकि केंद्र सरकार पारदर्शिता से चलती है, इसलिए वह चाहती है कि राज्य सरकारें और नीचे तक का सिस्टम भी पारदर्शिता से चले और उसी वजह से उन्होंने

(श्रीमती अनिता भदेल)

कहा कि आप पारदर्शी तरीके से यह ऑनलाइन कराएं। कहीं एक ही परिवार में चार-चार व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं करा लें। इस वजह से ई-मित्र के माध्यम से वह रजिस्ट्रेशन हुआ, पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब राजस्थान सरकार ने पहला आर्डर निकाला, उस आर्डर के बाद में उन्होंने कोई प्रक्रिया जारी नहीं की और फिर उस आर्डर को कैंसिल करके उन्हें दूसरा आर्डर निकालना पड़ा, जिसमें पांच दिन निकल गये। जब दूसरा आर्डर निकाला और उसके बाद लोगों ने ई-मित्र पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराये तो बहुत दुख के साथ यह बात कहती हूं कि पांच दिन तक पूरे राजस्थान में लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, क्योंकि पब्लिसिटी नहीं थी। लास्ट में, माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद के नाम से विज्ञापन निकाल दिया कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, इन-इन श्रेणी के लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। यह विज्ञापन भी आर्डर निकलने के दस दिन बाद निकाला ताकि लोग जागरूक न हों। जब विज्ञापन निकला, उसके पहले जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, यहां यदि मेरी बात सच है तो सदन के पटल पर माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दें, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट उनके पास है।

माननीय सभापति महोदय, इनका आईटी डिपार्टमेंट फेल हो गया। वे जो तीस हजार लोग थे, जिन्होंने ई-मित्र पर रजिस्ट्रेशन कराया था, उनके सभी रजिस्ट्रेशंस फेल हो गये और उन्हें इन्टीमेट नहीं किया गया कि चूंकि आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो गया, इसलिए आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कराएं। जब खाद्यान्न बंटना शुरू हुआ तो वे तीस हजार लोग भटकते फिरे क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन फेल होने का मैसेज नहीं था। वे इसी भ्रम में रहे कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमें खाद्यान्न मिलेगा। जब खाद्यान्न मिलना शुरू हुआ, रजिस्ट्रेशन का काम बंद हो गया, उस समय वे एक-दूसरे का मुंह ताकते रहे और कोसते रहे कि हमें यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो खाद्यान्न केंद्र सरकार दे रही थी, उसे ठीक प्रकार से बांटने का काम भी हम नहीं कर सके, डूब मरने की बात है हमारे लिए। हमारे लिए शर्म की बात है कि जो खाद्यान्न केंद्र सरकार भेज रही है, उसे हम ठीक ढंग से एक सिस्टम से बांट भी नहीं पा रहे।

माननीय सभापति महोदय, जब यह सिस्टम चालू हुआ तो पस्डे, आपके विभाग के अधिकारियों से पूछिये, नियमित रूप से मेरी उनसे वार्ता

(श्रीमती अनिता भदेल)

होती थी और मैं उनसे पूछती थी कि सिस्टम क्यों बंद है? क्यों सिस्टम आज चार घंटे बंद है, आज पांच घंटे क्यों बंद है, आज छह घंटे क्यों बंद है? कम से कम लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, इसलिए आपने चौबीस घंटे उस ऑनलाइन सिस्टम को चालू नहीं रखा और उसे पांच-पांच, छह-छह घंटे बंद किया ताकि वे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकें। इस तरह से आपकी मन्शा साफ और स्पष्ट दिखाई देती है कि आपने किया क्या है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश कहलाता है। यहां अपराध को कोई जगह नहीं है। यहां पर जो लोग हैं और चाहे वे राजनीति में काम करते हैं चाहे और कोई काम करते हैं लेकिन अपराधी को अपराधी कहने की हिम्मत रखते हैं। हमारी पार्टी में तो यह सिद्धांत है, भाजपा में तो यह सिद्धांत है कि कोई अपराधी है तो उसको अपराधी कहते हैं, उसके लिए हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस में शायद यह सिस्टम खतम हो गया इसलिए वे इसका पक्ष लेते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी कारण से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी और मैं आंकड़ों के साथ में यह बात कह रही हूं। आप देखिये जरा गौर फरमाइए, प्रदेश में पौने पांच लाख मुकदमे हैं और एनसीआरबी रिपोर्ट में अपराधों में देश में प्रदेश तीसरे नम्बर पर है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में जो अपराध हैं उसमें पूरे देश में हम तीसरे नम्बर पर आ गये अपराधों की दृष्टि से। महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा कर सत्ता में आई यह सरकार और इस शासन में महिला अपराध और दुष्कर्म की घटनाएं देश में काला अध्याय रच रही हैं और दुष्कर्म और महिला अपराध में राजस्थान नम्बर वन है। सुन लीजिये यह, पहले राजस्थान नम्बर वन नहीं था। आप देखिये, आप अपना जवाब दे दीजिये, आप आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करिये, मुझे ऐसे मुंह से मत बोलियेगा। माननीय सभापति महोदय, दलित अत्याचार में राजस्थान दूसरे नम्बर पर है, बच्चों पर अपराध में राजस्थान चौथे नम्बर पर है और आदिवासियों पर अत्याचार में प्रदेश दूसरे नम्बर पर है, तो कोई भी श्रेणी नहीं बची है। करौली के बूकना गांव में पुजारी को जिन्दा जलाकर मार दिया, यह तो सच है न? थानागाजी, सरदारशहर, टोंक, बारां और अजमेर सहित प्रत्येक जिले में दुष्कर्म की घटनाएं रजिस्टर्ड हैं और आप आंकड़ों को उठाकर देख सकते हैं। अलवर में डीप-फ्रीजर में जलाकर सेल्समैन की हत्या कर दी। यह तो सही है न, यह तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूं? बजरी माफियाओं

(श्रीमती अनिता भदेल)

की लूट में पुलिस की भागीदारी है, पुलिस की हिस्सेदारी है क्योंकि पुलिस तो पूरी तरह से भ्रष्टतंत्र हो गया, मुख्य मंत्री जी के हाथ से निकल चुका है यह पूरा पुलिस प्रशासन। (व्यवधान) हां, खुद भी शामिल होंगे शायद, इसीलिए ऐसा हो रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में कलेक्टर, बारां का तो रिकार्ड हमारे पास है। अभी हमारे उप नेता, प्रतिपक्ष ने बताया कि मनीष अग्रवाल जो दौसा के एसपी हैं, उनका तो बड़ा-बड़ा अखबारों में कवरेज मिल रहा है।

इसी तरह से, माननीय सभापति महोदय, आप देखिये कि पूरे प्रदेश में अपराध पहले नम्बर पर हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी आपस में लड़ रहे हैं, विधायक और अधिकारी एक-दूसरे से लड़ रहे हैं और उसका ही यह दुष्परिणाम है कि राजस्थान यहां आकर टिका है और इस कोरोना के संक्रमण काल में आपने ऐसा दृश्य इस पूरे प्रदेश में खड़ा किया है।

माननीय सभापति महोदय, ये तो मैंने कुछ चीजें जो अपराध के बारे में आंकड़े हैं वे बताये हैं और मैंने घटनाएं भी बताई हैं। आप देखिये कि थानागाजी की घटना तो पूरे प्रदेश को ही मालूम है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। ये तो मुख्य मंत्री जी के ही आदेश हैं न, तो फिर क्या हुआ बाद में? क्या करना पड़ा आपको? इसी प्रकार से दलित हरीश जाटव की पीट-पीट कर हत्या कर दी और उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया। यहां विधान सभा में माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जब आवाज उठाई तो मुकदमा दर्ज हुआ। निवाई के साजिया गांव में 15 वर्ष की दलित बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया, अलवर में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया, बीकानेर के बेलासर गांव में दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं और मैं एकएक घटना का उल्लेख नहीं करूंगी, परन्तु मैं बताना चाहती हूं कि अपराधों में किस स्थिति में यह प्रदेश पहुंच गया है।

माननीय सभापति महोदय, आप कोरोना के काल की बात कर रहे थे, मैं वापस कोरोना पर आना चाहूंगी। मुख्य मंत्री जी ने बहुत सारी चीजें कही कि हम 40 हजार का इंजेक्शन फ्री में लगाएंगे, हम प्लाज्मा थैरेपी देंगे लेकिन, माननीय सभापति महोदय, 40 हजार के इंजेक्शन कितने लोगों को लगाये गये? यह है विषय। (व्यवधान)

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): जितनों को जरूरत थी

उनको लगाये हैं। आप एक भी उदाहरण दे देंगे?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आपको मैंने बोलने के लिए नहीं बोला है। वे चिकित्सा मंत्री जी जवाब दे देंगे न, आपको बोलने के लिए नहीं बोला है। (व्यवधान) आपने सिर्फ दिखाने के लिए घोषणा की पर आपने किया नहीं।

इसी तरह से, माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि जो पंजीकृत श्रमिक हैं उन पंजीकृत श्रमिकों के खाते में 3500-3500 रुपये डाले जाएंगे, लेकिन मैं आपको बहुत दुख के साथ में कहती हूं कि आप यह सिस्टम बिगाड़ कर जा रहे हो, जो बाद में फिर संभालने से भी नहीं संभलेगा। मैं इसलिए कह रही हूं कि जो पंजीकृत श्रमिक हैं, उनके अकाउंट में साढ़े तीन हजार रुपये डलने थे पर, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने क्या किया कि मान लो जो पंजीकृत श्रमिक मेरी कांस्टीट्यूएंसी में हैं, मेरे अजमेर में हैं, उनमें से लगभग ढ़ाई हजार ऐसे पंजीकृत श्रमिक थे जिनको आज तक भी पैसा नहीं डाला है क्योंकि अजमेर से विधायक अनिता भदेल आती है, अजमेर से विधायक देवनानी जी आते हैं और ये बीजेपी के हैं इसलिए यहां मत डालो और चूंकि मसूदा से आपके कांग्रेस से विधायक आते हैं इसलिए पंजीकृत नहीं हैं फिर भी दे दिये। मैंने सवाल लगाया था और मुझे सवाल का जवाब विधान सभा में मिलना चाहिए कि जो पंजीकृत श्रमिक नहीं हैं उनको भी 3500-3500 रुपये, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पदाधिकारी कह रहे हैं इसलिए उनको दे दीजिये लेकिन जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनको मत दीजिये। ऐसे भ्रष्ट तंत्र को आपने अपनाया और वह रिकॉर्डेड है। यह चीज आपका कभी भी पीछा छोड़ने वाली नहीं है और आपका पीछा करेगी यह मैं आपको बता देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि डीएमएफटी फण्ड की बात कर रहे थे, उसमें आप किस तरह से भेदभाव कर रहे हो, उससे मुझे तो ताज्जुब होता है कि ऐसे भी कोई कर सकता है क्या? हमने तो कभी किया नहीं इसलिए हमें मालूम नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। ये लोग करते हैं इसलिए इनको बहुत अच्छी आदत है, 70 साल राज किया है न तो इसी आधार पर तो राज किया है, नहीं तो कैसे राज करते। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं डीएमएफटी फण्ड के बारे में बताती हूं, माननीय सदस्य, आप भी सुनियेगा। माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल में डीएमएफटी की बैठक हुई। पहले तो बीजेपी के विधायकों को नहीं बुलाया गया और फिर जब हमने जोर दिया तो हमें बुलाया। बुलाया तो किया क्या, यह आप देखिये। सुनना आप, आन-रिकार्ड है, प्रोसीडिंग है मेरे पास, मेरे पास मिनट्स हैं, डीएमएफटी फण्ड में एक करोड़ आठ लाख रुपये

की राशि में से...

श्री सभापति: आप अपनी बात करिये, आप उनको इनवाइट मत करिये। आप इधर करिये बात।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सॉरी। मैं आपको सम्बोधित करती हूं। आप देखिये, एक करोड़ आठ लाख की राशि में से एक करोड़ दो लाख सिर्फ केकड़ी राजकीय अस्पताल को जारी किये जबकि पीएमओ, ब्यावर द्वारा फोटो और वीडियो लेजर स्कैनर मशीन जो एंडोस्कॉपी में काम आती है, उसके लिए डिमांड की गई थी, पीपीई किट, मास्क और अन्य उपकरण भी उनके द्वारा मांगे गये थे। इसी प्रकार पीएमओ, किशनगढ़ और नसीराबाद द्वारा वेंटिलेटर सहित अन्य उपकरणों की भी मांग की गई थी। सम्भाग का सबसे बड़ा हास्पिटल, जो जेएलएन हास्पिटल है उसमें मरीजों का इलाज होता है। कोरोना में वहीं पर मरीजों को लाया जा रहा था लेकिन न तो पीपीई किट दिये गये, न कोई राशि दी गई, न वेंटिलेटर दिये गये, तो एक करोड़ आठ लाख में से एक करोड़ दो लाख सिर्फ और सिर्फ केकड़ी को दिया गया है। यह पारदर्शिता है आपकी कि डीएमएफटी फण्ड में से आप कैसे देंगे और किसको देंगे। आप देख सकते हैं कि आपने क्या-क्या कुकर्म किये हैं और भगवान आपको माफ करने वाला नहीं है। मेरे मन से तो बहुत बद्दुआएं निकलती हैं ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह से करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करती हूं कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी इस तरह से ठप कर दी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे मत बोलिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आपने बीएलएस का सर्वे कराने की बात की थी कि बीएलएस का सर्वे करायेंगे लेकिन बीएलएस ने जो सर्वे किया वह ऐसे-ऐसे लोगों का सर्वे किया जो पात्र ही नहीं थे, तो जो पात्र नहीं थे उनका सर्वे कर लिया और जो पात्र थे उनका सर्वे नहीं किया जिससे सरकार का जो इम्प्रेशन गया, जो छवि गई है वह सरकार का इम्प्रेशन बहुत अच्छा नहीं गया है, बहुत बुरा गया है, इसकी चिन्ता आपको करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली पर आना चाहूंगी। (व्यवधान) तारीफ भी कर रहे हैं और तारीफ तो जनता बताएगी, हमारे और आपके तारीफ करने से कुछ नहीं होने वाला है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि लॉकडाउन जब हुआ और कोरोना महामारी से जब हजारों श्रमिक काम से छूट गये, उनको काम नहीं मिला तो उन्होंने पलायन

(श्रीमती अनिता भदेल)

किया और आर्थिक गतिविधियां जब पटरी पर नहीं आईं तो ऐसी स्थिति में वे लोग अपेक्षा कर रहे थे कि हमारा तीन महीने का बिजली का बिल माफ होना चाहिए, लेकिन तीन महीने का बिजली का बिल माफ होने के बजाय आपने किया क्या है? स्थायी शुल्क, फ्यूल चार्ज, बिजली की दरों में बढ़ोतरी की। जो लोग यह सोच रहे थे कि सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलेगी पर सरकार की तरफ से राहत मिलना तो दूर रहा, वे मुसीबत में पड़ गये। जो एक आम व्यक्ति होता है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है वह महीने में 5 से 10 हजार रुपये ही कमाता है, इससे ज्यादा नहीं कमाता है। आप कल्पना करिये कि 8 हजार से 12 हजार रुपये तक उसको बिजली का बिल चुकाना पड़ा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं कि एक दुकानदार का 35 यूनिट विद्युत का उपयोग हुआ, माननीय सभापति महोदय, दुकान थी और वह लॉकडाउन में बन्द रही, लॉकडाउन में खुली नहीं पर जो उसका विद्युत उपभोग हुआ, क्योंकि आजकल तो हवा से ही मीटर चलता है और 35 यूनिट उसका उपयोग हुआ। उस 35 यूनिट उपभोग का चार्ज कितना है, वह मैं आपको बताती हूं। इसका विद्युत खर्च 264.25 रुपये आया, परन्तु इसका स्थाई शुल्क उपभोग से तीन गुना था और वह 720 रुपये आया। इसके अलावा जो अन्य विद्युत शुल्क उपभोग के नाम पर 14 रुपये, जल उपभोग उपकर के नाम पर 3.50 रुपये, नगरीय उपकर, माननीय सभापति महोदय, हमारे शहर में नगरीय उपकर लगा है क्योंकि इस उपकर से पैसा आता है, उससे स्ट्रीट लाइटों का भुगतान करते हैं तो नगरीय उपकर 5 रुपये 25 पैसे और 35 यूनिट उपभोग का कुल बिल आया। इस तरह से 1 हजार 7 रुपये, यह सिर्फ 35 यूनिट का बिल है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो दुकान बंद रही है, उस दुकान के बंद होने के बावजूद भी, उसको एक हजार रुपये बिजली का बिल चुकाना पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में वह बिजली का बिल चुकायेगा कि अपने बच्चों को पालेगा कि स्कूल की फीस जमा करायेगा, क्या-क्या करायेगा? स्कूल वाले भी अब चालू हो गये कि आपको एक साल की स्कूल की फीस देनी है।

इसी तरह से, माननीय सभापति महोदय, सरकार के ध्यान में मैं एक विषय लाना चाहूंगी कि यह बारबार कहा जा रहा है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हम बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अच्छी बात है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

बिजली के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सौर ऊर्जा हमारे यहां प्रचुर मात्रा में है और केन्द्र सरकार की जो पॉलिसी है उस पालिसी के तहत, सब यूनिट्स पर, जो इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज पर, सौर ऊर्जा के यूनिट्स लगाये गये हैं, तो हमारे यहां उत्पादन अधिक हो रहा है। लेकिन नेट मीटरिंग का जो प्रोसेस, जो नई पालिसी ला रहे हैं आप सौर ऊर्जा में, उसमें नेट मीटरिंग में आपने उद्योग धंधों को माइनस कर दिया है। उन उद्योग धंधों को माइनस करने से, वे जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वे बहुत परेशान हैं। जो अक्षय ऊर्जा निगम है, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई है कि आप यह पालिसी नहीं लाएं। यह पॉलिसी लाएंगे तो यह हतोत्साहन होगा। जो ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, जो यूनिट्स ऊर्जा बना रही हैं, वे हतोत्साहित होंगी और फिर ऊर्जा नहीं बनेगी तो आप जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, धीरे-धीरे यह पीछे हट जाएगी। यह बहुत घातक कदम होगा, इसलिए सरकार को मन से, दिमाग से, बहुत स्टडी करके इसको सोचना चाहिए। इसीलिए मेरा आग्रह है कि यह जो आप पालिसी ला रहे हैं, आप इस पालिसी पर जोर देकर के ध्यान करेंगे तो मुझे लगता है कि आप ठीक प्रकार से काम कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक ये मेरे पास कुछ भर्ती की कटिंग है। आप यह देखिए, सरकार ने यह कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। अब युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छी बात है। हर सरकार को रोजगार उपलब्ध कराना ही चाहिए। लेकिन आपने किया क्या? आपने तो सिर्फ रोजगार देने के बजाय, आपकी जो भर्ती है न, वह विवादों में चली गई। पटवार भर्ती, तीन बार कैंसिल हो गई है। माननीय सभापति महोदय, कनिष्ठ अभियन्ता संयुक्त भर्ती परीक्षा, भर्ती होने के बाद में पेपर लीक होता है और वे परीक्षार्थी, जो परीक्षा देते हैं, वे मायूस होकर के वापस तैयारी कर रहे हैं। गजब कर दिया भाई आपने, गजब कर दिया। राजस्थान में कभी भी पिछले पांच सालों में बीजेपी की जब सरकार रही, वसुन्धराजी की सरकार रही तब एक भी बार भर्ती परीक्षा आउट नहीं हुई। पटवारी की पहले भी भर्ती हुई थी, ट्रांसपैरेंसी के तहत, कानोंकान खबर नहीं लगी कि पेपर कौन-सा है। वे अधिकारी जी तो रिटायर हो गये हैं। उनका नाम अब मैं ले सकती हूं। अब वे सरकार में नहीं हैं। दीपक उप्रेतीजी थे उस समय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उन्होंने वह भर्ती कराई

थी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, इतनी बड़ी भर्ती लेकिन एक आरोप किसी पर नहीं लगा और पूरे के पूरे लोगों को पदस्थापित किया गया। पटवारियों के इतने पद खाली हैं, तहसीलदारों के, नायब तहसीलदारों के, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं क्योंकि पटवारी की पोस्ट खाली है। नायब तहसीलदार पर नहीं होगा, नायब तहसीलदार पर नहीं होगा तो तहसीलदार पर नहीं होगा। यदि हम सिस्टम को चालू रखें...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तो निश्चित रूप से ये पटवारी भी हमको मिलेंगे और हमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी मिल जाएंगे, तो सिस्टम को रेवेन्यू जनरेट करने में, रेवेन्यू में काम करने में आपको सुविधा होगी। इतना मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं समाप्त करूंगी। माननीय सभापति महोदय, अभी जितने भी माननीय सदस्य बोलें, उन्होंने कृषि बिलों के बारे में बोला और बहुत अनर्गल वार्तालाप की, बिना तथ्यों के बात रखी, लेकिन मैं कुछ चर्चा आपके सामने करना चाहती हूं। अब जब आप यह बार बार कह रहे हैं कि यह बिना बात के, बिना बात के कर दिया आपने, ऐसे कैसे कर दिया?

श्री सभापति: कृपया सहयोग करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तो मैं आपको दो-तीन चीजें सिर्फ बताना चाहती हूं कि आपने क्या किया और हमने क्या किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, प्लीज सहयोग करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, बिलकुल यह मेरा लास्ट पाइंट है कृषि वाला। इसके अलावा कोई दूसरा पाइंट नहीं बोलने वाली। ये जो दोगली नीति अपनाते हैं न, उस पर मुझे थोड़ा आपत्ति है। आप यह देखिए, ये मनमोहन सिंहजी की यूपीए सरकार में जो पार्टियां शामिल थीं, उन्होंने इन बिलों को समर्थन दिया था और रिकार्डेड है, मीटिंग की मिनिट्स हैं। उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और टीएमसी, कई राजनीतिक दल थे। 4 दिसम्बर, 2012 को कपिल सिब्बल जी ने संसद में एपीएमसी में बदलाव करने, निजी बाजार कृषि में खोलने और यूपीए की केन्द्र सरकार ने इसमें समर्थन किया।

यह 4 दिसम्बर, 2012 की बात मैं आपको बता रही हूं।

श्री सभापति: कृपया सहयोग करें, विराजिए आप। श्री रामलाल शर्मा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी के साथ जो विपक्षी पार्टियां थीं, जो विरोध कर रही हैं, वे अब भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि, कांग्रेस पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में इस विधेयक को सरकार आने पर लागू करने की बात कही है, जिसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस एपीएमसी को निरस्त कर देगी। देखिए, घोषणा पत्र में आपने लिखा है कि कांग्रेस एपीएमसी को निरस्त कर देगी, कृषि उत्पादों में व्यापार की व्यवस्था करेगी और निर्यात, अन्तरराज्यीय व्यापार भी शामिल है इसके अन्दर।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें, विराजिए अब आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहती हूं। कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र के पेज नम्बर 18 पर उन्होंने ये वादा किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, मैं तीनों बिलों के बारे में बोल रही हूं, आपने जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, Essential Commodity Act को खतम कर उसकी जगह नया कानून लायेगी।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा। विराजिए अब आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 27 दिसम्बर, 2013 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस करके ये बात कही थी।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, प्लीज सहयोग करें। ऐसा नहीं, इतना अनलिमिटेड नहीं, बिलकुल नहीं, प्लीज विराजिए अब आप। श्री रामलाल शर्मा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं आपको सहयोग कर रही हूं। बस सिर्फ दो मिनट बस दो उदाहरण, आप कह रहे हैं न हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। बस दो बात।

श्री सभापति: नहीं, बस विराजिए आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ये मेरे पास है चिट्ठी। सांवरलाल पुत्र रामकरण खाती, निवासी ग्राम चावंडिया, पंचायत सतवाडिया, तहसील मसूदा।

श्री सभापति: रामलाल जी, मैं दूसरा नाम पुकार लूंगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मसूदा का यह व्यक्ति है, जिसने कर्ज माफ नहीं हुआ और वह कलेक्टर को चिट्ठी लिखता है और कलेक्टर मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिखता है और मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव कलेक्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, सहयोग करें। बहुत वरिष्ठ हैं आप। विराजिए, विराजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उस चिट्ठी को मैं पढ़कर सुनाती हूं। एक सैकंड् यह आदेश है।

श्री सभापति: रामलाल जी। दूसरा नाम पुकारूं मैं?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक सैकंड, डीबी गुप्ता जी का आदेश है। वह चिट्ठी मैं पढ़ देती हूं, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: प्लीज, विराज जाइए। अंकित नहीं होगा। श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: विराजिए अब आप। अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: टेबल नहीं होगा, टेबल नहीं करें। विराजिए आप, अपनी सीट पर जाइये, बोल दिया आपने, टेबल नहीं होगा, बाकी रह गया कुछ बोलना।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैं बोलने से पहले आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर महेन्द्र जी ने धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत की और शुरू में ही महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया और सरकार ने गलत बातें उनके श्रीमुख से कहलवायी, उसका पुरजोर विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं, इन्होंने 2019 के अंदर जो पहला बजट पेश किया था, उस बजट के अंदर इन्होंने एक बात कही थी कि हमारी सरकार का विचार और व्यवहार है कि ट्रस्टीशिप, सामाजिक समरसता, कमजोर वर्ग का कल्याण, सुशासन, शांति और अहिंसा।

सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बातें रखी हैं, उन बातों

(श्री रामलाल शर्मा)

से स्पष्ट होता है कि सरकार की कितनी तो अहिंसात्मक नीति है, कितनी शांतिप्रिय है और कितना सुशासन देने का काम कर रही है।

सभापति महोदय, शुरुआत मैं करता हूं किसान से। किस तरह से राजस्थान के किसानों को गुमराह करने का काम इस सरकार ने किया है। मैं सीधा-सीधा आरोप भी लगाता हूं कि कल जब महामहिम अभिभाषण पेश कर रहे थे और अभिभाषण पढ़ रहे थे, उस समय एक माननीय सदस्य किसान बिलों को लेकर सिर्फ केन्द्र सरकार को घेरने का काम कर रहे थे और मुझे यह लगता है कि वे माननीय सदस्य राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अब उनका लाभ भी होगा, स्वार्थ भी होगा, हित भी होगा, यह तो मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या उन माननीय सदस्यों को केन्द्र सरकार के ऊपर कुछ बात कहने से पहले राजस्थान सरकार के कामों की तो समीक्षा कर लेनी चाहिए या राजस्थान के अंदर क्या किसानों की सारी समस्याओं का समाधान राजस्थान की सरकार ने कर दिया? कर्जमाफी के वादे के ऊपर और सम्पूर्ण कर्जमाफी के वादे के ऊपर इस सरकार ने सत्ता के अंदर आने का काम किया। क्या राजस्थान के अंदर आज भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने वाले किसान हैं, क्या उनका ऋणमाफी का काम आपने कर दिया? हमारी जब सरकार थी माननीय मंत्री महोदय, हमारी सरकार के समय जो डिफाल्टर थे, उन डिफाल्टरों को सरकारी कर्मचारी का शपथ पत्र लेकर दुबारा ऋण देने का काम किया था। आज राजस्थान के अंदर लाखों किसान ऐसे हैं जो डिफाल्टर घोषित करने के बाद में, आज भी उन्हें दुबारा ऋण देने का काम नहीं हुआ। आज भी राजस्थान के अंदर 10 हजार रुपये की सब्सिडी जो हमारी सरकार देकर गई थी, वो 10 हजार रुपये की सब्सिडी को आपने बंद करने का काम किया है। आज भी राजस्थान के अंदर किसानों की लाखों रुपये की वीसीआर भरने का काम सरकार कर रही है, जिसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है।

सभापति महोदय, आज भी राजस्थान के अंदर जो किसान के 15 एचपी का कनेक्शन था, वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से आप 5-6 घंटे जो बिजली दे रहे हो, एक घंटे से ज्यादा अपना ट्यूबवैल किसान चला नहीं सकता है। दो घंटे उसको ट्यूबवैल बंद करना पड़ता है लेकिन वह किसान 1000 चक्कर लगाने के उपरांत भी, लोड बढ़ाने के लिए तो आप बिना जांच के लोड बढा करके आ जाओगे, जो किसान चक्कर काट रहा है कि मेरे ट्यूबवैल के

(श्री रामलाल शर्मा)

अंदर पानी नहीं है, 4 घंटे भी लगातार मेरा ट्यूबवैल चल नहीं सकता है, मैं चाहता हूं कि मेरे ट्यूबवैल के अंदर लोड कम किया जाए, मैं सिंगल फेज की 5 एचपी की मोटर लगाना चाहता हूं, आपकी सरकार एक भी किसान को लोड कम करने की अनुमति नहीं देती है। लोड बढ़ाने की अनुमति जरूर देती है और आप कह रहे हो कि हमारी सरकार वादा करके आई थी कि हम बिजली की दरों में वृद्धि करने का काम नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर यह दोहरा मापदंड है, अजमेर डिस्कॉम के अंदर 2 माह से बिल आता है सीकर के अंदर भी दो माह से बिल आता है तो, फूफा जी, आपने तो अपना हित साध लिया, अजमेर डिस्कॉम के अंदर 2 महीने से बिल ले रहे हो लेकिन ससुराल वालों ने क्या गलती की थी उनके हर महीने बिल दे रहे हैं। सभापति महोदय, आज आसन के ऊपर आप विराजमान हो, आज आप सरकार को निर्देश दो कि जयपुर डिस्कॉम के बिल आयेंगे वह भी 2 महीने से आयेंगे, 1 महीने से नहीं आयेंगे और 2 महीने से मिलने से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जो फिक्स्ड चार्ज की राशि थी, पहले 2 महीने में एक बार फिक्स्ड चार्ज लगता था अब हर महीने उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्ज देना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर सरकार कह रही थी कि हम बिजली के अंदर दरों में वृद्धि नहीं करेंगे। इनके आंकड़े मैं लेकर आया हूं, सभापति महोदय, 2018 के अंदर 0 से 50 यूनिट खर्च करने पर 3.85 रुपये पर यूनिट, अब 2020 के अंदर 4.75 रुपये पर यूनिट। 2018 में फिक्स्ड चार्ज 50 यूनिट तक 100 रुपये, अब सरकार ले रही है 125 रुपये। 51 यूनिट से लेकर 150 यूनिट तक प्रति यूनिट 6.10 रुपये, अब इन्होंने कर दिए 6.50 रुपये। पहले फिक्स्ड चार्ज लेते थे 200 रुपये, अब फिक्स्ड चार्ज है 230 रुपये। 300 यूनिट से 500 यूनिट तक पहले 2018 में 6.70 रुपये, अब वर्तमान में ले रहे हैं 7.65 रुपये। 2018 में फिक्स डिस्चार्ज था 265 रुपये, अब सरकार वसूल कर रही है 345 रुपये। इसी तरीके से कॉमर्शियल के अंदर भी सभापति महोदय, 100 यूनिट तक पहले प्रति यूनिट 7.55 रुपये वसूल किये जाते थे और फिक्स्ड चार्ज पहले 230 रुपये थे, अब इसको बढ़ाकर कर दिये 300 रुपये। पहले सौ यूनिट से लेकर 200 यूनिट के बीच में फिक्स्ड चार्ज था 230 रुपये और 8 रुपये प्रति यूनिट के लिये जाते थे और अब 8.50 रुपये कर दिये।

डॉ. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उप नेता महोदय अगर सदन की परंपराओं की अवहेलना करेंगे, वक्ता के और आसन के बीच में से अगर क्रास करेंगे...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह वक्ता और फूफा जी का रिश्ता है, ये क्रास कर सकते हैं।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आप अभी भी दोबारा क्रास करके आये हैं माननीय उप नेता महोदय, इसको क्रॉस करना ही कहते हैं। इसको क्रास करना ही कहते हैं, आप सीख लो आप से वरिष्ठ लोगों से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने जिंदगी में हमेशा क्रास ही किया है इसलिए तो उसकी डेफिनेशन आपको दूसरे लिहाज से आती है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं अधिकांश मामलों में आपसे पीछे हूं। (व्यवधान) रामलाल जी, एक मिनट।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 7:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7:00 बजे तक बढ़ाया गया।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): और सभापति महोदय, पहले 500 यूनिट तक 8.80 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से और फिक्स्ड चार्ज था 300 रुपये, अब सरकार ने 2020 के अंदर कर दिए 8.95 रुपये और फिक्स्ड चार्ज कर दिए 460 रुपये। सभापति महोदय, सरकार कहती है कि हम एक पैसा भी बिजली दरों में वृद्धि नहीं करेंगे, यह आंकड़ों के साथ मैं बता रहा हूं कि सरकार ने पिछले 2 सालों के अंदर कितनी बिजली दरों में वृद्धि की है।

सभापति महोदय, अभी बात आई किसान की। यह बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, आपने राजस्थान के अंदर एक बोरी भी अगर बाजरे की एमएसपी पर खरीदी हो तो बता दें। राजस्थान के किसान जो बोर्डर के लगते हुए हैं चाहे

(श्री रामलाल शर्मा)

वह झुंझुनू के हों, चाहे वह चूरू के हों, चाहे गंगानगर के हों, चाहे हनुमानगढ़ के हो, सारे के सारे किसानों ने हरियाणा के अंदर जाकर एमएसपी के ऊपर बाजरा बेचकर आने का काम किया था लेकिन राजस्थान की सरकार ने एक बोरी भी एमएसपी के ऊपर बाजरे की खरीद नहीं की। जब केंद्र सरकार ने कहा कि आप हमारे को अनुशंसा पत्र भेज दो, हम आपको परमिशन देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी नीयत ठीक नहीं थी और एक बोरी भी बाजरे की खरीद नहीं की और, सभापति महोदय, आपको तो पता है सीकर के अंदर नकली बाजरे का बीज किसानों को देकर और उनको नुकसान पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। उसको कभी किसान माफ करने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने जब पहला बजट पेश किया था उस समय कहा था कि हम 1000 करोड़ रुपये का कृषक कल्याण कोष बनाने की घोषणा करते हैं। क्या बन गया क्या 1000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष? सचेतक महोदय, 1000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष...

श्री सभापति: अपनी बात जारी रखें आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): और, सभापति महोदय, सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया। हमारी सरकार थी तब कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से हजारों किलोमीटर सड़कें बनाने के काम किया था कि किसान पथ के नाम पर। इस सरकार ने दो साल के अंदर किसान पथ के नाम पर एक किलोमीटर भी सड़क बनाने का काम नहीं किया, यह कहां किसानों का भला करने का काम करेंगे।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): हमारे यहां बनाई है विराटनगर में।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपके यहां बन सकती हैं, आप कांग्रेस के विधायक हो इसलिए बन सकती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सरकार कैसे काम कर रही है, वह तो अनिता जी ने बता दिया न। सभापति महोदय, सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि हम जीरो बजट की प्राकृतिक खेती करने का काम करेंगे। सरकार बड़ी-

(श्री रामलाल शर्मा)

बड़ी घोषणा ही करती है, धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं है, और सभापति महोदय, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बिजली की दरों के अंदर बेहिसाब वृद्धि की गई है, किसानों की अनदेखी की गई है, उसी तरीके से सरकार ने बजट के अंदर घोषणा की थी कि हम गोशालाओं को अनुदान 145% बढ़ाएंगे, 1% भी बढ़ाया क्या गोशालाओं को अनुदान? जो अनुदान मिल रहा था 6 महीने का, वह अनुदान भी आपने बंद कर दिया और वर्तमान में जो आपने कहा था कि हम 9 महीने का अनुदान देंगे, 9 महीने का अनुदान तो छोड़ो, 6 महीने का अनुदान भी आपकी सरकार नहीं दे रही है। कम से कम गोमाता जो बोल नहीं सकती, उसके पक्ष में तो आप खड़े रहो। कम से कम राजस्थान की सरकार जो अनुदान देती थी वह अनुदान तो उनको लौटाएं।

आपने घोषणा की थी कि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर के ऊपर हम नंदी शाला खोलेंगे, एक भी नंदी शाला खोली हो तो आप मुझे बता दो कि, साहब, हमने इस पंचायत समिति के अंदर एक जगह तो कोई नंदी शाला खोलने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करने का काम, सभापति महोदय, कर रहे हैं।

कोरोना के दौरान बड़ी-बड़ी बातें की, राजस्थान सरकार ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। राजस्थान के अंदर सिर्फ निर्देश देने के अलावा राजस्थान की सरकार ने कोई काम नहीं किया है, सभापति महोदय, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने जो शेल्टर डवलप करने के निर्देश दिए थे, सारे शेल्टरों के अंदर भोजन की व्यवस्था या तो स्थानीय लोगों ने की है या स्वयंसेवी संस्थाओं ने की है, सरकार की जेब से एक पैसा नहीं दिया है। सभापति महोदय, सबसे बड़ा आरोप मैं लगाने का काम कर रहा हूं सरकार के ऊपर, विधायक कोष से सरकार ने जो हमारे से पैसा लिया, पैसा हमने दिया था अनाज वितरण करने के लिए, किट वितरण करने के लिए, उसको भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वितरण किया। हमारे विधायक कोष के पैसे का दुरुपयोग करने का काम भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है और, सभापति महोदय, आज भी आप भी अगर विधायक कोष की अनुशंसा करते हो तो अनुशंसा के साथ ही जिला परिषद् सबसे पहले प्रशासनिक स्वीकृति निकालने का काम करता था। अब इस सरकार के आने के बाद में उलटा सिस्टम चालू हुआ है, आपने अगर विधायक कोष की अनुशंसा की है तो पहले आप उसका एस्टीमेट बना कर लाओ। एस्टीमेट के बाद में उसकी टीएस बनाकर लाओ, टीएस के बाद में फिर एएस निकलेगी और फिर उसके बाद में एफएस निकलेगी। सरकार साफ-साफ कह दे कि हमारे खजाने में पैसा नहीं है इसलिए

(श्री रामलाल शर्मा)

हम चक्कर कटवाने के काम करेंगे। आज भी मैं कहता हूं कि 90% विधायकों का पैसा, सरकार की अनुशंसा अगर हो गई, उसमें से 30% पैसा भी रिलीज करने का काम सरकार नहीं कर रही है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और उपलब्धि इस बात की हासिल की है कि जो हमारी सरकार के समय योजनाएं चल रही थीं, उन योजनाओं को बंद करने का काम किया है। मैं एक-एक योजनाओं का नाम ले रहा हूं, जिन योजनाओं को सरकार ने बंद करने का काम किया है। अन्नपूर्णा रसोई योजना बंद, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना बंद, गौरव पथ योजना बंद, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना बंद, किसानों की बिजली सब्सिडी योजना बंद, स्टेट रोड पर टोल फ्री योजना बंद, बाबा साहब अंबेडकर सामुदायिक भवन योजना बंद, मुख्यमंत्री दुग्ध योजना बंद, सारी की सारी लोक कल्याणकारी और जनहित की जो योजनाएं थी, उनको बंद करने का काम सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, सरकार कहती है कि हम संवेदनशील हैं, संवेदनशील होते तो आप भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद करने का काम नहीं करते। आप कल्पना करो, जिसकी जेब के अंदर पैसा नहीं है और बिना पैसे के इलाज कैसे करवायेगा? पौने दो साल तक आपने इस योजना को बंद करके हजारों लोगों को काल के ग्रास में भेजने का काम किया है। उनकी आत्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी। पैसे के अभाव में निजी चिकित्सालय में उनको अंदर घुसने नहीं दिया, सरकारी चिकित्सालय में आपने ऑपरेशन नहीं किया, उसके बाद वह तड़पते रहे इलाज के अभाव में। आपको कभी भी माफ करने वाले नहीं है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो घोषणाएं इन्होंने की थी, चाहे वह प्रियदर्शिनी योजना हो, विकास पथ की हो, नाबार्ड से ऋण लेकर सड़कें बनाने की बात हो, जयपुर को भिखारी मुक्त बनाएंगे। क्यों एमएलए साहब, आपने कहा था न कि किसी चौराहे के ऊपर भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य एक दिन कह रहे थे बजट के दौरान कि सरकार कितनी संवेदनशील है, इनका मर्म कितना है। एक भिखारी भी स्वाभिमान की जिंदगी जीये, सारे के सारे भिखारी आज भी सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे हैं। आपने एक भी आशियाना अगर उनको उपलब्ध कराया है तो आप बता दो कि हमने वहां आशियाना उपलब्ध करवाने का काम किया है। आप घोषणाएं बढ़िया करते हो, मानते हैं, लेकिन उन घोषणाओं को धरातल के ऊपर लाने का काम भी तो करें।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, आपने घोषणा की थी, सदन के नेता घोषणा करके आये थे, मेरे यहां गोविंदगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ी सभा हुई थी कि हम गोविंदगढ़ तक मैट्रो पहुंचा देंगे। पहुंचा दी क्या मैट्रो गोविंदगढ़ तक? आप अंबाबाड़ी तक तो पहुंचा दो सैकंड फेज की, गोविंदगढ़ तो बाद में पहुंचा देना। सिर्फ असत्य घोषणाएं करने के अलावा आपकी सरकार के पास कुछ भी नहीं है।

(18.00 बजे)

सभापति महोदय, राजस्थान अपराध के मामले में, गैंग रेप आम हो चुके हैं, गैंगवार आम हो चुका है। बजरी माफिया, मैं तो सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि बिना प्रशासनिक शह के कोई भी बजरी का अवैध खनन नहीं कर सकता। एक पैसा राज्य के राजस्व में आ नहीं रहा और उसके बाद प्रतिदिन हजारों ट्रक अवैध बजरी के खनन हो रहे हैं। रात के समय सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे नीचे के लगा हो, चाहे पुलिस महकमे में हो, ट्रक गिनने का काम करते हैं। बजरी के कितने ट्रक निकले, कितने डंपर, बजरी का कितना पैसा कहां पहुंचेगा। मेरा सीधा-सीधा आरोप है, जब तक राज्य सरकार के कोई उच्च अधिकारी इसमें शामिल नहीं हों किसी की मजाल नहीं है कि बजरी का अवैध खनन हो जाये। राज्य को एक पैसे का बजट मिले नहीं, राजकीय कोष में एक रुपया जाये नहीं और किस तरीके से अवैध खनन बजरी का हो रहा है, उसके ऊपर भी सरकार स्पष्ट करे कि बजरी के मामले में क्या नीति लेकर आ रही है।

सभापति महोदय, सरकार अब नई आबकारी नीति लेकर आ रही है। जो बेरोजगार युवा है वह भी कभी कल्पना कर सकता था कि दुकानों की लॉटरी में मेरा नंबर भी आ सकता था। सरकार कह रही है कि एक भी दुकान की संख्या नहीं बढ़ाएंगे लेकिन नई आबकारी नीति लेकर आएंगे। क्या करोगे आबकारी नीति में, हम बोली लगायेंगे, ऑक्शन करेंगे, जो ज्यादा पैसा देगा उसको दुकान छोड़ने का काम करेंगे। चंद पैसों के लिये राजस्थान में शराब माफियाओं को पनपाने वाली यह नीति आप लेकर आ रहे हो। गरीब आदमी जो यह आशा और उम्मीद कर सकता है कि लाटरी में मेरा नंबर भी आ सकता है, उस युवा के सपनों पर कुठाराघात करने का काम सरकार कर रही है। सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है नई आबकारी नीति का मैं घोर विरोध करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में चंद पैसों के चक्कर में राजस्थान में उस माफिया को आप पनपाने का काम करोगे, जो गैंगवार से राजस्थान जूझ रहा है, आने वाले समय में इन माफियाओं से राजस्थान को और जूझना पड़ेगा।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, महिला अपराध के बारे में तो मेरे पूर्व वक्ता बहुत कह चुके, मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान महिला अपराध में पहले नंबर पर पहुंच चुका है। राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान भी 2020 में 1700 हत्याएं हुई हैं, यह 1700 हत्याएं कम नहीं होती हैं और लॉकडाउन के बाद में जिन परिस्थितियों में आत्महत्याएं हो रही हैं, एक बार सरकार आंकड़ें तो दिखवा दें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): कितनी आत्महत्याएं पिछले दिनों में हुई हैं। सामाजिक तनाव, सुबह जो उप नेता कह रहे थे वह बिलकुल सही है। सभापति महोदय, चंद स्वार्थ की वजह से अधिक मूल्य में पैसा लेकर जो ब्याज का काम करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा उनसे ही पीड़ित हैं। सरकार तत्काल उस पर कानून बनाने का काम करे। सभापति महोदय, आपको किसने कहा था कि वोट मांगने के लिये बड़ी-बड़ी घोषणाएं करो?

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): राजस्थान में संविदा कर्मियों के साथ में जिस तरह का आप व्यवहार कर रहे हो वह सबको पता है। सभापति महोदय, जिस तरीके से मनरेगा में विद्यार्थी मित्र 24 हजार, पंचायत सहायक 27 हजार, पैराटीचर्स 15 हजार, फार्मासिस्ट 1500....

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): एनआरएचएम 4500 ....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): जनता जल योजना 10 हजार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 62 हजार ...

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आशा सहयोगिनी 52 हजार, सहायिका 56 हजार, यह आपके संविदा कर्मी हैं।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): फूफा जी वाला प्रिविलेज तो दो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, दो मिनट, दो मिनट।

श्री सभापति: नहीं, विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। यह बहुत ही निराशाजनक अभिभाषण था, इस अभिभाषण का मैं विरोध करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार राजस्थान में व्यवस्था बिगड़ी है, मैं विद्युत के बारे में बताना चाहता हूं जिस प्रकार घरों की वीसीआर बनाई हैं, एक-एक गांव में 15-15, 20-20 गाड़ियां गई हैं, छापे मारे हैं और उनकी इतनी वीसीआर की रसीदें फाड़ी हैं, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख तक की वीसीआर भरी है। किसान कोरोना से ऐसे ही परेशान है और लाइट की इतनी वीसीआर फाड़ने के कारण काफी परेशान है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इन वीसीआर को आप माफ करें या उनका 5-10 परसेंट में समायोजन करें। जिस प्रकार घर बैठे अधिकारियों ने 10 हार्स पावर के 15 कर दिये, 15 के 20 कर दिये, 20 के 25 कर दिये और विद्युत बिल, फ्यूल चार्ज और पुराना ऑडिट चार्ज लगाकर जो बिल आये हैं, उससे किसान काफी परेशान हैं। उन बिलों को भी आप सही करें और विद्युत व्यवस्था को सुधारें क्योंकि इस विद्युत के कारण काफी लोग परेशान हैं, काफी दिक्कतें हैं।

मैं सड़क के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले पांच साल में जो सड़क पास हुई थी, उन ठेकेदारों को अभी तक पैसे नहीं आये हैं और बहुत से काम अधूरे अटके हुए हैं, वह काम भी आप पूरे कराएं क्योंकि रोड की, पानी की, बिजली की गांवों में बहुत ज्यादा हालत खराब है और उसका हर्जाना इस कांग्रेस सरकार को पंचायती राज चुनावों में देखने को मिला और काफी हद तक वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसका कारण है वहां की बिजली, पानी की व्यवस्था बिगड़ना।

मैं सहकारिता के बारे में बताना चाहता हूं। जो आपने ऋण माफी की बात की, हमारे चित्तौड़गढ़ जिले के मंत्री जी उदयलाल जी भी बैठे हैं, वह ऋण माफी भी लोगों की नहीं हुई और जो थोड़ी बहुत ऋण माफी आप लोगों

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

ने की है, वह भी आपने बैंकों पर थोप दी, जिसके कारण आज को-ऑपरेटिव बैंक भी डूबने के कगार पर हैं और भूमि विकास बैंक भी। आप जो समायोजन करना चाह रहे हैं, उन बैंकों पर भी आज करीब 700 करोड़ की लायबिलिटी है, उनकी पूर्ति करके ही उनका समायोजन करें क्योंकि को-ऑपरेटिव की व्यवस्था पूरे राजस्थान में तहत नहस है। उसका कारण है सरकार ने पैसा दिया नहीं और छोटी-मोटी आपने ऋण माफी करवा दी, उसके कारण को-ऑपरेटिव बैंकों की हालत बहुत ज्यादा खराब है।

जो माइनिंग डी.एम.एफ.टी. फंड की बात थी, दो साल पहले माइनिंग फंड की रोड सैंक्शन हो गई, उनको कैंसिल कर दिया और जो काम हो गये, जिनकी यूसी भी हो गई उन ठेकेदारों को दो साल से आज तक पैसा नहीं दिया, वह वास्तव में आत्महत्या करने के कगार पर हैं। उन पंचायतों को पैसा नहीं दिया, पीडब्ल्यूडी को पैसा नहीं दिया, आरएसईबी को पैसा नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से कहना है कि डी.एम.एफ.टी. माइनिंग फंड की मीटिंग लेकर उन पैसों को आप जारी कराएं ताकि उन ठेकेदारों तक, उन मजदूरों तक वह पैसा पहुंचे।

माननीय सभापति महोदय, आप लोगों ने कहा था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। आज वास्तव में पूरे राजस्थान में युवा बेरोजगारों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनको आपने 3500 रुपये भत्ता देने की बात की, उसकी आज दिन तक आपने सुध नहीं ली। मैं सरकार को कहना चाहता हूं आप बेरोजगारों को भत्ता देने की कोशिश करें और उनकी सुनने की कोशिश करें।

खनन में बजरी की हालत पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा खराब है। जो लोग काम करवाना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करवाना चाहते हैं उनको बजरी मिल नहीं रही है। जो बजरी का डम्पर पहले 4-5 हजार में आता था, उसके आज 20-25 हजार लग रहे हैं। जिस प्रकार माफिया पनपे हैं, जिस प्रकार प्रशासन की मिलीभगत से ट्रक आ रहे हैं या जिन जनप्रतिनिधियों की मुलाकात से आ रहे हैं, उनको भी देखने की जरूरत है क्योंकि बजरी की हालत पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा खराब है, उसको देखकर आप सही कराएं।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा की व्यवस्था भी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। नरेगा कार्यकाल में 'अपना काम अपना खेत' में जो कैटल शैड हमारे

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

वहां पास हुए हैं, उनमें भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है उसमें भी आप लोगों को देखने की जरूरत है, काफी हालत खराब है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, वह कानून व्यवस्था आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। जिस प्रकार शहरों में आदमी आधा-एक घंटा भी अपना घर नहीं छोड़ सकता है, अनाप-शनाप चोरियां हो रही हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। इस राज में दो साल में गुंडागर्दी, भू-माफिया पनपा है, उनको भी आप लोगों को देखने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दो साल से राजस्थान की सरकार ने पंचायती राज में सरपंचों को पंचायत के जो पैसे मिलने चाहिये थे, वह भी अभी तक पड़े नहीं है। आजकल में डालने की बात थी लेकिन किश्तें जारी नहीं हुई है क्योंकि ग्राम पंचायतों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वे कैसे चल सकें, उनके लिए आप पैसा भी जारी करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, गेहूं की खरीद की बात अभी हुई कि राजस्थान सरकार ने यह गेहूं खरीदा, वैसा खरीदा। मैं चित्तौड़गढ़ जिले की बात करूं, हमारे वहां से पूरा गेहूं भी नहीं खरीद पाये। जिस प्रकार से बारदाना खतम होने की बात हुई, क्योंकि बारदाना ही खतम हो गये और हमारे वहां पर गेहूं की 25 परसेंट खरीद भी नहीं हुई और हजार-ग्यारह सौ, बारह सौ में गेहूं बिके हैं, इससे वहां की व्यवस्थाएं काफी बिगड़ी हैं। आने वाले दिनों में जब भी आप खरीददारी करें, आप पूरी खरीददारी करने की कोशिश करें। अच्छे ठेकेदारों से खरीदें और बारदाना का भी आप करवाने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, इस कोरोना काल में चिकित्सा की व्यवस्था काफी बिगड़ी है। अभी रामलाल जी और बाकी सब लोगों ने बताया। हमारे चित्तौड़गढ़ जिला हैडक्वार्टर पर डाक्टरों की पोस्ट खाली हैं और एएनएम और जीएनएम की पोस्ट भी खाली हैं। जिस प्रकार से वहां पर कोरोना काल में व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, मैं खुद भी कोरोना पोजिटिव हुआ, मेरे परिवार वालों को बिना जांच के ही पोजिटिव बता दिया। इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। सभापति महोदय, इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, मैं डाक्टरों और नर्सिंग कर्मचारियों को धन्यवाद तो देता हूं कि उन्होंने कोरोना काल में काम किया, संघर्षपूर्ण काम किया, पर जो व्यवस्था चिकित्सालय में बिगड़ी हुई है,

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

उसको सरकार को सुधारने की जरूरत है। जो व्यवस्था पहले हो रही थी, वह व्यवस्था आज बिगड़ गयी है, उस व्यवस्था को आप सुधारने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, पेट्रोल-डीजल के जो भाव बढ़े हैं, बार-बार कहते हैं कि केंद्र सरकार ने बढ़ाये हैं, पर जिस प्रकार से वैट के तौर पर हमारे यहां राजस्थान की सरकार ने बढ़ाया है, उस वैट को कम करने की कोशिश करे। जैसे दूसरे राज्यों, एमपी व गुजरात और हरियाणा एवं महाराष्ट्र में जिस प्रकार से पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, वह सस्ता कैसे मिल सकता है, उसको देखने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, गौशालाओं को जो अनुदान मिलना था, गौशालाओं को वह अनुदान भी नहीं मिल पा रहा है। जब पहले कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी तो आप लोगों ने घोषणा की कि हम इतना अनुदान देंगे, वह अनुदान आप नहीं दे पाये। अभी गौशालाओं की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर पानी व चारा नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप कैसे अनुदान दे सकते हैं, उसके लिए भी आप कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, अभी आपने जो एमएलए फंड की बात की थी, उसको मैं वापस बताना चाहता हूं। जब हम कोई चिट्ठी जारी करते हैं अभी जैसे चित्तौड़गढ़ जिले में पानी की दिक्कत है और बोर के लिए हम चिट्ठी जारी करते हैं तो दो-तीन महीने तक एमएलए फंड जारी नहीं होता है तो बारिश का समय वापस आ जाता है। उस एमएलए फंड को समय पर हम कैसे जारी कर सकते हैं, इसको भी आप देखने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जोर-शोर से विरोध करता हूं और राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया है, उसके अंदर जो बातें लिखी गयी हैं, वे हकीकत से परे है क्योंकि कानून व्यवस्था राजस्थान में पूरी तरह से चरमरा गयी है। पुलिस का सिपाही जो कि बीट प्रभारी के रूप में तैनात रहता है, उसको पूरी हकीकत पता होती है कि उस क्षेत्र में क्या गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं

(श्री शंकर सिंह रावत)

देकर सिर्फ कहां से पैसा कमाया जाए, इनकम ढूंढी जाती है। पुलिस के अंदर यह ढर्रा बंद होना चाहिए। पुलिस की मंथली जिले तक आ चुकी है, एसपी तक गिरफ्तार हो चुके हैं।

सभापति महोदय, आज भी ढर्रा इस प्रकार बिगड़ चुका है कि एक गांव का व्यक्ति गांव में खरगोश लेकर निकल गया तो उससे तीस हजार रुपये वसूल हुए और उस गांव रोड़ाखेड़ा से तीन लाख रुपये एक थाने के अंदर वसूल हुए। सभापति महोदय, सरकार को ध्यान देना चाहिए बीट प्रभारी की यह ड्यूटी होती है कि उस क्षेत्र के अंदर क्या गतिविधियां बढ़ रही हैं? आज जितने नौजवान हैं, वे नौजवान अपराध की ओर बढ़ रहे हैं और वहां गैंग बन चुकी हैं। हमारे एरिये की बात करूं, आज मैं अजमेर जिले की बात कर रहा हूं कोबरा गैंग, बिच्छू गैंग, क्वालिस गैंग जो मर्डर करवाती है। कई मर्डर हो चुके हैं। (व्यवधान) इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, यह कोई मजाक नहीं है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर इसमें सुधार होना चाहिए। बिच्छू गैंग का सरगना मारा गया, उसका मर्डर हुआ, तीन दिन तक सारे पेपर रंगे हुए आए और सरकार कानों में तेल डालकर सो रही है। इन गैंगों को पैदा करने के एसपी जिम्मेदार है, जो राष्ट्रदीप एसपी लगा था, मैंने उनको कहा कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोग थानों में लगे हैं, उनका आप ट्रांसफर कर दीजिए। मुझे वे कहते हैं, कि साहब हमें प्रूफ चाहिए। प्रूफ के लिए क्या मैं उस चोर को पकड़कर लाऊं कि ये पैसा ले रहे हैं। कमाल है, इस प्रकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार को तुरंत, जैसे यहां मुख्य मंत्री जी बैठते हैं, उनको परमिशन दे दीजिए, वह कर दीजिए।

मैं कह रहा हूं और मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बात कही है कि निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर आपको अंकुश लगाना चाहिए। चाहे बजरी माफिया का गिरोह हो एवं और भी अगर कोई अपराध पनपते हैं, बिना पुलिस की मिलीभगत के वहां पर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। सभापति महोदय, निश्चित तौर पर इसमें कार्यवाही होनी चाहिए।

आज जिस प्रकार से हमारे सत्ता पक्ष के भाई लोग और काफी लोग सरकार के तारीफों के पुल बांध रहे थे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि गांवों की सारी सड़कें टूट चुकी हैं। पहले भी एक-एक विधायक को चाहे वह भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, दस-दस, पंद्रह-पंद्रह किलोमीटर मिसिंग सड़कें मिली हैं, आज दो साल हो गये हैं, कहीं भी एक किलोमीटर की शुरुआत या मुहूर्त भी नहीं हुआ है। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि यह बजट कहां जा रहा है? सरकार कर्ज पर कर्ज लिये जा रही है और केंद्र सरकार को कोसे जा रही है।

(श्री शंकर सिंह रावत)

कांग्रेस के राहुल गांधी जी पधार रहे हैं और दो साल पहले भी पधारे थे, तब भी उन्होंने एक से दस तक गिनती बोली थी, किसान भाइयों, दस दिन में सम्पूर्ण कर्जा माफ। अब कल और कौनसा टूल खुलेगा पता नहीं, अगर दस दिन में वह सारा कर्जा माफ हो जाता तो कम से कम ये किसान भाई भी सुखी रहते। आज किसानों के नाम पर कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने जिस प्रकार से किसान रैली के रूप में आंदोलन चलाया, हमारे एक भाई यहां से बहुत बोल रहे थे कि किसानों के ऊपर वह हुआ, असली चेहरा, जो महिलाओं के हाथ में तलवार लेकर, वहां लाल किले के ऊपर रैली निकली, उससे असली चेहरा सामने आया कि इस आंदोलन में किसान कौन है? आप केंद्र सरकार को कोसे जा रहे हो। भाइयों जिन्हें लगता है कि हम मोदी जी को लहसुन, प्याज और पेट्रोल के लिए लाए हैं, वे दूर रहे हैं, हम जिस काम के लिए लाए वे काम पूरे हो रहे हैं। देशवासियों को 70 सालों तक कांग्रेस ने डरा-डराकर रखा। धारा 370 मत छूना, तीन तलाक मत छूना, राम मंदिर को मत छूना और एक दिन मोदी जी आ गये, अब नतीजा देख लो, सबके सामने है।

श्री सभापति: आप तो शायर हो गये, शायरी करने लग गये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): बीजेपी इसलिए आज आगे है, क्योंकि देश के करोड़ों युवा बीजेपी का प्रचार एमएलए या एमपी बनाने के लिए नहीं करते हैं, वे राष्ट्र हित के लिए करते हैं। कांग्रेस के राज में जिस प्रकार 1947 से 1977 तक जो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी रहे हैं, उनके मैं आपको पांच नाम गिना रहा हूं, मौलाना आजाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम छागला, फखरूद्दीन अली अहमद, नूरूल हसन। अब समझ में आ गया होगा कि अकबर और बाबर, औरंगजेब और खिलजी से आक्रांता महान कैसे बनाये गये थे। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यही बातें आपको लेकर डूब रही हैं।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): आप मोदी जी के बारे में बोल रहे हो, इसलिए मैं आपको यह सुना रहा हूं। अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में पढ़ाना, लेकिन यह बात जरूर बताना कि कांग्रेस ने राम मंदिर के विरुद्ध 24 वकील खड़े किये थे। मात्र दो सीट जितने के बावजूद जो पार्टी राम के नाम पर लड़ी, वह आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यकीन मानिए...

श्री अमीन खां (शिव): उनके ऊपर इल्जाम लगाना इस सदन में कर्तव्य अपना नहीं है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मैंने इल्जाम नहीं लगाया है, साहब।

श्री अमीन खां (शिव): जिनकी 50 साल पहले डैथ हो गई और वे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे और देशभक्त थे। भारत की संविधान सभा के सदस्य थे ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, मैंने सिर्फ नाम गिनाये हैं।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): आप अपनी बात रख लेना जब आपको बोलने का मौका मिले। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) 1947 से 2014 तक ऐसी सरकारें थीं जो पाकिस्तान से परेशान थीं, केन्द्र में और 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई जिससे पाकिस्तान परेशान है। सत्य कड़वा होता है लेकिन शत-प्रतिशत सत्य होता है। (व्यवधान)

श्री अमीन खां (शिव): अब्दुल कलाम आजाद थे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांत रहिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 70 साल से कांग्रेस के द्वारा एक ही घुट्टी पिलाई जा रही थी अमेरिका, रूस, चीन बहुत शक्तिशाली देश हैं, लेकिन 6 साल में पता चला कि भारत सबका बाप है। गुजरात दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जहां मुस्लिम भी हैं और शांति भी है क्योंकि वहां 22 साल से कांग्रेस नहीं है। मोदीजी आने के बाद पता चला कि अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भी नगरी है। अब तक तो यह ख्वाजा की नगरी ही कहा जाता था। बेरोजगारी खतम करने के उपाय, एनआरसी लगाकर करोड़ों घुसपैठियों को निकाला जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, तब जाकर नियंत्रण होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। कृपया शांत रहें। श्री अमृतलाल मीणा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, अभिभाषण पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। (व्यवधान) मैं अभिभाषण का पुरज़ोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, 10 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय जी का सदन में जो भाषण हुआ, उसके विपक्ष में मैं बोल रहा हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय का जो भाषण हुआ, ये जो 40 पेज की बुक और 138 पैरा, जिसमें राज्यपाल महोदय के मुख से यह कहलवाया गया कि पिछले ढ़ाई साल में बहुत काम हुआ है, सारे विभागों के गुणगान किये गये, लेकिन धरातल पर हम सारे सदन में बैठे हैं, अपने-अपने क्षेत्र से आते हैं, जनता से काम करने का वादा भी करते हैं लेकिन विकास के नाम पर पिछले सवा दो साल में कुछ भी नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, आप भी जहां से आते हैं, आप मंत्री भी रहे हैं, आपको पूरा अनुभव भी है लेकिन आप भी पछता रहे हैं और सदन के सारे सदस्य भी पछता रहे हैं कि इस भाषण में सिर्फ सरकार की उपलब्धियों के बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा कहा गया है। आज की तारीख में सरकार क्या कर रही है? जनता क्या सोच रही है? मंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्य मंत्री जी के पास बहुत सारे विभाग होने से, आज गृह विभाग भी उनके पास है, कई विभाग होने की वजह से वह संभल नहीं पा रहे हैं। उनको दे देना चाहिए किसी मंत्री को, बढ़िया हट्टे-कट्टे देखकर के ताकि कम से कम गृह विभाग तो संभल सके।

भ्रष्टाचार के मामले में आज की तारीख में पूरा राजस्थान दुःखी है। हम कह रहे हैं कलेक्टर पकड़ा गया, एसपी पकड़ा गया, डीवाईएसपी पकड़ा गया, एसडीएम, पटवारी, सचिव सब हो गए। इसका मतलब सरकार का कंट्रोल नहीं रहा। ऊपर से नीचे तक सारा भ्रष्टाचार है। पैसे लिए बगैर काम नहीं हो रहा है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी दुःखी और हम भी दुःखी क्योंकि हमारा काम नहीं हो रहा है। कोरोना-कोरोना के नाम से सवा साल निकाल दिया। आप जैसे भामाशाहों ने, हम जैसे विधायकों ने, जनता ने, व्यापारियों ने, संतों ने पैसा दिया। दूसरे राज्य से जो जनता आ रही थी, हमारे गुजरात के बार्डर पर, रतनपुर बार्डर पर आपके अधिकारी को जो तय किया, उसने फोन तक नहीं उठाया, बहुत परेशानी हुई। तमाम सदस्य जो सदन में बैठे हैं

(श्री अमृतलाल मीणा)

उन सारों ने समस्या, अपने-अपने क्षेत्र के जो कार्यकर्ता बाहर थे, कोई बाम्बे था, कलकत्ता था, मद्रास था, सबने मिलकर सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, कइयों ने तो गालियां सुनी हैं। इस कोरोना काल में प्रवासी पैदल आए।

मेरा निवेदन है कि सिवाय गुणगान करने से काम नहीं चलेगा। आज बजरी माफिया का कई सदस्यों ने कहा। बजरी खनन में हत्या हो रही है, कूटमार हो रही है। रात को अधिकारी मिलकर बजरी निकाल रहे हैं। ये सरकार के हाथ के नीचे का मामला है। दूसरा, कानून व्यवस्था, आज महिला सुरक्षित नहीं है, बालिका सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि व्यापारी सुरक्षित नहीं है, पुलिस के अफसर भी सुरक्षित नहीं हैं। इस भाषण से यह दर्शाया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मुझे थोड़ा टाइम देना। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो बहुत कम विकसित है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल जी आए थे। यह 4 तारीख का मामला था। वहां उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे। सभी बैंकों का करेंगे लेकिन आज तक नहीं हुआ। जो अन्नपूर्णा रसोई थी, कोई बुरी बात तो थी नहीं, लेकिन उसका नाम दूसरा चेंज कर दिया। औद्योगिक विकास की दरें बिल्कुल ठप पड़ी हैं। सामाजिक सुरक्षा का मामला- आज की तारीख में जनता परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, बालक परेशान हैं, अन्य जितने भी हैं सब परेशान हैं। मेरा यही कहना है कि इस भाषण में जो बातें कहीं गई हैं, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। जल संरक्षण योजना का है, पेयजल से लोग परेशान हैं। अधिकारी बिलकुल कंट्रोल में नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि कई अधिकारी, पटवारी आज हड़ताल पर हैं। पटवारी हड़ताल पर हैं, तहसीलदार हड़ताल पर हैं, एसडीओ हड़ताल पर हैं, सचिव, पुलिस और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं। जो निचले स्तर का विकास करने वाले हैं, वे लोग आज धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कान में रूई ठोंस कर बैठी है, सो रही है।

जहां तक बिजली का मामला है, हममें से 80 परसेन्ट के करीब किसान हैं, उस क्षेत्र से आते हैं जहां खेती करते हैं। किसान भयंकर परेशान है। समय पर बिजली नहीं दे रहे हैं। अगर 8 घंटे की आप तुलना करें तो 100 बार तो बिजली जाएगी। अगर एक आदमी ने कनेक्शन का बिल नहीं भरा है, उसमें 10 परिवार जो आ रहे हैं, उन सबका कनेक्शन काट रहे हैं। जबरदस्ती

(श्री अमृतलाल मीणा)

वीसीआर बना रहे हैं। जो सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी वसुन्धरा जी ने दी थी, उसको भी बंद कर दिया। आयुष्मान भारत का नाम भी चेंज कर दिया।

मेवाड़ से सहकारिता मंत्री जी आते हैं, आप भी जान रहे हो कि डूंगरपुर में क्या हुआ, बांसवाड़ा, उदयपुर में क्या हुआ, सहकारिता के क्षेत्र में क्या हो रहा है। अगर आप पकड़ करेंगे तो 100 परसेंट, बरसों से जमे हुए हैं, क्योंकि 80 साल का है वह भी सहकारिता में काम कर रहा है। कोई मापदण्ड नहीं है। वह मर गया तो उसका बेटा कर रहा है, बेटा मर गया तो पोता कर रहा है तो मेरा यह कहना है कि इस व्यवस्था को आपको सुधारना चाहिए।

सबसे बड़ी बात, सब माननीय सदस्यों ने यहां उठाई, मैं उस क्षेत्र से आता हूं, हिन्दुस्तान जिंक जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा माइनिंग क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है, वह सालाना 200 करोड़ रुपये रायल्टी देता है और 80 करोड़ रुपये विकास के लिए, सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, पानी के लिए व्यवस्था करता है। पिछले दो-तीन साल से उस रायल्टी का पैसा, आज हिन्दुस्तान जिंक जाने के लिए रोड नहीं है, हालत खराब है। डीएमएफटी का जो पैसा है, जिस क्षेत्र में लगना है वहां आप अवश्य लगायें।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, हमारे ज़िले के परिवहन मंत्री जी हैं, वह अभी है नहीं, उनके बारे में भी कहना था आपने घोषणा की थी कि बसें चलाएंगे, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर चलाएंगे लेकिन आज उस बात को दो साल हो गए, आपका कोई काम धरातल पर नहीं उतरा है, मेरा यही निवेदन है।

आज जिस प्रकार से लोग प्रदेश में जूझ रहे हैं, उस बात को आप भी जानते हैं। आप भी अन्तरआत्मा से कहें, धारीवाल साहब छाती पर हाथ रखकर कहिए, वाकई में परेशान हैं। ...(व्यवधान) सड़कों से परेशान हैं, बिजली से परेशान हैं, ऋण से परेशान है। आप अपने आपमें भी परेशान हैं। मेरा यह निवेदन है कि सूझ-बूझ कर आपकी कमेटी बैठ जाए। ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपकी सरकार ने पांच साल में ...(व्यवधान)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): पांच साल में तो 5300 से ज्यादा सीनियर स्कूल की प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण किया। सभी गांव मिसिंग लिंक, प्रधानमंत्री

(श्री अमृतलाल मीणा)

सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, मिसिंग लिंक, सारी सड़कों से जोड़ा। जहां चिकित्सा क्षेत्र की जरूरत थी वहां भी अस्पताल खोलने का काम किया, पशु अस्पताल खोलने का काम किया, सब्जैक्ट खोलने का काम किया। पिछले कार्यकाल में यह खूब काम हुए। उस काम को धरातल पर लाएं। मेरा यही कहना है जो लोग परेशान हैं, पटवारी, सचिव, पुलिस वाले, जो ग्रेड मांग रहे हैं, उनको सुनकर आप उनकी समस्या का समाधान करे, यही कहना है। धन्यवाद। जयहिंद; जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। अभिभाषण में केवल और केवल कांग्रेस सरकार के कहने के मुताबिक जो लिखा हुआ था वह बुलवाना था। वह असत्य है और इन्होंने धरातल पर कोई काम नहीं किया। केवल इन्होंने पंचायती राज और नगर निकायों के चुनावों के ऊपर ध्यान दिया। दो साल के अंदर आज भी पंचायतें रो रही हैं, एक-एक पैसे के लिए तरस रही हैं। इन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज और निकायों में कैसे आती है, इसको कैसे हराया जाए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस का वार्ड है, जहां पर ज्यादा वोट मिलते हैं, जहां एक हजार का वार्ड था, उसको दो कर दिया। हमारे 1200-1200, 1500-1500 जो बीजेपी के वार्ड थे उनको एक रखा। वार्डों की संख्या कैसे ज्यादा आए, हमारे जीत कर आए, हम सभापति बनाएं, मेयर बनाएं और पंचायती इकाई में हमारा दबदबा कैसे बने। दो वर्ष में मेरी विधान सभा के अंदर, अभी मेरे भाई अमृत जी ने बताया, सभी वक्ताओं ने बोला है, दो साल के अंदर पूर्व सरकार का जो काम किया हुआ था, आज भी वह रोड तरस रही है। ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हुआ, ठेकेदार कहता है कि हमारा पेमेंट दें तो हम काम करें, पेमेंट ही नहीं है। पूर्व में 2018 में रोड का काम किया था, गिट्टी, बोर्डर सब लग गई थी, उनको अधूरा छोड़कर, बरसात में रोड की पुलिया भी टूट गई। रोड पर दुबारा डामर नहीं करने की वजह से ही छूटी हुई थी, डामर के पैसे नहीं दिए। ठेकेदार कहता था मेरे को कुछ भी पैसे दे दें तो मैं काम करवा दूं। प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो पैसा दिया है उसके लिए भी मुझे अधिकारी कहते थे कि 60

(श्री फूल सिंह मीणा)

परसेंट केन्द्र से व 40 परसेंट राज्य से आना था, उसको भी बंद कर दिया। रोड के अंदर पैच निकालने तक का पैसा नहीं है। जब हम पीडब्ल्यूडी में और जिला कलेक्टर महोदय को कहते हैं तो जिला कलेक्टर महोदय पीडब्ल्यूडी को कहते हैं और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को जब हम कहते हैं कि हम धरना प्रदर्शन, रोड जाम करेंगे तो कहते हैं कि कल करते हो तो आज करो, हमें पैसे दें तो हम पैच निकालें। आए दिन दुर्घटना हो रही है। आए दिन पैच वर्क नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे शहर के पेरीफेरी एरिया के अंदर भी पीडब्ल्यूडी की रोड है, उनका पैच तक नहीं निकला है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अब भी मौका है, आपके पास पैसे नहीं है, पीडब्ल्यूडी की सड़कों का पैच निकलवा दीजिए, कम से कम दुर्घटना होने से तो बच जाएगी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि प्रवासी मजदूर और बाहर से आने वाले मजदूरों को हमने उनके घर तक पहुंचाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात से हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनके बीच में डूंगरपुर पड़ता है, हैडक्वार्टर खेरवाड़ा, केसरिया जी पड़ता है, मगर वहां से पैदल-पैदल मजदूर, जिनको कोई साधन नहीं मिला, वह उदयपुर तक आए। मैं पूर्व गृह मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी को धन्यवाद देता हूं, जैसे ही हमें पता चला, गुलाब जी भाई साहब ने आकर किसी दानदाता से उनको जूते तक दिलवाए, साधन उपलब्ध करवा कर उनको घर तक पहुंचाया। यह बातें करते हैं कि हमने रेलें लगाईं हमने बसें लगाईं, लेकिन यह गुजरात से राजस्थान के प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए भी व्यवस्था नहीं कर पाये।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अभी पहले वक्ताओं ने कहा कि डीएमएफटी के पैसे, हमारा जिला परिषद् का प्रमुख है वह पहले अध्यक्ष हुआ करता था, जैसे ही यह सरकार आई, उससे अध्यक्षता छीन ली गई। जिला कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया, उसके बाद प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बना दिया गया। आज दो साल हो गये, डी.एम.एफ.टी. के जो काम चल रहे थे, वह सारे काम ठप पड़े हुए हैं, उन कामों को नहीं कराया जा रहा है। मुझे अभी पता चला था कि डीएमएफटी के पैसे यह दूसरे कामों में लगा रहे हैं। सभापति जी, मैं आपके सामने चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे ट्राइबल में माइनिंग डिपार्टमेंट से करोड़ों रुपये आ रहे हैं, आज भी हमारे

(श्री फूल सिंह मीणा)

उदयपुर जावर माइंस है, जावर कोटड़ा माइंस है, अनेक माइंस से यह पैसे आ रहे हैं, 400 करोड़ रुपये आज भी जमा है, हमारा ट्राइबल एरिया है वहां विकास नहीं कर रहे हैं, यह पैसे अगर दूसरी जगह पर लगाएंगे तो जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। हमारे यहां रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। कोरोना काल के लॉकडाउन में हमारे मजदूरों को जावर माइंस व जावर कोटड़ा माइंस में यह कह दिया कि लॉकडाउन की वजह से मजदूरों की संख्या कम रहे हैं।

सभापति महोदय, बड़ा दुर्भाग्य है जिनकी जमीनें गई हैं, जिनकी पंचायतें वहां प्रभावित हैं, वहां के मजदूरों को रोजगार पर नहीं लगा रहे हैं और बाहर के मजदूर आ रहे हैं, उनको रोजगार पर लगा रहे हैं जबकि जावर माइन्स ने यह कहा था, जब 2014 के अन्दर पंचायत और बी.डी.ओ. के साथ में जो मीटिंग की थी कि, हम आपके लिये यह टैक्निकल खोलेंगे, हम आपको ट्रेण्ड करने के लिये यहां पर संस्था खोलकर आपको इंजीनियरिंग करवायेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज खोलकर आपको ट्रेनिंग देंगे और माइनिंग लगायेंगे। मगर आज उस चीज को 8 साल हो गये। 8 साल हो गये, मगर उसके ऊपर धरातल पर कुछ नहीं आया है। आज भी हमारे ट्राइबल के मजदूर, गरीब आदिवासी भाई इंतजार करते हैं कि वे हमारे मजदूरों को रोजगार देंगे, परन्तु आज दिन तक उनको, प्रभावित एरिये की जिनकी जमीनें गई हैं, उनकी पंचायतें प्रभावित हैं, टेलिंग डैम से उनकी पानी की, जो वास्तव में शुद्धता खतम हो गई है, वहां पर भी उन्होंने उन मजदूरों को काम पर नहीं लगाया।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जनजातीय एरिया में पानी और सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के लिये मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2018 में जो 14 पनघट लगाई थी, मगर 14 पनघटों में आज भी 7 पनघटों के अन्दर न तो बोर हुआ है, न उसके अन्दर इंस्ट्रूमेंट लगा है। यह जब हम कहते हैं तो, आज ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार बदल गया, कभी ठेकेदारी का टेण्डर निकाल रहे हैं, यह कहकर 2018 की सौर ऊर्जा का भी आज दिन तक सुचारु रूप से चालू नहीं हुआ। यही नहीं, उसके बाद में भी 2020 के अन्दर जब टी.ए.डी. मंत्री ने मेरे को हैण्डपम्प दिया था, मैंने कहा मेरे को हैण्डपम्प नहीं चाहिये, क्योंकि हमारा ट्राइबल एरिया, पहाड़ी एरिया है, हैण्डपम्प खोदते हैं तो पानी नहीं है, सौर ऊर्जा दे दो, उस सौर ऊर्जा का भी अभी तक कोई अता-पता नहीं है। वह सौर ऊर्जा अभी तक चालू नहीं हुई है।

(श्री फूल सिंह मीणा)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार केवल घोषणा की है। पेरीफेरी एरिया के अन्दर पट्टे देने की बात करके हमारे यहां पर आम जनता को गुमराह किया था कि 132 गांव पेरीफेरी यू.आई.टी. में आते हैं, वहां पर पट्टा देंगे तो उन गरीबों का आशियाना बनेगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ट्राइबल के जो हमारे प्रधानमंत्री आवास के मकान आये हैं, वह भी आज दिन तक एक भी मकान पेरीफेरी एरिया में नहीं बन पाया। वह क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि उनको पट्टा नहीं दिया। जब तक पट्टा नहीं देते हैं तो वह गरीब, जो बी.पी.एल. परिवार का है, वह मकान नहीं बना पा रहा है। पूरी पंचायतों में पांच-पांच सौ, सात-सात सौ मकान बन गये, मगर पेरीफेरी के 132 गांवों में एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं बना।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब आपने चुनाव लड़ा था 2018 में, तब घोषणा की थी कि हमारी सरकार आते ही हम पट्टा दे देंगे, दो साल हो गये, आपकी सरकार कहां पर सो रही है? आज दिन तक पट्टों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर ये पट्टे दे देंगे तो वास्तव में उन गरीबों का आशियाना बन जायेगा।

सभापति महोदय, मोदीजी की बुराई करते हैं, मोदीजी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मोदीजी ने किसानों के लिये, आम जनता के लिये तिमाही में दो हजार जो देने की घोषणा की थी, वह आज भी साल के छह हजार रुपये उस गरीब किसान के खाते में आ रहे हैं। उससे हमारा गरीब वास्तव में, ये कहते हैं कि 25 की 25 सीटें क्यों आती हैं भारतीय जनता पार्टी को, एक तो विधान सभा के अन्दर सरकार कांग्रेस की बनती है और इधर मोदीजी 25 की 25 सीटें लाते हैं, क्योंकि जो वास्तव में झूठे वादे में मेवाड़ तो नहीं आया, मगर इधर का जो इलाका है, कई झूठे वादों में आकर यह सरकार 2018 में बदली है, मगर कांग्रेस ने आज दिन तक भी अपनी घोषणा में जो वादा किया था, वह आज भी पूरे नहीं किये हैं।

सभापति महोदय, पैरा 41 के अन्दर महामहिम ने भाषण दिया था

(श्री फूल सिंह मीणा)

कि अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र में 2439 मां-बाड़ी केन्द्र खोल दिये गये हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उदयपुर ट्राइबल एरिया है, अगर दो साल के अन्दर एक भी मां-बाड़ी खोली हो तो गिनकर बता दें या कोई बता दें कि मां-बाड़ी हमने यहां पर इतनी खोली हैं। पूर्व में 2012 से लेकर 2018 में जो मां-बाड़ियां खुली थीं, उसके अलावा एक भी मां-बाड़ी नहीं खुली है।

सभापति महोदय, पैरा 42 में बताया गया है कि कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित 54 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं हेतु 23 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। सभापति महोदय, इतना पैसा खर्च किया है तो मैं तो आपको पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया, जो ग्रामीण विधान सभा के अन्दर इतने पैसे में से एक भी कुसुम योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा जो अगर लगाई हो तो वह बता दो। झूठे वादे करके हमारे महामहिम से झूठा भाषण दिलाकर जो वाहवाही ली है, यह बिलकुल गलत है।

पैरा 49 में बताया गया कि राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण में जल संग्रहण एवं संरक्षण के 18 हजार कार्य पूर्ण हो चुके हैं। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट, सभापति महोदय, अभी मेरे बाकी रह गया थोड़ा-सा।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायणजी जोशी।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, बिजली की बात करूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारा किसान है, गरीब है, उसके घर में लाइट का मीटर नहीं है, उसको 1700 रुपये बिल भरवाने का न्यौता देकर आ जाते हैं।

श्री सभापति: विराजिये। श्री धर्मनारायण जी जोशी।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं।

श्री सभापति: नहीं, खतम हो गया, अब आप विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: विराजिये। श्री धर्मनारायण जी जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, राज्यपालजी के अभिभाषण पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं।

आज पहली बार मुझे लगता है कि जब धन्यवाद प्रस्ताव माननीय मालवियाजी ने रखा तो देश के प्रधान मंत्री को धन्यवाद दिया और देश के डाक्टरों को धन्यवाद दिया। यहां तो इस सदन में आलोचना के अलावा कुछ मिलता नहीं है, मैं लगातार दो वर्ष से देख रहा हूं। यानी प्रधान मंत्रीजी ने जितना सहयोग राजस्थान सरकार को किया होगा, हर क्षेत्र में, चाहे नरेगा हो, चाहे कोई-सी भी स्थिति हो, उस सहयोग का कोई नाम लेने के लिये तैयार नहीं है।

सभापति महोदय, जैसे ही उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव रखा, मैंने आपको एक निवेदन किया था। 1963 में माननीय बृजसुन्दर जी शर्मा इस सदन के सदस्य थे। उन्होंने जब धन्यवाद प्रस्ताव बोलने के लिये रखा तो सतीशजी अग्रवाल भी इस सदन के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि धारा 176 (1) के अनुसार राज्यपाल महोदय को अपने अभिभाषण में पूरी कार्ययोजना, कौनसे विधेयक आएंगे, कौनसे विधेयक नहीं आएंगे, यह सदन के पटल पर रखना चाहिए, तभी वह अभिभाषण पूरा होगा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन था, आपने मेरी बात को सुना नहीं, अनसुना कर दिया, मुझे बैठा दिया। उस समय आसन पर जो अध्यक्ष थे, उन्होंने डाइरेक्शन दिया कि भविष्य में जो भी राज्यपाल का अभिभाषण होगा, वह रूल 176 (1) के अनुसार, उसमें राज्यपाल के अभिभाषण में पूरी कार्ययोजना, कौनसे विधेयक आयेंगे, क्या होगा, वह इसमें शामिल होगा। मेरा आपसे यह निवेदन करना था।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है। इनमें अधिकांश योजनाएं, जो पुरानी थीं, उन योजनाओं का इसमें पाठ किया है। सबसे बड़ी बात कोरोना महामारी, कोरोना महामारी में राजस्थान सरकार स्वयं अपनी पीठ थपथपाती है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि राजस्थान के गांधीवादी मुख्य मंत्री, आपने देखा होगा, कहीं भी किसी दूसरे मंत्री का फोटो नहीं है, जनसेवा के दो वर्ष, एक भी मंत्री का, माननीय धारीवालजी बैठे हैं, डी.एल.बी. के मंत्री हैं, उनका कहीं भी किसी नगरपालिका में फोटो नहीं है, केवल मुख्य मंत्री का फोटो है। रघु शर्माजी, हमारे चिकित्सा मंत्री, उनका कहीं

(श्री धर्मनारायण जोशी)

फोटो नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है जो मुख्य मंत्री गांधीवादी मुख्य मंत्री नाम से जाना जाता है और उन्होंने अपने लोगों के लिये 000 और 000 जो शब्द प्रयोग किये।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): ऐसे मुख्य मंत्री से कभी अपेक्षा भी नहीं कर सकता कभी जो 000 और 000 शब्द का प्रयोग करके उसके बाद भी वे साथ हैं।

माननीय सभापति महोदय, चुनाव घोषणा पत्र में कार्ययोजना बनती है और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की दशा और दिशा तय करता है। जन घोषणा-पत्र की क्रियान्विति इस अभिभाषण में नहीं दिखती है। जिन्होंने आम सभा में मंच पर एक से दस गिनती की, वह मात्र झांसा सिद्ध हुआ। राज्य का किसान और युवा, आपने देखा होगा कि किसान कल्याण कोष, इतने रुपये उसमें शिफ्ट किये, वह केवल बीमा भर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किसान आयोग के गठन का वादा किया था, कुछ भी नहीं।

आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने राइट टू हैल्थ, यह भी अपने घोषणा-पत्र में घोषणा की थी, कहां है राइट टू हैल्थ? कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर दिखता नहीं है।

सड़कों के तंत्र को, करीब 11 हजार करोड़ रुपये के व्यय की बात कही गयी है। हालत यह है कि करीब ढाई साल से सड़कों के काम अधूरे हैं। जो काम दिसम्बर, 2019 तक पूरे होने थे, वह अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। केवल मात्र आत्म प्रशंसा और आत्म प्रशंसा के अलावा इस बजट में कुछ भी नहीं है।

चुनावी वादों के आधार पर मुझे यह लगता है कि जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। राज्य सरकार केवल सरकारी योजनाओं का नाम बदलने में व्यस्त है। अन्नपूर्णा योजना यानी, नाम अन्नपूर्णा रख लेते। भामाशाह योजना, हमारे मेवाड़ के महापुरुष जिन्होंने महाराणा प्रताप का सहयोग किया, ऐसे महापुरुष का भी नाम बदल दिया।

पिछले बजट में जो अधूरी घोषणाएं थीं उन घोषणाओं को भूलते चलो, नई घोषणा करते चलो, कोई हिसाब-किताब नहीं। इस सरकार ने पहले बजट में यह घोषणा की थी कि 18 भवन विहीन महाविद्यालयों के भवन बनेंगे, पर हुआ कुछ नहीं। मैंने प्रश्न लगाया और उत्तर मिला कि मावली का कॉलेज

(श्री धर्मनारायण जोशी)

डी.एम.एफ.टी. में बनेगा पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार 395 कालेजों के कमरे बनाएगी, पर कोई घोषणा में नहीं हुआ इसलिए मेरा निवेदन है कि "वादों से मुकर जाएगा, वह खुद की नजरों में गिर जाएगा, देख के सूरत आईने में, वह शक्ल से ही डर जाएगा।

किसानों की चिंता कर रहे हैं। किसानों के यह तीन कानून लाये। पंजाब सरकार कानून लाई, राजस्थान सरकार कानून लाई और छत्तीसगढ़ की सरकार कानून लाई। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एम.एस.पी. में यह घोषणा की कि किसानों को अपनी फसल का कम पैसा मिलेगा तो छत्तीसगढ़ सरकार उसका मुआवजा भरेगी। अगर आप यह कानून लाकर ऐसी व्यवस्था रखते तो हमको भी खुशी होती।

वैसे तो संविधान की 7वीं अनुसूची में बिंदु संख्या-42 पर विपणन पर कानून करने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। मैं जब छोटा था, हमारा गांव गुजरात की बाउंड्री से लगा हुआ गांव है, तो वहां पर गेहूं की तस्करी होती थी, सरसों की तस्करी होती थी, तो हमको यह समझ में नहीं आता था कि इसमें किस बात की तस्करी होती है। तब बाद में पता लगा कि सरसों यहां राजस्थान में 40 रुपये किलो है और गुजरात में 60 रुपये किलो है। यहां का व्यापारी खरीद कर गुजरात ले जाता था। आज यह बात समझ में आ रही है। आज देश का किसान कहीं पर भी अपनी फसल को बेच सकता है। ऑनलाइन सारा देखकर परंतु केवल विरोध करना, इसके अलावा कोई काम नहीं है, केवल मात्र हाई-लाइट होने के लिए।

माननीय सभापति महोदय, राज्य के छह जिलों में, राज्य के सभी जिलों में पशुधन बीमा योजना बंद हो गयी है। राज्य सरकार ने एम.ओ.यू. साइन नहीं किया है। प्रदेश का पौने छह करोड़ पशुधन संकट में है। गौ-शालाओं का अनुदान समय पर नहीं मिल रहा है। हमारे यहां पर चुनाव में हम लोग कहते थे कि कोई भी उद्योगपति कोई भी पैन और पेंसिल बनाता है तो उसकी कीमत तय होती है। उसका प्लास्टिक का कवर, उसकी कागज की थैली, उसकी भी कीमत तय होती है। केवल इस देश का किसान ऐसा है जिसकी कीमत, मंडी चौराहा पर उसकी फसल नीलाम होती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि 55 साल जिन्होंने देश पर शासन किया, एक और राज्य बताता हूं जिन्होंने 35 साल शासन

(श्री धर्मनारायण जोशी)

किया पश्चिम बंगाल में, वहां आज भी घोड़े की जगत पर आदमी जुतता है, शासन करने वालों की यह दशा है। आपने क्यों नहीं 55 साल के राज में किसानों का भला किया? परंतु यह आपके उसमें था नहीं। केवल राज करना और राज करने के अलावा कुछ करना नहीं और अपनी सत्ता को कैसे बचाए रखते हैं, यह किया।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पर्यटन का बड़ा केन्द्र है। मैंने पहले भी इस सदन में यह निवेदन किया था। अगर राजस्थान के पर्यटन को विकसित किया जाए, राजस्थान के पर्यटन को देश में अगर प्रचारित किया जाए तो केवल पर्यटन उद्योग हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चला सकता है परंतु किसी की दृष्टि नहीं है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया।

हमारे यहां पर हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि विलायती बबूल, मैंने उदयपुर की जिला परिषद् में उस समय निवेदन किया, आपसे भी निवेदन करता हूं और आपके माध्यम से इस सरकार से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि नरेगा के अंदर बबूल को काटने की व्यवस्था है और बबूल जब कटता है, कोई पौधा जब कटता है तो दस-बीस वापस निकल जाते हैं। मेरी आपसे यह प्रार्थना है, सरकार यह व्यवस्था करे कि चाहे एक पंचायत का कम पैसा आये, बबूल को जड़ से खतम करने की व्यवस्था सरकार करेगी तब ही यह बबूल समाप्त होगा।

आपने बिजली की दरें बढ़ाईं। आपका यह वादा था कि पांच साल तक हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, उसके बाद भी आपने बिजली की दरें बढ़ाईं। हमारी स्थिति यह है पेट्रोल और डीजल में कि गुजरात और राजस्थान में दस रुपये का अंतर है। राजस्थान के सारे पेट्रोल पम्प बंद हैं क्योंकि हमारा वैट देश में सर्वाधिक है। दिल्ली और हरियाणा का वैट बहुत कम है। दिल्ली में भी पेट्रोल-डीजल का पैसा कम है, बिजली का पैसा कम है, केवल हमारे यहां पर ही इसका पैसा ज्यादा है।

चिकित्सा व्यवस्था का जन घोषणा-पत्र में वादा किया था पर चिकित्सकों की भर्ती नहीं हो रही है। दो बार चिकित्सक भर्ती परीक्षा निरस्त हो चुकी है। उदयपुर में पेंशनर्स को निजी हास्पिटल में चिकित्सा सुविधा थी, वह समाप्त हो गयी है और पेंशनर्स परेशान हैं, गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं।

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना का एक उदाहरण निवेदन करूंगा कि

(श्री धर्मनारायण जोशी)

प्रदेश की इस योजना में 72 लाख रुपये की दवाएं एक्सपायर हो गयी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इन सब बातों पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों पर प्रदेश में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। रोगी बिना दवा के ही बैरंग लौट रहे हैं। गंभीर रोगी अस्पतालों में पहुंचे उसके आधे घंटे तक चिकित्सा तो दूर, गेट पर स्ट्रेचर तक नहीं मिलती है। यह सारे समाचार पत्रों में आया है।

माननीय सभापति महोदय, कोटा में बच्चे मरे तो एक जांच कमेटी बैठाई, उसका किसी को पता नहीं है। अगर सब ऑनलाइन हो रहा है तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि पांच रुपये की जो पर्ची हास्पिटल में कटती है, उसको भी ऑनलाइन कर दीजिए। डाक्टर के पास पेशेंट जाता है, उसको भी ऑनलाइन कर दीजिए ताकि वह परेशान नहीं हो।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): प्रदेश में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। राज्य में वर्ष 2019 में 23940 सड़क हादसों में से 10563 लोगों की जान गयी है। सड़क हादसों की संख्या के आधार पर राजस्थान देश के पांचवें स्थान पर है। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 8 प्रतिशत दुर्घटनाएं और 2.35 प्रतिशत मृत्यु दर बढ़ी है।

बिजली लाइनों के रख-रखाव के लिए आपने देखा होगा कि अचरोल कांड, जालौर जिले में वह जो बस दु:खांतिका हुई, मेरे क्षेत्र मावली में बिजली वाले कर्मचारी मुझे क्षमा करें, बिजली वाले क्या करते हैं, खंभा लगाया तो खंभे में सीमेंट नहीं, गोला डाल देते हैं और गोला के बाद उसको पेड़ से बांध देते हैं। मेरे यहां पर एक बच्चा चेतन तीस साल का मरा है, उसकी विधवा आज भी सरकार को कोस रही है।

आपने 'शुद्ध के लिए युद्ध' चलाया, उसके लिए सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं परंतु हुआ क्या? मिलावटखोरों में से किसी एक को भी सज़ा हुई क्या? कोई सज़ा नहीं हुई, कानून व्यवस्था चौपट है। आई.पी.एस. भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं और दस-दस, बीस-बीस लाख की रिश्वत ले रहे हैं।

आपको याद हो तो, माननीय सभापति महोदय, जब रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी तो हमारे उप मुख्य मंत्री थे पायलट साहब

(श्री धर्मनारायण जोशी)

और श्रीमान परिवहन मंत्रीजी, दोनों वहां पर गये और वहां जाकर यह कहा कि एक महीने में आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, पर कुछ नहीं हुआ।

थानों में सरकार की यह घोषणा थी कि स्वागत कक्ष बनाएंगे। हमको आई.जी., एस.पी. यह फोन करते हैं कि आप विधायक कोटे का पैसा दे दीजिए, तो उससे यह स्वागत कक्ष बनेंगे। सरकार पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं दे रही है। पंचायतों को एक रुपया सरकार ने नहीं दिया, तीन किश्तें भारत सरकार की आई है। एक रुपया सरकार ने नहीं दिया। मेरे मावली क्षेत्र में तीस सड़कें ऐसी हैं जिनके काम बंद है।

डी.एम.एफ.टी., पहले आपने यह घोषणा की थी, जिला प्रमुख उसके अध्यक्ष थे, उसके बाद आपकी सरकार आते ही कलेक्टर उसका अध्यक्ष हुआ, फिर आपने प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाया। आज प्रभारी मंत्री हमारे बीच में नहीं हैं, माननीय भंवरलालजी मेघवाल, वह हमारे उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री थे। उनको मैंने पिछली बार विधान सभा में यह पूछा कि आप हमारे प्रभारी मंत्री हैं, डी.एम.एफ.टी. की बैठक ही नहीं हुई है, तो उनका यह उत्तर था, मैंने अभी अख़बार में पढ़ा है, उन्होंने कहा कि...

श्री सभापति: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2021 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 19.00 बजे शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2021 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

बिलाड़ा में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ितों को सहायता

8. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में विगत 2 वर्षों में कितने श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी हुई तथा कितने श्रमिकों को उपचार हेतु सहायता व कितने श्रमिकों को मृत्यु उपरांत मुआवजे का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत 2 वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त बीमारी की रोकथाम के लिए क्या-क्या उपाय किये गये व कितने श्रमिकों को डस्ट मास्क वितरित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में 01.01.2019 से 31.01.2021 के दौरान मण्डल की सिलिकोसिस सहायता योजना के अन्तर्गत 16 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 12 हिताधिकारियों को स्वीकृत कर 27 लाख रुपये की सहायता दी गई है। अन्य 4 हिताधिकारियों के आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं। इनमें से 2 आवेदन हिताधिकारी की आयु 60 वर्ष से अधिक होने के कारण तथा 2 हिताधिकारी मण्डल में पंजीकृत न होने के कारण निरस्त किये गये हैं। विगत 2 वर्षों में सिलिकोसिस योजना के अन्तर्गत मृत्यु सहायता के लिये विधान सभा बिलाड़ा से कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) विगत 2 वर्षों में बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सिलिकोसिस के रोकथाम के लिये अलग से कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया है तथा श्रमिकों को डस्ट मास्क व अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

भीलवाड़ा के राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना के लाभार्थी

16. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में “राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019" लागू की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों को सहकारी बैंकों से जुड़े अल्पकालीन फसली ऋण माफ किये गये हैं? यदि हां, तो जिला भीलवाड़ा के कितने किसानों को ऋण माफी से लाभान्वित किया गया? ग्रामवार/पंचायतवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। "राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019" के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भीलवाड़ा द्वारा जिले के 87994 किसानों को एवं सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा द्वारा 28 कृषकों को अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया गया, जिसका विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

थानागाजी में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की योजना

17. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में गांव की आबादी के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त गांवों की आबादी को ध्यान में रखते हुए नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का

(श्री कान्ति प्रसाद)

विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में गांव की आबादी के अनुसार ही आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये थे।

वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बस्सी में रीको को भूमि का आबंटन

1. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील बस्सी के ग्राम तूंगा तथा नगराजपुरा स्थित चारागाह भूमि पर रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक रीको को भूमि आबंटित कर दी जायेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि चारागाह भूमि की सिवाचयक भूमि से क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा राजस्व विभाग को भेजे जा चुके हैं? यदि हां, तो कितनी भूमि देने का प्रस्ताव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

ब्यावर में शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

2. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं का व्यवसाय अथवा उद्योग स्थापित करने हेतु क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है? उक्त के लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को ऋण स्वीकृत करने के पश्चात् भी संबंधित बैंक द्वारा ऋण देने में आनाकानी की जाती है? यदि हां, तो ऐसा करने वाले बैंकों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में जनवरी, 2019 से 25 जनवरी, 2021 तक किन-किन युवाओं को कब-कब व कितना-कितना ऋण एवं अन्य सुविधाएं दी गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को स्वयं का व्यवसाय अथवा उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग के माध्यम से निम्नांकित 3 रोजगार मूलक योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

(उद्योग मंत्री)

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम-इस योजना अन्तर्गत 25 लाख रुपये तक का ऋण विनिर्माण उद्यम एवं 10 लाख रुपये तक का ऋण सेवा उद्यम हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 15 से 35 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु संधारित पीएमईजीपी ई-पोर्टल www.kviconline.gov.in पर लॉग-इन करके आवेदन कर सकते हैं।

2. मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना-इस योजना अन्तर्गत अधिकतम 10 करोड़ रु. तक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सेवा/व्यापार/ विनिर्माण उद्यम स्थापनार्थ प्रदत्त ऋण प्रकरणों में योजना के नियमानुसार 5 से 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु www.sso.rajasthan.gov.in पर लॉग इन करके मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के आइकन पर लॉग इन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान वित्त निगम युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत युवाओं को रुपये 5.00 करोड़ तक के ऋण उद्योग स्थापित करने हेतु उपलब्ध करवाता है, जिसमें 1.50 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कोई भी युवा उद्यमी निगम के संबंधित शाखा कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है।

(2) विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन पत्रों को निर्धारित प्रक्रिया द्वारा स्क्रूटनिंग की जाकर अनुमोदन पश्चात् संबंधित बैंक शाखाओं को अग्रेषित किया जाता है, जिस पर बैंक द्वारा बैंक नियमों के अधीन कार्यवाही की जाकर गुणावगुण के आधार पर ऋण स्वीकृत/वितरण किया जाता है।

यदि बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किये जाने में आनाकानी की जाती है, तो ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा बैंक शाखा प्रबन्धक, अग्रणी जिला प्रबन्धक को अवगत कराया जाता है। साथ ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ऐसे प्रकरणों के बिन्दु प्रस्तुत किये जाते हैं और ऋण दिलाने संबंधित अपेक्षित कार्यवाही की जाती है।

(3) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में वर्ष जनवरी 2019 से अब तक

(उद्योग मंत्री)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में कुल 15 व्यकितयों को लाभ प्रदान किया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां

3. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में कितनी औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं व कितनी इकाइयां कब से किन-किन कारणों से बंद हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बंद इकाइयों को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में MSME Act 2006 के तहत वर्ष 2007-08 से 2019-20 तक UAM पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन 30335 इकाइयां पंजीकृत/दर्ज हैं। वर्षवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) उद्योगों के बन्द होने के सामान्य कारण पूंजी का अभाव, प्रबन्धन की अकुशलता, तकनीक का पुराना हो जाना, बाजार में मंदी आदि होते हैं। देश में औदयोगिक इकाइयों को रुग्णता से उबारने हेतु लागू IBC-2016 (इन्सोल्वेंसी एण्ड बैंकरप्सी कोड-2016) के अनुसार नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को जिम्मेदारी दी गयी है, अतः उद्योगों के बन्द होने से सम्बन्धित रिकार्ड विभाग द्वारा संधारित नहीं किया जाता है।

(3) बंद पड़े एवं रुग्ण उद्योगों को चालू करने अथवा नहीं करने का निर्णय स्वयं उद्यमी द्वारा उद्योगों की आर्थिक व्यवहार्यता (Economic Viability) के आधार पर लिया जाता है। देश में रुग्ण इकाइयों के पुनरूत्थान हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 से इन्सोल्वेंसी एण्ड बैंकरप्सी कोड-2016 (IBC-2016) लागू किया हुआ है, जो देश की सभी रुग्ण एवं बन्द

(उद्योग मंत्री)

उद्योगों पर लागू है। राज्य में बंद हुए उद्योगों को पुनः प्रारम्भ करने के इच्छुक उद्यमियों को राज्य सरकार समय-समय पर घोषित योजनाएं यथा RIPS, The Rajasthan MSME Policy 2016 के अंतर्गत विभिन्न रियायतें/सुविधाएं देकर एक मददगार (Facilitator) के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सभी उद्योगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 19.12.2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना-2019 लागू की है। इसके माध्यम से सरकार ब्याज में छूट देकर उद्योगों को लाभान्वित करती है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

थानागाजी में उप स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

4. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में उप स्वास्थ्य केन्द्र दुहार चौगान, सीलीबावडी, समरा-हमीरपुर एवं बिघोता कब से संचालित हैं तथा उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौनसे पद स्वीकृत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में पंचायत समिति थानागाजी एवं पंचायत समिति राजगढ़ के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र कब से संचालित है, का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	पंचायत समिति का नाम	संचालित वर्ष
1	दुहार चौगान	थानागाजी	1992
2	समरा	थानागाजी	2009
3	हमीरपुर	थानागाजी	1994
4	सीलीबावड़ी	थानागाजी	2006
5	बिघोता	राजगढ़	1992

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक में एक-एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद स्वीकृत है।

(2) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति राजगढ़ में 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

इस प्रकार पंचायत समिति राजगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र, बिघोता को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति थानागाजी में चालू/आगामी वित्तीय वर्षो में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/ गुणावगुण के आधार पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

फतहनगर (उदयपुर) में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना

5. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर संभाग में कितने ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत हैं? उक्त में से कितने कार्यरत हैं?

(2) क्या सरकार उदयपुर जिले के फतहनगर में ट्रोमा सेंटर व एम्बुलेंस की स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या फतहनगर में विभाग का कोई भवन है, जिसका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर संभाग में कुल 12 ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत हैं, जिनमें से 10 ट्रोमा सेन्टर वर्तमान में कार्यरत हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी नहीं। ट्रोमा सेन्टर खोलने की गाइडलाइन के अनुसार मापदण्ड पूरे नहीं होने के कारण वर्तमान में फतहनगर में ट्रोमा सेन्टर खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

उदयपुर जिले के फतहनगर कस्बे में फतहनगर के नजदीक 10 किलोमीटर की दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मावली पर स्थापित 108 एम्बुलेंस द्वारा अपनी लोकेशन के साथ-साथ फतहनगर के क्षेत्र को कवर करते हुए आमजन को निर्बाध आपातकालीन सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

(3) जी हां। फतहनगर सिटी-डिस्पेंसरी हेतु वर्ष 2011 में निर्मित नवीन भवन के आबादी क्षेत्र से दूर होने, तत्समय जनप्रतिनिधियों एवं जन भावना के अनुरूप सिटी-डिस्पेंसरी को पुराने भवन में ही संचालित किया जा रहा है।

चौमूं व सामोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा कर्मियों की नियुक्ति

6. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि MRS के तत्वावधान में संविदाकर्मी रखा जा सकता है? यदि हां, तो MRS के संविदा नियम क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौमूं व सामोद में MRS के तत्वावधान में संविदा कर्मी रखे गए हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि MRS के तत्वावधान में 10 प्रतिशत से अधिक आय का हिस्सा ही संविदा कर्मी के वेतन पर खर्च कर सकते हैं? यदि हां, तो उक्त दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर MRS से संविदा वेतन पर कितना प्रतिशत खर्चा किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 10 प्रतिशत वेतन पहले से ही व्यय होने के उपरान्त भी वर्ष 2020-21 में संविदा कर्मी रखे गए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार नियमों के विपरीत रखे गए संविदा कर्मियों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री रामलाल शर्मा)

(5) क्या यह भी सही है कि नियमों के विपरीत रखे गए संविदा कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी राजस्थान की नियमावली वर्ष 2018 के भाग-2 वित्तीय नियम के नियम 04 के बिन्दु संख्या 09 व 10 के अनुसार संविदाकर्मी रखे जा सकते हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामोद में आरएमआरएस के तहत संविदा पर श्री कन्हैयालाल सैनी (जीएनएम) कार्यरत है।

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौमूं में एमआरएस संविदा पर 15 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। संविदाकर्मी के वेतन पर आरएमआरएस की आय 10 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च कर सकते हैं, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कार्यकारिणी विभिन्न मदों में स्वीकृत बजट को आवश्यकतानुसार मदवार 10 प्रतिशत तक पुनर्आबंटित कर सकती है।

संविदा पर खर्च का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामोद में संविदाकर्मी पर खर्च कुल आय के 10 प्रतिशत से कम हुआ है तथा पूर्व में कार्यरत जीएनएम का स्थानान्तरण होने के कारण व कार्य की अधिकता होने से अन्य कर्मी को रखा गया था।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौमूं में एमआरएस की आय का 10 प्रतिशत से अधिक खर्च संविदाकर्मियों के मानदेय पर होने के उपरान्त भी एक जीएनएम का स्थानान्तरण होने के कारण उसके स्थान पर नये संविदाकर्मी को रखा गया।

वर्ष 2014 से प्रकरण की जांच करवाकर इस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमों के विपरीत रखे गये संविदाकर्मियों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी।

(5) वर्ष 2014 से प्रकरण की जांच करवाकर इस हेतु उत्तरदायित्व

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

निर्धारित कर नियमों के विपरीत रखे गये संविदाकर्मियों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी।

(प्रति, सूची, विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सूरजगढ़ में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी रा. स्वा. बीमा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार

7. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों के कितने-कितने परिवारों को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत जोड़ा गया है? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना से कितने परिवार वित्तीय वर्ष 2020-21 में लाभान्वित हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा सोशियो इकोनामिक एवं कास्ट सेंसस (एसईसीसी) 2011 में चयनित परिवार के समस्त सदस्य इस योजना के लाभार्थी हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग से प्राप्त खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थी परिवारों की सूरजगढ़ विधान सभा की ग्राम पंचायतवार सूचना परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त एसईसीसी चयनित लाभार्थियों की झुन्झुनूं जिले की ग्राम पंचायतवार सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना अन्तर्गत राज्य में 01 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक 1,69,216 परिवारों द्वारा उपचार लिया है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(सूचना, विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सांगोद क्रय-विक्रय सहकारी समिति के बकाया का भुगतान

8. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सांगोद क्रय-विक्रय सहकारी समिति का भुगतान राजफैड में बकाया है? यदि हां, तो बकाया का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्रय विक्रय सहकारी समिति का भुगतान बकाया होने पर ग्राम सेवा सहकारी समिति कुन्दनपुर को भी गेहूं का हैण्डलिंग चार्ज का बकाया भुगतान उक्त क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा नहीं किया जा सका है? यदि हां, तो उक्त का बकाया भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने इस संबंध में भारत सरकार को भी पत्र लिखा है? यदि हां, तो कब व अब भुगतान का पुनर्भरण कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। सांगोद क्रय-विक्रय सहकारी समिति का राजफैड की ओर से निम्नानुसार भुगतान बकाया है:-

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	समर्थन मूल्य गेहूं खरीद वर्ष 2017-18 बारदाना परिवहन व लोडिंग अनलोडिंग की राशि	1,00,064.00
2.	समर्थन मूल्य गेहूं खरीद वर्ष 2018-19 बारदाना परिवहन व लोडिंग अनलोडिंग की राशि	71,482.00
3.	समर्थन मूल्य गेहूं खरीद वर्ष 2018-19 की हैण्डलिंग व परिवहन की राशि	20,45,136.00
4.	समर्थन मूल्य गेहूं खरीद वर्ष 2019-20 की हैण्डलिंग व परिवहन की राशि	34,58,449.00
5.	समर्थन मूल्य गेहूं खरीद कमीशन वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19	25,52,085.00

(सहकारिता मंत्री)

क्र. सं.	विवरण	राशि
6.	उड़द, सोयाबीन, चना, सरसों 2017-18, 2018-19 कमीशन	22,71,364.00
7.	चना, सरसों कमीशन वर्ष 2019-20	18,67,047.00
8.	लहसुन हैण्डलिंग, परिवहन एवं कमीशन वर्ष 2018-19	22,72,057.00
	कुल योग	**1,46,37,684.00**

भारतीय खाद्य निगम के द्वारा भारत सरकार से प्राप्त प्रोविजनल इन्सीडेन्टल चार्जेज की स्वीकृति दर के अनुसार खर्चों का भुगतान किया गया है। प्राप्त भुगतान अनुसार समिति को भी भुगतान संबंधित वर्ष में कर दिया गया है। भारत सरकार से अभी तक इन्सीडेन्टल चार्जेज की अंतिम स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण हैण्डलिंग व परिवहन व्यय, बारदाना व्यय की राशि बकाया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के वास्तविक खर्च राशि एवं प्रोविजनल दर से प्राप्त राशि में अन्तर की राशि का भुगतान समितियों को भारत सरकार से प्राप्त अंतिम स्वीकृति उपरांत भारतीय खाद्य निगम से राशि प्राप्त होने पर ही किया जाना संभव हो सकेगा।

भारतीय खाद्य निगम के द्वारा वर्ष 2013-14 व 2014-2015 में समिति कमीशन का भुगतान करने पर राजफैड द्वारा समितियों को कमीशन का भुगतान कर दिया गया था किन्तु भारतीय खाद्य निगम के गेहूं खरीद रबी 2017 के भुगतान में से रबी वर्ष 2013 व 2014 में किये गये समिति कमीशन की भुगतान राशि 1,63,77,132.00 रु. की कटौती की गई, जिसमें सांगोद क्रय-विक्रय सहकारी समिति की राशि 32,94,033 रुपये शामिल है। भारतीय खाद्य निगम से पुनर्भरण प्राप्त नहीं होने के कारण सांगोद समिति को 2016-17 व 2018-19 का भुगतान संभव नहीं हो सका। भारत सरकार से वास्तविक खर्चों के पुनर्भरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत भारतीय खाद्य निगम से राशि प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी हां। सांगोद क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा कुन्दनपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति को निम्नानुसार गेहूं खरीद के कमीशन की राशि का भुगतान बकाया है:-

(सहकारिता मंत्री)

वर्ष	राशि
2016-17	1,84,810.00
2017-18	6,67,197.00
2018-19	5,10,622.00
योग	**13,62,629.00**

भारतीय खाद्य निगम से राशि प्राप्त होने पर ही कुन्दनपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति को भुगतान किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) जी हां। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार द्वारा समर्थन मूल्य गेहूं खरीद के अन्तर्गत वास्तविक खर्चों की संशोधित स्वीकृति जारी करने हेतु सचिव, खाद्य उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र क्रमांक सह/स. मूल्य/2020-21/16398-16399 दिनांक 10.11.2020, 16396-16397 दिनांक 10.11.2020, 16394-16395 दिनांक 10.11.2020 एवं 16392-16393 दिनांक 10.11.2020 द्वारा अनुरोध किया गया है तथा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा सचिव, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को अ. शा. पत्र क्रमांक प.19(6)सह/2019 दिनांक 14.09.2020 लिखा गया है।

भारत सरकार से वास्तविक खर्चों के पुनर्भरण की स्वीकृति प्राप्त होने तथा भारतीय खाद्य निगम से राशि प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

सूरजगढ़ की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गोदामों से जोड़ने की कार्ययोजना

9. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के वंचित गोदामों को चरणबद्ध तरीके से जोड़े जाने का विचार है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-2023 में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों को सहकारी समिति के गोदाम से जोड़ा जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुभाष पूनिया)

(2) वित्तीय वर्ष 2020-2021 में उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी ग्राम सेवा सहकारी समिति को गोदामों से जोड़ा गया है? उक्त में कितनी लागत आयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की गोदाम रहित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बजट घोषणान्तर्गत समिति के पास भूमि उपलब्ध होने एवं तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी की जाती है। सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल 33 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 5 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास गोदाम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण गोदाम नहीं बने हैं तथा एक समिति में बजट घोषणा वर्ष 2020-21 अन्तर्गत गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है एवं शेष 27 समितियों में गोदाम उपलब्ध है। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) सूरजगढ विधान सभा क्षेत्र की धिगडिया ग्राम सेवा सहकारी समिति में 12 लाख रु. की लागत से बजट घोषणा वर्ष 2020-21 अन्तर्गत गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

आंगनबाड़ी केन्द्रों का सरकारी भवनों में संचालन

10. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने केन्द्र निजी भवनों में संचालित हैं? जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को सरकारी भवनों में संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में संचालित 61469 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 10553 केन्द्र निजी भवनों में संचालित हैं, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास)

(2) निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को सरकारी भवनों में स्थान की उपलब्धता एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

इटावा व सुल्तानपुर नगरपालिका क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को भवन उपलब्ध करवाने की कार्ययोजना

11. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र इटावा तथा सुल्तानपुर में किराये के एवं अन्य विभागों के भवनों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कितने स्थानों पर तथा इनके लिए भवन एवं केन्द्रों के लिए आवश्यक तथा समुचित भूमि एवं भवन कब तक उपलब्ध करवा दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव द्वारा भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से तकनीकी सहयोग लेने के निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त की पूर्ति के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दोनों कस्बों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से भूमि एवं भवन विहीन केन्द्रों के लिए कब तक भूमि एवं भवन उपलब्ध करवाये जाने प्रस्तावित हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका क्षेत्र इटावा तथा सुल्तानपुर में किराये के एवं अन्य सरकारी भवनों में 20 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास)

(2) वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से तकनीकी सहयोग लेने के निर्देश विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा शहर में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की कार्ययोजना

12. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार ने विगत 2 वर्षों में कोटा संभाग में कितने नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कोटा शहर में वर्तमान में कहां-कहां आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है?

(4) क्या सरकार कोटा शहर में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक होने के कारण विगत दो वर्षों में कोटा संभाग में कोई आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोले गये।

(2) नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोलने के कारण कोई भवन निर्माण कार्य नहीं करवाया गया।

(3) कोटा शहर में वर्तमान में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर रोक है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा में अनुसूचित जाति-जनजाति स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत रोजगार प्रशिक्षण

13. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति स्थानीय विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? यदि हां, तो जिला भीलवाड़ा में विगत दो वर्ष में कब-कब, कहां-कहां कार्यक्रम आयोजित किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा माडा योजना पूरे प्रदेश में क्रियान्वयन की जा रही है? यदि हां, तो जिला अलवर में पंचायत समिति स्तर पर उक्त योजना के अंतर्गत कौन-कौनसे कार्य किये जा रहे हैं? विगत दो वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) के माध्यम से आयोजित किये जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध रहते हैं।

भीलवाड़ा जिले में पिछले 2 वर्षों में 179 अनुसूचित जनजाति के युवाओं को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया। भीलवाड़ा जिले में आरएसएलडीसी के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

अनुजा निगम द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत भीलवाड़ा जिले में पिछले 2 साल में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 476 युवाओं को प्रशिक्षण दिलवाया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षणार्थियों की संख्या की सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा माडा योजना के अन्तर्गत जनजाति जनसंख्या के

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

आधार पर निर्धारित राजस्थान के 17 जिलों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। 17 जिलों के नाम निम्नानुसार हैं:-

अलवर, बारां, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौडगढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, पाली, राजसमन्द, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर।

1. अलवर जिले में 02 एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल एवं 10 आश्रम छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। आवासीय विद्यालय व आश्रम छात्रावासों में आवासीय अध्यनरत छात्र-छात्राओं को रहने खाने पीने एवं स्कूल यूनिफार्म, स्टेशनरी आदि की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।

2. विभागीय शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत जनजाति विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है।

3. माडा/बिखरी योजनान्तर्गत ग्रामों में सिंगल फेज बोरिंग पेयजल कार्य, हैण्डपम्प निर्माण, सी. सी./ग्रेवल सड़क निर्माण, एनिकट निर्माण, स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण व सामुदायिक भवन निर्माण कार्य आदि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनकी उपादेयता तथा उपलब्ध बजट के आधार पर स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। ग्राम पंचायत बैबली, पंचायत समिति रैणी में 02 सिंगल फेज बोरिंग निर्माण कार्य व आश्रम छात्रावास मल्लाणा में शौचालय टैंक निर्माण कार्य व थानागाजी आश्रम छात्रावास में छत मरम्मत कार्य स्वीकत किये गये। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में पंचायत समिति स्तर पर कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण, सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

अजमेर में कोरोना काल में पंजीकृत श्रमिकों को सहायता

14. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान जनता को किन-किन योजनाओं में क्या-क्या सुविधाएं दी गईं? पंजीकृत श्रमिकों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता कब-कब दी गई? जिला अजमेर में कितने पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी गई? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह रावत)

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे पंजीकृत श्रमिकों, जिनके बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं थे अथवा आधार से लिंक नहीं थे, उन्हें राशि का नकद भुगतान किया जाना था? यदि हां, तो ऐसे कितने पंजीकृत श्रमिकों को नकद भुगतान किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कितने पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी गई? नामवार एवं ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोरोना काल में (01.03.2020 से 31.12.2020) की अवधि में मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में 77424 श्रमिकों को रुपये 206.45 करोड़ राशि से लाभान्वित किया गया। अजमेर जिले में कुल 1652 पंजीकृत श्रमिकों को मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया गया। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) मण्डल द्वारा किसी भी पात्र श्रमिक को नकद भुगतान सहायता योजना द्वारा नहीं दी जाती है। सहायता आवेदन में श्रमिक द्वारा उल्लेखित बैंक खाता जरिये केन्द्रीकृत बैंक प्रणाली द्वारा सहायता राशि हस्तांतरित की जाती है।

(3) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कुल 1586 पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी गई। कोरोना काल (01.03.2020 से 31.12.2020) की अवधि में लाभान्वित श्रमिकों के नामवार एवं ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कोटा शहर में IIIT का संचालन

15. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा शहर में आई.आई.आई.टी. निर्माण कब स्वीकृत हुआ?

(2) सरकार द्वारा कोटा आई.आई.आई.टी. को लेकर अब तक कितना बजट और संसाधन उपलब्ध करवाये गये?

(3 क्या यह सही है कि कोटा आई.आई.आई.टी. की कक्षाओं का

(श्री संदीप शर्मा)

संचालन लम्बे समय से कोटा शहर से बाहर हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा कोटा शहर में आई.आई.आई.टी. के संचालन के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आई.आई.आई.टी. कोटा के भवन निर्माण हेतु निदेशक, आई.आई.आई.टी., कोटा द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28 जून, 2019 को जारी की गई।

(2) राज्य सरकार द्वारा आई.आई.आई.टी. के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी गई एवं राज्यांश के रूप में वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 6.11 करोड़ संस्थान के बैंक खाते में हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 7.46 करोड़ संस्थान के बैंक खाते में हस्तान्तरित किये जाने हेतु निदेशक, तकनीकी शिक्षा जोधपुर के पी.डी. खाते में जमा हो चुके हैं।

(3) जी हां। भारत सरकार के सुझाव पर आई.आई.आई.टी. के मेंटर संस्थान का दायित्व MNIT, Jaipur को दिये जाने के कारण एवं लॉजिस्टिक सपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए इसकी कक्षाएं वर्ष 2013 से MNIT, Jaipur के परिसर में संचालित हो रही हैं।

(4) राज्य सरकार द्वारा आई.आई.आई.टी. कोटा को कोटा शहर में संचालन एवं इसके लॉजिस्टिक सपोर्ट की संभावनाएं तलाशी गई परन्तु उपयुक्त स्थान व लॉजिस्टिक सपोर्ट की उपलब्धता के अभाव में संस्थान का कोटा शहर में संचालन संभव नहीं हो सका।

कार्यकारी एजेन्सी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा फेज 1ए का निर्माण कार्य दिनांक 01.10.2020 एवं फेज 1ब का निर्माण कार्य दिनांक 28.01.2021 को प्रारंभ कर दिया गया है। दोनों चरणों के निर्माण की अवधि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 18 माह निर्धारित की गई है।